दशम् माला, खंड 43, अंक 9

बुधवार, 16 अगस्त, 1995
25 श्रावण, 1917 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र
( दसवीं लोक सभा )

(खंड 43 में अंक 1 से 10 तक हैं)

*लोक सभा सचिवालय*
*नई दिल्ली*

मूल्य : पचास रूपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

16 अगस्त, 1995 के लोक सभा वाद विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

......

| कालम | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़िए |
|---|---|---|---|
| 10 | 26 | .... रंगयी | ...~~रंगयी~~ रंगापी |
| 19 | 9 | सव० | एव० |
| 45 | 17 | बालक | बाल |
| 51 | प्रश्न सं० 181 | शीर्षक "खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों संबंधी प्रस्ताव" पढ़िए । | |
| 60 | प्रश्न सं० 192 | श्री शान्ता पोतदुखे | श्री शान्ताराम पोतदुखे |
| 71 | नीचे से 3 | (ख) और (घ) | (ख) और (ग) |
| 81 | प्रश्न सं० 210 | .... गंगावार | ..... गंगावार |
| 116 | प्रश्न सं० 1601 | श्री येल्लेया नंदी | श्री येल्लैया नंदी |
| 121 | प्रश्न सं० 1607 | श्री थाइल अंजलोज | श्री थाइल जान अंजलोज |
| 145 | 16 | कठोरिया | कठेरिया |
| 199 | 16 | (ख) और (घ) | (ग) और (घ) |
| 243 | नीचे से 3 | श्रीमती रामाश्रय प्रसाद सिंह | श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह |
| 261 | प्रश्न सं० 1769 | श्री सुधीर राय | डा० सुधीर राय |
| 279 | नीचे से 15 | बुल्ला बुल्ली | बोल्ला बुल्ली |
| 304 | नीचे से 11 | खाद्य | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
| 346 | नीचे से 22 | .. फलीरो | फलीरो |
| 360 | प्रश्न सं० 1909 | श्री बलराम पासी | श्री बलराज पासी |
| 379 | 10 | जल-भूतल मंत्रालय | जल-भूतल परिवहन मंत्रालय |
| 425 | 9 | रसयान | रसायन |
| 431 | नीचे से 13 | डा० पी० वल्ल.... | डा० पी० वल्लल... |
| 460 | प्रश्न सं० 1960 | शीर्षक "तालचेर ताप विद्युत केन्द्र" पढ़िए । | |
| 473 | प्रश्न सं० 2042 | श्री बलराम पासी | श्री बलराज पासी |
| 482 | | प्रश्न सं० 2055 की पंक्ति सं० 18-29 में पुनरावृत्ति हुई है । अत: इनका लोप समझा जाये । | |
| 534 | नीचे से 24 | ... ऊर्जा स्रोत में | ... ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में |
| 535 | नीचे से 19 | (क) और (ग) | (क) और (ख) |
| 563 | 14 | श्री रामश्रय | श्री रामाश्रय... |
| 582 | नीचे से 7 | (ख) | (ङ.) |
| 602 | नीचे से 8 | श्री अर्जन सिंह | श्री अर्जुन सिंह |
| 613 | नीचे से 13 | अध्यक्ष महोदय | अध्यक्ष महोदय |
| 620 | 13 | श्री इन्द्रजीत यादव | श्री चन्द्रजीत यादव |
| 626 | प्रथम | ..... पाणिग्राही | .... पाणिग्रही |
| 633 | 23 | श्रीमती सुशील गोपालन | श्रीमती सुशीला गोपालन |
| 635 | 6 | श्री सुशीला गोपालन | श्रीमती सुशीला गोपालन |
| 674 | 9 | श्री रासा.... | प्रो० रासा.... |
| 679 | 7 | ~~(दमदम)~~ (डमडम) | (दमदम) |

# विषय-सूची

दशम माला, खंड 43, चौदहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक 9, बुधवार, 16 अगस्त, 1995/25 श्रावण, 1917 (शक)

| | | कॉलम |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर :** | | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : | 201, 203, 205, 207 | 1-34 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर :** | | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : | 161-180 (11.8.95) | 34-51 |
| | 181-200, (14.8.95) | 51-76 |
| | 202, 204, 206, 208-220 (16.8.95) | 76-102 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : | 1584-1813 (11.8.95) | 102-295 |
| | 1814-2014 (14.8.95) | 295-447 |
| | 2015-2166 (16.8.95) | 447-597 |
| **...डु में वेल्लोर किले से "लिट्टे" कैदियों के भाग निकलने के बारे में** | | 597-607 |
| **...पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के बारे में** | | 607-621 |
| **...टल पर रखे गए पत्र** | | 621 |
| **...कार्य संबंधी स्थायी समिति** | | 622 |
| सातवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत | | |
| **...नव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति** | | 622 |
| उन्नीसवां, तीसवां और इक्कतीसवां प्रतिवेदन-सभा पटल पर रखे गए। | | |
| **भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक-पुरःस्थापित** | | 622 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | | 623-627 |
| (एक) कोरबा नगर, मध्य प्रदेश में एक इलैक्ट्रोनिक दूरभाष केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता | | 623 |
| **श्री भवानी लाल वर्मा** | | |
| (दो) हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़कों तथा बाढ़ से प्रभावित रेल पटरियों की मरम्मत तथा रख-रखाव हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा अदा किए जाने की आवश्यकता | | 623-624 |
| **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** | | |

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

# लोक सभा

बुधवार, 16 अगस्त, 1995/25 श्रावण, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

### सभी के लिए स्वास्थ्य

*201. **श्री मंजय लाल :**

**श्री गुमान मल लोढा :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन् 2000 के अंत तक सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) :** (क) से (घ). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

(क) से (घ). जी, हां। ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना का एक विशाल नेटवर्क, जिसमें 131,900 उपकेन्द्र 22,156 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2377 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण देश में शुरू किया गया है। द्वितीय और तृतीयक स्तर के अस्पताल जो रेफरल संस्थाएं हैं, विशेषीकृत स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करती हैं। मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, एड्स तथा कैंसर जैसी संचारी और गैर संचारी रोगों का नियंत्रण/उन्मूलन करने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व जिसमें टीकाकरण भी शामिल हैं, पर बल दिया गया है।

लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के नेटवर्क का विस्तार करने हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के विकास को लोगों को व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों, जिसमें अनिवासी भारतीय, उद्योग तथा प्राइवेट चिकित्सक आदि शामिल हैं, को भी बढ़ावा दिया गया है।

सन् 2000 के लिए पैरामीटर-वार लक्ष्यों तथा वर्तमान उपलब्धियों को दर्शाने वाला अनुबन्ध संलग्न है।

उपर्युक्त सभी कार्यक्रम सम्पूर्ण जनसंख्या के लाभ के लिए समूचे देश में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

**अनुबन्ध**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लक्ष्य राष्ट्रीय नीति में निहित स्तर और उपलब्धियां**

| क्रम सं. | सूचक | राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में निहित स्तर | लक्ष्य | | | उपलब्धियां | उपलब्धियों का वर्तमान स्तर (नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1985 | 1990 | 2000 | 1990 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | शिशु मृत्यु दर | | | | | | |
| | ग्रामीण | 136 (1978) | 122 | | | 86 | 82 |
| | शहरी | 70 (1978) | 60 | | | 50 | 45 |
| | संयुक्त | 125 (1978) | 106 | 87 | 60 से कम | 80 | 74 (1993) |
| | प्रसव मृत्यु दर | 67 (1976) | | | 30-35 | 49.6 | 47.5 (1992) |
| 2. | अशोधित मृत्यु दर | लगभग 14 | 12 | 10.4 | 9.0 | 9.6 | 9.2 (1993) |
| 3. | स्कूल-पूर्व आयु (1-5 वर्ष) के बच्चों की मृत्यु दर | 24 (1976-77) | 20-24 | 15-20 | 10 | 26.5 | 26.5 (1992) |
| 4. | मातृ मृत्यु दर | 4-5 (1976) | 3-4 | 2-3 | 2 से कम | 4 | 4 (1993) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | जन्म के समय जीवन प्रत्याशा | | | | | | |
| | पुरुष | 52.6 (1976-81) | 55.1 | 57.6 | 64 | 58.1 (1986-91) | 60.6 (1991-96) |
| | महिला | 51.6 (1976-81) | 54.3 | 57.1 | 64 | 59.1 (1986-91) | 61.7 (1991-96) |
| 6. | जन्म के समय 2500 ग्राम (प्रतिशत) से कम वजन के बच्चे | 30 | 25 | 18 | 10 | -- | 30 (1992) |
| 7. | अशोधित जन्म दर | लगभग 35 | 31 | 27.0 | 21.0 | 29.9 | 28.5 (1993) |
| 8. | कारगर दम्पती सुरक्षा (प्रतिशत) | 23.6 (मार्च 82) | 37.0 | 42.0 | 60.0 | 44.1 (मार्च 91) | 45.4 (मार्च 94) |
| 9. | कुल प्रजनन दर | 1.48 (1981) | 1.34 | 1.17 | 1.0 | - | 1.6 |
| 10. | वृद्धि दर (वार्षिक) | 2.24 (1971-81) | 1.90 | 1.66 | 1.20 | | 2.14 (1981-91) |
| 11. | परिवार आकार | 4.4 (1975) | 3.8 | | 2.3 | 4.0 (1988) | |
| 12. | प्रसव पूर्व परिचर्या प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाएं | 40-50 | 50-60 | 60-75 | 100 | 60 (1988) | 82 (1993) |
| 13. | प्रशिक्षित दाई द्वारा प्रसव (प्रतिशत) | 30-35 | 50 | 80 | 100 | 40-50 | 47.3 (1992) |
| 14. | टीकाकरण स्तर (प्रतिशत कवरेज) | | | | | | |
| | टी. टी. (गर्भवती महिलाएं) | 20 | 60 | 100 | 100 | 78.16 | 82.48 (1993-94) |
| | टी. टी. (स्कूली बच्चे) | | | | | | |
| | 10 वर्ष | | 40 | 100 | 100 | 60.5 | 60.5 |
| | 16 वर्ष | 20 | 60 | 100 | 100 | 86.45 | 86.45 |
| | डी. पी. टी. (3 वर्ष के कम आयु के बच्चे) | 25 | 70 | 85 | 85 | 98.19 | 93.10 (1993) |
| | पोलियो (नवजात) | 5 | 50 | 70 | 85 | 101.51 | 93.57 (1993) |
| | बी. सी. जी. (नवजात) | 65 | 70 | 80 | 85 | 101.51 | 96.95 (1993) |
| | डी. टी. (स्कूल में प्रवेश पाने वाले 5-6 वर्ष की आयु के बच्चे) | 20 | 80 | 85 | 85 | 82.0 | 82.0 |
| | टाइफाइड (स्कूल में प्रवेश पाने वाले 5-6 वर्ष की आयु के बच्चे) | 2 | 70 | 85 | 85 | 62.6 (1987-88) | 62.6 |
| 15. | कुष्ठ-पता लगाए गए रोगियों में से रोग पर काबू पाए गए रोगियों की प्रतिशतता × | 20 | 40 | 60 | 80 | 65.0 | 74.86 |
| 16. | पता लगाए गए क्षय रोगियों में से रोग पर काबू पाए गए रोगियों की प्रतिशतता | 50 | 60 | 75 | 90 | 66 | 66 |
| 17. | दृष्टिहीनता व्याप्तता (प्रतिशत) | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1.49 | 1.49 |

× = 4 मिलियन अनुमानित कुष्ठ रोगियों में से 1983 के बाद ठीक हुए रोगी

स्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983××

[हिन्दी]

**श्री मंजय लाल :** अध्यक्ष महोदय, सन् 2000 तक सबको स्वास्थ्य मिले, 1983 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत यह ऐलान हुआ था। इस बात को 13 वर्ष बीत चुके हैं, मगर इस काम के लिए जो कारगर कदम उठाए जाने चाहिए थे, वे नहीं उठाए गए। कुछ अस्पताल खोले गए, उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए, इस बीच 1991 में नई आर्थिक नीति आ गई और दवाइयों की कीमत आसमान छूने लगी, साधारण लोगों के लिए दवा खरीदना असंभव हो गया। देहातों के अस्पतालों में दवा की बात तो दूर, दवा लिखने के लिए कागज तक उपलब्ध नहीं होता। मैं मुजफ्फरपुर गया था। हाल ही में वहां वह जापानी बीमारी एंसीफेलाइटिस का प्रकोप हुआ।

**अध्यक्ष महोदय :** आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आप मालूमात लेने के लिए और हो सके तो सरकार को गाइड करने के लिए बोलिए, दोष लगाने के लिए नहीं।

**श्री मंजय लाल :** मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जापानी एंसीफेलाइटिस से जो मरे, वे सब गरीबी की रेखा से नीचे के लोग थे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार साधारण लोगों के लिए, जिनकी संख्या कुल जनसंख्या का आधा है, क्या इन लोगों का अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा करा कर इनके इलाज, स्वास्थ्य परीक्षण और मुफ्त दवा का प्रबंध किया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा प्रश्न है।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) :** अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि 1983 में नेशनल हैल्थ पालिसी पार्लियामेंट ने एडाप्ट की थी और उसमें सहमति प्रकट की थी कि सन् 2000 तक सब लोगों को स्वास्थ्य के सिलसिले में इलाज की जो भी सुविधाएं हम पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से उस नीति के अंदर लिखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, एक सप्ताह पूर्व एक अन्य प्रश्न के सिलसिले में मैने यहां बताया था कि 4 साल के अंदर यह बात हो सकेगी, बदकिस्मती से इस बात को साफतौर पर पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन जितनी सफलता भी हो सकती है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। माननीय सदस्य के सवाल का उत्तर देने के पूर्व मैं यह अवश्य कहूंगा कि पहले जिस तरह से आयुर्वेद के वैध हर गांव में इलाज करते थे, गांव के हर आदमी को इलाज़ नसीब होता था, जब तक वही सिलसिला फिर से शुरु नहीं किया जाएगा, आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक हम नहीं समझते कि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हर व्यक्ति तक इलाज की सुविधा पहुंचाई जा सकती है। करीबन 100 करोड़ की आबादी है और प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना बहुत मुश्किल है। हर स्टेट के अंदर कुछ हिस्से अलग कर के अगले 4 या 8 साल में किस तरह से इस काम को हम कर सकते हैं इसका प्रचार किया जाएगा और पहले बेसिक चीजें पहले दी जाएंगी।

उसके बाद दूसरी प्राथमिकता के इलाज और चीज देंगे। अब कम्युनिकेबल डिसिज और नॉन कम्युनिकेबल डिसिज भी उसके अंदर हैं। उसके अंदर पैदाइश के पहले मां को न्यूट्रीशन देने का सवाल भी पैदा होता है और पैदाइश के बाद बच्चे को। मोर्टेलिटी रेट जैसे कम हुआ है इससे भी ज्यादा कम किस तरह किया जा सकता है इस पर भी सोचा जा रहा है। तो गोया आदमी की जिंदगी शुरू होने से पहले से और उसके कब्र में जाने तक यह सारा स्वास्थ्य का सवाल मानव के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह समस्या लगातार आने की वजह से यह बहुत बड़ा मसला है जिसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। जैसा माननीय सदस्य साहब ने फरमाया है और इसलिए हमने दो-चार रोज के बाद जितने MP साहब...

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न का मूल भाग जीवन बीमा से सम्बन्धित है। क्या ऐसा किया जा सकता है।

**श्री ए. आर. अंतुले :** मैं उस पर आ रहा हूं। जैसा आपने कहा वह भी इतना आसान नहीं होगा।

[हिन्दी]

इसलिए उसके अंदर उसका भी है। हैल्थ स्टेटमेंट 1983 का है जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी के सिलसिले में भी कहा गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री साहब ने डिक्लेयर किया है कुछ लोगों के इंश्योरेंस के सिलसिले में। अब हमें देखना है कि हैल्थ के सिलसिले में भी पूरे हिन्दुस्तान में 100 करोड़ लोगों को उसके अंदर ला सकते हैं क्या ? तो वह एक सवाल रहा। लेकिन उनको लाने के बाद भी उन तक इलाज पहुंचना आसान नहीं हो सकता। इंश्योरेंस के अंदर लाने से अगर आदमी मर जाए तो उसको पैसा मिल सकता है या दवाई के लिए पैसा मिल सकता है। इलाज मुश्किल है। यह बात सही है लेकिन अगर वहां से सुविधा नजदीक न हो या मोबाइल हास्पिटल जैसी सुविधा कोई न हो तो पैसा देकर भी उसका कोई फायदा स्वास्थ्य के सिलसिले में हो जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। इसलिए सारे MP जो मैडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी मैंने एक मीटिंग ली है और उनको जो भी इसके बारे में सुझाव देने हैं उन सब सुझावों को इकट्ठा करके हम किस प्रकार से आपस में एक साथ बैठकर इस चीज को कर सकते हैं इस पर गौर करेंगे क्योंकि इसे न एक सरकार कर सकती है और न कोई एक पार्टी कर सकती है। इसे सब हम मिलकर कर सकते हैं। इसलिए यह नेशनल प्रोग्राम, नेशनल पॉलिसी के तहत जो है उसको अमल में लाना है, उसमें आप सब का सहयोग भी हम चाहते हैं। जहां तक इंश्योरेंस का आपका जो सवाल है उसके सिलसिले में भी हम सोचेंगे। लेकिन आज हम इसमें कोई कमिटमेंट...।

**श्री मंजय लाल :** हैल्थ इंश्योरेंस के बारे में।

**श्री ए. आर. अन्तुले :** हैल्थ इंश्योरेंस के सिलसिले में हम कोई कमिटमेंट इसके लिए आज नहीं दे सकते हैं। यही मैं आज कहना चाहता हूं। वह कमिटमेंट देने के बाद किस तरह से वह पूरा किया जाए, यह भी हमको देखना पड़ेगा।

स्वास्थ्य के लिए वह इंश्योरेंस होगा, लेकिन इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस नहीं होगा। तो स्वास्थ्य का इंतजाम अगर हम नहीं कर सकते हैं तो इंश्योरेंस देने का मतलब कुछ नहीं होता। इंश्योरेंस इसको नहीं कहेंगे।

**श्री संजय लाल** : अध्यक्ष जी, यह 1983 का ऐलान था। तेरह वर्ष बीत गए और चार वर्ष बाकी हैं और ये अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। हमारा स्पेसिफिक प्रश्न था कि स्वास्थ्य के लिए उनको बीमा कराना चाहिए और उनको इलाज कराना चाहिए।

अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसाकि इन्होंने लिखा है कि प्राइवेट लोगों को अस्पताल खोलने के लिए इन्होंने इजाजत दी है। अध्यक्ष जी, बड़े-बड़े निजी अस्पताल खुल रहे हैं। अपोलो जैसा मुनाफा कमाने के लिए अस्पताल खुल रहे हैं। साधारण, गरीब लोगों को जिनका वहां इलाज नहीं हो सकता है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या निजी क्षेत्र के अस्पतालों में गरीबों के लिए और विशेषकर गरीबी की रेखा के नीचे के जो लोग हैं उनके लिए 50 प्रतिशत कोटा इनमें निश्चित करेंगे जिससे उनका उनमें मुफ्त इलाज, स्वास्थ्य परीक्षण वहां हो सके।

**श्री ए. आर. अन्तुले** : अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में भी माफ कीजिएगा, मुझे यह जरूर कहना पड़ेगा कि कुछ दिनों पहले आपने फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इक्नॉमिक टाइम्स में पढ़ा होगा कि इस देश के कुछ टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट जब प्रधानमंत्री महोदय से मिले थे तो प्रधानमंत्री जी ने उनसे यह सवाल किया कि आप गरीबों के लिए क्या करना चाहते हैं? जब आपकी इंडस्ट्री कायम होगी। उन्होंने यह सुझाव दिया कि अपनी इंडस्ट्री के साथ आप एक हास्पिटल भी कायम करें। अगर मीडियम साइज इंडस्ट्री है तो उसी हिसाब से और अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो बहुत बड़ा हास्पिटल। मल्टी नैशनल है तो एक-आध डिस्ट्रिक्ट को हैल्थ केअर के लिए वह ऐडाप्ट कर सकती है। इस तरह से जवाब में भी लिखा है कि प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशिनर्स की सर्विसेज को भी हम अपनाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स की सर्विसिज को भी अपनाना चाहते हैं और एन. आर. आईज. एन. जी. ओज़ व अन्य संस्था अगर इस क्षेत्र में कोशिश करना चाहते हैं तो उनको भी अपनाया जा सकता है। माननीय सदस्य जो कुछ फरमा रहे हैं, वह सही है। अपोलो और बड़े-बड़े अस्पतालों का जहां तक सवाल है, वह बड़ी बीमारियों और बड़े लोगों के लिए हैं। उस जगह पर 50 फीसदी गरीब आदमियों का इंतजाम फ्री हो सकता है या नहीं, इसके सिलसिले में कानून लाना पड़ेगा और इसके लिए हम कोशिश भी करेंगे। मैं इस सिलसिले में स्वयं सोच रहा हूं कि 50 फीसदी तो नहीं तो कम से कम 25 से 30 फीसदी गरीब आदमियों का फ्री इलाज बड़े अस्पतालों में किया जा सके। अगर इसके लिए लैजिस्लेशन लाने की जरूरत हो तो वह भी लाना चाहिए तो हम ले आएंगे। इस सिलसिले में इस तरह से हम सोच रहे हैं।

**श्री दत्ता मेघे** : प्राइवेट अस्पतालों में दे सकते हैं . ..(व्यवधान)...

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, लोढ़ा जी।

[हिन्दी]

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1946 में बोहरा कमेटी का निर्माण हुआ था और उसने यह सिफारिश की थी कि दो हजार तक स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए जो योजनाएं हों, उनमें 20 हजार की जनसंख्या पर एक पब्लिक हैल्थ सैंटर खोल दिया जायें। मेरे प्रश्न का 'क' पार्ट यह है कि बोहरा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 20 हजार की जनसंख्या पर पब्लिक हैल्थ सैंटर खोलने का जो टारगेट 1946 में रखा था, वह किन-किन प्रदेशों में पूरा हो गया और कहां पर नहीं हुआ और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ ? मेरे प्रश्न का 'ख' पार्ट यह है कि आपने आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने की बात कही है लेकिन आयुर्वेद और ऐलोपैथी का जो बजट है, उसमें हैंडर्ड परसैंट से ज्यादा अन्तर है। आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए आपने क्या टारगेट रखे हैं और बजट का जो अंतर है, उसे आप कितना कम करेंगे ? मेरे प्रश्न का 'ग' पार्ट यह है कि आपने कहा कि हम हैल्थ इंश्योरेंस नहीं कर सकते क्यों कि इससे इलाज नहीं होता। आज दुनिया के सब राष्ट्रों में हैल्थ इंश्योरेंस होने के कारण बीमार लोगों को पैसा मिल जाता है ताकि वे इलाज करा लें। क्या हैल्थ इंश्योरेंस करने के प्रश्न पर आप गम्भीरता से पुनर्विचार करेंगे ?

**श्री ए. आर. अन्तुले** : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि हम विचार नहीं करेंगे। माननीय सदस्य द्वारा तीसरा प्रश्न पूछने से पहले उनके लंबे दो प्रश्न मैं भूल गया इसलिए आपकी अनुमति से तीसरे प्रश्न पर ही जरूर आऊंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : उनका दूसरा प्रश्न यह था कि आयुर्वेद के लिए पैसा ज्यादा नहीं रखा गया है।

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : कितने प्रपोशन में देंगे ?

**श्री ए. आर. अन्तुले** : यह बात सही है कि इसमें बहुत बड़ा अन्तर है लेकिन अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यह जरूर कहूंगा कि पैसा ऐलोकेट करने की बजाय अगर आयुर्वेद के स्कीम प्राइम मिनिस्टर की गाइडैंस में रिवाइज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन करते हुए कहा था कि आयुर्वेद के लिए पैसा कम नहीं होने देंगे। इतनी ही इस वक्त और हमारे आचार्य विद्या ...(व्यवधान)...

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : यह स्लोगन हो गया। कितने प्रपोशन में देंगे और कितना गैप कम करेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह स्लोगन नहीं है, यह ऐश्योरेंस है। पैसा कम नहीं पड़ने देंगे यह बहुत बड़ी बात है

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : आश्वासनों संबंधी समिति इस पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

**श्री ए. आर. अन्तुले :** ऐश्योरेंस कमेटी में देने से पहले गवर्नमैंट खुद उस ऐश्योरेंस के बारे में जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि कुछ सोचेंगे और अमल में लाएंगे।

**श्री हरि किशोर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के सम्बन्ध में बड़े-बड़े वायदे किये। क्षय रोग की बीमारी से लगभग 50 लाख लोग हर साल मौत के शिकार होते हैं और करीब-करीब 14 मिलियन आबादी इससे प्रभावित होती है। एक रपट के अनुसार लगभग आधी जनसंख्या किसी न किसी रूप में क्षयरोग से प्रभावित है। सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने जा रही है जिससे 2001 में इस देश में क्षय रोग को मुक्ति मिल सके।

**श्री ए. आर. अन्तुले :** अध्यक्ष महोदय, इसी सवाल के सम्बन्ध में एक सम्मानीय सदस्य के सप्लीमेंट्री प्रश्न के जवाब में मैंने यह कहा था कि जब हम आजाद हुए तब यह क्षय रोग इनक्यूरेबल था, उसके बाद वह क्यूरेबल हो गया। लेकिन सैकण्ड या थर्ड स्टेज में जाने के बाद उसके लिए काफी पैसा लगता है। मैंने गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा था कि जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी उसको डिटेक्ट करने की मशीनरी हम खड़ी करना चाहते हैं। जैसे पोलियो रोग के रोकथाम के लिए पूरे हिन्दुस्तान में दो दिन के अंदर दिसम्बर माह की 9 तारीख को और 20 जनवरी को सारे हिंन्दुस्तान के एक से तीन वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इराडीकेशन की कोशिश कर रहे हैं कि वह हो जाए। उसके लिए हम प्रोग्राम के तहत कदम उठा रहे हैं। उसी तरह से हर आदमी को इस तरह से जांचा जाएगा कि क्या वह टी॰ बी॰ का शिकार है और जल्दी टी॰ बी॰ का डिटेक्शन होता है अगर शीघ्र पता चले तो बाद में उसके इलाज के लिए जो कोस्ट पड़ती है, खूब पैसा अवश्य होता है वह उतनी हद तक नहीं पड़ेगी। इसलिए यह देश, हुकूमत और हम सबके हित में है कि उसको फौरन डिटेक्ट किया जाए, क्योंकि वह क्यूरेबल है और क्यूरेबल होने की वजह से सेकण्ड व थर्ड स्टेज में जाने से पहले उसको करना चाहिए। इसलिए उसके डिटेक्शन के सिलसिले में हम एक यंत्रणा खड़ी कर रहे हैं जिसमें पी॰ एच॰ सी॰ के अंदर डॉक्टर जाकर जो मामूली बीमारी है उसके उपाय के लिए वह हर गांव के अंदर कैम्प ले। उसके अंदर डिटेक्शन के सिलसिले में भी हम कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

**श्री ए॰ चार्ल्स :** सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मृत्यु दर, स्कूल-पूर्व बच्चों के स्वास्थ्य आदि जैसे स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्यों को प्राप्त करना है विवरण से यह देखा जा सकता है कि बहुत ही कम मामलों में हमने अब तक लक्ष्यों को प्राप्त किया है। कुछ मामलों में हम लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले हैं और कुछ मामलों में हम कुछ पीछे हैं। परन्तु केरल एक ऐसा राज्य है जिसने लगभग सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। लेकिन एक समस्या है। किसी राज्य ने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि गरीब लोगों का स्वास्थ्य ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जहां कहीं भी लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये हैं वहां के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता मिलनी बन्द हो गई है।

मेरा माननीय मंत्री से सुझाव है कि समूचे राज्य के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाये ताकि यदि हम एक क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो शेष राशि को अन्य क्षेत्रों में लगाया जा सके। उदाहरण के तौर पर केरल में कैंसर और 'एड्स' जैसे भयंकर रोगों के मामलों में वृद्धि हुई है। समूची परियोजना को एक माना जा सकता है और इस तथ्य के बावजूद कि राज्य ने कुछ लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं अथवा नहीं पूरा आवंटन किया जा सकता है।

[हिन्दी]

**श्री ए॰ आर॰ अन्तुले :** अध्यक्ष महोदय यह सही है कि किसी एक प्रोग्राम के तहत अगर टार्गेट एचीव हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारी हैल्थ के बारे में उस स्टेट को कुछ मदद न दी जाए। अगर यह टार्गेट एचीव हुआ है तो उस प्रोग्राम के सिलसिले में मदद रोकी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है और अगर इस सिलसिले में माननीय सदस्य हमको यह मालूमात दे देंगे कि यह टार्गेट पूरा होने के बाद यह दूसरा इलाज का स्वास्थ्य का सवाल है उसमें भी पैसा कम किया गया है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, मैं इस वक्त इतना ही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

**डा॰ जयन्त रंगपी :** अध्यक्ष महोदय, सबसे निचले स्तर पर स्वास्थ्य केयर पद्धति के अंतर्गत हमारे पास जो सांचा है वह है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उसके उप-केन्द्र। मैंने उत्तर-पूर्व तथा कुछ अन्य क्षेत्रों के दूरस्थ उप केन्द्रों का दौरा किया है। इन उप-केन्द्रों में कर्मचारी पद्धति कुछ इस प्रकार है कि वहां तैनात अकेली सहायक नर्स-मिडवाइफ आमतौर पर उन उप-केन्द्रों में नहीं ठहर सकती। अत: यदि उप-केन्द्र ही काम नहीं कर रहे हैं तो सन् 2000 तक के लिए रखे गए लक्ष्य एक मज़ाक बनकर रह जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उप-केन्द्रों में कर्मचारियों की तैनाती संबंधी पद्धति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग टीके लगाने के सम्बन्ध में है। जब तक हम टीके लगाने का कार्यक्रम पूरा नहीं करते तब तक सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य का हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। चिकित्सा व्यवसाय तथा देश के अनेक भागों के बारे में मेरा अनुभव है। मैंने अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देखें हैं, उप-केन्द्र बाद में आते हैं, उनमें बिजली के कनेक्शन भी नहीं हैं। इस कारण वे केन्द्र टीके रखने के लिए रेफरीजरेटर भी नहीं रख सकते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसे केन्द्रों को बिजली देने अथवा कोई अन्य वैकल्पिक प्रबंध करने का कार्यक्रम बनाया है ताकि टीके लगाने का कार्यक्रम सफल हो सके।

इस स्वास्थ्य केयर पद्धति में अनेक अन्य त्रुटियां भी हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार समूची स्वास्थ्य पद्धति का बीच में ही मूल्यांकन कराने की बात सोच रही है ताकि यदि हम सन् 2000 तक अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं करते तो हम इन्हें शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। क्या ऐसे मूल्यांकन की कोई योजना है।

[हिन्दी]

**श्री ए. आर. अन्तुले** : अध्यक्ष महोदय, इम्युनाईजेशन के बारे में मैंने आज और प्रश्न के संबंध में जवाब दे दिया है और उस संबंध में मैं हाउस का टाइम नहीं लूंगा। जहां तक प्राईमरी हैल्थ सैंटर्स और सब-सैन्टर्स का सवाल है, हमें इस बात की जानकारी है और माननीय सदस्य बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनमें प्राईमरी हैल्थ केयर का पूरा इंतजाम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। यह भी सही है कि वहां जाकर काम करने के लिए एम. बी. बी. एस. डाक्टर अपनी रजामंदी या विलिंगनैस जाहिर नहीं करते। उन्हें गांवों में जाकर काम करने के लिए कैसे अट्रैक्ट प्रवृत्त किया जाए, इस बारे में हमने सोचा है बल्कि हमने यह भी देखा है कि एम. बी. बी. एस. पास डाक्टरों को गांवों में भेजने के सिलसिले में यद्यपि पौलिसी है लेकिन उसमें ठसी बांड एक क्लॉज यह भी है कि अगर वे कुछ पैसा दे दें तो उन्हें गांवों में जाने की जरूरत नहीं रहती। कुछ रोज पहले हमने इस पर विचार किया है कि डाक्टर्स अगर कुछ पैसा देकर ग्रामीण भाग में न जाने की साहूलियत ले सकते हैं तो यह सरकार केवल पैसा और वे भी गरीबों का हक मारके जमा करने के लिए नहीं है, अतः उस सब-क्लॉज को डिलीट किया जाये। डाक्टरों का गांवों में जाना जरूरी हो, ऐसे डायरेक्टिव देने के सिलसिले में हमने देखा है लेकिन इंडियन कौंसिल ऑफ मैडिकल एजूकेशन एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होने की वजह से, हमें ऐसे डायरेक्टिव देने का अधिकार नहीं है और न कौंसिल को यह हम अधिकार से कह सकते हैं। इस बारे में सारे ऑटोनमस संस्था के बारे में लैजिस्लेशन हम लाएंगे। यहां जितने सवालात किए जाते हैं, वे सही किये जाते हैं क्योंकि आम आदमी से, ग्रासरूट के आदमी से हर माननीय सदस्य का ताल्लुक होता है न के ऑटोनमस संस्था का और हमें यहां उनके प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है लेकिन उनको दुरुस्त करने का शासन को अधिकार नहीं है। किसी ऑटोनोमस बौडी को जवाब नहीं देना पड़ता। इसलिए गवर्नमेंट के तहत जितनी ऑटोनोमस बौडीज हैं, उन्हें न्याय मामले में और आवश्यक एक्सैप्शनल केसेज को छोड़कर डायरेक्टिव देने के सिलसिले में, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, सरकार को अधिकार होना चाहिए। इसलिए पी. एच. सीज. और सब-सैन्टर्स को किस तरह से अच्छी प्रकार इक्विप कर सकते हैं, इस बारे में हम इस लाइन पर सोचेंगे। यदि माननीय सदस्य के पास इस संबंध में मैंने कहा इसके अतिरिक्त कोई सुझाव हों, तो उन पर भी हम गौर करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि अंतिम हर गांव के लास्ट आदमी तक ये सुविधाएं हम पहुंचा सकें तो इससे बढ़कर मेरी नज़र में दूसरा कोई पुण्य नहीं हो सकता, ऐसा मैं समझता हूं। ...(व्यवधान)...

**डा. जी. एल. कनोजिया** : अध्यक्ष जी, हम बार-बार कहते हैं लेकिन आप जवाब नहीं देते हैं। हमने चार बार कहा ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है। मैं माननीय सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। वह दूसरी बार ऐसा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

**डा. जी. एल. कनोजिया** : हम आपसे बार-बार कह रहे हैं, लेकिन आप हमें मौका नहीं देते हैं। यह चौथी बार है ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : देखिए 20-25 मिनट हो गए हैं केवल एक क्वैश्चन के लिए।

मैं विशेषाधिकार कर यह मामला विशेषधिकार समिति को भेज रहा हूं ताकि माननीय सदस्य जोकि एक ही बात को सभा में बार-बार दोहरा रहे हैं, के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सके। कृपा करके आप बैठ जायें। अब विशेषाधिकार समिति इस मामले को देखेगी। यह ठीक नहीं है मैंने एक प्रश्न के लिए 25 मिनट का समय दिया है। अनेक प्रश्न हैं और माननीय सदस्य मेरे पास आकर शिकायत कर रहे हैं कि अन्य प्रश्न नहीं लिए जा रहे हैं।

अब आप विशेषधिकार हनन के बारे में विशेषाधिकार समिति को उत्तर दें।

## चुनाव सुधार

***203. श्री चित्त बसु :**

**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चुनाव सुधारों की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनेक समितियां, विशेष रूप से दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने, निर्वाचन सुधारों के संबंध में कतिपय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए पहले ही तीन विधेयक, अर्थात्, लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1994; संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1994 और निर्वाचन आयोग (भारत

की संचित निधि पर व्यय भारण) विधेयक, 1994 लोक सभा में पुरःस्थापित किए हुए हैं।

[हिन्दी]

**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से चुनाव सुधार से संबंधित प्रश्न का जिस तरह उत्तर दिया गया है, उससे हमें सरकार की नीयत और सरकार की नीति पर एकदम शंका है और लगता है कि यह सरकार चुनाव सुधार करना नहीं चाहती। चुनाव लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तम्भ है लेकिन आज वह स्तम्भ हिल गया है। इसलिए हम समझते हैं कि यह सरकार अपराधकर्मियों और दौलत खर्च करके चुनाव जीतने में विश्वास करती है।

इस बारे में सभी माननीय सदस्य बोल चुके हैं कि अब चुनाव ऐसा हो गया है कि यदि इसमें सुधार नहीं किया जाएगा, तो लोकतंत्र बचेगा नहीं और इसमें अच्छे आदमी नहीं आएंगे। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि चुनाव सुधार के बारे में सुझाव देने के लिए जो दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसकी रिपोर्ट में जो चुनाव सुधार सुझाए गए हैं उनके बारे में सभी पार्टियों की सहमति थी, तो उस समिति के अंदर जितने बिन्दु उठाए गए हैं उनमें से कौन-कौन से बिन्दु पर सरकार ने कानून में संशोधन के लिए प्रयास किया है ?

**श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज :** श्रीमान्, मैं बड़े विनम्र शब्दों में माननीय सदस्य के इस कथन का पुरजोर शब्दों में खंडन करता हूं कि यह सरकार चुनाव सुधार नहीं करना चाहती है। मैं माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, उसके ऊपर पूरी तरह से, सारे दलों के साथ एक बार नहीं, कई बार बैठकर विचार हुआ है और उस विचार-विमर्श में जो-जो भी यूनैनीमस प्रपोजल्स आए थे, उन सबके ऊपर संशोधन लाया गया है। दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट में 32 प्रपोजल्स थे और उनमें से पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट में 23 प्रपोजल्स करने के लिए संशोधन लाए हैं। इस प्रकार यह कहना कि दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट को स्टडी नहीं किया है या डिसकस नहीं किया है, ठीक नहीं है। इस बात को सभी विरोधी दल के नेता जानते हैं कि कितनी गहराई से और गम्भीरता से इस पर विचार हुआ है और वे यह भी जानते हैं कि किन-किन बिन्दुओं पर एक-दूसरे का विरोध है। ... **(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

यदि आप हस्तक्षेप करेंगे तो इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

[हिन्दी]

मुझे कोई ऐतराज नहीं है, यदि वह विचार-विमर्श और जो बातें सभी दलों ने मानी थीं वे सदन के सामने आएं। मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रकार से जो बातें सभी दलों ने मानी थीं उनके बारे में तीन बिल दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही लाए गए हैं, जो सदन के सामने विचाराधीन हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की यह बहुत प्रबल इच्छा है कि इन सुधारों को हम जल्दी से जल्दी लागू करें और हम किसी भी समय, सारे विरोधी दलों के साथ कभी भी यदि वे चाहें तो और भी विचार कर सकते हैं।

**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** अध्यक्ष महोदय, यह बात तो इनके जवाब से ही साबित होती है कि ये इन सुधारों को कितना जरूरी मानते हैं। यही कारण है कि वे इतनी जल्दीबाजी में इनको करने जा रहे हैं। आप अध्यक्ष महोदय, खुद गौर कीजिए कि कितने वर्ष तक ये सुझाव सरकार के पास पड़े रहे और अब ये इतनी जल्दी में इनको पास करवाना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कमजोर वर्गों के लिए उस समिति ने चलते-फिरते बूथ बनाने का सुझाव दिया था ताकि गरीब लोग जिनको मतदान का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन वे उस अधिकार का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग नहीं कर पाते और वे चाहते हैं कि हमें जो वोट डालने का अधिकार मिला है, हम उसका मतदान करके सही उपयोग करें, तो क्या आप इस बात को इन बिलों में लाए हैं कि नहीं ?

[अनुवाद]

**श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज :** महोदय, ये मामले नियमों के संशोधन के बारे में हैं जो कि अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। चुनाव आयोग किसी भी समय इन्हें कर सकता है। संवेदनशील चुनाव क्षेत्रों में चलते फिरते बूथों की व्यवस्था की गई है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** महोदय, हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि चुनाव सुधारों की और अधिक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती और वोहरा समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह और भी आवश्यक हो गया है कि हम अपनी चुनाव प्रणाली में उचित ढंग से सुधार करने के लिए तुरन्त कदम उठाएं। धन शक्ति, ताकत का प्रयोग, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, अधिकारियों का पक्षपातपूर्ण रवैया आदि जैसी अनेक चीजों से हमें निपटना है और हम सभी यह जानते हैं।

माननीय मंत्री ने तीन विधेयकों के आने की बात कही है। एक विधेयक अनेक कारणों से नहीं लिया जा सका जोकि हम सभी जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उसका हल निकलने वाला है जोकि बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के बारे में है। लोक प्रतिनिधित्व में संशोधन संबंधी दूसरे विधेयक में अनेक अच्छे प्रावधान हैं। इसमें और संशोधन किया जा सकता है तथा मजबूत बनाया जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। सरकार इसे तुरन्त क्यों नहीं लाती जिससे कि इस दिशा में कुछ अर्थपूर्ण कार्यवाही की जा सके। क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि वह इस विधेयक को कब ला रहे हैं।

**श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज :** महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबंध है सदन जब चाहे तभी इसे लिया जा सकता है। **...(व्यवधान)...**

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। आप इसे लायें। हम इसका समर्थन करेंगे।

**श्री एच. आर. भारद्वाज :** मैं इसे पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** तो इसे अब तक क्यों नहीं लिया गया।

**श्री एच. आर. भारद्वाज :** आप मुझे समय दीजिए।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** आपको समय कौन देगा।

**श्री एच. आर. भारद्वाज :** यह सभा के समक्ष है।

**श्री बसुदेव आचार्य :** इसे लाने से आपको कौन रोक रहा है।

**श्री एच. आर. भारद्वाज :** महोदय, हमें उचित दृष्टिकोण अपनाना है माननीय सदस्य को याद होगा हमने इस विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा था। इसमें कुछ प्रस्ताव थे जिन्हें संशोधित किया गया था और उस पर भी हमने विरोधी पक्ष के साथ बैठक की थी। मैं माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने दो धारणों, अर्थात् राजनैतिक दलों द्वारा धर्म तथा धार्मिक नामों के प्रयोग पर अनुच्छेद 29क के अन्तर्गत पहले उपलब्ध किया था। इस पर समिति द्वारा सुझाव दिया गया था और कहां गया था कि नहीं, आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के मूल अनुच्छेद 123 को शामिल करो–जाति, भाषा तथा अनुच्छेद 123 की अन्य बातें जिसका कुछ माननीय सदस्यों ने पूरी तरह विरोध किया था।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** वे माननीय सदस्य कौन हैं ?

**श्री एच. आर. भारद्वाज :** अत: उन्हें भी साथ मिलाएं। उन्होंने कहा यदि आप अनुच्छेद 123 को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो वे तुरन्त विधेयक को पास कर सकते हैं।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** विरोध हो अथवा न हो। इसको बहुमत द्वारा पास किया जा सकता है।

**श्री एच. आर. भारद्वाज :** हम इस बारे में गंभीर हैं और हम ...(व्यवधान)...

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** यह कोई संविधान संशोधन विधेयक नहीं है।

**श्री इन्द्रजीत :** महोदय, मैं दिनेश गोस्वामी समिति का सदस्य था और इस नाते मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, इस समिति ने चुनाव के लिए सरकार द्वारा धन दिए जाने का जोरदार समर्थन किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में कुछ विचार कर रही है।

दूसरे, हमने न केवल राष्ट्रीय स्तर बल्कि राज्य स्तर पर भी इलैक्ट्रोनिक माध्यम–राष्ट्रीय प्रसारणों के रूप में, के प्रयोग का समर्थन किया था। आजकल हमारे पास टेलीविजन के तीन चैनल हैं क्या सरकार राज्य के भीतर एक ही स्तर पर संसद तथा विधान सभा के उम्मीदवारों को उसका प्रयोग करने देने की सम्भावना पर विचार करेगी ? जहां तक राष्ट्रीय स्तर का संबंध है उसका प्रयोग केवल मात्र नेताओं तक सीमित किया जा सकता है। क्या सरकार ने इस मामले पर कुछ विचार किया है। इस समय प्रधान मंत्री भी सदन में उपस्थित हैं तो क्या उनसे अनुरोध कर सकता हूं ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय :** आप मोनोप्लाइजड शब्द का इस्तेमाल न करके 'यूज' शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते।

**श्री इन्द्रजीत :** मैं आप से सहमत हूं। क्या प्रधान मंत्री इन मूल मुद्दों पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

**श्री एच. आर. भारद्वाज :** जहां तक सरकार द्वारा धन दिये जाने का संबंध है यह मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि यह सरकार द्वारा धन दिये जाने की बात नहीं थी बल्कि यह चुनाव सूची की एक अथवा दो प्रतियों के मुद्रण, कुछ कागज पत्रों, कुछ इश्तहारों आदि के लिए आंशिक रूप से धन देने की बात थी जिसे हमने बहुत ही अपर्याप्त पाया। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों और अन्य उम्मीदवारों का प्रश्न है। अत: उस उपबंध को अभी तक लागू नहीं किया गया है। सरकार द्वारा धन दिये जाने का मामला बहुत गंभीर है और उसे लागू नहीं किया गया है।

जहां तक प्रचार माध्यम का संबंध है आप अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव के दौरान इस पर चुनाव आयोग का नियंत्रण होता है और यदि सदस्य यह चर्चा करना चाहते हैं तो हम इस पर चुनाव आयोग के साथ चर्चा कर सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रचार माध्यम पर किसी का एकाधिकार नहीं होता।

**श्री इन्द्रजीत :** महोदय मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि सरकार द्वारा धन दिये जाने की बात पर कोई सर्वसम्मत सिफारिश नहीं की गई थी परन्तु तीन सदस्यों अर्थात् भूतपूर्व चुनाव आयुक्त श्री रामधर, श्री एल० पी० सिंह और मैंने इस की सिफारिश की थी और यह आशा व्यक्त की थी कि सरकार इस पर विचार करेगी हालांकि इसकी सिफारिश सर्वसम्मति से नहीं की गई थी।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, नहीं। श्री दिघे, जी।

**श्री शरद दिघे :** महोदय, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव सुधार पहचानपत्र को जारी करने की बात थी। गत विधान सभा चुनावों में अनेक राज्यों में इस पर बहुत जोर दिया गया था। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी कठिनाइयों तथा कुछ राज्यों में प्रशासनिक तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे अब रोक दिया गया है और मुझे डर है कि अगले लोक सभा चुनाव तक इसे लागू करना सम्भव नहीं होगा। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या वह इन कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय कठिनाइयों को दूर करेगी ताकि आगामी लोक सभा चुनाव से पूर्व पहचान पत्र जारी किए जा सकें।

**श्री एच. आर. भारद्वाज :** महोदय, मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहूंगा कि हमने दोनों कानूनी तथा वित्तीय कठिनाइयों को पूरा कर दिया है। प्रधान मंत्री ने सभी मुख्य

मंत्रियों तथा चुनाव आयुक्त की बैठक बुलाई थी। हमने पहचान पत्रों के लिए राज्यों के वास्ते 225 करोड़ रुपये की तुरन्त व्यवस्था कर दी थी। हमने इस वर्ष के बजट में इसके लिए और इतनी ही राशि की व्यवस्था की है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि पहचान पत्र जारी करने का यह कार्यक्रम उसी गति से जारी है। मैं सभा को पहले ही बता चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार के पास ये व्यावहारिक कठिनाइयां नहीं है। राज्यों को मतदाताओं को घर से बाहर लाने तथा उनकी फोटो खींचने जैसी समस्याओं का सामना है।

[हिन्दी]

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :** अध्यक्ष जी, पूरा सदन इस बात से सहमत है और बार-बार यह कहता है कि चुनाव में सुधार होना चाहिए। मंत्री महोदय ने अभी जो जवाब दिया, उससे लगता है कि आप भी सहमत हैं। लेकिन आप उन बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जिनपर विवाद है। दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनपर कोई विवाद नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप उन बातों को पूरी तरह से इकट्ठा करके निर्विवाद रूप से सुधारों को पास करने के लिए प्राथमिकता देंगे बजाए इसके कि उन झंझटों में पड़ें जहां सरकार यह बहाना बना सके कि वह नहीं लाया जा सकता, जैसा अभी आपने कहा कि विरोध है ? इसलिए मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि उन सुधारों को, जिनके बारे में किसी भी पार्टी की तरफ से कोई विवाद नहीं है, आप इस सत्र में पास करने की कृपा करेंगे ?

**श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज :** सदन में जितनी भी बातें कही गई हैं, हम उनका आदर करते हैं और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे।

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :** यह तो आपने टालने वाली बात कर दी है।

**श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज :** मैं कैसे कह सकता हूं कि कल करवा दूंगा।

[अनुवाद]

**श्री चन्द्रजीत यादव :** महोदय, तुरन्त चुनाव सुधार लागू करने के लिए न केवल इस सभा के सभी पक्षों की ओर से जोरदार मांग की जा रही है बल्कि मंत्री महोदय इस बात से भी सहमत होंगे कि इस बारे में देश की जनता की भी जोरदार मांग है। अनेक बातों पर पहले ही सहमति हो चुकी है और कुछ बातों पर चर्चा चल रही है। अनेक बातों पर सदा मतभेद रहेंगे। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि यदि मतभेद हों तो आवश्यक सुधार लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही न की जाये। विरोधीपक्ष की ओर से यह सर्वसम्मत मांग है और सरकार ने इस सत्र के शुरू में यह आश्वासन दिया था कि वह चुनाव सुधार विधेयक पेश करेगी। अतः मैं पुनः इस प्रश्न की ओर ध्यान दिला रहा हूं। अभी भी इस सत्र में दस दिन शेष हैं। अतः सरकार की सहमति और विरोध पक्ष की सर्वसम्मत मांग को देखते हुए इस विधेयक को इस सत्र में ही पास किया जाना चाहिए। क्या मंत्री महोदय इस सत्र में यह विधेयक पेश करेंगे ?

**श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज :** मैंने सदन की मांग को नोट कर लिया है और मैं आश्वासन देता हूं कि हम अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करेंगे।

[हिन्दी]

**श्री राम प्रसाद सिंह :** अध्यक्ष महोदय, सदन में परिसीमन के संबंध बार-बार चर्चाएं होती रही हैं और जो शुरु से ही सुरक्षित क्षेत्र हैं, उनके बारे में भी एक कमेटी बनी है और शायद रिपोर्ट भी सदन में आई हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा विचार करती है कि जो शुरू से ही सुरक्षित क्षेत्र हैं, उनकी सीमा बदलेगी या उसके एवज़ में दूसरे क्षेत्र को सुरक्षित करेगी ? हर क्षेत्र में आबादी के लिहाज से वोटरों की संख्या काफी बढ़ गई है। ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, नहीं। वह बिल आने के बाद मालूम हो जाएगा।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** इस तरह के प्रश्न ऐलाउड नहीं हैं।

**श्री राम प्रसाद सिंह :** यह तो बताएं कि सुरक्षित क्षेत्र के बारे में समिति की जो रिपोर्ट आई है, क्या उसमें कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** वह सब लीडर्स को पहले बता दिया गया है।

(व्यवधान)

**श्री राजवीर सिंह :** अध्यक्ष जी, वोहरा समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद चुनाव तंत्र में बहुत भय लगने लगा है। मैं चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री कोई ऐसा कानून संसद में बनवाएंगे कि यदि कोई भी राजनैतिक दल अपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट देगा तो उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा ?

**अध्यक्ष महोदय :** ऐसे प्रश्न मत पूछें।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** यदि आप चाहते हैं तो प्राईवेट मैम्बर्स बिल मूव कीजिए।

**श्री राजवीर सिंह :** अध्यक्ष जी, मेरा प्राईवेट मैम्बर्स बिल पहले आया था।

**अध्यक्ष महोदय :** सरकार बिल में क्या लाती है, यह नहीं पूछा जाता।

(व्यवधान)

**श्री राजवीर सिंह :** अपराधिक चरित्र के लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति देंगे या नहीं देंगे ?

**अध्यक्ष महोदय :** वह कानून में है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह ऐलाउड नहीं है।

[अनुवाद]

**डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र** : पिछले अनेक विधान सभा चुनावों में सरकार को कई कमियों तथा त्रुटियों का पता लगा है और सरकार ने उन्हें दूर भी किया है। क्या सरकार गोस्वामी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अलावा कुछ अन्य उपचारी उपाय करने पर विचार कर रही है ? इन चुनावों के पश्चात् सरकार ने किन उपायों पर विचार किया है।

**श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज** : चुनाव सुधारों का मामला अनुभव का मामला है जिसे हम प्रत्येक आम चुनाव में प्राप्त करते हैं और चुनाव आयोग उनके बारे में सरकार को सिफारिश करता है। हमें माननीय सदस्यों से सुझाव प्राप्त होते हैं और कभी-कभी जनता की मांग पर उनमें से प्रत्येक पर विचार करते हैं और उसे सभा के समक्ष लाते हैं। अत: यह एक निस्तर प्रक्रिया है और जब भी आवश्यक होता है हम उपाय करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि उपाय क्या हैं, सरकार के अनुसार चुनाव में धनशक्ति, बल प्रयोग और तंगदिली की विचारधाराओं के विरुद्ध।

**श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज** : धनशक्ति के संबंध में, हाल ही में उसे वास्तविक बनाने के लिए धन सीमा को बढ़ाया गया है अत: इसे अधिकृत करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, किया गया है और इसके अलावा दलों द्वारा चन्दा लेने के संबंध में कुछ कानून बनाया गया था। इसमें और सुधार किया जा सकता है। पद्धति में ये बुराइयां हैं और हम इनसे अवगत हैं।

[हिन्दी]

## जनसंख्या नीति

***205. श्री नीतिश कुमार** :

**डा॰ महादीपक सिंह शाक्य** :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लिए जनसंख्या नीति तैयार करने के लिए वर्ष 1993 में डा॰ एम॰ एस॰ स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन थे और क्या इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार को यह रिपोर्ट किस तारीख को प्राप्त हुई और इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य योजना की रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (पवन सिंह घाटोवार)** : (क) से (ग). जी हां। विशेषज्ञ दल के अन्य सदस्यों में श्री टी॰ वी॰ एन्टोनी, डा॰ के॰ बी॰ पाठक, प्रोफेसर आशिष बोस, श्रीमती अवाबाई बी॰ वाडिया, श्रीमती देवकी जैन, डा॰ वसन्त गोवारीकर, श्री प्रवीण विसारिया, श्री एन॰ भास्कर राव और डा॰ जे॰ पी॰ गुप्त थे। विशेषज्ञों के इस दल ने 24 मई, 1994 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट को लोक सभा के पटल पर 14 जून, 1994 को रख दिया गया।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या की वृद्धि अपने देश में एक बहुत बड़ी समस्या है जो कुछ भी विकास हो रहा है, जो आबादी में वृद्धि की दर है, वह सम्पूर्ण रूप से बढ़ती हुई आबादी के द्वारा लील लिया जाता है और इस प्रकार से हम पिछड़ते जा रहे हैं। देश भर में पोपुलेशन की तेज रफ्तार को देखते हुए एक बहस छिड़ी हुई है और आमतौर पर यह आरोप लगता है कि राजनैतिक दल के लोग इसपर गंभीर नहीं हैं। इस सदन में भी आपने जो जवाब दिया है और हम सभी लोग जानते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जा चुकी है, पिछले सत्र के दौरान भी ड्राफ्ट नेशनल पोपुलेशन पालिसी पर चर्चा होनी थी, वह नहीं हो सकी है। तो ऐसी स्थिति में हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कब तक अन्तिम रूप से नेशनल पोपुलेशन पालिसी सरकार तैयार कर लेगी ? उसके बाद इस ड्राफ्ट पर जो भी विचार करना हो और उसके आधार पर कोई कार्य योजना बनाकर उसको कब तक क्रियान्वित करना चाहती है ?

[अनुवाद]

**श्री पवन सिंह घाटोवार** : महोदय, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा दी गई रिपोर्ट को हमने राज्य सरकारों तथा विभिन्न विभागों को भेजा है। राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने से पूर्व हमें राज्य सरकारों के विचारों पर ध्यान देना है। हमने विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है अर्थात् विभाग में चर्चा, हम यथासम्भव शीघ्र राष्ट्रीय नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज निश्चित तारीख नहीं बता सकता।

[हिन्दी]

**श्री नीतिश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, यह आप खुद समझ सकते हैं, अगर इस तरह से 'यथासम्भव शीघ्र' चलता रहेगा तो जिस प्रकार से आबादी बढ़ती चल जा रही है, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इस देश का विकास नहीं हो पाएगा। इस पर एक बिल भी आया था और उसकी चर्चा भी हुई थी कि उसे सबसे पहले अपने घर से शुरू किया

जाये। इसके लिए पार्लियामेंट में मैम्बर्स पर और पोलिटिक्स में जो दूसरे लोग हैं, दूसरे मंत्री हैं, सब लोगों पर एक रोक लगाई जाय कि जो अधिक बच्चे पैदा करेंगे, उनकी योग्यता समाप्त कर दी जाएगी। ...(व्यवधान)... यह कोई मजाक का विषय नहीं है, 'चैरिटी बिगन्स एट होम'।

अगर हम खुद पर नियंत्रण रखें और आने वाले दिनों में भूतलक्षित प्रभाव से लागू कर दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा, इस प्रकार टाल-मटोल से काम नहीं चलेगा। जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो हिन्दी भाषी राज्य हैं वहां आबादी बढ़ने की दर ज्यादा है, राष्ट्रीय औसत 84 के करीब है। खासकर राजस्थल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में जिनको बिमास राज्य कहते हैं वहां राष्ट्रीय औसत जो 28.5 प्रतिशत की होनी चाहिए, उन राज्यों में कहीं 30 प्रतिशत, कहीं 33 प्रतिशत और कहीं-कहीं पर 36 प्रतिशत है। इसलिए इन हिन्दी भाषी राज्यों में जहां प्रचार का कोई असर नहीं हुआ है, क्या वहां कोई विशेष कार्य योजना तत्काल लागू करना चाहते हैं जिससे इस बढ़ती हुई आबादी की वृद्धि दर पर नियंत्रण किया जा सके।

[अनुवाद]

**श्री पवन सिंह घाटोवार** : माननीय सदस्य की बात ठीक है। माननीय सदस्य ने उन राज्यों का ठीक नाम लिया है जहां परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्य राज्यों की तुलना में कुछ धीरे है, इस कारण भारत सरकार ने देश के 90 जिलों को चुना है और वे जिले आमतौर पर इन राज्यों के हैं और हमने कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने तथा पी॰ एच॰ और सी॰ एच॰ स्तर पर मूल ढांचे के विकास के लिए अलग से धन दिया है ताकि वे परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें और यह सूचना है, संचार और शिक्षा भी इस कार्यक्रम में शामिल है। हमने 90 जिलों में कार्यक्रम आरम्भ किया है जोकि अधिकांश उन्हीं राज्यों के हैं।

[हिन्दी]

**डा॰ महादीपक सिंह शाक्य** : अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें हमारे साथी ने पूछ ली हैं, मैं संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे से नहीं।

**डा॰ महादीपक सिंह शाक्य** : आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस रिपोर्ट को आप कब तक लागू कर देंगे और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने जो तमाम सुझाव पेश किये हैं, क्या नैतिकता के आधार पर बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए समिति ने आपके सामने कोई सुझाव रखा है, यदि रखा है तो उसके प्रचार-प्रसार को लागू करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**श्री पवन सिंह घाटोवार** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो रिपोर्ट मिली है उसे हमने लोक सभा के पटल पर रखा है। हमने उस रिपोर्ट को राज्य सरकारों के पास भी भेजा है, कई राज्यों के उस पर कमेंटस आये हैं और कई के आने हैं। हमने अपने विभिन्न विभागों को भी रिपोर्ट की कापी भेजी है। उनसे कमेंटस मिलने के बाद हम मंत्रालय में बैठकर उस पालिसी को जितनी जल्दी हो सके, लाने की कोशिश में हैं।

**डा॰ महादीपक सिंह शाक्य** : नैतिकता वह जो कही थी, उस पर जवाब नहीं मिला।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा मत कहिए।

**(व्यवधान)**

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : माननीय मंत्री के उत्तर से भ्रम उत्पन्न हो सकता है। कम से कम इसने मुझे तो भ्रम में डाल दिया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा है कि अभी तक किसी जनसंख्या नीति को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। कुछ विभागीय कार्यवाही चल रही है जिसके परिणाम की हमें प्रतीक्षा करनी होगी। परन्तु मुझे विश्वास है कि आठवीं पंच वर्षीय योजना में यह नहीं हो सकेगा। हो सकता है यह अगली योजना में आये। मैं नहीं जानता। उसी समय मंत्री महोदय ने कहा है कि नीति को संसद के समक्ष सभा पटल पर रख दिया गया है। शायद मंत्री महोदय उस दस्तावेज का उल्लेख कर रहे हैं जिस पर कुछ सत्र पूर्व सदन में चर्चा की गई थी। मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं हूं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस नीति अथवा प्रस्ताव नीति के अनेक पहलुओं में कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत बच्चों के संबंध में कतिपय पारिवारिक सिद्धान्तों का उल्लंघन न करने वालों को कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा दूसरी ओर इन सिद्धान्तों का उल्लंघन करने वालों को अर्थात् अधिक बच्चे पैदा करने वालों को हतोत्साहित किया जाएगा। क्या प्रोत्साहन देने तथा हतोत्साहित करने का कोई विचार है क्योंकि अनेक देशों में इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है। चीन में सफलतापूर्वक इसका अनुसरण किया जा रहा है।

**श्री पवन सिंह घाटोवार** : हमने 1976 में ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पास कर दी थी। हम उस नीति का विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुभव से नवीनतम बनाने जा रहे हैं। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा इन प्रोत्साहन और हतोत्साहित करने के बारे में बहुत जोरदार मत है। हम इन दोनों विचारों की जांच कर रहे हैं। एक विचार वालों का कहना यह है कि यह स्वैछिक कार्य होना चाहिए और इस पर कोई प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए। दूसरे विचार वालों का कहना है कि कुछ प्रोत्साहन होना चाहिए अतः हमने इस बारे में कोई राय नहीं बनाई है कि क्या प्रोत्साहन जारी रखा जाये अथवा इसे खत्म किया जाये। नीति अभी बनाई जा रही है क्योंकि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग विचार प्राप्त हुए हैं। हम सभी विचारों पर ध्यान दे रहे हैं।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : कृपया इन्हें समाप्त मत कीजिए।

[हिन्दी]

**प्रो॰ रासा सिंह रावत** : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि वर्तमान में विकास की दर

या उत्पादन तो बढ़ रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और जनसंख्या बढ़ रही है 2, 4, 6, 16, 32, 64, 128 अर्थात् असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। इस जनसंख्या के बढ़ते हुए खतरे के विरोध में जन चेतना पैदा करने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या सरकार जन शिक्षण के माध्यम से कोई ऐसा प्रयास करेगी जिससे जनता स्वयं आगे आये और आगे बढ़कर देश की जनसंख्या कम करने के बारे में प्रयास कर सके और उनका सहयोग प्राप्त हो सके ?

**श्री पवन सिंह घाटोवार :** माननीय सदस्य ने जो बोला वह बिल्कुल सच है क्योंकि जो हमारी स्टडी हुई है, उसमें देखा गया है कि जहां-जहां महिलाओं की शिक्षा ज्यादा है, वहां-वहां परिवार कल्याण कार्यक्रम सफल हुए हैं और जहां महिलाओं की शिक्षा कम है, उन राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। हम चाहते हैं और हम लोगों ने राज्यों से सलाह मशविरा भी किया है कि महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाये। इस लिये परिवार कल्याण कार्यक्रम में एक ही विषय नहीं है, इसमें सारे सामाजिक विषय इंवाल्व हैं। सारे सामाजिक विषयों को एक साथ लेकर चलना होगा। उसमें शिक्षा का बहुत भारी योगदान है।

[अनुवाद]

## पेय जल

***207. डा॰ साक्षी जी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदानों की सहायता से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा॰ जगन्नाथ मिश्र):** (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

## विवरण

(क) जी हां।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबन्धों (I से VIII) में दर्शाया गया है।

### अनुबन्ध-I

### फलोराइड दूर करने के संयंत्र

| क्रम सं० | राज्य | फिल एंड ड्रा संयंत्रों की संख्या | अनुमोदित हैंडपम्प युक्त संयंत्र | फिल एंड ड्रा संयंत्रों की संख्या | लगाए गए हैंडपम्प युक्त संयंत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 30 | 269 | 29 | 264 |
| 2. | हरियाणा | 5 | | 5 | |
| 3. | गुजरात | 11 | | 11 | |
| 4. | कर्नाटक | 10 | 9 | 2 | 9 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 6. | महाराष्ट्र | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | पंजाब | 2 | | 2 | |
| 8. | राजस्थान | 40 | 64 | 40 | 28 |
| 9. | तमिलनाडु | 4 | 11 | | 11 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | | 12 | | 12 |
| 11. | केरल | | 2 | | |
| | | 106 | 377 | 93 | 334 |

### अनुबन्ध-II

### खारापन दूर करने के संयंत्र

| राज्य | अनुमोदित संयंत्रों की संख्या | लगाए गए संयंत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 14 | 14 |
| 2. गुजरात | 12 | 11 |
| 3. हरियाणा | 2 | 2 |
| 4. महाराष्ट्र | 2 | 2 |
| 5. राजस्थान | 92 | 85 |
| 6. तमिलनाडु | 21 | 20 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 7. पश्चिम बंगाल | 3 | 3 |
| 8. लक्षद्वीप | 10 | 10 |
| 9. पांडिचेरी | 7 | 3 |
| | 163 | 150 |

## अनुबन्ध-III

### लौह दूर करने के संयंत्र

| क्रम सं. | राज्य | अनुमोदित संयंत्रों की संख्या | लगाए गए संयंत्रों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | असम | 3772 | 3772 * |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 65 | 67 |
| 3. | बिहार | 2500 | 300 |
| 4. | केरल | 30 | 30 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 2734 | 2734 * |
| 6. | महाराष्ट्र | 74 | 50 |
| 7. | मणिपुर | 255 | 248 |
| 8. | मेघालय | 200 | 200 |
| 9. | मिजोरम | 100 | 100 |
| 10. | नागालैंड | 174 | 174 |
| 11. | उड़ीसा | 3780 | 768 |
| 12. | तमिलनाडु | 25 | 6 |
| 13. | त्रिपुरा | 500 | 165 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 319 | 319 * |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 1000 | 22 |
| 16. | पांडिचेरी | 20 | 13 |
| | | 15548 | 8968 |

* अन्य योजनाओं में असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाए गए क्रमश: 1875, 1722 और 43 संयंत्र शामिल हैं।

## अनुबंध-IV

### गिनीकृमि उन्मूलन

| क्रम सं. | राज्य | गांवों की संख्या | | प्रभावितों की संख्या | | सीढ़ीदार कुओं की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बिना स्रोत वाले | अपर्याप्त स्रोत वाले | गांव | मामले (1.1.95 तक) | अनुमोदित | बदले गए |
| 1. | आंध्र प्रदेश | - | 8 | 26 | 0 | 238 | 238 |
| 2. | गुजरात | - | - | 0 | 0 | 276 | 276 |
| 3. | कर्नाटक | - | 30 | 51 | 10 | 190 | 86 |
| 4. | महाराष्ट्र | - | - | 0 | 0 | 794 | 382 |
| 5. | मध्य प्रदेश | - | 52 | 59 | 13 | 3217 | 3199 |
| 6. | राजस्थान | 9 | 33 | 667 | 340 | 2569 | 2569 |
| | | 9 | 123 | 803 | 363 | 7284 | 6750 |

## अनुबंध-V

### सोलर फोटो वॉल्टिक पम्पिंग सिस्टम

| क्रम सं. | राज्य | अनुमोदित संख्या | लगाए गए पम्पिंग सिस्टम की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 11 | 11 |
| 2. | असम | 4 | 4 |
| 3. | बिहार | 10 | 9 |
| 4. | गुजरात | 5 | 7 |
| 5. | कर्नाटक | 10 | 10 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 24 | 17 |
| 7. | महाराष्ट्र | 5 | 5 |
| 8. | मेघालय | 4 | 4 |
| 9. | उड़ीसा | 6 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. | राजस्थान | 42 | 36 |
| 11. | सिक्किम | 5 | 4 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 2 | 2 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 9 | 5 |
| 14. | त्रिपुरा | 5 | 5 |
| | कुल : | 142 | 125 |

## अनुबंध-VI

### जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला की स्थापना

| क्रम सं. | राज्य | स्थायी प्रयोगशालाएं | | चलती-फिरती प्रयोगशालाएं | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | स्थापित | स्वीकृत | सौंप दी गई |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 22 | 14 | - | - |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | असम | 23 | 6 | 1 | 1 |
| 4. | बिहार | 5 | 5 | - | - |
| 5. | गोवा | 1 | 1 | - | - |
| 6. | गुजरात | 16 | 14 | 1 | 1 |
| 7. | हरियाणा | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 6 | 2 | - | - |
| 10. | कर्नाटक | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 11. | केरल | 3 | 3 | - | - |
| 12. | मध्य प्रदेश | 48 | 26 | - | - |
| 13. | महाराष्ट्र | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 14. | मणिपुर | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | मेघालय | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | मिजोरम | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | नागालैंड | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | उड़ीसा | 13 | 8 | 1 | 1 |
| 19. | पंजाब | 7 | 3 | - | - |
| 20. | राजस्थान | 30 | 20 | 2 | 2 |
| 21. | सिक्किम | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | तमिलनाडु | 13 | 7 | 1 | 1 |
| 23. | त्रिपुरा | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 59 | 26 | 2 | 2 |
| 25. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 1 | 1 | - | - |
| 26. | दमन व द्वीव | 2 | 2 | - | - |
| 27. | लक्षद्वीप | 2 | 2 | - | - |
| 28. | पांडिचेरी | 2 | 2 | - | - |
| 29. | दिल्ली | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30. | चंडीगढ़ | 1 | 1 | - | - |
| 31. | दादर व नगर हवेली | 1 | 1 | - | - |
| | योग: | 287 | 167 | 22 | 22 |

## अनुबंध-VII

### लगाए गए/चालू हालत में हैण्डपम्पों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

| क्रमांक | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | लगाए गए | हैंडपम्पों की संख्या चालू हालत में | चालू हैण्डपम्पों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 212083 | 186753 | 88.06 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 20 | 20 | 100.00 |
| 2. | असम | 115000 | 100000 | 86.96 |
| 4. | बिहार | 689300 | 605500 | 87.84 |
| 5. | गोवा | 421 | 393 | 93.35 |
| 6. | गुजरात | 57086 | 53450 | 93.63 |
| 7. | हरियाणा | 75 | 55 | 73.33 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 150 | 135 | 90.00 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 330 | 330 | 100.00 |
| 10. | कर्नाटक | 128268 | 126662 | 98.75 |
| 11. | केरल | 4660 | 3619 | 77.66 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 260221 | 250400 | 96.23 |
| 13. | महाराष्ट्र | 111688 | 95253 | 85.28 |
| 14. | मणिपुर | 1574 | 1561 | 99.17 |
| 15. | मेघालय | 850 | 684 | 80.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16. | मिजोरम | 280 | 280 | 100.00 |
| 17. | नागालैंड | 30 | 23 | 76.67 |
| 18. | उड़ीसा | 122235 | 107128 | 87.64 |
| 19. | पंजाब | 310 | 310 | 100.00 |
| 20. | राजस्थान | 123120 | 108200 | 87.88 |
| 21. | सिक्किम | 0 | 0 | 0.00 |
| 22. | तमिलनाडु | 134800 | 132733 | 98.47 |
| 23. | त्रिपुरा | 9553 | 5976 | 62.56 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 385625 | 374321 | 97.07 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 165000 | 120000 | 72.73 |
| 26. | अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह | 41 | 37 | 90.24 |
| 27. | चण्डीगढ़ | | | |
| 28. | दादर व नगर हवेली | 458 | 458 | 100.00 |
| 29. | दमन व द्वीव | 391 | 391 | 100.00 |
| 30. | दिल्ली | 1498 | 1081 | 72.16 |
| 31. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | पांडचेरी | | | |
| | अखिल भारतीय | 2525067 | 2275753 | 90.13 |

पांडिचेरी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

## अनुबंध-VIII

### जल एकत्रीकरण ढांचे की योजनाओं हेतु वित्तीय प्रगति

| क्रमांक | राज्य | | माह | अनुमोदित योजनाओं की कुल लागत (मूल) | अनुमोदित योजनाओं की कुल लागत (संशोधित) | रिलीज की गई धनराशि 1994-95 तक | 1995-96 में | कुल | खर्च 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | योग (10+11+12+13+14+15+16+17+18) | देय बकाया राशि (6-9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | कुरनूल | 6/94 | 14.310 | 14.310 | 13.610 | | 13.610 | | 0.350 | 0.370 | 1.070 | 2.950 | 0.080 | | | | 7.500 | 0.700 |
| | | पूर्वी गोदावरी | 2/93 | 28.309 | 28.570 | 28.033 | | 28.033 | | | 11.533 | 2.372 | 3.032 | 0.480 | 6.480 | 3.110 | | 27.610 | 0.537 |
| | | महबूब नगर | 1/95 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | | 15.840 | | | 1.390 | 3.630 | 2.340 | 0.860 | 1.260 | | | 9.780 | 0.000 |
| | | प्रकाशम | 5/94 | 19.000 | 18.690 | 18.250 | | 18.250 | | | 5.390 | 0.270 | | 10.540 | | | | 16.190 | 0.440 |
| | | पश्चिम गोदावरी | 5/94 | 8.700 | 9.600 | 8.675 | | 8.675 | | | 5.860 | | 2.000 | | | | | 7.860 | 0.925 |
| | | कृष्णा | 3/94 | 29.660 | 31.150 | 29.650 | | 29.650 | | | 8.270 | 1.200 | 9.150 | 9.410 | | | | 23.330 | 1.500 |
| | | गुन्टूर | 5/94 | 20.000 | 21.250 | 20.000 | | 20.000 | | | 11.930 | 0.940 | 2.280 | 3.550 | 1.250 | | | 20.000 | 1.250 |
| | | अनंतपुर | 5/94 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | | | 6.570 | 1.160 | 0.150 | 3.130 | 0.200 | 1.522 | | 15.790 | 0.000 |
| | | निलोर | 5/94 | 10.000 | 10.000 | 9.333 | | 9.333 | | | 2.860 | 1.220 | | 0.320 | 2.780 | | | 7.240 | 0.667 |
| | | कुडप्पा | 5/94 | 22.750 | 22.750 | 22.750 | | 22.750 | | | 3.29 | 0.970 | 7.140 | 3.290 | 2.520 | | | 13.920 | 0.000 |
| 2. | बिहार | पलामू | 3/94 | 12.930 | 12.930 | 6.465 | | 6.465 | | | | | | | 6.465 | | | 6.465 | 6.465 |
| 3. | गुजरात | कच्छ | 09/91 | 195.854 | 195.854 | 167.500 | | 167.500 | | | | | | | | | | 171.110 | 28.354 |
| | | जामनगर | 3/95 | 120.092 | 120.092 | 120.092 | | 120.092 | | | | | | | | | | 112.350 | 0.000 |
| 4. | हरियाणा | गुड़गांव | 2/95 | 15.520 | 15.520 | 10.000 | | 10.000 | | | 0.859 | 3.572 | 0.729 | | | | | 5.160 | 5.520 |
| 5. | कर्नाटक | धारवाड़ | 1/95 | 87.400 | 87.400 | 72.080 | | 72.080 | | 24.750 | 15.046 | | | 0.000 | | 0.228 | | 40.024 | 15.320 |
| | | गुलबर्गा | 11/93 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | | 39.000 | | 27.950 | | | | | | | | 27.950 | 0.000 |
| | | रायचूर | 4/94 | 69.400 | 69.400 | 69.400 | | 69.400 | 16.699 | 25.617 | 11.230 | | | | | | | 53.546 | 0.000 |
| 6. | मध्य प्रदेश | झाबुआ | 2/93 | 111.080 | 111.080 | 111.080 | | 111.080 | 33.647 | 36.594 | 38.619 | 1.890 | | | | | | 130.750 | 0.000 |
| | | राजगढ़ | 2/93 | 143.060 | 143.060 | 143.060 | | 143.060 | 0.000 | 0.130 | 108.620 | 23.820 | 22.550 | | | | | 170.170 | 0.000 |
| | | शाहडोल | 2/93 | 314.600 | 314.600 | 306.870 | | 306.870 | | | | | | | | | | 301.430 | 7.730 |
| 7. | महाराष्ट्र | सतारा | 5/92 | 6.810 | 6.810 | 6.400 | | 6.400 | | | | | | | | | | 8.390 | 0.410 |
| | | लातूर | 3/94 | 19.975 | 19.975 | 16.990 | | 16.990 | | | | | 8.410 | 16.135 | 27.350 | | | 51.895 | 2.985 |
| 8. | मिजोरम | अन्य क्षेत्र | | 3.520 | 3.520 | 1.760 | | 1.760 | | | | | | | | | | 0.000 | 1.760 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | पंजाब | अमृतसर | | 29.320 | 29.320 | 14.660 | | 14.660 | | | | | | | | | | 0.000 | 14.660 |
| | | फिरोजपुर | | 0.933 | 0.933 | 0.470 | | 0.470 | | | | | | | | | | 0.009 | 0.469 |
| | | रोपड़ आदि | 4/95 | 27.590 | 27.590 | 18.790 | | 18.790 | | | | 9.650 | 15.490 | 4.560 | 7.440 | 2.450 | 0.080 | 20.670 | 8.800 |
| 10. | राजस्थान | चुरू | 3/94 | 33.000 | 33.000 | 31.500 | | 31.500 | | | 4.800 | | | 16.320 | | | | 21.680 | 1.500 |
| | | बाड़मेर | 3/94 | 34.400 | 34.400 | 33.200 | | 33.200 | | | | 1.810 | 22.810 | | | | | 24.620 | 1.200 |
| | | नागौर | 3/94 | 33.000 | 33.000 | 30.000 | | 30.000 | | | | | | 19.140 | | | | 19.140 | 3.000 |
| 11. | सिक्किम | दक्षिण/पश्चिम सिक्किम | 8/92 | 53.540 | 53.540 | 53.540 | | 53.540 | | 15.400 | 16.090 | 18.930 | 6.140 | | | | | 56.560 | 0.000 |
| 12. | तमिलनाडु | रामनाथपुरम | 7/95 | 29.440 | 29.440 | 28.720 | | 28.720 | | | | 6.100 | 5.945 | 1.945 | 7.400 | | | 21.390 | 0.720 |
| 13. | त्रिपुरा | उत्तर त्रिपुरा | 3/94 | 154.960 | 154.960 | 127.480 | | 127.480 | 2.170 | 6.720 | 6.860 | 8.650 | 7.700 | 18.550 | 30.160 | | | 53.260 | 27.480 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | 1/90 | 140.840 | 140.840 | 140.840 | | 140.840 | | | | | | | | | | 0.000 | 0.000 |
| | | हमीरपुर | 3/91 | 81.490 | 81.490 | 81.490 | | 81.490 | | 26.980 | 19.610 | 33.500 | | | | | | 77.090 | 0.000 |
| | | आगरा | 5/95 | 35.040 | 35.040 | 19.000 | | 19.000 | | | | | 1.250 | | | | | 1.250 | 16.040 |
| | | सुल्तानपुर | 6/94 | 224.090 | 224.090 | 224.090 | | 224.090 | | | | | 221.293 | | | | | 221.293 | 0.000 |
| | | बांदा | | 173.900 | 173.900 | 86.950 | | 86.950 | | | | | | | | | | 0.000 | 86.950 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | मिदनापुर | 19/94 | 39.658 | 39.658 | 39.658 | | 39.658 | | | | 3.600 | 10.000 | 14.000 | 8.577 | | | 37.577 | 0.000 |
| | | बांकुरा | 4/95 | 33.730 | 33.730 | 33.730 | | 33.730 | | 16.200 | 3.980 | 0.830 | | 1.560 | 5.040 | 0.000 | | 27.630 | 0.000 |
| | | पुरुलिया | 12/93 | 30.684 | 30.684 | 15.334 | | 15.334 | | | | | 0.506 | 2.974 | 0.350 | | | 4.130 | 15.330 |
| 16. | लक्षद्वीप | लक्षद्वीप | 5/95 | 47.600 | 47.600 | 21.750 | | 21.750 | | 4.350 | 2.420 | 0.570 | 0.000 | 0.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.910 | 25.820 |
| 17. | पांडिचेरी | पांडिचेरी | 2/94 | 103.350 | 106.550 | 103.450 | | 103.450 | | 12.160 | 6.170 | 58.100 | 17.220 | 4.660 | 1.300 | | | 76.610 | 5.100 |
| | | जोड़: | | 2639.541 | 2643.151 | 2361.520 | 0.000 | 2361.620 | 52.516 | 214.231 | 292.822 | 122.314 | 346.873 | 165.464 | 129.022 | 7.233 | 0.080 | 143.930 | 291.631 |

इसके अलावा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 78.595 लाख रुपए की योजनाएं संस्वीकृत।

[हिन्दी]

**डा॰ साक्षीजी** : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या देश के विभिन्न भागों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदानों की सहायता से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगाए गए संयंत्र ठीक काम नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे संयत्रों की राज्यवार संख्या है और संयत्रों के ठीक काम न करने के मुख्य कारण क्या हैं ? इसके साथ ही मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सराकर के पास उत्तर प्रदेश में पानी में खारापनी दूर करने के लिए संयत्रों को लगाने की कोई योजना है विशेषकर मथुरा जिले में ? यदि हां तो इस योजना को कब तक शुरू किया जाएगा और यदि कोई योजना नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार)** : अध्यक्ष जी, उत्तर में सारे विवरण दिए हुए हैं और राज्यों की सूची भी दी हुई है। उसमें दिया हुआ है कि वे क्या कर रहे हैं और कहां प्रयोगशाला बना रहे हैं। सारी सूचियां दी हुई हैं।

**डा॰ साक्षीजी** : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। मैंने कई बार पत्रों के माध्यम से भी केन्द्र सरकार से सम्पर्क करने का प्रयत्न किया है लेकिन पत्रों का उत्तर कभी नहीं दिया गया। दुर्भाग्य से मेरे संसदीय क्षेत्र में चाहे ज़मीन को तीन सौ फुट नीचे भी खोदा जाए परन्तु पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है वहां पर खारा जल हुआ करता है बम्बई का एक सेकरिया पब्लिक ट्रस्ट है, उसके माध्यम से वहां पर 50 लाख रुपया व्यक्तिगत तौर पर मैं लगा चुका हूं और उस ट्रस्ट ने भी अपने माध्यम से सरकार को लिखा है कि सरकार आधा पैसा वहन करें तो उस वृहद क्षेत्र की जल की पूरी समस्या का समाधान करने के लिए हम कोई एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। यह सारी चीज इसमें नहीं आती है।

**डा॰ साक्षीजी** : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। इस समय देश में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की कुल संख्या कितनी हैं और स्थायी प्रयोगशालाओं और चलती-फिरती प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है ? क्या सरकार ने सभी स्वीकृत जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं को राज्यों में स्थापित कर दिया है ? यदि नहीं किया है, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक करने वाले हैं ?

**डा॰ जगन्नाथ मिश्र** : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना भी इसमें दी हुई है। हम केवल इतना ही बताना चाहते हैं कि सरकार ने जल गुणवत्ता सुधार के लिए काफी दिलचस्पी ली है और प्रधान मंत्री जी ने खास कर के दिलचस्पी ली है, जिसके फलस्वरूप 1991-92 में 10 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च हुए, 1992-93 में 9 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए, 1993-94 में 75 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च हुए और 1994-95 में एक सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसलिए सरकार की जो सक्रियता है, वह इन आंकड़ों से ही स्पष्ट है।

**श्री विजय कुमार यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक

बहुत ही साधारण सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे मंत्री जी बिहार से आते हैं। क्या यह बात सही है कि बिहार में सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक-चौथाई आबादी को भी प्राप्त नहीं हो पाता है ? अगर यह बात सही है, तो पूरी आबादी को पानी उपलब्ध कराने के लिए कब तक कवर कर लेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है।

**श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है, देश की आबादी का 75 प्रतिशत भाग अभी-भी विज्ञान और प्रौद्योगिक आधार पर स्वच्छ पेयजल नहीं पा रहा है ?

**डा॰ जगन्नाथ मिश्र** : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पिछले दिनों सूचना दी थी कि इस बारे में जो स्थिति है, उसके मुताबिक केवल 4 लाख ऐसी बस्तियां हैं, जो आंशिक रूप से शुद्ध पेयजल पा रही हैं और एक लाख 40 हजार बस्तियां हैं, जो नहीं रही हैं। इनको जल देने का निर्णय सरकार ने लिया है और इसे 15 अगस्त, 1997 तक पूरा करना चाहते हैं। शुद्ध पानी देंगे और गुणात्मक सुधार होगा, प्रयोगशालाओं के माध्यम से और खोज के माध्यम से। जो वैज्ञानिक प्रावधान है, उपबन्ध हैं, उनका प्रयोग करके सारे प्रदेशों में प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से शुद्ध पानी हम देंगे।

**श्री दिलीप सिंह भूरिया** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम बहुत से शहरों और गांवों में शुद्ध पानी सप्लाई कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं, हमारे देश के गांवों और शहरों में जो अन्डरग्राउन्ड वाटर बहुत नीचे जा रहा है, उसको रिचार्ज करने के लिए मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं ? दूसरे हमारे गांवों में बहुत छोटे-छोटे मौहल्ले हैं, जहां लोगों को कई-कई किलोमीटर दूर नदियों से पीने का पानी लाना पड़ता है और सरकार एक गांव में एक हैंडपम्प लगाती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या इन मौहल्लों में एक हैंडपम्प लगाने की सरकार की कोई योजना है ?

**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न स्टेट गवर्नमेंट जवाब देगी और पहला प्रश्न इर्रिगेशन डिपार्टमेंट का है।

**[अनुवाद]**

**श्री दिलीप सिंह भूरिया** : महोदय, यह भूमिगत जल के बारे में है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं।

**[हिन्दी]**

**श्री वीरेन्द्र सिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं द्वारा कराई जा रही है। यह व्यवस्था उस जगह के लिए है, जहां जल मिलता है, चाहे वह जल शुद्ध हो या अशुद्ध हो। इस देश में ऐसी बहुत-सी जगहें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र और बिहार के पहाड़ी क्षेत्र, जहां पेयजल उपलब्ध ही नहीं है, वहां शुद्ध जल या अशुद्ध जल का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, शुद्ध जल या अशुद्ध जल की व्यवस्था को छोड़कर, आप यह व्यवस्था कब तक करने जा रहे हैं, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, गांव हो या गली हो, वहां उनको पेयजल उपलब्ध हो सके ?

**डा॰ जगन्नाथ मिश्र** : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि भू-स्रोतों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं और इनका इस्तेमाल करके राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त सूचना पर ड्रिलिंग करने का निर्देश दे रहे हैं, जिसमें हमें सफलता भी मिली है। जो उन्होंने खोज़ करके दिया है, केन्द्रित करके दिया है, उसके अनुसार 17 हजार गांवों में पानी का स्रोत है और वहां ड्रिलिंग कराया गया है। राज्य सरकार के माध्यम से पन्द्रह हजार जगहें मिली हैं।

इसलिए हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि जो वैज्ञानिक व्यवस्था हमारे देश में उपलब्ध है, उसका पूरा उपयोग किया जाए। इस व्यवस्था का उपयोग कर के पानी का पता लगाया जा रहा है और जहां-जहां पानी का पता लग रहा है, वहां पर ड्रिलिंग कराई जा रही है और जहां-जहां पर यह सूचना सही साबित हो रही है और पानी निकल रहा है, वहां पर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**...

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

**[अनुवाद]**

### काफी संबंधी विशिष्ट (कोर) समिति

***161. श्री ए॰ इन्द्रकरन रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नीतियों के निर्धारण हेतु विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए काफी संबंधी एक विशिष्ट (कोर) समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम):** (क) से (ग) सरकार ने वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में 30 जनवरी, 1995 को काफी संबंधी एक कोर कमेटी का गठन किया है। जिसमें उपजकर्ताओं, व्यापारियों, काफी निर्यातकों के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी काफी उद्योग के साथ निकट, निरन्तर सम्पर्क बनाते हुए इस उद्योग के समय-समय पर उठने वाले विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श करेगी। इस कमेटी को कोई औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। इस कमेटी की अब तक 21 जून, 1995 को एक बैठक हो चुकी है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, काफी की अनिवार्य पूलिंग और काफी के घरेलू मूल्यों को कम करने से संबंधित मसलों पर विचार विमर्श हुआ।

## अप्रयुक्त विमानपत्तन

***162. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे विमानपत्तन हैं जिनका या तो उपयोग नहीं किया जा रहा है अथवा जिनकी पूरी क्षमता को उपयोग में नहीं ला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विमानपत्तनों के समुचित उपयोग के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** (क) से (घ). हवाई अड्डों का इष्टतम उपयोग, उड़ानों की पर्याप्त आवृत्तियों का जिन्हें हवाई अड्डों द्वारा हैंडल किया जा सकता है। प्रचालन करने वाली एयरलाइनों पर निर्भर करेगा। इस समय, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम स्थिति 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और कुछ अंतर्देशीय हवाई अड्डों का इष्टतम उपयोग हो रहा है। 31 हवाई अड्डों और 5 सिविल इन्क्लेवों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

न्यून उपयोग वाले अप्रयुक्त हवाई अड्डों के उपयोग में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित है :–

(1) ऐसे हवाई अड्डों के लिए उड़ानें आरंभ करने/आवृत्तियों में बढ़ोत्तरी करने के लिए निजी प्रचालकों को प्रोत्साहित करना,

(2) ऐसे हवाई अड्डों का उड़ान प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए उपयोग करना,

(3) विमान अनुरक्षण बेसों की स्थापना,

(4) इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से कुछ अनुप्रयुक्त हवाई अड्डों को उनके अनुरक्षण और बेहतर उपयोग के लिए अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया गया है।

**[हिन्दी]**

## पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का आयात

***163. डा. चिन्ता मोहन :**

**श्री नीतीश कुमार :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जून, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "रिफार्म्स अट्रेक्ट इम्पोर्ट आफ रिजेक्टेड मशीनरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; .

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994 और 1995 में आज की तारीख तक सरकार द्वारा पुरानी वस्तुओं के आयात हेतु जारी किए गए लाइसेंसों और उन पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा का उद्योगवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी पुरानी मशीनों के आयात पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदंबरम):** (क) से (घ). जी नहीं।

पुराने पूंजीगत माल का आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन किसी लाइसेंस के बिना ही किया जा सकता है। आयातक को माल की निकासी के समय सीमाशुल्क विभाग को इस आशय का एक घोषण पत्र प्रस्तुत करना होता है कि आयात किए जा रहे पुराने पूंजीगत माल का शेष जीवन कम से कम पांच वर्ष हो। यदि, आयात किए जा रहे पुराने पूंजीगत माल का सी० आई० एफ० मूल्य एक करोड़ रुपए और उससे अधिक हो तो आयातक को माल की निकासी के समय किसी निरीक्षण एवं प्रमाणन एजेन्सी से एक प्रमाण-पत्र लेकर सीमाशुल्क विभाग को प्रस्तुत करना होता है।

पुराने पूंजीगत माल के आयात के लिए ई० पी० सी० जी० योजना के तहत लाइसेंस भी दिए जाते हैं बशर्ते कि मशीन का शेष जीवन 15 प्रतिशत रियायती शुल्क पर आयात किए जाने के मामले में पांच वर्ष और शून्य शुल्क के तहत किए जाने वाले आयात के मामले में 10 वर्ष हो। ई० पी० सी० जी० योजना के तहत भी मौजूदा क्रियाविधि पुस्तिका (खण्ड-1) के परिशिष्ट 11-क में उल्लिखित किसी भी निरीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी से प्राप्त प्रमाण-पत्र के अलावा मशीनों के शेष जीवन और उनके मूल्य के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होता है। सभी आवेदन पत्रों पर एक ऐसी सम्मिति द्वारा विचार एवं अनुमोदन किया जाता है जिसमें तकनीकी मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो इस योजना के तहत किए जाने वाले ऐसे आयात के लिए औचित्य की जांच करते हैं।

पुराने पूंजीगत माल के आयात के लिए दिनांक 1-4-1994 से लेकर अब तक जारी ई० पी० सी० जी० लाइसेंसों की उद्योगवार स्थिति इस प्रकार है :–

| क्षेत्र | जारी लाइसेंसों की संख्या | सी० आई० एफ० मूल्य (लाख रु० में) |
|---|---|---|
| 1. वस्त्र | 142 | 17434.86 |
| 2. इंजीनियरी | 74 | 9371.54 |
| 3. चमडा | 11 | 697.64 |
| 4. औषधियां/रसायन | 13 | 247.90 |
| 5. इलैक्ट्रानिक्स | 7 | 487.81 |
| 6. सेवाएं क्षेत्र | शून्य | शून्य |
| 7. इस्पात | 1 | 486.07 |
| 8. अन्य | 41 | 15668.49 |

## तम्बाकू का उत्पादन और उसका लाभकारी मूल्य

***164. श्री एन॰ जे॰ राठवा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष रूप से गुजरात में चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तम्बाकू का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या तम्बाकू बोर्ड द्वारा तम्बाकू न उठाए जाने के कारण यह कुछ राज्यों में बड़ी मात्रा में किसानों के पास ही पड़ा है;

(ग) क्या कुछ राज्यों के तम्बाकू उत्पादकों ने अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्यों की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में और विशेष रूप से गुजरात में उत्पादित तम्बाकू का पूरा भंडार उठाए जाने तथा इसके उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम):** (क) देश में और गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू के उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :

(उत्पादन मिलियन कि॰ ग्रा॰ में)

| वर्ष | भारत में एफ॰सी॰वी॰ समेत सभी तम्बाकू | भारत में एफ॰सी॰वी॰ (फ्ल्यू क्योर्ड वर्जिनिया) | गुजरात में केवल गैर-एफ सी वी |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | 580.60 | 168.50 | 177.10 |
| 1993-94 | 528.00 | 125.50 | 179.20 |
| 1994-95 | 533.50 | 107.00 | 180.00 |

स्रोत : (डी॰ ई॰ एस॰ नई दिल्ली, तम्बाकू विकास निदेशालय, मद्रास और जनवरी, 1995 का यू॰ एस॰ डी॰ ए॰ परिपत्र)

चालू वित्त वर्ष (1995-96) के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। क्योंकि इस वर्ष की तम्बाकू की खेती सितम्बर/अक्टूबर महीनों में ही प्रारंभ होगी।

(ख) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत फिलहाल केवल एफ॰ सी॰ वी॰ (फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया) तम्बाकू के उत्पादन और बिक्री कार्य तम्बाकू बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यह बोर्ड आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र में तम्बाकू की वार्षिक फसल का आकार तय करता है। तम्बाकू बोर्ड द्वारा एफ॰ सी॰ वी॰ तम्बाकू नहीं उठाने के परिणामस्वरूप इन राज्यों के उपजकर्ताओं के पास यह तम्बाकू नहीं पड़ा है।

(ग) तथा (घ) जी, हां। दिसम्बर, 1994 में कर्नाटक में तम्बाकू उपजकर्ता एसोसिएशन ने एफ॰ सी॰ वी॰ तम्बाकू के लिए लाभकारी मूल्य दिए जाने की मांग की थी।

(ङ) तम्बाकू बोर्ड देश में एफ॰ सी॰ वी॰ तम्बाकू का ही कारोबार करता है, इसलिए यह इसी तम्बाकू के उत्पादन और विपणन के कार्यों के लिए उपाय करता है जिससे उपजकर्ताओं को लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित होता है।

[अनुवाद]

## भुगतान संतुलन की समस्या के संबंध में विश्व बैंक के सुझाव

***165. डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:**

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को, बढ़ते हुए आन्तरिक ऋण और वित्तीय असन्तुलन की संभावनाओं, जिनके कारण भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो सकता है, की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 जुलाई, 1995 को अलग-अलग कुल कितना स्वदेशी और विदेशी ऋण था;

(घ) उपरोक्त ऋण की ब्याज अदायगी के लिए कितने प्रतिशत सरकारी राजस्व का उपयोग किया जाता है;

(ङ) क्या स्वदेशी ऋणों पर ब्याज की अदायगी का विकास व्यय पर प्रभाव पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख). विश्व बैंक ने, देश में भारत पर आर्थिक ज्ञापन, में कुछ शर्तों का उल्लेख किया है जिसमें राजकोषीय असन्तुलन, भुगतान सन्तुलनों में परिवर्तित हो सकता है। इसका निष्कर्ष इन कारणों पर आधारित है कि जब एक उच्च राजकोषीय घाटे को सुदृढ़ निवेश वसूली के साथ जोड़ा जाता है, तो इसका परिणाम चालू खाते के घाटे में वृद्धि हो सकती है।

(ग) स्थिति को वर्ष के मध्य-बिन्दु पर नहीं, वर्ष के अन्त तक में दर्शाया जा सकता है। बकाया आन्तरिक ऋण और वर्ष 1994-95 के अन्त में अन्य देयताओं की कुल राशि (संशोधित अनुमान) 490700 करोड़ रुपए थी। मार्च, 1995 के अन्त तक के दरों पर सरकारी खाते पर बकाया विदेशी ऋण की कुल राशि (संशोधित अनुमान) 141872 करोड़ रुपए थी।

(घ) से (च) कर्ज की वापसी और अन्य देयताओं को नई उधार राशियों से पूरा किया गया है। फिर भी, ब्याज की अदागियों को राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया है। वर्ष 1994-95 (संशोधित अनुमान) के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज की अदायगियां अपनी कुल राजस्व प्राप्तियों का 49.6 प्रतिशत है, ब्याज के भुगतान के रूप में राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख भाग को पहले से रिक्त किए जाने द्वारा, व्यय के अन्य मदों पर खर्च का कुप्रभाव पड़ता है। लेकिन जब प्राप्ति की विभिन्न मदों और

व्यय के बीच एक दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, तो व्यय की किसी मद (मदों) पर प्रभाव की मात्रा का अंकन किया जाना सम्भव नहीं है।

## उत्प्रवास

***166. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ एजेंसियां बड़ी संख्या में लोगों को विदेशों में काम दिलाने के बहाने उनकी जीवन भर की जमा पूंजी ठग रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) ऐसी सभी एजेंसियों को पकड़ने और लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :** (क) और (ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान श्रम मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेंटों के खिलाफ 242 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) पंजीकृत भर्ती एजेंटों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की पुलिस प्राधिकारियों और विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशनों की सहायता से जांच-पड़ताल की जाती है और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक मामले में समुचित कार्रवई की जाती है। गैर-पंजीकृत भर्ती एजेंटों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की तफतीश के लिए उन्हें संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाता है। विदेशी नियोक्ताओं के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस का निलंबन करने और रद्द करने के रूप में चूककर्ता एजेंटों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है।

## यूरोपीय देशों में चाय के निर्यात पर प्रतिबंध

***167. श्री शरत पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय में कीटनाशक दवाई के अंश अधिक रह जाने के कारण यूरोपीय देशों द्वारा भारतीय चाय के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने से भारतीय चाय के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मसले का समाधान करने और उन देशों को चाय का निर्यात बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** (क) और (ख). जी, नहीं। कीटनाशक अवशेषों की अधिक मात्रा की बजह से यूरोपीय देशों द्वारा भारतीय चाय के आयात पर कोई बन्धन नहीं है। इसलिए इस मसले को हल करने का प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, चाय उद्योग को सलाह दी गई है कि वह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों जापान आदि समेत भारतीय चाय के आयातक देशों को निर्यात करते समय चाय में कीटनाशक अवशेषों की अधिकतम मात्रा के बारे में उनके द्वारा निर्धारित विनिमयन का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपाय करे। यूरोपीय देशों को भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ ये उपाय भी किए गए हैं :-

(1) विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी:

(2) भारतीय चाय विशिष्टता के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान और (3) टी बोर्ड के विपणन प्रतीक को लोकप्रिय बनाने का अभियान जो कि शुद्ध भारतीय चाय का प्रतीक है। चाय बोर्ड ने निश्चित प्राचीन भारतीय चाय का संवर्धन करने के लिए अनेक देशों में ब्रांड प्रमोशन योजनाएं भी चलाई हैं और यू. के. में दार्जिलिंग और असम लोगों के अभियान शुरू किए हैं।

## आवास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए बैंक शाखाएं

***168. प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे प्रत्येक जिले में अपनी एक शाखा को केवल आवास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए निर्दिष्ट करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस संबंध में दोषी बैंकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार अपने सामान्य कार्यों के साथ-साथ आवास वित्त के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक जिले में बैंक अपनी वर्तमान शाखाओं में से एक शाखा को पदनामित कर सकते हैं। चूंकि इस तरह की नई शाखा स्थापित करने की जरूरत नहीं है इसलिए इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। कारबार में कमी होने, आवास वित्त का कार्य करने के लिए दूसरे बैंक/वित्तीय संस्था की शाखा विद्यमान होने जैसे कारकों के कारण और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि उनकी अधिकांश शाखाएं आवास वित्त का कारबार कर रही हैं, आवास वित्त के प्रयोजन के लिए किसी विशेष जिले में जिन बैंकों ने कोई शाखा पदनामित नहीं की है उनके विरूद्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

## पुरुष श्रमिकों में बेरोजगारी

***169. श्री हरिन पाठक : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल पुरुष श्रमिकों में से 22 प्रतिशत श्रमिक अल्प रोजगार प्राप्त अथवा बेरोजगार थे और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार की वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा)** : (क) और (ख). आई. एल. ओ. की रिपोर्ट में, "विश्व रोजगार 1995" (पृष्ठ 64), नामक शीर्षक में यह बताया गया है कि भारत में, 1980 के उत्तरार्ध में अतिरिक्त रोजगार हेतु कुल पुरूष श्रमिकों में से 22% श्रमिक उपलब्ध थे तथा ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं।

यह रिपोर्ट इस सूचना के स्रोत को विशेष रूप से नहीं दर्शाती है। रोजगार सृजन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए विशेष कदम निम्नलिखित हैं।

(i) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों–आई. आर. डी. पी., टी. आर. वाई. एस. ई. एम., जे. आर. वाई., नेहरू रोज़गार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना में अधिकाधिक निवेश करना। 8वीं योजना में ग्रामीण आश्वासन योजना में अधिकाधिक निवेश करना। 8वीं योजना में ग्रामीण विकास परिव्यय 35,997/- करोड़ रुपए है।

(ii) आधुनिक उपकरणों को प्राप्त कर देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसंरचना का आधुनिकीकरण एवं विस्तार, रोज़गार संबद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ शिक्षण-अध्ययन, सामग्री इत्यादि का परिशोधन इत्यादि, जिससे कि रोजगार चाहने वालों की रोजगार-परकता में सुधार हो सके।

(iii) श्रमिकों को प्रशिक्षण तथा पुन: प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करके उनके कौशल में वृद्धि करना जिससे कि वे उद्योगों की नई प्रौद्योगिकी के अनुरूप आधुनिकीकरण की स्थिति में समायोजित हो सकें।

## यूरोपीय देशों को आम का निर्यात

***170. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देशों में भारतीय आम की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों की मांग पूरी न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने आम के निर्यात पर विमान भाड़े में राजसहायता देने पर विचार किया है ताकि उनके मूल्यों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रोत्साहन कब से लागू कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आम का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)**: (क) यूरोपीय देशों, विशेषकर यू. के. में बसे हुए दक्षिण एशियाई समुदायों के बीच भारतीय आमों की मांग है।

(ख) यूरोपीय देशों में आमों के निर्यात की जितनी संभावना है उतना निर्यात नहीं हुआ है जिसके लिए अन्य कारणों के साथ-साथ ये कारण भी हैं :–आम के तोड़े जाने से पहले/तोड़े जाने के बाद रख-रखाव की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होना, निर्यातों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का न होना तथा वायु-परिवहन भाड़े की ऊंची लागत होना तथा यूरोप में कैरीबियन और लैटिन अमरीकन किस्मों के आमों को पसन्द किया जाना है।

(ग) से (ङ). वायु-भाड़ा इमदाद योजना 1993-94 में प्रायोगिक तौर पर आम सहित विशेषीकृत फलों (अलफान्सो आम को छोड़कर) के निर्यात के लिए लागू की गई थी। इस योजना को जारी रखने के मामले में अभी निर्णय लिया जाना है। आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ ये उपाय भी शामिल हैं :–

(1) विशेषीकृत परिवहन एककों को खरीदने, पूर्व शीतलन/प्रशीतन भंडारण सुविधाओं को स्थापित करने, श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी मंचों, पकाने वाले/क्यूरिंग चेम्बरों तथा गुणवत्ता जांच उपकरणों को स्थापित करने, बहेतर पैकेजिंग करने, गुणवत्ता नियंत्रणों को सुदृढ़ बनाने जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(2) उत्पाद की बेहतर स्वीकार्यता के लिए वाष्प ताप उपचार सुविधाओं की स्थापना;

(3) हवाई-अड्डों पर चलते-चलते प्रशीतन गृहों की स्थापना।

(4) आम निर्यात संवर्धन अभियानों की व्यवस्था करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा कारण बताओ नोटिस

***171. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के रजिस्ट्रार सहित अन्य अनेकों रजिस्ट्रारों और शेयर एजेंटों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन रजिस्ट्रारों तथा एजेन्टों का ब्यौरा क्या है जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) जी, हां। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के रजिस्ट्रारों और अन्य रजिस्ट्रारों तथा शेयर अंतरण एजेंटों को कारण-बताओ नोटिस जारी किए हैं।

(ख) निम्नलिखित रजिस्ट्रारों और शेयर-अंतरण एजेंटों को कारण-बताओ नोटिस जारी किए गए हैं :–

1. डाटा मैटिक्स लि.–बंबई

2. डाटामैटिक्स फाइनेन्शियल सर्विसेज़ लि०–बंबई
3. एम० एन० दस्तूर एण्ड कं० लि०–कलकत्ता
4. आई० एम० ओ० डी० फाइनेन्शियल एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेज़ (प्रा० लि०) नई दिल्ली
5. नवमी कैपिटल मैनेजमेंट लि०-नई दिल्ली।
6. ऑन लाइन शेयर मैनेजमेंट सर्विसेज़ लि०, बंबई।
7. राम्स फाइनेन्शियल सर्विसेज़ (प्रा० लि०), हैदराबाद।
8. इपिक फाइनेन्शियल कन्सलटैंसी सर्विसेज़ (प्रा० लि०) बंबई।
9. मैक कन्सलटैंस (प्रा० लि०) कलकत्ता।
10. सुपर कारपोरेट सर्विसेज़ (प्रा० लि०) अहमदाबाद।
11. वृष्टि फाइनेन्शियल सर्विसेज़ (प्रा० लि०) बंबई।
12. एमफिन होल्डिंग्स (प्रा० लि०) बंबई।
13. यूनिसॉफ्ट कम्प्यूटर्स (प्रा० लि०) बंबई।
14. डैल्टा सर्विसेज़ (इंडिया) प्रा० लि० बंबई
15. ए० बी० सी० कम्पयूटर (प्रा० लि०) कलकत्ता।
16. एस० पी० एस० इन्टरनेशनल लि०-नई दिल्ली।

(ग) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट बाजार के मध्यवर्ती होने के कारण पूर्णत: रजिस्ट्रारों और शेयर अंतरण एजेंटों के लिए सेबी के विनियमों और नियमों द्वारा शासित होते हैं। इन विनियमों के अन्तर्गत सेबी को निरीक्षण करने, जांच करने और पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित अथवा रद्द करने का अधिकार है। जांच-रिपोर्ट के आधार पर "सेबी" उपयुक्त कार्रवाई जैसी वह ठीक समझे, करता है। सेबी अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों के द्वारा सेबी को निर्गमकर्ता रजिस्ट्रारों और शेयर अंतरण एजेंटों सहित बाजार-मध्यवर्तियों पर मौद्रिक शास्तियां लगाने का अधिकार भी दिया गया है।

[हिन्दी]

## विदेशी/भारतीय बैंकों का कार्य निष्पादन

***172. डा० परशुराम गंगवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में विदेशी बैंकों का कार्य निष्पादन और जमा राशि की वृद्धि दर बेहतर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख) भौगोलिक फैलाव, शाखा नेटवर्क, ग्राहक प्रोफाइल, कम्प्यूटरीकरण के स्तर में भिन्नता के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के कार्यनिष्पादन की तुलना नहीं की जा सकती। भारतीय रिर्जव बैंक (आर० बी० आई०) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के कार्य-निष्पादन और जमा राशि में वृद्धि की स्थिति निम्नलिखित है :–

1. जमाराशि की स्थिति (करोड़ रुपए में)

| वर्ष | 1992 | 1993 | 1994 | 1995* |
|---|---|---|---|---|
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 207807.60 | 237891.12 | 277110.05 | 320185.30 |
| विदेशी बैंक | 17112.80 | 22168.71 | 24952.80 | 27640.50 |

*(आंकड़े अनन्तिम)

2. कार्य-निष्पादन की स्थिति (लाभ : करोड़ रुपए में)

| वर्ष | 1992 | 1993 | 1994 | 1995* |
|---|---|---|---|---|
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | (+) 804.30 | (-) 3368.87 | (-) 4448.96 | (+) 1115.80 |
| विदेशी बैंक | (+) 320.81 | (-) 841.66 | (+) 573.81 | (+) 544.89 |

*(आंकड़े अनन्तिम)

(ग) सरकार और आर० बी० आई० ने बैंकों पर अपने ऋण-मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ बनाने और गहन पर्यवेक्षण तथा अग्रिमों पर नियंत्रण रखने के लिए दबाव डाला है। पुन: पूंजीकरण निधियों का आबंटन करते समय, आर० बी० आई० द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे अपने कार्य-संचालन के मुख्य क्षेत्रों के संबंध में कार्य-योजना तैयार करें। खर्चों में कटौती करने पर भी बल दिया गया है। विवेकपूर्ण मानदंडों के लागू हो जाने से बैंकों का प्रबंधन जोखिम संवेदनशील बन गया है। बैंकों की देय-राशियों की वसूली को गति प्रदान करने के लिए ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए गए हैं।

## विमान बेड़े का नवीकरण

***173. श्री हरि सिंह चावड़ा :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोनों राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के विमानबेड़ों का नवीकरण करने संबंधी कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब से कार्यन्वित किए जाने की संभावना है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (ग) एयर इंडिया ने मध्यम अवधि की एक प्रारंभिक विमानबेड़ा योजना बनाई है, जिसमें वर्ष 1994-95 में बेड़े में शामिल विमानों की वर्तमान संख्या 26 को बढ़ाकर वर्ष 2001-02 तक में 54 कर देने की परिकल्पना की गई है। एयर इंडिया ने हाल ही में दो बी-47-400 विमान प्राप्त करने के लिए बोइंग एयरप्लेन कंपनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, ये विमान जुलाई और अगस्त, 1996 में आने हैं। मध्यम क्षमता लम्बी दूरी के विमानों का चयन करने हेतु एक तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन अध्ययन शुरू किया गया है। इन विमानों को वर्ष 1997-98 से 2001-2002 के दौरान विमान बेड़े में शामिल किए जाने की संभावना है तथा एयर इंडिया का उस समय तक पुराने बी-747 के पूरे विमान बेड़े को चरण-बद्ध तरीके से हटाने का एयर इंडिया का प्रस्ताव है। इंडियन एयरलाइंस की वर्ष 2000 तक अपने बेडे के सभी बोइंग 737 तथा एयरबस 300 विमानों को क्रमशः हटाने की योजना है।

## बालक श्रम अधिनियम का उल्लंघन

***174. श्री राम कृपाल यादव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में बाल श्रमिकों के शोषण की वर्तमान स्थिति के संबंध में बड़े पैमाने पर राज्यवार सर्वेक्षण आरम्भ किए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और 30 जून, 1995 तक इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर नियोक्ताओं के विरुद्ध कितने मामले दायर किए गए ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा)** : (क) जी, नहीं, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की सरकारों के अनुरोध पर विशिष्ट क्षेत्रों के सर्वेक्षण कराने के लिए उन्हें निधियां मंजूर की गई हैं। तथापि, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन अधिकरण ने 1981 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर 100 जिलों की पहचान की है। ये जिले 11 राज्यों में स्थिति हैं जिनमें नाम हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल जिनमें कुल मिलाकर देश की कुल बाल श्रम जनसंख्या का 90% से अधिक हैं। यह निर्णय किया गया है कि इन जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के अनुसार जोखिमकारी व्यवसायों से बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए परियोजनाएं चलाई जाएंगी। इन 100 जिलाधीशों की एक कार्यशाला 13-14 सितम्बर, 1995 को नई दिल्ली में आयोजित की जानी है। संबंधित जिलाधीशों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के आधार पर अपने-अपने जिलों के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करें। कार्य से हटाए गए बालकों के लिए परियोजनाएं चलाने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए 34.4 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ख) सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधीन विभिन्न उपबंधों का प्रवर्तन कर रहे हैं। अधिनियम के प्रवर्तन का केन्द्र सरकार द्वारा प्रबोधन किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध दायर किए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है :-

| वर्ष | उल्लंघनों की संख्या |
|---|---|
| 1992-93 | 1884 |
| 1993-94 | 1814 |
| 1994-95* | 2166 |

*अभी तक 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

[अनुवाद]

## शुल्क मुक्त दुकानें

***175. प्रो॰ एम॰ कामसन :**

**कुमारी फ्रिडा तोपनो :**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने शुल्क मुक्त दुकानें चलाने के संबंध में परामर्श देने हेतु जर्मनी की किसी फर्म से कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जर्मनी की उक्त फर्म ने आने वाले वर्षों में कारोबार को 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने जर्मनी की उक्त फर्म को ठेका देने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इन शुल्क मुक्त दुकानों को चलाने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख). जी हां। मई 1990 में भारत पर्यटन विकास निगम ने प्रशिक्षण समेत तकनीकी सेवाएं प्रदान कराने के लिए जर्मनी के मैसर्स जेबर हेनमेन के साथ एक परामर्शी अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत पर्यटन विकास निगम को ये सेवाएं देने के लिए उपर्युक्त फर्म को प्रति वर्ष 30,000 अमरीकी डालर का भुगतान करना होता था। यह अनुबंध 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध था और मई, 1995 में समाप्त हो गया था।

(ग) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा सितम्बर, 1994 में जारी किए गए एक खुले विज्ञान के उत्तर में उक्त जर्मन फर्म ने भारत पर्यटन विकास निगम की शुल्क मुक्त दुकानों के व्यावसायिक कारबार में निम्नानुसार बढ़ोतरी करने की पेशकश की है :–

| | |
|---|---|
| 1995-96 | 100.00 करोड़ रु० |
| 1996-97 | 150.00 करोड़ रु० |
| 1997-98 | 201.50 करोड़ रु० |

(घ) और (ङ) मामला विचाराधीन है।

(च) और (छ) भारत पर्यटन विकास निगम अपनी शुल्क मुकत दुकानों को पहले से ही चला रहा है।

**[हिन्दी]**

## राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान

***176. श्री हरि केवल प्रसाद :**

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा; और

(ख) उक्त वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आय में से कृषि क्षेत्र को कितने प्रतिशत ऋण दिया गया ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान का वर्ष 1993-94 में 27.7 प्रतिशत और वर्ष 1994-95 में 26.9 प्रतिशत अनुमान किया गया।

(ख) कृषि में निवेश/पूंजी निर्माण के लिए वित्त-पोषण के अनेक साधनों में से ऋण एक है। कृपक, कृषि में पूंजी निर्माण के लिए अपनी चालू आय के साथ-साथ अपनी बचतों के रूप में गैर-संस्थागत साधनों से भी निवेश के लिए संसाधित करते हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, कृषि के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह का वर्ष 1993-94 के दौरान 17,337 करोड़ रुपए और वर्ष 1994-95 में 20,551 करोड़ रुपए का अनुमान किया गया।

## धार्मिक संस्थाओं को अनुदान

***177. श्री देवी बक्स सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन धार्मिक संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान अनुदान दिया गया;

(ख) इसी अवधि के दौरान प्रत्येक संस्था को वर्ष-वार कितनी अनुदान राशि दी गई;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा आयोजित करने वाली धार्मिक संस्थाओं को अनुदान देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को सामान्य वित्तीय नियमावली 1963 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार संगठनों/संस्थाओं को अनुदान सहायता की स्वीकृति प्रदान करने की पूरी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। तथापि, ऐसे संस्थानों को स्वीकृत अनुदानों से संबंधित केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएंगी।

## वित्तीय क्षेत्र में जोखिम की पूर्ति हेतु बीमा योजना

***178. डॉ० रमेश चन्द तोमर :** 'क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों ने वित्तीय क्षेत्र में जोखिम संबंधी समुचित प्रतिपूर्ति हेतु हाल ही में कुछ योजनाएं शुरू की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख). हाल ही में ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लि० ने निम्नलिखित जोखिमों को कवच प्रदान करने के लिए विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों के लिए "शेयर दलाल क्षतिपूर्ति बीमा कवच" लागू किया है :–

1. निम्नलिखित के कारण लेन-देनों का पूरा करने में बीमाकृत शेयर दलाल की असमर्थता के कारण कानूनी दायित्व:

(क) प्रतिभूतियों और नकदी की वास्तविक हानि, नुकसान चोरी या नष्ट होने पर।

(ख) प्रतिभूतियों के नकली पाए जाने, धोखे बाजी से बदले जाने, जाली होने अथवा खो जाने या चुराए जाने पर।

(ग) प्रतिभूतियों को खरीदने अथवा बेचने के प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति की शिनाख्त के बारे में धोखा होने पर।

2. प्रतिभूतियों और/अथवा नकदी का नुकसान।

3. नकली प्रतिभूतियों के कारण नुकसान।

4. कर्मचारियों का विश्वासघात।

5. कम्प्यूटर से होने वाले अपराध की क्षतिपूर्ति।

6. भूल-चूकों के लिए कवच।

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं० लि० निम्नलिखित जोखिमों को कवर करने के लिए स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन लि० को पालिसी जारी करने पर सहमत हुई है :–

(1) **सामान्य जोखिम :**

(क) कर्मचारियों द्वारा की गई बेईमानी और धोखेबाजी।

(ख) चोरी, सेंधमारी, लूट-पाट द्वारा सम्पत्ति की हानि, बीमाकृत परिसर के अंदर से अथवा सुरक्षित रूपसे जमा रखने के अभिज्ञात स्थान से धमकी देकर लूटना।

(ग) लेन-देन के दौरान किसी भी कारण से सम्पत्ति की हानि।

(घ) चैकों, हुंडियों, ड्राफ्टों, जमापत्रों आदि की जालसाजी अथवा उनका बदला जाना।

(ङ) नकली, जाली अथवा धोखेबाजी से बदली गई प्रतिभूतियों से होने वाली प्रत्यक्ष हानि।

(च) जाली करेंसी।

(छ) कार्यलयी सम्पत्तियों की हानि अथवा नुकसान।

(2) **इलैक्ट्रोनिक और कम्प्यूटरीकृत अपराध :**

(क) धोखे-बाजी से इलैक्ट्रोनिक आंकड़ों को भरना।

(ख) इलैक्ट्रोनिक आंकड़ों को धोखेबाजी से निर्देश देना।

(ग) कम्प्यूटर के निर्देशों को धोखेबाजी से संशोधित करना।

(घ) इलैक्ट्रोनिक आंकड़ों को विद्वेषवश नष्ट करना।

(ङ) लूटपाट-सेंधमारी, चोरी आदि के कारण इलैक्ट्रोनिक आंकड़ा प्रसंस्करण माध्यम को नुकसान।

(च) कम्प्यूटर संक्रमित विषाणु आदि।

(3) **भूल-चूक**

लापरवाही पूर्ण कार्य, भूल-चूक आदि।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. ने सूचित किया है कि नीतिगत दस्तावेज अभी तैयार किया जाना है और उसे स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. को जारी किया जाएगा।

**[हिन्दी]**

## पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड

***179. श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमजीवी और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिए गठित बोर्ड की, गठन के बाद से आज तक कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) बैठकों में किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई और क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या कुछ संगठनों ने वेतन बोर्ड से मौखिक सुनवाई का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :** (क) से (ङ) श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार पत्र एवं समाचार एजेन्सी कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्डों की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं।

पहली बैठक में श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 10(1) के अन्तर्गत नोटिसें जारी करने का निर्णय लिया गया था। बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्णय किया गया था कि वेतन के निर्धारण अथवा संशोधन के लिए अपेक्षित सूचना प्राप्त करने हेतु समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों, श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-समाचार-पत्र कर्मचारियों आदि के बीच परिचालन के लिए एक प्रश्नावली प्रारूपित की जानी चाहिए।

दूसरी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रश्नावली की संवीक्षा करने और उसमें सुधार करने के लिए एक उप समिति गठित करने का निर्णय किया गया। अन्तरिम राहत के भुगतान संबंधी मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया और यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अन्तरिम राहत के भुगतान के बारे में नियोजकों और कर्मचारियों के संगठनों के विचार 30 जून, 1995 तक मांगे जाने चाहिए।

तीसरी बैठक में, अन्तरिम राहत के मुद्दे पर नियोजकों और कर्मचारियों के संगठनों आदि के विचार सुनने के लिए मौखिक सुनवाई निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। मौखिक सुनवाई 22 अगस्त, 1995 से 25 अगस्त, 1995 तक की जाएगी। लगभग 22 संगठनों ने मौखिक सुनवाई के लिए अनुरोध किया है।

**[अनुवाद]**

## सरकारी क्षेत्र के बैंकों की परिसम्पत्तियां

***180. श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

**श्री बलराज पासी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास अत्यधिक साविधिक नकदी अनुपात परिसम्पत्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार साविधिक अनुपात स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में और वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के पास निर्धारित साविधिक नकदी की तुलना में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की अधिक धारिता थी जो 23 जून, 1995 को समाप्त हुए पखवाड़े में अनुमानतः 22,000 करोड़ रुपए की राशि थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये सवाल ही पैदा नहीं होते।

[हिन्दी]

*181. डा॰ परशुराम गंगवार :

श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों संबंधी कितने प्रस्ताव राज्यवार केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं;

(ख) उन्हें शीघ्रतिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) देश में सब्जियों और फलों के बढ़ते हुए उत्पादन को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई)** : (क) और (ख). जुलाई, 1991 की औद्योगिक नीति के तहत अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन, चीनी तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। तथापि, संयुक्त ऊधमों की स्थापना, विदेशी सहयोग, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों और औद्योगिक लाइसेंसों के इच्छुक उद्योगों के प्रस्तावों पर गुण-अवगुण और मौजूदा नीति के आधार पर जांच करने के बाद नियमित आधार पर मंजूरियां दी जाती हैं।

(ग) वित्तीय प्रोत्साहन तथा निर्यात के प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के अलावा सरकार ने फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/उन्नयन, ग्रामीण अद्यमियों को पशिक्षण देने के लिए सुविधाओं के सृजन, फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, व्यापक प्रचार, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशालाओं की स्थापना, अनुसंधान और विकास बैकवर्ड लिंकेज की स्थापना आदि हेतु सहायता देने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें बनाई हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रहा है।

[अनुवाद]

## गगनचुम्बी इमारतों में आग लगना

*182. डा॰ कृपासिन्धु भोई :

डा॰ चिन्ता मोहन :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और 1995-96 के दौरान आज तक नई दिल्ली गगनचुम्बी इमारतों में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या दिल्ली में अनेक गगनचुम्बी इमारतों में अग्निसुरक्षा के पर्याप्त उपकरण नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो ये इमारतें कौन-कौन-सी हैं और इन इमारतों में सरकारी और अर्ध-सरकारी इमारतों की संख्या कितनी है;

(ङ) इन इमारतों में अग्निसुरक्षा संबंधी प्रबन्धों की कमी के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार इन सभी इमारतों में निकट भविष्य में पर्याप्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

**शहरी कार्य और रोज़गार मंत्री (श्रीमती शीला कौल)**: (क) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

## राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनर्निर्माण

*183. श्री एन॰ जे॰ राठवा :

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान प्रत्येक राज्य, विशेषकर गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण पर कितना खर्च हुआ; और

(ग) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) से (ग). राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई तथा वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित राशि के दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

### विवरण

| क्रम सं॰ | राज्य का नाम | राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कि॰ मी॰ | राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के संबंध में आबंटित राशि (लाख रु॰) 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2888 | 1716.42 | 2146.64 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 330 | 53.51 | 67.24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 2296 | 1355.22 | 1678.23 |
| 4. | बिहार | 2117 | 1276.45 | 1472.53 |
| 5. | चंडीगढ़ | 24 | 14.00 | 21.00 |
| 6. | दिल्ली | 72 | 208.21 | 143.25 |
| 7. | गोवा | 229 | 225.05 | 385.65 |
| 8. | गुजरात | 1631 | 1033.95 | 1316.64 |
| 9. | हरियाणा | 698 | 513.86 | 550.43 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 854 | 881.70 | 894.80 |
| 11. | जम्मू तथा कश्मीर | 648 | 94.54 | 75.60 |
| 12. | कर्नाटक | 1996 | 1234.19 | 1506.78 |
| 13. | केरल | 940 | 726.15 | 924.10 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 2946 | 1316.28 | 1696.01 |
| 15. | महाराष्ट्र | 2918 | 1815.54 | 2150.45 |
| 16. | मणिपुर | 431 | 130.47 | 115.20 |
| 17. | मेघालय | 472 | 231.13 | 270.86 |
| 18. | मिजोरम | 551 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 19. | नागालैंड | 113 | 7.29 | 4.00 |
| 20. | उड़ीसा | 1649 | 1016.11 | 1186.50 |
| 21. | पांडिचेरी | 23 | 16.02 | 14.73 |
| 22. | पंजाब | 892 | 661.30 | 736.97 |
| 23. | राजस्थान | 2931 | 1339.97 | 1810.83 |
| 24. | सिक्किम | 62 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 25. | तमिलनाडु | 1896 | 1643.67 | 1782.86 |
| 26. | त्रिपुरा | 200 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 2613 | 1710.52 | 2065.48 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 1638 | 1760.45 | 1744.02 |

## भारतीय शिपयार्ड

***184. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय शिपयार्डों की बिगड़ती हुई स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय शिपयार्डों के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि आवंटित की गई तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि आवंटित किए जाने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) से (घ). देश में 42 शिपयार्ड हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :-

| केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत | राज्य सरकारों के अंतर्गत | निजी क्षेत्र के शिपयार्ड | कुल |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 33 | 42 |

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत 7 शिपयार्डों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

| जल-भूतल- परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन | रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन | कुल |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 |

सार्वजनिक क्षेत्र के 4 शिपयार्डों अर्थात् हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम, कोचीन शिपयार्ड लि. कोचीन, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि., कलकत्ता का राजाबागान डॉकयार्ड नया हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि., कलकत्ता, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय संपूर्ण जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग तथा मत्स्य जलयान उद्योग एवं फ्लोटिंग क्राफ्ट उद्योग के लिए भी मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के दो शिपयार्ड अर्थात् हिन्दुस्तान शिपयार्ड एवं कोचीन शिपयार्ड 1991-92 में बंद होने के कगार पर थे। सरकार की उदारीकरण की नीति तथा भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों में निर्मित पोतों की मूल्य निर्धारण नीति के संशोधन और कोचीन शिपयार्ड की पूंजीगत पुनर्संरचना आदि जैसे किए गए उपायों के फलस्वरूप इन दोनों शिपयार्डों ने अभी हाल ही में नकद लाभ अर्जित करना प्रारंभ कर दिया है। अन्य दो शिपयार्ड अर्थात् के. अ. ज. परि. नि. का राजाबागान डॉकयार्ड और हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि. बहुत पुराने हैं और उनकी अवसंरचनात्मक सुविधाएं सीमित हैं। सरकार ने दिसम्बर, 1992 में 71.34 करोड़ रु. की लागत से राजाबागान डॉकयार्ड की जहाज मरम्मत सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक स्कीम को मंजूरी दे दी है।

शिपयार्डों की उत्पादन सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य ऐसी सुविधाओं के नवीकरण, प्रतिस्थापन तथा विस्तार संबंधी योजनागत स्कीमों के माध्यम से किया जा रहा है। इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के 4 शिपयार्डों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान किए गए तथा चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए प्रस्तावित आबंटन के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

### वार्षिक योजना प्रावधान

(करोड़ रु.)

| | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 |
|---|---|---|---|---|
| हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. | 3.40 | 4.76 | 7.50 | 15.00 |
| कोचीन शिपयार्ड लि. | 5.50 | 4.50 | 6.50 | 12.00 |
| हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि. | 0.58 | 2.31 | 0.02 | 0.01 |
| केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि. (राजाबागान डॉकयार्ड) | 18.00 | 19.30 | 9.50 | 3.50 |

## खनन कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

***185. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

**श्री दत्ता मेघे :**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की घोषणा के बाद, देश में खनन कार्य के लिए विदेशी और भारतीय गैर-सरकारी कंपनियों के बीच हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान खनिज पदार्थों की खोज तथा परिष्करण हेतु विदेशी सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा एकक-वार ब्यौरा क्या है ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव):** (क) केन्द्र सरकार ने किसी भी निजी कंपनी के साथ कोई समझौता नहीं किया है। तथापि, राज्य सरकारें खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निजी कंपनियों को खनिज रियायतें देती हैं।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में बताया गया है कि कीमती और दुर्लभ खनिजों के गवेषण और खनन में विदेशी प्रौद्योगिकी और विदेशी सहभागिता का लाभ उठाया जाएगा। केन्द्र सरकार, निजी कंपनियों स्वदेशी और विदेशी दोनों को खनिज रियायतें देने के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा विचार किए जा रहे प्रस्तावों का कोई रिकार्ड नहीं रखती।

## गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति

***186. श्री नीतीश कुमार :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति की समीक्षा करने हेतु श्री पी॰ मुरारी की अध्यक्षता में किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस समिति के गठन को व्यापक बनाने हेतु इसमें तटवर्ती क्षेत्रों के सांसदों तथा इस पारंपरिक उद्योग से जुड़े मछुआरों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस समिति का विस्तार कर दिया गया है तथा सरकार को इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी;

(ङ) क्या सरकार ने इस समिति की कोई कार्य अवधि निर्धारित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) समिति का विस्तार कर दिया गया है लेकिन इसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (च). समिति की वर्तमान कार्य-अवधि 30 सितम्बर, 1995 तक है। आशा है कि पुनरीक्षा समिति इस समय तक अपनी रिपोर्ट दे देगी।

## दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में बसों की संख्या

***187. डा॰ रमेश चन्द तोमर :**

**श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में आज की तारीख तक कुल कितनी बसें हैं और उनमें से कितनी बसें परिवहन योग्य हैं/परिवहन योग्य बनाई जा सकती हैं;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार वास्तव में प्रतिदिन औसतन कितनी बसें चल रही हैं और उनमें से कितनी बसें दिल्ली में चल रही हैं;

(ग) क्या दिल्ली में चलने वाली बसों की संख्या अपर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दैनिक यात्रियों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह कार्य कब तक कर दिया जाएगा ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) 7.8.1995 की स्थिति के अनुसार दि॰ प॰ नि॰ के बेड़े में 3481 बसें थी और 1610 बसें चलने योग्य स्थिति में थीं तथा शेष 1871 बसों, जिनमें 348 ऐसी बसें शामिल हैं जिन्हें सामान्य/रक्षात्मक रख-रखाव की विभिन्न अवस्थाओं, दिन-प्रतिदिन आधार पर खराबी मरम्मत, एम॰ वी॰ आई॰ तैयार करने तथा अन्य डॉकिंग आदि के लिए रोक लिया गया है, को निधियों की उपलब्धता के अंतर्गत चलने योग्य स्थिति में बनाया जा सकता है।

(ख) 7.8.1995 की स्थिति के अनुसार, दि॰ प॰ नि॰ की 1605 बसें सड़क पर चल रही थीं जिनमें से 952 बसें दिल्ली में चल रही थी और 953 बसें अंतर्राज्यीय मार्गों पर चल रही थीं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 3965 स्टेज कैरिज बस परमिट पहले ही जारी कर दिए हैं।

(ग) से (ङ) जी नहीं। जहां तक दि॰ प॰ नि॰ का संबंध है इसके बेड़े में 3500 बसें नियत की गई हैं। शेष आवश्यकताएं,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूरी की जा रही हैं। दि. प. नि. को मरम्मत और रख-रखाव के लिए रोकी गई अपनी कुछ बसों की मरम्मत और रख-रखाव हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं।

## दिल्ली में गन्दी बस्तियां

***188. श्री चन्द्रेश पटेल :**

**श्री बी. एल. शर्मा प्रेम :**

क्या **शहरी कार्य और रोज़गार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितनी गंदी बस्तियां हैं और इन्होंने कुल कितने क्षेत्र पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है;

(ख) 31 जुलाई, 1995 को दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वालों की कुल जनसंख्या कितनी थी;

(ग) क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इन्हें रोकने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु किए गए अन्य अल्पावधि, दीर्घ अवधि उपायों का ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल):** (क) और (ख) इस बाबत कोई विस्तृत सर्वे नहीं किया गया है। तथापि, दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली में लगभग 1080 झुग्गी समूह हैं जिनमें लगभग 4.8 झुग्गी परिवार हैं, जिनकी आबादी करीब 20 लाख है।

(ग) और (घ) आबादी की कुदरती बढ़त के अलावा लाभदायक रोजगार की तलाश में समाज के कमजोर वर्गों के लोग दिल्ली आ गए हैं, जो सस्ते मकानों के अभाव में यत्र-तत्र सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करके बस गए हैं, जिससे झुग्गी आबादी बढ़ी है।

झुग्गी समूहों (स्लमों) की बाढ़ रोकने तथा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए भू-स्वामी एजेंसियों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं :–

(1) चौकसी व निगरानी स्टाफ बढ़ाया/मजबूत किया जाए तथा खाली भूमि की कड़ी निगरानी की जाए। शिथिलता/मिलीभगत/शिघ्र रिपोर्ट न देने की घटनाओं की रोकथाम के लिए जिम्मेवारी तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

(2) प्रत्येक सेक्टर के लिए एक जिम्मेवार व्यक्ति तैनात किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं ना हों और जिम्मेवारी निर्धारित की जा सके।

(3) मौजूदा झुग्गी समूहों के आस-पास की खाली भूमि की तार बाड़ लगाकर या चार दीवारी बना कर सुरक्षा की जाए ताकि झुग्गी समूहों का संलग्न खाली भूमि पर विस्तार न हो सके। और

(4) अवैध निर्माण को विशेषकर अनाधिकृत कालोनियों के निर्माण को शुरू में ही रोकने की फौरी कार्यवाई की जाए।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की तत्काल रोक-थाम के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष सतकर्ता दल गठित किए हैं। प्रत्येक दल का प्रमुख एक अपर जिला मजिस्ट्रेट है और इनमें पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं। किसी अतिक्रमण के पाए जाने/ध्यान में लाए जाने पर स्थानीय एजेंसियों द्वारा, संगत कानूनों के तहत और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की मदद से कार्यवाई की जाती है।

(ङ) स्लम/झुग्गी झौंपड़ी वासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित तीन सूत्री नीति चलाई जा रही है :–

(1) ऐसी भूमि के पात्र झुग्गी झौंपड़ी वासियों को अन्यत्र बसाना, जो सार्वजनिक परियोजनाओं हेतु तत्काल अपेक्षित है।

(2) ऐसी सरकारी भूमि पर स्थित झुग्गी झौंपड़ी समूहों में न्यूनतम मूलभूत जन सुविधाओं की व्यवस्था करना जो सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निर्धारित है किन्तु कार्यान्वयन हेतु तत्काल अपेक्षित नहीं है।

(3) ऐसी सरकारी भूमि पर स्थित शिनाख्त की गई झुग्गी झौंपड़ी समूहों का, भू-स्वामी एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर उसी स्थल पर सुधार करना जो किसी परियोजना के लिए निर्धारित नहीं की गई तथा निकट भविष्य में अपेक्षित नहीं है।

## पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का विकास

***189. श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का विकास उसकी वर्तमान क्षमता तथा इस क्षेत्र में बिजली की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस क्षेत्र की अनुमानित पन बिजली क्षमता कितनी है और अब तक कुल कितनी बिजली का उत्पादन किया गया है;

(घ) क्या विद्युत का विकास करने वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों ने इस क्षेत्र की पन बिजली क्षमता का उपयोग करने में कोई रुचि दिखाई थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में इस क्षेत्र को कोई सहायता प्रदान की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विद्युत मंत्री (श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे)** : (क) और (ख) हालांकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक विशाल विद्युत शक्यता विद्यमान है, परंतु इस शक्यता का पूर्णतः समुपयोजन करना संभव नहीं है। इसका मुख्य कारण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मांग की कमी और इस शक्यता का विकास करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी होना है।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की कुल जल-विद्युत शक्यता 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 31,857 मेगावाट आंकी गई है। इसमें से, 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 315.50 मेगावाट का विकास कर लिया गया है और 60 प्रतिशत भार अनुपात पर अतिरिक्त 309.88 मेगावाट का विकास किया जा रहा है।

(घ) से (छ). राज्य सरकारों द्वारा निजी विद्युत विकासकर्ताओं के साथ दो जल-विद्युत परियोजनाओं, यथा: अरूणाचल प्रदेश में कामेंग जल-विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) और असम में कारबी लांगपी जल-विद्युत परियोजना (100 मे॰ वा॰) के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार उपरोक्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए, प्रवर्तकों और राज्य प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

**[हिन्दी]**

## धातु स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा धातु स्क्रैप का आयात

***190. श्री गुमान मल लोढ़ा :**

**श्री नवल किशोर राय :**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धातु स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए मेटल स्क्रैप की कुल मात्रा का वार्षिक औसत क्या है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस आयात के परिणामस्वरूप इस उपक्रम को हुए लाभ अथवा घाटे का वार्षिक औसत क्या है ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान एम॰ एस॰ टी॰ सी॰ लिमिटेड द्वारा धातु स्क्रैप का औसत आयात 4.22 लाख टन है।

(ख) इस आयात के फलस्वरूप एम॰ एस॰ टी॰ सी॰ लिमिटेड द्वारा अर्जित वार्षिक औसत लाभ 3.73 करोड़ रुपए है।

## राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सहायता

***191. श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम आर्थिक संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को अनुमानतः कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विद्युत मंत्री (श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**[अनुवाद]**

## शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

***192. श्री शान्ता पोतदुखे** : क्या **शहरी कार्य और रोज़गार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों हेतु कितना बजटीय आवंटन किया गया है; और

(ग) इन सभी कार्यक्रमों को मिलाकर एक संयुक्त विकास कार्यक्रम बनाने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

**शहरी कार्य और रोज़गार मंत्री (श्रीमती शीला कौल)**: (क) देश में इस समय केन्द्र प्रवर्तित दो शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम हैं, यथा नेहरू रोज़गार योजना तथा निर्धनों के लिए शहरी आधार-भूत सेवा स्कीम।

(i) नेहरू रोज़गार योजना (एन॰ आर॰ वाई॰) शहरी क्षेत्रों के अल्परोज़गार तथा बेरोज़गार निर्धनों के लिए रोजगार की व्यवस्था हेतु बनाई गई है। यह रोजगार दो प्रकार का है :—एक स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना बावत तथा दूसरा शहरी स्थानीय निकायों के निम्न आय परिवेश में आवास विकास तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सृजन बावत।

(ii) निर्धनों के लिए शहरी आधारभूत सेवा (यू॰ बी॰ एस॰ पी॰) कार्यक्रम इसका व्यापक लक्ष्य शहरी निर्धनों के जीवन-स्तर में पर्याप्त सुधार हेतु एक अनुकूल वातावरण तैयार करना है। यह लक्ष्य सामुदायिक संगठन और संचालन समुदायों विशेषकर महिला समुदायों को सशक्त बनाकर किया जाता है, ताकि वे शहरी गरीबों के लिए मौजूदा क्षेत्र-वार कार्यक्रमों के दायरों और प्रभाव विस्तार बावत निर्णय लेने की भूमिका, समुदाय प्रबंध तथा अभिसरण प्रक्रिया महत भूमिका निभा सके।

(ख) इन कार्यक्रमों के लिए गत तीन वर्षों का बजट नियतन इस प्रकार है :—

| | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| | | रुपये करोड़ में | |
| (i) नेहरू रोजगार योजना | 71.00 | 74.97 | 70.00 |
| (ii) शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवा | 12.75 | 18.00 | 16.00 |

(ग) प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम नामक एक नई योजना तैयार की जा रही है जो पचास हजार से एक लाख की आबादी वाले सभी द्वितीय श्रेणी के शहरों में चलाई जाएगी।

## जल-विद्युत संयंत्र

***193. डा. असीम बाला :**

**श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में जल विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संयंत्रों द्वारा आठवीं योजनावधि के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितना विद्युत उत्पादन किया गया;

(ग) क्या इनमें से कुछ संयंत्रों के नवीनीकरण की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो इन संयंत्रों के नवीनीकरण और विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे;

(ङ) क्या इन संयंत्रों के नवीनीकरण के लिए कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) :** (क) 30.6.1995 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं की कुल अधिष्ठापित जल विद्युत क्षमता 20,830.54 मेगावाट थी। प्रत्येक राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 (30.06.1995 तक) के दौरान उत्पादित विद्युत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

| | वास्तविक जल विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिट में |
|---|---|
| 1992-93 | 69,833 |
| 1993-94 | 70,375 |
| 1994-95 | 82,511 |
| 1995-96 (30.6.1995 तक) | 17,768 |

जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (च) जल विद्युत परियोजनाओं के नवीकरण, आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह आशा है कि जल विद्युत केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर 521 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी जा सकेगी। इस कार्यक्रम में शामिल स्कीमों और जोड़े जाने वाली संभावित क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। इस प्रयोजनार्थ 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 723.28 करोड़ रु. का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है।

अनुमोदित परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

### विवरण-I

**30.6.1995 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार जल विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन संयंत्रों की संक्षिप्त, राज्यवार अधिष्ठापित क्षमता**

| क्रम सं. | क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र | अधिष्ठापित क्षमता (मे. वा.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | **उत्तरी** | |
| 1. | हरियाणा | 883.90 |
| 2. | हिमाचल | 275.07 |
| 3. | जे. एंड के. | 180.31 |
| 4. | पंजाब | 1798.94 |
| 5. | राजस्थान | 967.58 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | 1504.55 |
| 7. | केन्द्रीय क्षेत्र (उ. क्षे.) | 1530.00 |
| | जोड़ (उ. क्षेत्र.) | 7140.35 |
| II. | **पश्चिमी** | |
| 1. | गोवा | 0.05 |
| 2. | गुजरात | 427.00 |
| 3. | मध्य प्रदेश | 845.86 |
| 5. | महाराष्ट्र | 1740.22 |
| | जोड़ा (प. क्षे.) | 3013.13 |
| III. | **दक्षिणी** | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2655.94 |
| 2. | कर्नाटक | 2409.55 |
| 3. | केरल | 1491.50 |
| 4. | तमिलनाडु | 1947.70 |
| | जोड़ (द. क्षे.) | 8504.69 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| IV. | पूर्वी | |
| 1. | बिहार | 161.60 |
| 2. | उड़ीसा | 1271.92 |
| 3. | पश्चिम बंगाल | 71.51 |
| 4. | सिक्किम | 30.89 |
| 5. | केन्द्रीय क्षेत्र (पू० क्षे०) : | 144.00 |
| | जोड़ : (पू० क्षे०) : | 1679.92 |
| V. | उत्तर पूर्वी | |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 23.55 |
| 2. | असम | 2.00 |
| 3. | मणिपुर | 2.60 |
| 4. | मेघालय | 186.71 |
| 5. | मिजोरम | 3.37 |
| 6. | नागालैण्ड | 3.20 |
| 7. | त्रिपुरा | 16.01 |
| 8. | केन्द्रीय क्षेत्र (उ०-पू० क्षे०) जोड़: | 255.01 |
| | जोड़ (उ० पू० क्षे०) | 492.45 |
| | अखिल भारत : | 20830.54 |

## विवरण-II

### देश में राज्य-वार वास्तविक जल विद्युत उत्पादन

| | राज्य/प्रणालियां | निम्न के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | अप्रैल-जून, 95 |
| 1. | बी० बी० एम० बी० | 12471 | 10657 | 12232 | 2938 |
| 2. | जे एंड के | 2869 | 2690 | 2749 | 823 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 1899 | 1566 | 4257 | 1534 |
| 4. | हरियाणा | 235 | 245 | 231 | 72 |
| 5. | राजस्थान | 1111 | 1115 | 1473 | 168 |
| 6. | पंजाब | 2828 | 2566 | 3061 | 905 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | 4352 | 5687 | 6524 | 1569 |
| 8. | गुजरात | 659 | 1211 | 1373 | 219 |
| 9. | महाराष्ट्र | 4983 | 5726 | 6287 | 996 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 1293 | 1590 | 2279 | 395 |
| 11. | आंध्र प्रदेश | 9117 | 10046 | 10114 | 939 |
| 12. | कर्नाटक | 10025 | 10461 | 12654 | 3226 |
| 13. | केरल | 6195 | 5823 | 6573 | 1632 |
| 14. | तमिलनाडु | 5637 | 4601 | 5845 | 954 |
| 15. | बिहार | 138 | 204 | 419 | 23 |
| 16. | उड़ीसा | 3798 | 3685 | 4065 | 996 |
| 17. | प० बंगाल | 96 | 108 | 85 | 19 |
| 18. | डी० वी० सी० | 217 | 212 | 417 | 22 |
| 19. | सिक्किम | 30 | 34 | 55 | 9 |
| 20. | नीपको | 858 | 906 | 860 | 204 |
| 21. | मेघालय | 432 | 584 | 381 | 75 |
| 22. | त्रिपुरा | 45 | 41 | 42 | 11 |
| 23. | मणिपुर | 454 | 617 | 515 | 36 |
| 24. | अरूणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 20 | 3 |
| | अखिल भारत : | 69833 | 70735 | 82511 | 17768 |

## विवरण-III

### जल विद्युत केन्द्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयनीकरण स्कीम का ब्यौरा

| क्रम सं० | संगठन/परियोजना का नाम | अधिष्ठापित क्षमता (मे० वा०) | उन्नयनीकरण द्वारा प्रत्याशित क्षमता अभिवृद्धि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **आंध्र प्रदेश** | | |
| 1. | पचखड चरण-1 | 3 × 17 + | - |
| | चरण-2 | 3 × 21.25 | |
| 2. | निजाम सागर | 3 × 5 | - |
| 3. | लोअर सिलेस | 4 × 115 | - |
| 4. | श्रीसेलम | 7 × 110 | - |
| | **बिहार** | | |
| 5. | सुबरणरेखा | 2 × 65 | - |
| | **गुजरात** | | |
| 6. | उकई | 4 × 75 | |
| | **हिमाचल प्रदेश** | | |
| 7. | बास्ती | 4 × 15 | - |
| 8. | गिरि | 2 × 30 | 6.0 |
| | **जम्मू एवं कश्मीर** | | |
| 9. | चेनानी | 5 × 4.66 | - |
| 10. | सोअर झेलम | 3 × 35 | - |
| 11. | सुम्बास सिन्ध | 2 × 11.3 | - |
| | **कर्नाटक** | | |
| 12. | महात्मा गांधी | 4 × 12 + | - |
| | | 4 × 18 | |
| 13. | नागकारी (यूनिट-2) | 6 × 135 | 15.0 |
| 14. | शारावती | 8 × 89.1 | 115.2 |
| 15. | शारावती | 2 × 89.1 | 28.8 |
| 16. | शिवासमुद्रम | 6 × 3+ 4 × 6 | - |
| | **केरल** | | |
| 17. | नारीमंगलम | 3 × 15 | 9.0 |
| 18. | पारिंगसमुथू | 4 × 8 | - |
| 19. | सालरिगिरि | 6 × 50 | - |
| 20. | शोलेकार | 3 × 18 | - |
| | **महाराष्ट्र** | | |
| 21. | कोयना एवं-2 | 4 × 65 + 4 × 75 | 20 |
| 22. | कोयना-3 | 4 × 80 | - |
| | **मेघालय** | | |
| 23. | काइडेमबदुलाई | 2 × 30 | - |
| 24. | उवियन-1 एवं 2 | 4 × 9 | - |
| | | 2 × 9 | - |
| | **उड़ीसा** | | |
| 25. | हिराकुड-1 (यूनिट 1 एवं 2) | 2 × 37.5 | 37.5 |
| 26. | हिराकुड-1 (यूनिट 3 व 4) | 2 × 24 | 16.0 |
| 27. | हिराकुड-1 (यूनिट 5 एवं 6) | 2 × 37.5 | 21.0 |
| 28. | हिराकुड-1 (स्विचयार्ड इक्विपमेंट) | | |
| 29. | हिराकुड-2 | 3 × 24 | |
| | **पंजाब** | | |
| 30. | यू० बी० डी० सी०-1 | 3 × 15 | - |
| | **तमिलनाडु** | | |
| 31. | कादाम्पाराई | 4 × 100 | - |
| 32. | कुण्डाह-3 | 3 × 60 | - |
| 33. | मैतूर डैम | 4 × 10 | - |
| 34. | सोयार | 3 × 12 | - |
| 35. | पापानाताम | 4 × 5.8 | 4.0 |
| 36. | पाईकारा | 3 × 6.65 + | - |
| | | 2 × 11 + 2 × 14 | - |
| 37. | शोरेकारा | 2 × 35 | - |
| | **त्रिपुरा** | | |
| 38. | गुम्टी | 3 × 5 | - |
| | **उत्तर प्रदेश** | | |
| 39. | चिल्ला | 4 × 36 | - |
| 40. | बाटिया | 3 × 13.8 | - |
| 41. | ओबरा | 3 × 33 | - |
| 42. | पाथरी | 3 × 6.8 | - |
| 43. | रामगंगा | 3 × 66 | - |
| 44 | रिहन्द | 6 × 50 | - |
| 45 | टिलोठ | 3 × 30 | 9.0 |
| | **प. बंगाल** | | |
| 46. | जलढ़ाका-1 | 3 × 9 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | |
| | **बी. बी. एम. बी.** | | |
| 47. | भाकरा आर० बी० | 5 × 132 | 185.0 |
| 48. | डेहर (यूनिट 2, 3, एवं 4) | 6 × 165 | - |
| 49. | गांगुवाल (यूनिट-2) | 2 × 24.2 + 1 × 29.25 | 2.43 |
| 50. | कोटला (यूनिट-3) | 2 × 24.2 + 1 × 29.25 | 3.92 |
| | **डी. बी. सी.** | | |
| 51. | मेथॉन | 3 × 20 | - |
| 52. | पंचेट | 1 × 40 | - |
| | **एन. एच. पी. सी.** | | |
| 53. | तैरात्यूल | 3 × 60 | 30.0 |
| 54. | तोशाक | 3 × 35 | 17.0 |
| | **नीपको** | | |
| 55. | खाण्डोंग | 2 × 25 | - |
| | **जोड़ :** | 9658 | 521.0 |

### विवरण-IV

**आठवीं योजना (1992-97) के लिए जल विद्युत केन्द्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयनीकरण के लिए अनुमोदित परिव्यय**

(आंकड़े करोड़ रु० में)

| क्रम सं० | | राज्य |
|---|---|---|
| क. | **केन्द्रीय क्षेत्र** | |
| ख. | **राज्य क्षेत्र** | |
| 1. | हरियाणा | 4.06 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | 2.00 |
| 3. | जम्मू व कश्मीर | 24.60 |
| 4. | पंजाब | 53.00 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 300.00 |
| 6. | आंध्र प्रदेश | 100.00 |
| 7. | कर्नाटक | 114.16 |
| 8. | केरल | 1.80 |
| 9. | तमिलनाडु | 17.70 |
| 10. | उड़ीसा | 64.71 |
| 11. | सिक्किम | 6.97 |
| 12. | प० बंगाल | 4.00 |
| 13. | अरूणाचल प्रदेश | 4.20 |
| 14. | मेघालय | 6.00 |
| 15. | त्रिपुरा | 4.88 |
| | जोड़: | 723.28 |

**[हिन्दी]**

## पासपोर्ट जारी करना

***194. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

**प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवेदकों को पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया):** (क) और (ख). पासपोर्ट कार्यालयों के कार्य संचालन को निरन्तर बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना, कार्यालय सुविधाओं को उन्नत बनाना, जिसमें कम्प्यूटरीकरण भी शामिल है, विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से प्रणालियों और क्रियाविधियों की समीक्षा करना, पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(ग) और (घ). नए पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई समय सीमा तय करना कार्यात्मक तथा व्यावहारिक कारणों से संभव नहीं पाया गया है। पासपोर्ट जारी करने के कई चरण हैं जिनमें आवेदनों तथा अपेक्षित दस्तावेजों की जांच, उन पर कार्रवाई, पुलिस सांख्यांकन, तथा पासपोर्ट तैयार करना और जारी करना शामिल है। किसी कार्यालय विशेष में प्राप्त आवेदनों की संख्या का भी पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय पर प्रभाव पड़ता है और इसके अतिरिक्त आधारभूत संरचना, जिसमें कर्मचारियों की संख्या भी शामिल है, की उपलब्धता का भी पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय पर प्रभाव पड़ता है। गृह मंत्रालय की इस सहमति, कि यदि पुलिस सांख्यांकन रिपोर्ट 3 सप्ताह में प्राप्त नहीं होती तो पासपोर्ट जारी कर दिया जाए, को देखते हुए पासपोर्ट कार्यालयों का यह प्रयास रहता है कि लगभग एक महीने की अवधि के भीतर पासपोर्ट जारी किया जाए।

**[अनुवाद]**

## कच्चातिवू समझौता

***195. श्री एस. एस. आर. राजेन्द्रकुमार :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि तमिलनाडु के मछुआरे पाक जल डमरूमध्य में "कच्चातिवू" तथा इसके आस-पास अपने परम्परागत मछली पकड़ने के कार्य में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार श्रीलंका के साथ किए गए 1974 तथा 1976 के मेरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स के अंतर्गत कच्चाटिवू में प्रवेश पाने के भारतीय मछुआरों के गारंटीशुद्धा परंपरागत अधिकार को बहाल करने संबंधी प्रयासों में कितनी प्रगति हुई है ?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) और (ख). समुद्री सीमा करार, 1974 और 1976 भारतीय मछुआरों को कच्चाटीवू में विश्राम करने, अपने जालों को सुखाने तथा सेंट एन्थोनी के वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए प्रवेश करने के उनके परम्परागत अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच टकराव के कारण पाल्क स्ट्रीट में प्रतिकुल सुरक्षा स्थिति के कारण इन परम्परागत अधिकारों की पूर्ति 1983 से आस्थगित है जिसकी वजह से तमिलनाडु के मछुआरों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। तथापि, इन परम्परागत अधिकारों में कच्चाटीवू में और उसके इर्द-गिर्द मछली पकड़ने का अधिकार शामिल नहीं है। भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा करार, 1974 और 1976 के अधीन कच्चाटीवू क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भारतीय मछुआरों को दिए गए उनके परम्परागत अधिकारों की बहाली का प्रश्न दोनों सरकारों के बीच विचाराधीन है।

## गोवा में लौह-अयस्क उत्पादन और निर्यात

***196. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक वर्ष लौह-अयस्क का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ, इसमें किस-किस ग्रेड का कितना उत्पादन हुआ, इसमें किस-किस ग्रेड का कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का लौह-अयस्क था और चालू वर्ष में इसके उत्पादन का विशेषरूप से गोवा के लिए कितना अनुमानित लक्ष्य रखा गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विशेषकर गोवा से कुल कितने लौह-अयस्क का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) गोवा में उन्नत संयंत्रों की स्थापना से निम्न ग्रेड के अयस्कों की कितनी मात्रा को उच्च ग्रेड के अयस्कों में परिवर्तित किया गया तथा इस प्रकार के अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) आगामी तीन वर्षों के दौरान गोवा में स्थापित किए जाने वाली ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या प्रभाव होंगे ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) जानकारी संलग्न विवरण-I और II में दी गई है। निजी क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत (गोवा सहित) से और गोवा से पृथक रूप में लौह अयस्क के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(मात्रा : दस लाख टन)
(मूल्य : करोड़ रुपए)

| | भारत | | केवल गोवा | |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1992-93 | 27.86 | 1502.97 | 12.78 | 530.18 |
| 1993-94 | 31.94 | 1640.46 | 15.15 | 591.12 |
| 1994-95 (अनन्तिम) | 31.75 | 1561.49 | 14.75 | 531.95 |

(ग) गोवा मिनरल और एक्सपोर्टर्स एशोसिएशन से प्राप्त सूचना के अनुसार गोवा से निर्यात किया गया सारा लौह अयस्क प्रकमित लौह अयस्क है और न्यून ग्रेड लौह अयस्क की धुलाई और सज्जीकरण द्वारा उसका उन्नयन किया जाता है।

(घ) मौजूदा औद्योगिक नीति के अनुसार न्यून ग्रेड के लौह अयस्क के उन्नयन के लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

### विवरण-I

**भारत में लौह अयस्क का राज्य-वार क्षेत्र-वार उत्पादन**

(दस लाख टन)

| क्रम संख्या | क्षेत्र/राज्य | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 (अनन्तिम) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | क्षेत्र "क" | | | |
| (i) | बिहार | 9.90 | 10.43 | 12.00 |
| (ii) | उड़ीसा | 7.85 | 6.71 | 7.04 |
| | उप योग क्षेत्र "क" | 17.75 | 17.14 | 19.04 |
| 2. | क्षेत्र "ख" | | | |
| (i) | मध्य प्रदेश | 14.18 | 15.10 | 15.87 |
| (ii) | महाराष्ट्र | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| | उप योग-क्षेत्र "ख" | 14.22 | 15.14 | 15.99 |
| 3. | क्षेत्र "ग" | | | |
| | कर्नाटक | 11.04 | 12.26 | 12.22 |
| 4. | क्षेत्र "घ" | | | |
| | गोवा | 12.62 | 12.74 | 13.26 |
| 5. | क्षेत्र "ङ" | | | |
| (i) | आन्ध्र प्रदेश | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| (ii) | राजस्थान | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| | उप योग-क्षेत्र "ङ" | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| | कुल योग-भारत | 55.81 | 57.47 | 60.70 |

## विवरण-II

### भारत में लौह अयस्क का श्रेणीवार उत्पादन

मात्रा : दस लाख टन
मूल्य : करोड़ रुपये

| वर्ष | डले | | | | | चूरा ×× | | | | सान्द्रण | | | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | +65% | 62-65% | -62% | कुल | | 52% और इससे अधिक | - 62% | कुल | | + 65% | 62-65% | कुल | | कुल (डले+चूरा और सान्द्रण) | |
| | | | | मात्रा | मूल्य | | | मात्रा | मूल्य | | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1992-93 | 11.86 | 8.53 | 3.09 | 23.48 | 335.71 | 21.16 | 7.10 | 28.26 | 385.28 | 5.01 | 0.40 | 5.41 | 185.68 | 57.15 | 906.67 |
| 1993-94 (पी) | 12.05 | 8.56 | 3.24 | 23.85 | 350.38 | 21.16 | 7.10 | 28.26 | 383.97 | 6.20 | 0.03 | 6.23 | 162.80 | 58.34 | 897.15 |
| 1994-95 (पी) | 12.58 | 9.11 | 3.59 | 25.20 | 413.23 | 22.47 | 6.98 | 29.45 | 431.68 | 5.72 | 0.30 | 6.02 | 198.17 | 60.74 | 1043.08 |

(पी) अनन्तिम

××गोवा के मामले में जहाँ आँकड़े उत्पादन से संबंधित हैं, को छोड़कर ये आँकड़े आन्तरिक खपत/निर्यात के लिए प्रवेश से संबंधित हैं।

स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो

### भारत-यूक्रेन संबंध

***197. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूक्रेन ने आर्थिक, व्यापारिक तथा रक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस कदम का स्वागत किया है और इस पेशकश को मूर्त रूप देने हेतु कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत और यूक्रेन द्वारा किन्हीं करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो समझौता-वार इनकी प्रमुख बातें क्या हैं; और

(च) यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद):** (क) जी हां।

(ग) मे (च) भारत और उक्रेन के बीच मैत्री तथा सहयोग के सम्बन्ध हैं जो उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदानों मे मजबूत हुए हैं। उक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री लियोनिद क्रावचुक ने मार्च, 1992 में भारत की यात्रा की थी। भारत के राष्ट्रपति जुलाई, 1993 में उक्रेन की राजकीय यात्रा पर गए थे।

उक्रेन के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री ए॰ एम॰ ज्लेंको अप्रैल, 1994 में भारत की यात्रा पर आए थे। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित परामर्शों से सम्बद्ध एक प्रोतोकोल तथा व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध एक अन्तर सरकारी आयोग की स्थापना के संबंध में एक करार सम्पन्न हुआ था इसके बाद दिसम्बर, 1994 में कीव में विदेश मंत्रालयों के बीच परामर्शों और संयुक्त आयोग का पहला सत्र सम्पन्न हुआ।

भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने अक्तूबर, 1992 में उक्रेन की यात्रा की और उसके बाद विशेषज्ञ स्तर पर सम्पर्क स्थापित किए गए।

(घ) और (ङ). उक्रेन के साथ निम्नलिखित करार/समझौता ज्ञापन सम्पन्न किए गए हैं :–

(i) मैत्री और सहयोग से सम्बद्ध संधि। यह एक बुनियादी राजनीतिक दस्तावेज है जिसमें भारत और उक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सिद्धातों एवं सहयोग के क्षेत्रों तथा दिशाओं का उल्लेख है।

(ii) व्यापार तथा आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध करार। इसमें मुक्त रूप से परिवर्तनीय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं में तब तक भुगतान करने की व्यवस्था है जब तक दोनों संविदाकारी पक्षकार राज्य

किसी अन्य तरीके पर सहमत नहीं होते हैं।

(iii) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध करार। इस छत्र-करार में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने की व्यवस्था है। 1993-96 के सहयोग कार्यक्रम के जरिए इसे संवर्धित किया गया है।

(iv) संस्कृति, कला, शिक्षा, पर्यटन, खेल तथा जन-संचार के क्षेत्रों में सहयोग से सम्बद्ध करार। इन क्षेत्रों में सहयोग से सम्बद्ध छत्र-करार को एक सहयोग कार्यक्रम द्वारा संवर्धित किया जाएगा जिस पर विचार हो रहा है।

(v) व्यापार तथा आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन। इसमें निम्नलिखित से जरिए भारत और उक्रेन के बीच प्रति-व्यापार कार्यान्वित करने के तौर-तरीकों पर विचार करने की व्यवस्था है।

(vi) व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में अन्तर-सरकारी आयोग से सम्बद्ध करार। इसमें द्विपक्षीय करारों के क्रियान्वयन से उत्पन्न प्रश्नों पर विचार करने, तथा उपर्युक्त क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की समीक्षा, अध्ययन तथा इस सम्बन्ध में सिफारिशें देने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है।

(vii) आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध करार। इसमें भारतीय संस्थाओं में उक्रेनी राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण देने, परस्पर तय क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञों की उक्रेन में प्रतिनियुक्ति और उक्रेन उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में भारतीय छात्रों के प्रवेश का प्रावधान है।

(viii) भारत के विदेश मंत्रालय तथा उक्रेन के विदेश कार्य मंत्रालय के बीच परामर्श से सम्बद्ध प्रोतोकोल। इसमें द्विपक्षीय करारों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने, अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विनिमय, तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक कार्य-कलाप करने के लिए दोनों विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित परामर्श करने का प्रावधान है।

(ix) बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में इसरो और उक्रेन के राष्ट्रीय अन्तरिक्ष अभिकरण के बीच सहयोग से सम्बद्ध करार। इसमें रिमोट सैंसिंग, संचार, सामग्री संसाधन, भू-सुविधाओं का पारस्परिक उपयोग आदि जैसे क्षेत्रों में अन्तरिक्ष अनुसंधान में सहयोग का प्रावधान है।

(x) वायु सेवाओं से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन। अब इसके स्थान पर वायु सेवा करार सम्पन्न किया गया है।

(xi) वायु सेवा करार। इसमें दोनों देशों के बीच वायु सेवाओं की मार्ग-सारिणी तथा अन्य तौर-तरीकों की व्यवस्था है।

(च) जहाजरानी, दोहरे कराधान के परिहार तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्रों में द्विपक्षीय करार सम्पन्न करने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। पूंजी निवेश के पारस्परिक संरक्षण तथा संवर्द्धन से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न करने और प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न करने से सम्बद्ध एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। संयुक्त आयोग का अगला सत्र 1995 के अंत में होने की संभावना है। भारत के राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति श्री कुचमा को भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है। उक्रेनी रक्षा मंत्री तथा उप उद्योग मंत्री को भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया है जहां तक भारत का सवाल है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को उक्रेन की सरकारी यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है।

## मुम्बई पत्तन न्यास पर माल की निकासी

***198. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

**डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास पर माल की निकासी में अत्यधिक समय लगता है जिसके कारण आयातकों और निर्यातकों को भारी विलम्ब शुल्क देना पड़ता है;

(ख) माल निकासी में बाधा पड़ने और इसकी धीमी निकासी के क्या कारण हैं;

(ग) बम्बई पत्तन न्यास द्वारा 1993-94 और 1994-95 के दौरान विलम्ब शुल्क की कितनी राशि एकत्र की गई;

(घ) क्या आल इंडिया शिपर्स काउंसिल ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इससे पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर चिन्ता व्यक्त की है; और

(ङ) माल की शीघ्र निकासी सुनिश्चित करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) और (ख). कार्गो की निकासी में विलम्ब कभी-कभी परेषिती की ओर से होता है और कभी-कभी डी॰ ई॰ ई॰ सी॰, मॉडवेट आदि जैसी स्कीमों पर स्पष्टीकरण से उत्पन्न होने वाले विवादों से। सामान्यतः जहाज से उतारे गए कार्गो के 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत की निकासी परेषिती द्वारा पत्तन न्यास अभिरक्षा से सीमा शुल्क से मुक्त होने के बाद अंतिम मुक्त दिवस से पहले कर दी जाती है। पत्तन न्यास परिसर में पड़े शेष कार्गों पर विलम्ब शुल्क लगता है।

(ग) बम्बई पत्तन न्यास ने वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 203.76 करोड़ रु॰ और 126.35 करोड़ रु॰ विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किए।

(घ) मंत्रालय को उनसे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ङ) सरकार ने कार्गो के शीघ्र निपटान के लिए पहले से ही निम्नलिखित उपाए किए हैं :-

(i) पत्तन प्रयोक्ताओं के साथ दिन-प्रतिदिन आधार पर परस्पर संपर्क रखने के लिए विभिन्न पत्तनों पर पत्तन प्रचालन दल गठित किए हैं।

(ii) प्रलेखन प्रक्रिया को सुचारु बनया गया है।

(iii) एक ही स्थान पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए सभी पत्तनों पर केन्द्रीय प्रलेखन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(iv) कन्टेनरीकृत कार्गो के मामले में सीमा शुल्क प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।

(v) आंकड़ों और दस्तावेजों के शीघ्र आदान-प्रदान करने के लिए महापत्तनों पर ई॰ डी॰ आई॰ शुरू की जा रही है।

**[हिन्दी]**

## राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की मरम्मत

***199. श्री काशीराम राणा :**

**श्री महेश कनोडिया :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, राज्य-वार कुल कितने पुल गिर गए;

(ख) इनमें से, राज्य-वार कितने पुलों की अब तक मरम्मत की गई है और शेष बचे पुलों की कब तक मरम्मत की जाएगी; और

(ग) इस पर राज्य-वार कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) से (ग). राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे पुलों की सूची जो गत तीन वर्षों के दौरान ढह गए।

| राज्य | ढहने वाले पुलों की सं॰ | | | मरम्मत/पुनर्निर्मित पुल | लागत (करोड़ रु॰) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92-93 | 93-94 | 94-95 | | | |
| प॰ बंगाल | - | 7 | - | 1 | 13.10 | एक पूरा कर लिया गया, चार को मंजूरी दी गई, लक्षित ता॰ 3/98। राज्य लोकनिर्माण विभाग से दो पुलों के लिए प्राक्कलन अभी प्राप्त होने हैं। |
| असम | 1 | - | 1 | 1 | 1.13 | पूरा करने का लक्ष्य 3/1996। |
| तमिलनाडु | - | 1 | - | - | 11.36 | 26/5/95 को नए पुलों के लिए स्वीकृति दी गई, 3/2/94 को यातायात बहाल किया गया और पुराने पुलों की मरम्मत चल रही है। |

## भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

***200. श्री राम कापसे :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को भूमि के वाणिज्यिक उपयोग संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) से (ग) सरकार द्वारा इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

**[हिन्दी]**

## खादी ग्रामोद्योग आयोग का कार्यकरण

***202. श्री जगमीत सिंह बराड़ :**

**श्री नवल किशोर राय :**

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण का अध्ययन करने हेतु श्री के॰ सी॰ सोढ़िया की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस समिति ने गत वर्ष के दौरान उपरोक्त आयोग

में की गई भारी वित्तीय अनियमितताओं के मामलों का भी उल्लेख किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग मंत्री (श्री के॰ करुणाकरण)** : (क) भारत सरकार ने खादी संस्थाओं के कार्य-निष्पादन तथा इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के संबंध में उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए श्री के॰ सी॰ सोढ़िया की अध्यक्षता में जून, 1990 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था।

(ख) के॰ सी॰ सोढ़िया समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

(1) सभी संस्थाओं में एक समान सेवा शर्तें और वेतनमान व भत्ते लागू करना संभव नहीं होगा।

(2) परिलब्धियों को के॰ वी॰ आई॰ सी॰ कर्मचारियों के बराबर करने का प्रश्न नहीं उठता और मांग विचार योग्य नहीं है।

(3) गांधी आश्रमों को दुकान तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने श्रमिकों के वेतन व भत्ते युक्तियुक्त बनाने चाहिए।

(4) खादी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने की मांग मान्य नहीं है।

(5) सरकार द्वारा खादी श्रमिकों की सेवा-शर्तों का निर्धारण किए जाने की मांग विचार योग्य नहीं है।

(6) खादी कारीगरों को ई॰ एस॰ आई॰, पी॰ एफ॰, आई॰ डी॰ अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों से छूट होनी चाहिए।

(7) प्रमाणित संस्थाओं की उप-विधियों में उपयुक्त प्रावधान किए जाएं ताकि स्वतंत्र कार्यकरण और आंतरिक स्वतंत्रता में सुविधा हो सके।

सभी संबंधित व्यक्तियों के विचार जान लेने के बाद सरकार ने निम्नलिखित निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए नवम्बर, 1992 में संकल्प किया था :–

(1) संबंधित क्षेत्र के दुकान तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबंधों को खादी संस्थाओं में लागू किया जाना चाहिए;

(2) के॰ वी॰ आई॰ सी॰ द्वारा तैयार व परिचालित किए जाने वाले आदर्श सेवा नियमों के अनुसार सेवा-नियम अपनाये जाने चाहिए;

(3) प्रबंधन में श्रमिकों की कारगर भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए;

(4) के॰ वी॰ आई॰ सी॰ को श्रमिकों की छंटनी/बर्खास्तगी के अलग-अलग मामलों की जांच करनी चाहिए।

तदनुसार, भारत सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए के॰ वी॰ आई॰ सी॰ को सूचित कर दिया है।

(ग) और (घ). जबकि वित्तीय अनियमितताओं के लिए किन्हीं विशेष मामलों का उल्लेख नहीं किया गया है, समिति ने आयोग और खादी संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन को सुधारने के लिए कई उपायों की सिफारिश की थी। इन्हें आयोग को सूचित कर दिया गया है।

## मेडिकल कालेज

***204. श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में नए मेडिकल कालेज स्थापित करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) कितने प्राइवेट व्यक्तियों को मेडिकल कालेज स्थापित करने की अनुमति दी गई है और यह कालेज किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए॰ आर॰ अन्तुले)** : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1993 तथा उसके अन्तर्गत निर्धारित योजना के उपबन्धों के अनुसार पंजीकृत सोसाइटियां तथा सार्वजनिक न्यास ही निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने के पात्र हैं।

(ख) किसी प्राइवेट व्यक्ति को मेडिकल कालेज स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम में संशोधन करने के बाद तेलगांव, पुणे (महाराष्ट्र) और कन्नूर (केरल) में निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए अब तक दो पंजीकृत सोसाइटियों को अनुमति दी गई है।

**[अनुवाद]**

## चालक रहित विमान इंजन

***206. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालक रहित विमान इंजन के निर्माण के संबंध में अब तक हुई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उसे देश में ही निर्मित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) हिन्दुस्तान एयरोनॉटि लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए तथा विकसित पी॰ टी॰ ए ई॰-7 इंजन से 18 मई 1995 को सफलतापूर्वक उड़ान भर ल गई है।

(ख) और (ग) इस इंजन का टाइप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण

पूरा कर लिए जाने के बाद हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किए जाने की योजना है।

## पान मसाला

*208. **श्री पृथ्वीराज डी॰ चव्हाण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तम्बाकू युक्त और तम्बाकू रहित पान मसाले के उपभोग में हुई अत्यधिक वृद्धि की जानकारी है;

(ख) क्या इनमें से कई पान मसालों में नशे की लत डालने वाले तत्व मौजूद हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एफ॰ डी॰ ए॰ संबंधी मंजूरी लेना और इन पैकेटों पर चेतावनी संदेश छापना अनिवार्य बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए॰ आर॰ अन्तुले)** : (क) ऐसे आंकड़े स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ख) विभिन्न ब्रांडों के पान मसाले के उन नमूनों का विश्लेषण करना जो स्वापक नशीले और साइकोट्रापिक पदार्थों से मुक्त पाए गए।

(ग) और (घ) सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1995 के उपबन्धों के अनतर्गत पान मसाले के लिए मानक निर्धारित किए हैं। इन नियमों में इस बात की भी व्यवस्था है कि पान मसाले के लेबल और विज्ञापन पर एक चेतावनी होगी जिसमें यह उल्लिखित होगा "पान मसाले को चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है" रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से पान मसाले की बिक्री को बढ़ाने वाले विज्ञापनों को पहले ही बन्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पान मसाले के उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए परामर्श देती रही है।

**[हिन्दी]**

## परिवार नियोजन आपरेशन/बन्ध्यीकरण

*209. **डा॰ परशुराम गंगवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य-वार कितने पुरुषों और स्त्रियों ने परिवार नियोजन आपरेशन करवाए;

(ख) जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने में विफलता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कागजों में दर्शाए गए और वास्तव में किए गए नसबंदी के मामलों की संख्या में कोई अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो इसको ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए॰ आर॰ अन्तुले)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जन्म-दर की तुलना में मृत्यु दर में अधिक कमी आने से वृद्धि दर अधिक हुई है। बहरहाल, वृद्धि दर अब कम हो रही है। यह वर्ष 1993 में 1.94 प्रतिशत थी जबकि 1990 में 2.05 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) नमूना सत्यापन से 1994-95 में 3.3 प्रतिशत की सूचना गलत होने का पता चला है। इस बारे में राज्यों से सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है।

## विवरण

**वर्ष 1994-95 के दौरान पुरुष नसबन्दी और महिला नसबन्दी की राज्य वार संख्या**

| | | पुरुष नसबन्दी | महिला नसबन्दी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **प्रमुख राज्य** | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 27417 | 547659 |
| 2. | असम | 376 | 22074 |
| 3. | बिहार | 2127 | 120312 |
| 4. | गुजरात | 8433 | 292865 |
| 5. | हरियाणा | 1843 | 101801 |
| 6. | कर्नाटक | 481 | 371180 |
| 7. | केरल | 474 | 121926 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 9883 | 391452 |
| 9. | महाराष्ट्र | 10694 | 569777 |
| 10. | उड़ीसा | 3701 | 156248 |
| 11. | पंजाब | 2490 | 123502 |
| 12. | राजस्थान | 2061 | 201057 |
| 13. | तमिलनाडु | 574 | 324644 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 29378 | 336677 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 2044 | 35845 |
| | **छोटे राज्य** | | |
| 1. | हिमाचल प्रदेश | 4807 | 36147 |
| 2. | जम्मू और कश्मीर | 681 | 14788 |
| 3. | मणिपुर | 25 | 1630 |
| 4. | मेघालय | 1 | 848 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | नागालैंड | 4 | 2999 |
| 6. | सिक्किम | 59 | 1449 |
| 7. | त्रिपुरा | 49 | 13321 |
| 8. | अण्डमान और | | |
| | निकोबार द्वीप समूह | 31 | 1761 |
| 9. | अरूणाचल प्रदेश | 10 | 1717 |
| 10. | चण्डीगढ़ | 110 | 2902 |
| 11. | दादरा व नगर हवेली | 80 | 522 |
| 12. | दिल्ली | 2281 | 37374 |
| 13. | गोवा | 17 | 4308 |
| 14. | दमन और द्वीप | 1 | 434 |
| 15. | लक्षद्वीप | 1 | 20 |
| 16. | मिजोरम | 0 | 3499 |
| 17. | पांडिचेरी | 31 | 8796 |
| 3. | **अन्य एजेंसियां** | | |
| 1. | रक्षा मंत्रालय | 4145 | 16380 |
| 2. | रेल मंत्रालय | 3369 | 19221 |
| | अखिल भारत | 117678 | 4207741 |

# # = आंकड़े अनंतिम हैं।

= फरवरी, 95 तक के आंकड़े

× दिसम्बर, 94 तक के आंकड़े

## संवर्ग समीक्षा

***210. श्री संतोष कुमार गंगावार :**

**श्रीमती सरोज दुबे :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संवर्ग समीक्षा का प्रयोजन और उद्देश्य क्या है;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं सहित केन्द्रीय सेवाओं के विभिन्न वर्गों में अब तक कितनी बार संवर्ग समीक्षाएं की गई हैं;

(ग) क्या इसके लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह प्रक्रिया उक्त सेवाओं में पदोन्नति संबंधी प्रतिरोध दूर करने में सफल रही है;

(च) यदि हां, तो विभिन्न वेतनमानों में पदोन्नति मिलने की वेतनमानवार समय सीमा क्या है;

(छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं सहित विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नति में कितनी असमानता है; और

(ज) इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) :** (क) नियमित रूप से गठित सेवा के कुशल संचालन के लिए संवर्ग पुनरीक्षा एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय है। यह आवर्धिक आधार पर किया जाता है। यह सेवा के सदस्यों की कार्यात्मक आवश्यकताओं तथा उचित आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य लाता है। संवर्ग की कार्यकुशलता, मनोबल तथा प्रभाविकता की सिद्धि सामंजस्य लाता है। संवर्ग की कार्यकुशलता, मनोबल तथा प्रभाविकता की सिद्धि के उद्देश्य से संवर्ग पुनरीक्षा जनशक्ति के प्रदर्शन, भर्ती आयोजन तथा इसके अलावा सेवा के विद्यमान संवर्ग संरचना को युक्तियुक्त बनाने के प्रयोजन से की जाती है।

(ख) समूह "क" संगठित केन्द्रीय सेवाओं में की गई संवर्ग पुनरीक्षाओं की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। समूह "क" को छोड़कर अन्य सेवाओं में संवर्ग पुनरीक्षा संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा समूह "क" सेवाओं में शामिल नहीं है क्योंकि उसमें समूह "क" पदों से निचले स्तर के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है।

(ग) और (घ) समूह "क" सेवाओं की संवर्ग पुनरीक्षा पर मार्गदर्शी सिद्धांत 6 मई, 1972 को जारी किए गए। संवर्ग पुनरीक्षाओं की आवर्तिता के विषय पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अप्रैल, 1995 में मामूली-सा संशोधित किया गया है।

(ङ) से (ज) संवर्ग का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की जिम्मेदारी है। उन्हें अपने अधिकारियों की कैरियर प्रत्याशा का ध्यान रखना होगा, जिसमें कि गतिरोध की समस्या भी शामिल है। उन्हें सेवा की कार्यात्मक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा। विभिन्न समूह "क" सेवाओं में जिन अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड), वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तथा उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव के स्तर पर) में पदोन्नत किया गया है, उनका बैचवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है। यद्यपि, संवर्ग पुनरीक्षा करते समय संगठन की कार्यात्मक आवश्यकताओं तथा सेवा के सदस्यों की उचित आकांक्षाओं के बीच तालमेल रखने की कोशिश की जाती है, तथापि विभिन्न सेवाओं के सदस्यों की पदोन्नति में सामंजस्य बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता। जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित है केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं समूह "क" सेवा में शामिल नहीं है।

## विवरण-I

### केन्द्रीय समूह "क" सेवाएं

*1.7.1994 की स्थिति*

| क्रम सं. | सेवा का नाम | किए गए संवर्ग पुनरीक्षा की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | भारतीय विदेश सेवा | 3 |
| 2. | भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) | 3 |
| 3. | भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क) तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | 2 |
| 4. | भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा | 3 |
| 5. | भारतीय डाक सेवा | 3 |
| 6. | भारतीय रक्षा लेखा सेवा | 2 |
| 7. | भारतीय डाक तथा तार लेखा एवं वित्त सेवा | शून्य |
| 8. | भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा | 2 |
| 9. | भारतीय रेल यातायात सेवा | 3 |
| 10. | भारतीय रेल कार्मिक सेवा | 3 |
| 11. | भारतीय रेल लेखा सेवा | 3 |
| 12. | भारतीय व्यापार सेवा | शून्य |
| 13. | भारतीय सूचना सेवा | 2 |
| 14. | भारतीय आयुध फैक्टरी सेवा | 2 |
| 15. | भारतीय सिविल लेखा सेवा | 3 |
| 16. | भारतीय दूरसंचार सेवा | 2 |
| 17. | भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरिंग सेवा | 3 |
| 18. | भारतीय रेल इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेवा | 3 |
| 19. | भारतीय रेल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवा | 3 |
| 20. | भारतीय रेल इंजीनियर्स सेवा | 3 |
| 21. | भारतीय रेल भंडार सेवा | 3 |
| 22. | मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा | 3 |
| 23. | केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा | 2 |
| 24. | भारतीय निरीक्षण सेवा | 3 |
| 25. | भारतीय आपूर्ति सेवा | 1 |
| 26. | भारतीय नौ-सेना शास्त्र सज्जा सेवा | 1 |
| 27. | केन्द्रीय इलैक्ट्रीकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवा (सी. पी. डब्ल्यू. डी.) | 3 |
| 28. | केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सी. पी. डब्ल्यू. डी.) | 3 |
| 29. | केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा | 3 |
| 30. | सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवा | 1 |
| 31. | भारतीय प्रसारण सेवा (इंजीनियरिंग) | 1 |
| 32. | केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा | 3 |
| 33. | डाक तथा तार भवन निर्माण सेवा | 1 |
| 34. | केन्द्रीय वास्तुकला सेवा (सी. पी. डब्ल्यू. डी.) | 1 |
| 35. | केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा | 2 |
| 36. | भारतीय रेल चिकित्सा | 3 |
| 37. | भारतीय आयुध फैक्टरी स्वास्थ्य सेवा (सी. डी. एम. ओ. संवर्ग) | 1 |
| 38. | केन्द्रीय रिजर्व पुलिस स्वास्थ्य सेवा | 2 |
| 39. | सीमा सुरक्षा बल स्वास्थ्य सेवा | 2 |
| 40. | भारत-तिब्बत सीमा पुलिस स्वास्थ्य सेवा | 2 |
| 41. | भारतीय अर्थ सेवा | 1 |
| 42. | भारतीय सांख्यिकी सेवा | शून्य |
| 43. | भारतीय लागत लेखा सेवा | 1 |
| 44. | रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा | शून्य |
| 45. | रक्षा वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन सेवा | 2 |
| 46. | रक्षा गुणवत्ता आश्वासन सेवा | 2 |
| 47. | भारतीय विधि सेवा | 1 |
| 48. | केन्द्रीय कम्पनी लॉ सेवा | 1 |
| 49. | भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" सेवा | 1 |
| 50. | भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण | 2 |
| 51. | भारतीय मौसम विज्ञान सेवा | 1 |
| 52. | केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल | 2 |
| 53. | सीमा सुरक्षा बल | 2 |
| 54. | भारत-तिब्बत सीमा पुलिस | 1 |
| 55. | केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल | 1 |
| 56. | रेल सुरक्षा बल | 2 |
| 57. | केन्द्रीय श्रम सेवा | 1 |
| 58. | भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम सेवा) | 1 |

## विवरण-II

### केन्द्रीय समूह "क" सेवाएं
(1.7.1994 की स्थिति)

| क्रम सं. | सेवा का नाम | पदोन्नत कनिष्ठतम बैच जे. ए. जी. (रु. 3700-5000) | एन. एफ. एस. जी. (रु. 4500-5700) | एस. ए. जी. (रु. 5900-6700) | अपर सचिव (रु. 7300-7600) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | भारतीय विदेश सेवा | 1980 (4800-5700) | उपलब्ध नहीं | 1975 | 1964 (7300-8000) |
| 2. | भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) | 1984 | उपलब्ध नहीं | 1972 | 1963 |
| 3. | भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क) | 1982 | 1979 | 1971 | 1964 |
| 4. | भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा | 1986 | 1981 | 1978 | 1965 |
| 5. | भारतीय डाक सेवा | 1983 | 1979 | 1970 | 1962 |
| 6. | भारतीय रक्षा लेखा सेवा | 1984 | 1979 | 1975 | 1961 |
| 7. | भारतीय डाक एवं तार लेखा तथा वित्त सेवा | 1983 | 1981 | 1974 | 1966 |
| 8. | भारतीय रक्षा संपदा सेवा | 1984 | 1973 | 1969 | 1960 |
| 9. | भारतीय रेल यातायात सेवा | 1985 | उपलब्ध नहीं | 1974 | 1961 |
| 10. | भारतीय रेल कार्मिक सेवा | 1986 | उपलब्ध नहीं | 1975 | 1962 |
| 11. | भारतीय रेल लेखा सेवा | 1986 | उपलब्ध नहीं | 1976 | 1962 |
| 12. | भारतीय व्यापार सेवा | 1979 | उपलब्ध नहीं | 1979 (डी. आर. एस. टी. एस.) | उपलब्ध नहीं |
| 13. | भारतीय सूचना सेवा | 1985 | 1976 | 1967 | 1964 |
| 14. | भारतीय आयुध फैक्टरी सेवा | 1983 | 1963 | 1972 | 1962 |
| 15. | भारतीय सिविल लेखा सेवा | 1983 | 1981 | 1974 | 1964 |
| 16. | भारतीय दूर संचार सेवा | 1981 | उपलब्ध नहीं | 1969 | 1960 |
| 17. | भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरिंग सेवा | 1984 | उपलबध नहीं | 1974 | 1962 |
| 18. | भारतीय रेल इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेवा | 1984 | उपलब्ध नहीं | 1975 | 1962 |
| 19. | भारतीय रेल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवा | 1985 | उपलब्ध नहीं | 1975 | 1962 |
| 20. | भारतीय रेल इंजीनियर्स सेवा | 1985 | उपलब्ध नहीं | 1976 | 1962 |
| 21. | भारतीय रेल भंडार सेवा | 1986 | उपलब्ध नहीं | 1975 | 1962 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा | 1968 | 1966 | 1963 | 1958 |
| 23. | केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा | 1975 | उपलबध नहीं | 1965 | 1972 |
| | | | | (डी० आर० इन एस० टी० एस०) | |
| 24. | भारतीय निरीक्षण सेवा | 1968 | 1968 | 1962 | उपलब्ध नहीं |
| 25. | भारतीय आपूर्ति सेवा | 1974 | 1967 | 1966 | उपलब्ध नहीं |
| 26. | भारतीय नौसेना शस्त्र-सज्जा सेवा | 1980 | 1972 | 1966 | उपलब्ध नहीं |
| 27. | केन्द्रीय इलैक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवा (के० लो० नि० वि०) | 1974 | 1967 | 1965 | उपलब्ध नहीं |
| 28. | केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (के० लो० नि० वि०) | 1975 | 1968 | 1965 | 1960 |
| 29. | केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) | 1966 | 1965 | 1964 | 1959 |
| 30. | सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवा | 1967 | 1966 | 1965 | 1963 |
| 31. | भारतीय प्रसारण सेवा इंजीनियरिंग) | 1975 | उपलब्ध नहीं | 1970 | 1965 |
| 32. | केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा | 1972 | 1972 | 1969 | 1963 |
| 33. | डाक व तार भवन निर्माण सेवा | 1982 | 1976 | 1968 | 1964 |
| 34. | केन्द्रीय वास्तुकार सेवा (के० लो० नि० वि०) | 1975 | 1977 | 1964 | उपलब्ध नहीं |
| 35. | केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा | | | | 1964 |
| | (क) अध्यापन | 1992 | 1985 | 1979 | उपलब्ध नहीं |
| | (ख) शारीरिक स्वास्थ्य | 1989 | 1984 | 1977 | उपलब्ध नहीं |
| | (ग) गैर-अध्यापन | 1990 | 1986 | 1965 | उपलब्ध नहीं |
| 36. | भारतीय रेल चिकित्सा सेवा | 1983 | उपलब्ध नहीं | 1973 | 1973 |
| | | | | | (डी० आर० इन एस० टी० एस०) |
| 37. | भारतीय आयुध फैक्टरी स्वास्थ्य सेवाएं (सी० डी० एम० ओ० संवर्ग) | 1977 | 1970 | 1965 | उपलब्ध नहीं |
| 38. | केन्द्रीय रिजर्व पुलिस स्वास्थ्य सेवा | उपलब्ध नहीं | 1972 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं नहीं |
| 39. | सीमा सुरक्षा बल स्वास्थ्य सेवा | 1975 | 1970 | 1963 | उपलब्ध नहीं |
| 40. | भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्वास्थ्य सेवा | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 41. | भारतीय अर्थ सेवा | 1980 | उपलब्ध नहीं | 1968 | उपलब्ध नहीं |
| 42. | भारतीय सांख्यिकी सेवा | 1976 | 1976 | 1973 | 1978 |
| | | | | | (डी० आर० ग्रेड-I) |
| 43. | भारतीय लागत लेखा सेवा | 1983 | 1978 | 1977 | 1972 |
| | | | | (डी० आर० इन एस० टी० एस०) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44. | रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा | 1986 | 1983 | 1978 (रु॰ 5100-6300) | 1974 (रु॰ 5900-7300) |
| 45. | रक्षा वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन सेवा | 1974 | 1967 | उपलब्ध नहीं | 1984 (डी॰ आर॰ 4500-5700) |
| 46. | रक्षा गुणवत्ता आश्वासन सेवा | 1987 | उपलब्ध नहीं | 1977 | उपलब्ध नहीं |
| 47. | भारतीय विधि सेवा | 1988 (डी॰ आर॰ इन एस॰ टी॰ एस॰) | उपलबध नहीं | 1988 (डी॰ आर॰ इन जे॰ ए॰ जी॰) | 1980 (डी॰ आर॰ इन एस॰ टी॰ एस॰) |
| 48. | केन्द्रीय कंपनी लॉ सेवा | 1976 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 49. | भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" सेवा | 1977 | उपलब्ध नहीं | 1968 | 1962 (7300-8000) |
| 50. | भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण | 1971 | उपलब्ध नहीं | 1963 | 1966 |
| 51. | भारतीय मौसम विज्ञान सेवा | 1986 | 1964 | 1963 | 1963 (रु॰ 7600/नियत) |
| 52. | केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल | उपलब्ध नहीं | 1972 | 1961 | उपलब्ध नहीं |
| 53. | सीमा सुरक्षा बल | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 54. | भारत तिब्बत सीमा पुलिस | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 55. | केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल | 1984 | 1979 | 1969 | उपलब्ध नहीं |
| 56. | रेल सुरक्षा बल | 1981 | उपलब्ध नहीं | 1976 | उपलब्ध नहीं |
| 57. | केन्द्रीय श्रम सेवा | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 58. | भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |

जे॰ ए॰ जी॰-कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड

एन॰ एफ॰ एस॰ जी॰-गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड

एस॰ ए॰ जी॰-वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड

एस॰ टी॰ एस॰-वरिष्ठ समयमान

## अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना

***211. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के उद्देश्य से निजी निवेशकों की सहायता से स्थापित की गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निवेशकों ने इस संबंध में अपनी पसंद व्यक्त की है कि वे किस क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं लगाएंगे और किस प्रकार की विद्युत का उत्पादन करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) :** (क) से (ग). अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के दोहन के लिए निजी निवेशकों द्वारा 320.24 मेवा॰ और 2.95 मेवा॰ समग्र क्षमताओं की क्रमशः कुल 402 पवन विद्युत और 2 लघु पन बिजली परियोजनाएं स्थगित की गई हैं। ये परियोजनाएं तमिलनाडु (267.45 मेवा॰), गुजरात (48.86 मेवा॰), आन्ध्र प्रदेश (3.92 मेवा॰) और कर्नाटक (2.95 मेवा॰) राज्यों में स्थापित की गई है। प्रत्येक परियोजना की क्षमता 200 किवा॰ और 8 मेवा॰ के बीच है।

निजी निवेशकों ने उन क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्राथमिकता प्रकट की है जिनमें पवन, लघु पन बिजली, बायोमास सौर और अन्य अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन उपलब्ध हैं और संबंधित राज्य सरकारों ने निजी निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियों और प्रोत्साहनों की घोषणा की है।

## एच॰ आई॰ वी॰ परीक्षण

***212. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच॰ आई॰ वी॰ ग्रस्त व्यक्तियों के साथ भेदभाव न बरतने संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी एशिया के छह देशों ने जिनके कार्यालय बम्बई में स्थिति हैं ऐसे व्यक्तियों की अपनी कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति को रोकने हेतु उपायों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बम्बई स्थिति संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कुछ उद्योग श्रमिकों को नियुक्त करने से पहले एच॰ आई॰ वी॰ परीक्षण कराने पर जोर देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए॰ आर॰ अंतुले) :** (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और लोकसभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर कोई भी बम्बई स्थित उद्योग संगठित और गैर-संगठित क्षेत्रों में कामगारों को रोजगार देने से पूर्व उनकी एच॰ आई॰ वी॰ जांच करने पर जोर नहीं देते हैं।

## जलापूर्ति परियोजनाएं

***213. श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोज़गार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से सहायता प्राप्ति हेतु कितनी समन्वित ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाएं विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितने गांवों को सम्मिलित किया जाएगा, और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र तथा रोज़गार मंत्री (डा॰ जगन्नाथ मिश्र):** (क) 3 परियोजनाएं

(ख) राज्यवार और परियोजना-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

(करोड रुपए में)

| क्रम सं॰ | राज्य | परियोजना का नाम | शुरू किए जाने वाले जिलों की संख्या | अनुमानित लागत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पंजाब | समन्वित ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता (2 चरणों में) | 6 | 817.44 |
| 2. | उत्तर प्रदेश | समन्वित ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता (4 चरणों में) | 25 | 550.0 |
| 3. | तमिलनाडु | समन्वित ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता | 16 | 894.0 |

(ग) 1. समन्वित ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना, पंजाब

| | |
|---|---|
| चरण-1 | 1594 गांव |
| चरण-2 | 849 गांव |
| कुल: | 2443 गांव |

2. समन्वित ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना, उत्तर प्रदेश

| | |
|---|---|
| प्रायोगिक चरण | 27 गांव |
| चरण-1 | 712 गांव |

| | | |
|---|---|---|
| चरण-2 | 940 | गांव |
| चरण-3 | 821 | गांव |
| कुल: | 2500 | गांव |

3. समन्वित ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना, तमिलनाडु

4938 बसावटें और 40 ग्रामीण नगर क्षेत्र

(घ) सभी परियोजनाएं मूल्यांकन-पूर्व की अवस्था में हैं। केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विश्व बैंक से परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है।

## ब्लड बैंक

***214. श्रीमती सुशीला गोपालन :**

**श्री के॰ मुरलीधरन :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषध और प्रसाधन नियम, 1945 में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव भेजा है ताकि राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करना आसान हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार संबंधित नियमों में संशोधन करने का है जिससे राज्य के औषध नियंत्रण प्रशासन को लाइसेंस जारी करने का अधिकार मिल सके;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केरल में ब्लड बैंकों के कितने आवेदन पत्र भारतीय औषध नियंत्रक के पास लंबित हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए॰ आर॰ अंतुले)** : (क) से (घ) केरल राज्य में अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वर्तमान पद्धति देशभर में रक्त बैंकों और रक्त उत्पादों की लाइसेंसिंग में एकरूपता बनाए रखने हेतु शुरू की गई है।

(ङ) केरल राज्य से लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए 17 आवेदनों में से 14 को अनुमोदित किया गया है और 3 को कमियों को ठीक करने हेतु वापिस किया गया है, इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

## विवरण

### केरल राज्य के रक्त बैंकों के नाम जिनसे अनुमोदन के लिए लाइसेंस के आवेदन प्राप्त हुए

| क्रम सं॰ | रक्त बैंक का नाम | लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र मिलने की तारीख | लाइसेंस के अनुमोदन की तारीख/टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | जिला अस्पताल, कन्नूर | 11.1.95 | 30.1.95 |
| 2. | श्री चित्रा त्रिनूल अस्पताल, त्रिवेन्द्रम | 11.1.95 | 15.2.95 |
| 3. | सरकारी अस्पताल, पेरुनथिमन्ना | 11.1.95 | 5.2.95 |
| 4. | क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम | 11.1.95 | 21.2.95 |
| 5. | त्रिचूर हार्ट अस्पताल, त्रिचूर | 11.1.95 | 30.1 95 |
| 6. | जिला अस्पताल, पलक्कड़ | 11.1.95 | 15.2.95 |
| 7. | जिला अस्पताल, त्रिचूर | 11.5.95 | 12.6.95 |
| 8. | सरकारी जनरल अस्पताल, कोजिकोडि | 11.1.95 | 25.1.95 |
| 9. | डा॰ राव ब्लड बैंक, त्रिवेन्द्रम | 29.5.95 | 9.8.95 |
| 10. | मैसर्स लाडर्स अस्पताल, कोच्चि | 28.7.95 | 9.8.95 |
| 11. | मैसर्स बोजीगर अस्पताल, कोल्लम | 28.7.95 | 9.8.95 |
| 12. | डा॰ नायर अस्पताल, कोल्लम | 28.7.95 | 9.8.95 |
| 13. | मैसर्स उपासना अस्पताल, कोल्लम | 28.7.95 | 9.8.95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | मैसर्स होली क्रास अस्पताल, अदूर | 28.7.95 | 9.8.95 |
| 15. | मेडिकल कालेज, अस्पताल, त्रिवेन्द्रम | 11.2.95 | रक्त बैंक रेफ्रीजरेटर उपलब्ध नहीं किए गए जैसाकि औषध और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के भाग 11 ख अनुसूची "च" में अपेक्षित है। |
| 16. | वैस्ट फोर्ट अस्पताल, त्रिचूर | 28.7.95 | –तदैव– |
| 17. | महिला और बच्चा अस्पताल, त्रिवेन्द्रम | 11.1.95 | एक परीक्षण प्रयोगशाला के रेफ्रीजरेटर की मरम्मत की जा रही है तथा वातानुकूल यंत्र उपलब्ध नहीं किया गया है जैसाकि औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची के भाग - x 11 - ख में अपेक्षित है। |

**[हिन्दी]**

## फोटो पहचान पत्र

***215. श्री विजय कुमार यादव :**

**श्री चन्द्रेश पटेल :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में अब तक कितने फोटो पहचान पत्र तैयार किए गए हैं और वितरित किए गए हैं;

(ख) क्या अगले आम चुनावों से पहले सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस कार्यक्रम बनाया गया है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को राज्यवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ङ) क्या मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र तैयार करने में कई गलतियां पाई गई हैं; और

(च) यदि हां, तो इन गलतियों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज) :** (क) आठ राज्यों और चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है शेष राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि उसने राज्य सरकारों को इस बात के लिए उपाय करने को कहा है कि अगले साधारण निर्वाचन से पहले पहचान पत्र जारी कर दिए जाएं किन्तु उसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया है। तथापि, आयोग प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में कार्य प्रगति का लगातार पुनर्विलोकन कर रहा है।

(घ) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) और (च). अब तक तैयार किए गए पहचानपत्रों में से कुछ में कुछ अशुद्धियों की रिपोर्ट की गई है और निर्वाचन आयोग ने इन अशुद्धियों और त्रुटियों को दूर करने के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसरों को निर्देश दे दिया है।

### विवरण-I

**प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अभी तक तैयार किए गए और परिदत्त किए गए फोटो पहचान-पत्रों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण**

| क्रम सं॰ | राज्य का नाम | 11-8-1995 तक तैयार किए गए और परिदत्त किए गए फोटो पहचान-पत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | असम | कोई नहीं |
| 2. | बिहार | 1,52,704 |
| 3. | हरियाणा | 72,13,742 |
| 4. | कर्नाटक | कोई नहीं |
| 5. | पंजाब | 70,15,988 |
| 6. | तमिलनाडु | कोई नहीं |
| 7. | उत्तर प्रदेश | 2,79,000 |
| 8. | पश्चिम बंगाल | 11,36,125 |
| संघ राज्यक्षेत्र | | |
| 1. | चंडीगढ़ | 2,35,000 |

**विवरण-II**

**भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान, मतदाताओं के फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाने के संबंध में विभिन्न राज्यों को आवंटित रकम को दर्शाने वाला विवरण**

| क्रम सं. | राज्य सरकार का नाम | आवंटित रकम (रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 17,71,37,000 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 93,46,120 |
| 3. | असम | 5,49,20,000 |
| 4. | बिहार | 22,76,00,000 |
| 5. | दिल्ली | 2,94,21,000 |
| 6. | गोवा | 31,93,000 |
| 7. | गुजरात | 12,25,84,508 |
| 8. | हरियाणा | 5,13,34,000 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 2,15,61,000 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 1,69,07,000 |
| 11. | कर्नाटक | 13,52,92,000 |
| 12. | केरल | 7,50,00,000 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 16,08,14,000 |
| 14. | मेघालय | 1,01,67,000 |
| 15. | मिजोरम | 15,70,000 |
| 16. | मणिपुर | 1,40,72,244 |
| 17. | महाराष्ट्र | 20,49,59,844 |
| 18. | नागालैंड | 32,52,000 |
| 19. | उड़ीसा | 8,44,78,244 |
| 20. | पांडिचेरी | 35,93,000 |
| 21. | पंजाब | 5,53,07,000 |
| 22. | राजस्थान | 11,36,00,000 |
| 23. | सिक्किम | 21,93,000 |
| 24. | तमिलनाडु | 16,17,05,000 |
| 25. | त्रिपुरा | 66,93,000 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 36,84,00,000 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 13,50,00,000 |
| | योग: | 225,01,00,000 |

[अनुवाद]

## आवश्यक औषधियां

***216. श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक औषधियों की एक सूची प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय बाजार में इस समय कुल कितने ब्लक औषधियां और फार्मयूलेशन्स उपलब्ध हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) :** (क) और (ख) विभिन्न स्तरों की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में इस्तेमाल की जाने वाली अनिवार्य औषधियों की सूचियां तैयार की गई हैं।

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 के अनुसार 16 औषधियां ऐसी हैं जो व्यापक उद्योग के लिए अनिवार्य समझी जाती हैं।

(ग) राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा बल्क औषधियां और फार्मयूलेशन्स का लाइसेंसिंग किया जाता है। भारतीय भेषज संहिता जो अभी मुद्रणाधीन है, के नवीनतम संस्करण में 1152 बल्क औषधियों एवं फार्मयूलेशन्स के मोनोग्राफ दिए गए हैं।

## राजस्थान में सौर-ऊर्जा परियोजनाएं

***217. श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

**श्री आर्ज फर्नान्डीज :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में सौर-ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु देश की और विदेशों की कम्पनियों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं को कुछ प्रोत्साहन/रियायतें देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निवेशकों को एक समान सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) और (ख) राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र में बनाओ-पाओ-चलाओ के आधार पर चरणबद्ध रूप में 150 मेगा. की समग्र क्षमता के सौर प्रकाश वोल्टीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए एक अमेरिकी कम्पनी, मैसर्स एमोको/एनरान सोलर पावर डेवेलपमेंट कार्पोरेशन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। एक विज्ञापन के प्रत्युत्तर

में राजस्थान सरकार को जोधपुर जिले में मथानिया में 35 मेवा० और तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना में रुचि लेने वाली 16 भारतीय एवं विदेशी कंपनियों से भी पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन एवं रियायतें इन परियोजनाओं को भी उपलब्ध होंगी इनमें 100% त्वरित मूल्य ह्रास की सुविधा, कर अवकाश, उदार ऋण, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क रियायतें शामिल हैं।

(ङ) और (च) अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सुविधाएं सभी पात्र भारतीय एवं विदेशी निवेशकों को उपलब्ध हैं।

**[हिन्दी]**

## बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित प्रसूति योजना

***218. डा० अमृत लाल कालिदास पटेल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ की गई "बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित प्रसूति योजना" के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान कितने टीके और कितनी मात्रा में दवाइयां खरीदी गई; और

(ख) ये टीके और दवाइयां किन-किन राज्यों में वितरित की गई हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले) :** (क) शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अधीन छह वैक्सीन, औषध किटें "ए" और "बी", लौह और फॉलिक एसिड की गोलियां (बड़ी और छोटी) तथा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के पैकेज खरीदे गए थे। औषधों की मात्रा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

### विवरण-I

**क. पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई की गई औषधों की मात्रा।**

| औषधें | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|
| औषध किट "ए" | 1,23,200 किटें | 1,73,850 किटें |
| औषध किट "बी" | 41,600 किटें | खरीदी नहीं गई |
| विटामिन "ए" | 662.31 लाख खुराकें | 509.72 लाख खुराकें |
| लौह और फॉलिक एसिड गोलियां (बड़ी) | 19954.20 लाख गोलियां | 16569.78 लाख गोलियां |
| लौह और फॉलिक एसिड गोलियां (छोटी) | 28983.72 लाख गोलियां | 30631.28 लाख खुराकें |
| ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के पैकेट | 193,88,000 | 220,54,500 |

### विवरण-II

**ख. राज्यों के नाम जिन्हें वैक्सीन और औषध वितरित की गई हैं।**

(1) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वैक्सीनें, लौह और फॉलिक एसिड गोलियां (बड़ी और छोटी) तथा ओरल रिहाइड्रोशन साल्ट के पैकेट सप्लाई किए गए हैं।

(ii) वर्ष उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिन्होंने औषध किटों की सप्लाई प्राप्त की।

| | औषध किट "ए" | औषध किट "बी" |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| 1993-94 | आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा | आंध्र प्रदेश, असम, बिहार कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल |

| 1 | | 2 |
|---|---|---|
| 1994-95 | आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल, दिल्ली, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय | नहीं खरीदी गई। |

[अनुवाद]

## सीमेंट संयंत्र

***219. डा॰ रमेश चंद तोमर :**

**श्री अमर पाल सिंह :**

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 से देश में सीमेंट संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता की वार्षिक विस्तार दर क्या रही है;

(ख) क्या यह विस्तार दर लक्ष्यों के अनुरूप रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

**उद्योग मंत्री (श्री के॰ करुणाकरण) :** (क) से (घ) 1990-91 से 1994-95 तक की अवधि में सीमेंट उद्योग की वर्षवार अधिष्ठापित क्षमता और विकास दर के विवरण इस प्रकार हैं :-

| वर्ष | अधिष्ठापित क्षमता (मिलियन टन में) | विकास दर (प्रतिशत) |
|---|---|---|
| 1990-91 | 64 | - |
| 1991-92 | 66 | 3.13 |
| 1992-93 | 68 | 3.03 |
| 1993-94 | 73 | 7.58 |
| 1994-95 | 82 | 12.33 |

सरकार ने सीमेंट के लिए अधिष्ठापित क्षमता का कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। क्षमता विस्तार घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और कुछ सीमेंट का निर्यात भी हो रहा है।

[हिन्दी]

## भूमि से बेदखल किए गए लोगों को मुआवजा

***220. श्री प्रेम चन्द राम :**

**श्री सूर्य नारायण यादव :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना द्वारा 15 वर्ष पूर्व अधिगृहीत की गई भूमि के मालिकों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भी एक स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया था;

(घ) यदि हां, तो दावेदारों को मुआवजा कब तक दे दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें मुआवजे को रोक दिया गया हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) वायुसेना स्टेशन कानपुर के लिए चार दीवारी का निर्माण करते समय पता चला था कि भारतीय वायुसेना ने कुछ निजी भूमि को गलती से अपने कब्जे में ले लिया था। इस भूमि के मालिकों के साथ किए गए समझौते और वायुसेना मुख्यालय की सिफारिशों के आधार पर गलती से अधिकृत निजी भूमि के बदले में वायुसेना की उतनी ही भूमि दिए जाने से संबंधित सरकारी मंजूरी 23 मई, 1984 को जारी की गई थी। इस प्रकार इस मामले में कोई मुआवजा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

## खाड़ी पर्यटन

**1584. श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाड़ी पर्यटन को बढ़ावा देने की व्यापक सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में खाड़ी से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** (क) और (ख). जी, हां। निम्नलिखित कारणों से

भारत के लिए खाड़ी पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए काफी गुंजाइश है :–

1. खाड़ी पर्यटक पारंपरिक रूप से भारत को चाहते हैं। दोनों देशों के सदियों पुराने सांस्कृतिक, व्यापारिक और ऐतिहासिक संबंध हैं।

2. खाड़ी पर्यटक अधिकतर गर्मी के महीनों (अप्रैल-जून) में यात्रा करते हैं जोकि भारत का ऑफ सीजन है। उससे हमें ऑफ सीजन में अपने होटल अधिभोग को और विभिन्न क्षेत्रों की ओर ग्रीष्म यातायात, के आवागमन को बढ़ाने में सहायता भी मिलती है।

3. खाड़ी पर्यटक समझते हैं कि भारत उनके पैसे की सही कीमत मुहैया कराता है।

4. खाड़ी राज्य वायुयान सेवा द्वारा भारत से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और खाड़ी क्षेत्र में अधिकांश गन्तव्य स्थलों तक पहुंचने में मात्र लगभग चार घंटे की आवश्यकता होती है।

5. खाड़ी पर्यटकों को शापिंग का बहुत चाव है और भारत इसके लिए बढ़िया अवसर पेश करता है।

(ग) पर्यटन विभाग ने खाड़ी पर्यटकों का भारत की ओर अत: प्रवाह बढ़ाने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रगतिशील विज्ञापन, स्थानीय भाषाओं में प्रचार सामग्री का मुद्रण और वितरण, यात्रा प्रचालकों और यात्रा अधिकर्ताओं को सहायता प्रदान करना, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन करना, यात्रा और पर्यटन मेलों और खाद्य उत्सवों आदि में भाग लेना शामिल हैं। पर्यटन विभाग के दुबई और बहरीन में अपने पर्यटक कार्यालय भी हैं। मार्केट के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए, हाल ही में दुबई स्थित कार्यालय का उन्नयन करके उसे क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय बना दिया गया है।

## एयर बस ए-310-300 के कार्य निष्पादन में कमी

**1585. श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एयर इंडिया के विरुद्ध इसकी एयरबस ए-310-300 तथा इसके विमानों के घटिया कार्य निष्पादन और मरम्मत तथा जमीन पर अधिक समय खड़े रहने के कारण छ: में से चार विमानों के प्रेशर पैनलों पर जंग लगने के कारण 4 करोड़ रुपए का घाटा होने के संबंध में विपरीत टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने विश्व में विमानों के उपयोग की तुलना में विमानों का बहुत कम उपयोग के संबंध में भी एयरलाइन्स के विरुद्ध टिप्पणियां की हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की इन टिप्पणियों के संबंध में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** (क) और (ख). भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1995 के प्रतिवेदन सं. 12 (वाणिज्यिक) में चार ए-310-300 विमानों के प्रेशर पैनलों में जंग लगने तथा विमान बेड़े के बजटित उपयोग की तुलना में कम उपयोग होने के कारण एयर इंडिया को हुई 3.98 करोड़ रुपए लगभग की हानि के संबंध में टिप्पणी है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया द्वारा ली गई कानूनी सलाह के आधार पर यह मामला एयरबस इंडस्ट्री के साथ उठाया गया था और 240,000 अमरीकी डालर का क्रेडिट प्राप्त किया गया था तथा अतिरिक्त विमान खरीदते समय 120,000 अमरीकी डॉलर का अतिरिक्त क्रेडिट और दिया जाएगा। इन क्रेडिटों से प्रेशर पैनलों की तात्विक लागत पूरी तरह से वसूल हो जाएगी।

विभिन्न कारणों से उड़ानें रद्द होने से विमानबेड़े का कम उपयोग हो पाया था। एयर इंडिया नए विमान शामिल करके तथा पुराने विमानों को योजनाबद्ध तरीके से हटा कर स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहा है।

## लघु उद्योगों को ऋण दिया जाना

**1586. श्री परसराम भारद्वाज :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक को लघु उद्योगों को ऋण दिए जाने के संबंध में बजट में सरकार द्वारा घोषित कार्य योजना में प्रगति की समीक्षा करने को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख) वित्त मंत्री के 1995-96 के बजट भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि सरकार ने लघु उद्योगों को ऋण के प्रवाह में सुधार करने के लिए बैंकों के परामर्श से एक "सात सूत्री कार्य योजना" तैयार की है। इस कार्य योजना में निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं :–

1. पहचान किए गए 85 जिलों में, जहां प्रत्येक जिले में 2000 से अधिक पंजीकृत लघुउद्योग एकक हैं, विशेषज्ञ लघु उद्योग शाखाओं की स्थापना करने के लिए बैंकों द्वारा समयबद्ध कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। इन शाखाओं में पर्याप्त आधार-भूत सुविधा होनी चाहिए और इनमें आवश्यक पृष्ठभूमि और कौशलों वाले तथा उचित दृष्टिकोण रखने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

2. लघु उद्योग एककों को पर्याप्त ऋण सुविधाओं की समय पर मंजूरी को सरल एवं कारगर बनाने के लिए बैंकों को शाखा और क्षेत्रीय स्तरों पर शक्तियों के वर्तमान प्रत्यायोजन की समीक्षा करनी चाहिए।

3. बैंकों को अपने "सक्रिय" लघु उद्योग खातों का नमूना सर्वेक्षण करना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्हें पर्याप्त ऋण मिल रहा है या नहीं।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए कि जहां तक संभव हो, लघु उद्योग उद्यमियों को संमिश्र ऋण मंजूर किए जाते हैं। राज्य वित्तीय निगमों द्वारा मंजूर किए गए ऋणों के मामले में, बैंकों को परियोजनाओं का मूल्यांकन राज्य वित्तीय निगमों के साथ संयुक्त रूप से या एक साथ करना चाहिए।

5. बैंकों को आंचालिक और क्षेत्रीय स्तरों पर लघु उद्योग उधारकर्ताओं के साथ नियमित बैठकें करनी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का पता लगाया जा सके।

6. बैंकों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनः अभिमुखीकरण करना चाहिए ताकि लघु उद्योग क्षेत्र के कार्यकरण के संबंध में बैंक प्रबंधकों को जानकारी दी जा सके और उन्हें अधिक जागरूक बनाया जा सके।

7. बैंकों को प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की समीक्षा करने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रियाओं को सरल कर दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य योजना में निहित बिन्दुओं के कालर कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाई करने के वास्ते भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पहले ही अनुदेश दे दिए हैं।

## प्राइवेट एयरलाइनों के प्रति आकर्षण

**1587. डा० वसंत पवार :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकारी एयर लाइनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई है;

(ख) क्या एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा बार-बार हड़ताल किए जाने के कारण विमान यात्री प्राइवेट एयरलाइनों को प्राथमिकता दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय एयरलाइनों के प्रति यात्रियों को आकृष्ट करने हेतु सरकार क्या कदम उठाएगी ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** (क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा वाहित अंतराष्ट्रीय यातायात में तो कोई गिरावट नहीं आई है, परन्तु इंडियन एयरलाइंस द्वारा वाहित यात्रियों की कुल संख्या में कुछ सीमा तक गिरावट आई है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

| वर्ष | इंडियन एयरलाइंस द्वारा वाहित यात्रियों की कुल संख्या |
|---|---|
| 1992-93 | 7.821 मिलियन |
| 1993-94 | 7.891 मिलियन |
| 1994-95 | 7.635 मिलियन |

(ख) और (ग) निजी एयरलाइनें, विभिन्न प्रोत्साहनों/स्कीमों और सेवा के बेहतर स्तर आदि के कारण यात्रियों को आकृष्ट करने में सफल हुई है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस अपनी छवि, उत्पाद और समय-पाबन्दी कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के उपाय कर रहे हैं।

## आरक्षित बैंक निधि

**1588. श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (1) के अंतर्गत बनाई गई आरक्षित निधि में 31 मार्च, 1994 और 31 मार्च, 1995 को बैंकवार कुल कितनी-कितनी धनराशि थी;

(ख) 1992-93 के बाद से संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के कारण हुए घाटे को पूरा करने के लिए इस आरक्षित निधि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1995 तक संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के रूप में बैंकवार कितनी ऋण राशि बट्टे खाते में डाली गई ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1993-94 के लिए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (1) के अंतर्गत सूचित प्रारक्षित निधि में उपलब्ध बैंक-वार राशियों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों की राशियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

भाग (क) और (ख) के संबंध में वर्ष 1994-95 के लिए सूचना एकत्र की जा रही है।

### विवरण-I

**दिनांक 31.3.94 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आरक्षित निधियां**

(रु. करोड़ में)

| क्रम सं. | बैंक का नाम | आरक्षित निधियां |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | भारतीय स्टेट बैंक | 3637.79 |
| 2. | स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर | 47.66 |
| 3. | स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 116.78 |
| 4. | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर | 29.32 |
| 5. | स्टेट बैंक ऑफ मैसूर | 23.14 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | स्टेट बैंक आफ पटियाला | 236.02 |
| 7. | स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र | 46.76 |
| 8. | स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर | 59.59 |
| 9. | इलाहाबाद बैंक | 200.96 |
| 10. | आन्ध्रा बैंक | 55.20 |
| 11. | बैंक आफ बड़ौदा | 601.65 |
| 12. | बैंक आफ इंडिया | 488.65 |
| 13. | बैंक आफ महाराष्ट्र | 64.40 |
| 14. | केनरा बैंक | 976.93 |
| 15. | सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया | 421.79 |
| 16. | कारपोरेशन बैंक | 52.74 |
| 17. | देनाबैंक | 85.70 |
| 18. | इंडियन बैंक | 259.26 |
| 19. | इंडियन ओवरसीज बैंक | 231.09 |
| 20. | ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स | 116.60 |
| 21. | पंजाब नेशनल बैंक | 425.46 |
| 22. | पंजाब एंड सिंध बैंक | 68.66 |
| 23. | सिंडिकेट बैंक | 175.69 |
| 24. | यूनियन बैंक आफ इंडिया | 151.84 |
| 25. | युनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 114.96 |
| 26. | यूको बैंक | 15.91 |
| 27. | विजया बैंक | 16.56 |

## विवरण-II

### वास्तविक रूप से बट्टे खाते डाली गई अशोध्य ऋणों की राशि

(लाख रू० में)

| क्रम सं० | बैंक का नाम | 31.3.92 | 31.3.93 | 31.3.94 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | इलाहाबाद बैंक | 93.67 | 127.28 | 3584.00 |
| 2. | आन्ध्रा बैंक | 47.11 | 80.51 | 1206.23 |
| 3. | बैंक आफ बड़ौदा | 14927.34 | 12027.43 | 20638.67 |
| 4. | बैंक आफ इंडिया | 18882.12 | 17374.26 | 32846.78 |
| 5. | बैंक आफ महाराष्ट्र | 147.42 | 102.01 | 142.01 |
| 6. | केनरा बैंक | 3490.70 | 1492.37 | 3478.56 |
| 7. | सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया | 3627.56 | 197.70 | 7950.45 |
| 8. | कारपोरेशन बैंक | 46.91 | 56.36 | 254.53 |
| 9. | देना बैंक | 622.78 | 1951.01 | 3707.01 |
| 10. | इंडियन बैंक | 447.30 | 76.16 | 600.70 |
| 11. | इंडियन ओवरसीज बैंक | 89.88 | 419.25 | 461.09 |
| 12. | ओरियंटल बैंक आफ कामर्स | 176.00 | 165.00 | 176.00 |
| 13. | पंजाब नेशनल बैंक | 111.61 | 258.24 | 367.00 |
| 14. | पंजाब एंड सिंध बैंक | 1.10 | 0.09 | Nil |
| 15. | सिंडिकेट बैंक | 141.06 | 118.55 | 857.70 |
| 16. | यूनियन बैंक आफ इंडिया | 3531.30 | 4412.62 | 8236.90 |
| 17. | युनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 205.00 | 156.00 | 1182.00 |
| 18. | यूको बैंक | 365.10 | 23.65 | 221.79 |
| 19. | विजया बैंक | 213.70 | 304.23 | 451.26 |
| 20. | भारतीय स्टेट बैंक | 16570.00 | 69354.00 | 41559.00 |
| 21. | स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर | 696.72 | 858.92 | 3241.67 |
| 22. | स्टेट बैंक आफ हैदराबाद | 19.00 | 356.00 | 503.00 |
| 23. | स्टेट बैंक आफ मैसूर | 65.04 | 221.59 | 5063.10 |
| 24. | स्टेट बैंक आफ इंदौर | 388.88 | 86.15 | 636.00 |
| 25. | स्टेट बैंक आफ पटियाला | 12.00 | 60.00 | 1218.00 |
| 26. | स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र | 110.53 | 24.81 | 54.08 |
| 27. | स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर | 61.63 | 838.67 | 1564.47 |

[हिन्दी]

### बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा धन का निर्गम रोकने हेतु नीति

**1589. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा धन को बाहर भेजने पर रोक लगाने के विचार से इनके कार्यकरण पर निगरानी रखने हेतु कोई नीति तैयार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) से (ग) भारत

ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुच्छेद-III के दायित्वों को स्वीकार किया है। कुछ अपवादों को छोड़कर, रुपया चालू खाते पर परिवर्तनीय है। इसीलिए, चालू खाता संचालनों पर प्रतिबन्ध अधिरोपित नहीं किए जा सकते। पूंजीगत खाता संचालनों पर प्रतिबन्ध लगातार विद्यमान रहेंगे।

[अनुवाद]

## विदेशी मुद्रा प्रबन्धन सुधार

**1590. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र की कुछ वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा प्रबन्धन सुधारों के अगले चरण के रूप में विदेशी मुद्रा का मुकत व्यापार करने की अनुमति दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो इन वित्तीय संस्थाओं और इस संबंध में विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख) श्री ओ॰ पी॰ सोधानी, कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में भारत के विदेशी मुद्रा बाजारों से संबंधित एक विशेष दल ने जून, 1995 में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं को विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार करने की अनुमति देकर विदेशी मुद्रा बाजार में बाजार भागीदारों की संख्या बढ़ानी चाहिए। दल द्वारा दी गई सिफारिशों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है।

## केरल में बैंकों की शाखाएं

**1591. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने हेतु आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ शाखाओं को बन्द करने के कुछ प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि केरल में राष्ट्रीय बैंकों की और शाखाएं खोलने के लिए कोई आवेदन फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक के पास लम्बित नहीं है।

(ग) और (घ) केरल में अपनी शाखाओं को बन्द करने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास नहीं है।

[हिन्दी]

## बिहार में लघु उद्योगों को बैंक ऋण

**1592. श्री लाल बाबू राय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों को गत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग एककों से ऋण हेतु कुल कितने पत्र प्राप्त हुए; इनमें से कितने आवेदनों को अस्वीकृत किया गया तथा इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या बैंकों द्वारा उन आवेदकों/लघु उद्योग एककों को रुग्ण एककों में परिणित होने से बचाने के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जून, 1991, जून, 1992 और जून, 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में लघु उद्योग एककों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संवितरित ऋण निम्नानुसार थे:–

(रु॰ करोड़ में)

| समाप्त वर्ष | खातों की संख्या | संवितरित राशि |
|---|---|---|
| जून, 1991 | 19052 | 33.98 |
| जून, 1992 | 22287 | 23.79 |
| जून, 1993 | 13983 | 29.84 |

(ख) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह अनुदेश जारी किया है कि 25,000 रु॰ की ऋण सीमा वाले आवेदनों को आवेदन की प्राप्ति से एक पखवाड़े के भीतर और 25,000/- रु॰ से अधिक के आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए। बैंकों से यह भी कहा गया है कि ऋण की सीमाओं में वृद्धि के अनुरोधों पर शीघ्रता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और तत्परता से किसी भी हालत में 6 सप्ताह के भीतर उन पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

## पिछड़े क्षेत्रों के लिए "टैक्स होली डे"

**1593. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "टैक्स होली डे" बैकवर्ड एरियाज अनसर्टेनली फोरसेज फर्म टू डिफर इनवेस्टमेंटस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा औद्योगिक विकास हेतु निवेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन मामलों को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अक्टूबर, 1994 में प्रस्तुत अध्ययन दल की रिपोर्ट में निहित सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं। रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

## सहार विमानपत्तन पर बुनियादी सुविधाएं

**1594. श्री राम नाईक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहार विमानपत्तन, मुम्बई पर पेयजल और स्वच्छ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (ग). बंबई स्थित सहार हवाई अड्डे पर पीने के पानी और स्वच्छ शौचालयों की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सहार हवाई अड्डे पर सुविधाओं में सुधार लाने की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की लगातार कोशिश रहती है।

## संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही

**1595. श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के बारे में 19 मई, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6427 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सी. बी. आई. की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में निहित बातें क्या हैं; और

(ग) विभिन्न अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (ग). केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

## राजस्थान में विभेदक ब्याज दरों पर बैंक ऋण

**1596. श्री कुन्जी लाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा योजना-वार कुल कितना ऋण प्रदान किया गया; और

(ख) 1993-94 के दौरान राजस्थान में प्रत्येक बैंक द्वारा विभेदक ब्याज दरों पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए संवितरण हेतु कुल कितनी राशि नियत की गई और हथकरघा बुनकरों को कुल कितनी राशि दी गई ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत राजस्थान राज्य में स्वीकृत एवं संवितरित राशि निम्नलिखित है:–

| | स्वीकृत (लाख रु. में) | संवितरित (लाख रु. में) |
|---|---|---|
| प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई.) | 375.70 | 179.37 |
| शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रदान करने की योजना (एस. ई. ई. यू. वाई.) | 649.23 | 372.00 |
| स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) (सभी बैंक) | -- | 5710.59 |
| शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (एस. यू. एम. ई.) | 448.38 | 285.05 |
| विभेदी ब्याज दर योजना (डी. आर. आई.) | -- | 159.00* (वर्ष 1992-93 से संबंधित आंकड़े) |
| मैला ढोने वालों की मुक्ति एवं पुनर्वास की योजना (एस. एल. आर. एल.) | 44.34 | 28.08 |

(ख) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस. एल. बी. सी.) के संयोजक बैंक, बैंक आफ बड़ौदा द्वारा राजस्थान राज्य के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार मार्च 1995 की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम तथा विभेदी ब्याज दर योजना (डी. आर. आई.) की बैंक-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। मौजूदा आंकड़ा सूचना प्रणाली से डी. आर. आई. योजना

के तहत हथकरघा बुनकरों को दी गई ऋण-राशि के संबंध में अलग से सूचना नहीं प्राप्त होती है।

**विवरण**

**राजस्थान राज्य में मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र * अग्रिमों और विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अग्रिमों की बैंक-वार स्थिति**

(करोड़ रु० में)

| क्रम सं० | बैंक का नाम | प्राथमिकता क्षेत्र के कुल अग्रिम | डी० आर० आई० योजना के अन्तर्गत अग्रिम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | भारतीय स्टेट बैंक | 259.61 | 0.94 |
| 2. | स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर | 563.88 | 6.09 |
| 3. | स्टेट बैंक आफ हैदराबाद | 0.18 | 6.09 |
| 4. | बैंक आफ इंदौर | 1.68 | 0.01 |
| 5. | स्टेट बैंक आफ पटियाला** | 3.63 | 0.02 |
| 6. | स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र** | 0.96 | - |
| 7. | स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर* | 1.82 | - |
| 8. | इलाहाबाद बैंक | 18.98 | 0.10 |
| 9. | आन्ध्रा बैंक | 0.50 | - |
| 10. | बैंक आफ बड़ौदा | 512.50 | 2.80 |
| 11. | बैंक आफ इंडिया | 50.40 | 0.18 |
| 12. | बैंक आफ महाराष्ट्र | 2.74 | 0.05 |
| 13. | केनरा बैंक | 23.92 | 0.23 |
| 14. | कारपोरेशन बैंक* | 0.36 | - |
| 15. | सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया | 98.73 | 1.17 |
| 16. | देना बैंक | 12.40 | 0.01 |
| 17. | इंडियन बैंक | 6.90 | 0.02 |
| 18. | इंडियन ओवरसीज बैंक* | 9.53 | 0.02 |
| 19. | ओरियंटल बैंक आफ कामर्स | 59.64 | 0.42 |
| 20. | पंजाब नेशनल बैंक | 301.66 | 4.19 |
| 21. | पंजाब एंड सिंध बैंक | 26.71 | 0.07 |
| 22. | सिंडिकेट बैंक | 7.32 | 0.02 |
| 23. | यूनियन बैंक आफ इंडिया | 49.57 | 1.85 |
| 24. | यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 3.60 | - |
| 25. | यूको बैंक | 90.05 | 1.25 |
| 26. | विजया बैंक | 0.36 | - |
| 27. | बैंक आफ राजस्थान लि० | 168.33 | 0.11 |
| 28. | वैश्य बैंक लि० | - | - |
| 29. | जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि० | 1.54 | - |
| 30. | केरल बैंक लि० | 0.10 | - |
| | योग | 2277.90 | 19.55 |

नोट : *दिसम्बर 1994 के अनुसार आंकड़े

**सितम्बर, 1994 के लिए सूचित किए गए अनुसार आंकड़ा।

[अनुवाद]

## हथकरघा क्षेत्र

**1597. श्री संदीपन भगवान थोरात :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ ऐसे हथकरघा एकक हैं जो काफी समय से कार्य नहीं कर रहे हैं परन्तु उन्हें हैंक यार्न देनदारियों के नियम के अंतर्गत कताई मिलों से धागा मिल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने ऐसे हथकरघा एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) :** (क) कताई मिलों को हैंक यार्न बाध्यता योजना शर्तें पूरी करनी होती हैं और सिविल डिलिवरी के माध्यम से बाजार में हैंक के रूप में सूत उपलब्ध करवाना होता है। कताई मिलों से हैंक यार्न प्राप्त करने के लिए हथकरघा एकक का कार्यशील होना कोई आधार नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

## जबलपुर हवाई अड्डे का विकास

**1598. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जबलपुर हवाई अड्डे को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** (क) से (ग). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बोइंग-737/ए० बी०-320 प्रचालनों के लिए जबलपुर हवाई अड्डे

का उन्नयन करने की योजना बनाई है। संसाधनों के अभाव के कारण परियोजना में रूकावट आई हुई है। तथापि वर्ष 1995-96 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भी आवंटन योजना की मध्यावधि समीक्षा के दौरान परियोजना के लिए आवश्यक आंबटन किया जाएगा। हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए का खर्चा है।

## मेन्थॉल तथा मेन्थॉल तेल का निर्यात

**1599. मेजर डी॰ डी॰ खनोरिया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मेन्थॉल तथा मेन्थॉल तेल की कितनी मात्रा का देशवार निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) सरकार द्वारा मेन्थॉल तथा मेन्थॉल तेल के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम):** (क) उपलब्ध संगत आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

मूल्य : करोड़ रू॰ में
मात्रा : मी॰ टन में

| | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 (अप्रैल 94, फरवरी 95) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| मेन्थॉल तेल | 1126 | 29.08 | 1187 | 32.00 | 638 | 22.02 |
| मेन्थॉल तेल (पिपरमेंट तेल) | 1232 | 20.48 | 1132 | 19.81 | 1226 | 34.25 |

देशवार ब्यौरे डीजीसीआईएंडएस के "फारेन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स आफ इंडिया" नामक प्रकाशन में दिए गए हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) सरकार मेन्थॉल और मेन्थॉल तेल का संवर्धन बाजार विकास सहायता, शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान, क्रेता-विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों में भागीदारी और नीति और क्रियाविधियों में उदारीकरण के जरिए करती है।

## राजमुंद्री विमानपत्तन का विस्तार

**1600. डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजमुंद्री विमानपत्तन का विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

## कॉफी का मूल्य

**1601. श्री येल्लेपा मंदी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जुलाई, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "कॉफी प्राइसेज अनलाइबली टू कम डाउन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कॉफी बोर्ड तथा कॉफी उत्पादकों के बीच उनके उत्पादों का खुले बाजार की तुलना में लाभकारी मूल्य देने के संबंध में कोई विवाद है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कॉफी बोर्ड ने अपनी खुदरा दुकानों के जरिए बिकने वाले कॉफी पाउडर की कीमत घटा दी है। किन्तु, कॉफी बोर्ड गैर-सरकारी खुदरा दुकानों के जरिए बिकने वाली कॉफी की कीमत पर नियंत्रण नहीं रखता है। कुछ जिन कॉफी उपजकर्ताओं ने अपनी-अपनी कॉफी पूल कर दी थी। ऐसे कुछ कॉफी उपजकर्ताओं को किए गए प्रारंभिक भुगतान के संबंध में प्रतीत होता है कि उन्होंने निराशा व्यक्त की है। यह तो केवल एक प्रारम्भिक भुगतान है और पूल की गई कॉफी की अन्तिम कीमत एक सुविचारित फार्मूले पर आधारित होती है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

## बैंक आफ बड़ौदा के गोदाम

**1602. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बैंक आफ बड़ौदा के पास कितने गोदाम हैं और उनमें से प्रत्येक गोदाम के किराए पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) क्या इस समय बैंक द्वारा अधिकतर गोदामों का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बैंक और मंत्रालय को पिछले एक वर्ष के दौरान संसद सदस्यों/व्यक्तियों से इन गोदामों को खाली कराने के संबंध में कई अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर बैंक प्राधिकारी की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) दिल्ली में प्रत्येक परिसर को खाली कराने के संबंध में यह मामला इस समय किस चरण में है और इस पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि दिल्ली में उनके पास ऐसे चार परिसर हैं जिनका उपयोग गोदामों के रूप में किया जा रहा है। इसके लिए देय मासिक किराया 600 रुपए, 1040.60 रुपए, 2750 रुपए और 220 रुपए है।

(ख) बैंक ने सूचित किया है कि इन परिसरों का उपयोग बैंक के अभिलेखों को रखने के लिए किया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त (ख). के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) से (च). बैंक आफ बड़ौदा को 1501, भगीरथ प्लेस, चांदनी चौक दिल्ली स्थिति परिसर को खाली करने के लिए अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस समय उपर्युक्त परिसर को खाली करने का बैंक का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन बैंक मकान मालकिन के किराए में वृद्धि करने के अनुरोध की जांच कर रहा है।

## पश्चिमी बंगाल में चाय के अनधिकृत बागान

**1603. श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के उत्तरी दीनाजपुर, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में चाय के कई अनधिकृत बागान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इन चाय बागानों को अनधिकृत बागान मानने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या चाय के इन बागानों द्वारा चाय बोर्ड की सिफारिश पर खुले बाजार में शेयर जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे चाय बागानों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने खुले बाजार में अपने शेयर जारी किए हैं और इन चाय बागानों को अपने शेयर जारी करने की अनुमति किसने प्रदान की है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)**: (क) से (घ). पश्चिम बंगाल की सरकार आदि से सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

## महाराष्ट्र में बैंक शाखाएं

**1604. श्री अन्ना जोशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन बैंक शाखाओं में गत तीन वर्षों के दौरान, बैंक-वार कितनी धनराशि जमा की गई तथा किसानों को कितनी धनराशि स्वीकृत और संवितरित की गई;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋण-मंजूरी के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस अवधि के दौरान किसानों से कितनी धनराशि वसूल की गई ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) बैंक आफ महाराष्ट्र (महाराष्ट्र राज्य का संयोजक बैंक) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंक-वार शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### विवरण

**महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंक वार संख्या (31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार)**

| क्रम सं० | बैंक का नाम | शाखाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | बैंक आफ महाराष्ट्र | 855 |
| 2. | बैंक आफ बड़ौदा | 266 |
| 3. | बैंक आफ इंडिया | 529 |
| 4. | पंजाब नेशनल बैंक | 140 |
| 5. | केनरा बैंक | 155 |
| 6. | सेंट्रल बैंक आफ इंडिया | 472 |
| 7. | इंडियन बैंक | 65 |
| 8. | यूको बैंक | 114 |
| 9. | इंडियन ओवरसीज बैंक | 60 |
| 10. | यूनियन बैंक आफ इंडिया | 304 |
| 11. | सिंडिकेट बैंक | 133 |
| 12. | इलाहाबाद बैंक | 76 |
| 13. | युनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 28 |
| 14. | ओरियंटल बैंक आफ कामर्स | 30 |
| 15. | आन्ध्रा बैंक | 25 |
| 16. | देना बैंक | 254 |
| 17. | पंजाब एंड सिंध बैंक | 22 |
| 18. | विजया बैंक | 54 |
| 19. | कारपोरेशन बैंक | 39 |

## विद्युत करघा क्षेत्र

**1605. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युत करघा क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या उनकी समस्याओं को हल करने हेतु समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विद्युत करघा क्षेत्र के विकास तथा विद्युत करघा उत्पादों के निर्यात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) :** (क) जी हां।

(ख) से (घ). भारत सरकार ने विद्युत करघा कामगारों का उत्थान तथा कल्याण करने की कुछ योजनाएं शुरू की हैं। बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान करने, तकनीकी परामर्श देने, डिजाइन का विकास करने, परीक्षण सुविधाएं देने आदि के लिए विद्युत करघा बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युत करघा सेवा केन्द्र खोले हैं। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से विद्युत करघा बुनकरों के लिए समूह जीवन बीमा योजना भी शुरू की है। सरकार ने सात कम्प्यूटर सहायिक डिजाइन केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की है जो विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र द्वारा निर्मित कपड़े की मौजूदा गुणवत्ता और डिजाइन को उन्नत बनाने में सहायक होंगे।

सरकार ने अब विद्युत करघा क्षेत्र के लिए विद्युत करघा विकास तथा निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना करने का भी अनुमोदन कर दिया है।

## बीड़ी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए योजना

**1606. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बीड़ी श्रमिकों की बालिकाओं को प्रोत्साहन देने संबंधी एक नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना कब से शुरू की जाएगी और इस योजना पर कितना खर्च होगा;

(ग) बीड़ी निर्माण करने वाले विभिन्न राज्यों में बीड़ी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए इस समय अन्य कौन-कौन सी कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है और इन पर कितना खर्च हुआ है; और

(घ) इन योजनाओं के क्या परिणाम निकले हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) श्रम कल्याण संगठन, बीड़ी कर्मकारों की बालिकाओं के प्राथमिक स्तर से ऊपर स्कूल में प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिए 1/- रुपया देने हेतु एक योजना बना रहा है।

(ख) योजना के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किए जाने की संभावना है। यह अनुमान है कि शुरू में योजना पर लगभग 70 लाख रु॰ प्रति वर्ष लागत आएगी।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है।

### विवरण

**बीड़ी कर्मकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करने वाली योजना के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—**

(i) बीड़ी/लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खान/चूना पत्थर और डोलोमाइट खान/सिने कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना।

(क) छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष प्रति छात्र के हिसाब से निम्नलिखित दरों पर प्रदान की जाती हैं।

| | | |
|---|---|---|
| ग्रुप I | कक्षा V और VI | 250/- रु॰ प्र॰ व॰ |
| ग्रुप II | कक्षा VII, VIII, IX और X | 450/- रु॰ प्र॰ व॰ |
| ग्रुप III | कक्षा XI, XII, आई॰ ए॰, आई॰ एस॰ सी॰ (स्नातक-पूर्व के सभी पाठ्यक्रम जहां उन छात्रों के लिए प्रवेश खुले हैं जो 10वीं स्तर में अर्हता प्राप्त करते हैं) | 700/- रु॰ प्र॰ व॰ |
| ग्रुप IV | कला, विज्ञान और वाणिज्य तथा निम्न तकनीकी पाठ्यक्रम में स्नातक में और स्नातकोत्तर डिग्री, बी॰ एड॰, बी॰ टी॰ एम॰ एड॰ | 1000/- रु॰ प्र॰ व॰ |
| एल॰ टी॰, | एल॰ एल॰ एल॰ बी॰ जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम | |
| ग्रुप V | एम॰ बी॰ बी॰ एस॰, बी॰ ई॰ बी॰ एस॰ सी॰ (कृषि) और डिग्री स्तर के अन्य तकनीकी कार्यक्रम, अनुसंधान और डाक्टरेट अध्ययन | 3,000 रु॰/- प्र॰ व॰ |

(ii) पात्रता : (क) छात्र के माता-पिता में से कोई कम से कम छः माह तक एक बीड़ी कर्मकार अथवा लौह अयस्क/मैगनीज अयस्क/क्रोम अयस्क खानों, चूना पत्थर और डोलोमाइट अथवा अभ्रक खानों में कर्मकार या सिने कर्मकार रहा हो। इसमें ठेका श्रमिक भी शामिल होंगे।

(ख) छात्रों के माता-पिता दोनों की सभी स्रोतों से कुल आय सभी भत्तों सहित 3500/- रु॰ प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) आवेदनकर्ता ने कम से कम कुल 45% अंक प्राप्त करके अन्तिम अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हों। तथापि, अ॰ जा॰ या अ॰ ज॰ जा॰ से सम्बन्धित छात्रों के मामले में प्राप्त न्यूनतम निर्धारित अंक 35% होंगे।

(iii) आरक्षण :

अ॰ जा॰ और अ॰ ज॰ जा॰ से संबंधित छात्रों के लिए संबंधित जिलों में अ॰ जा॰ और अ॰ ज॰ जा॰ की जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर आरक्षण होगा शर्त यह है कि यह अ॰ जा॰ के लिए 15% और अ॰ ज॰ जा॰ के लिए 7.5% से कम नहीं होगा। छात्राओं के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए और छात्राओं के संबंध में समग्र दायरा 50% तक सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ से संबंधित उन सभी बच्चों जो अन्तिम अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

2. बीड़ी कर्मकारों चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों, लौह अयस्क/मैगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खानों और अभ्रक खानों के कर्मकारों के बच्चों के लिए वर्दी स्लेटों, पाठ्य पुस्तकों की खरीद योजना।

खान/बीड़ी कर्मकारों के कक्षा 1 से 4 तक स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चों को 125 रुपये दिए जाते हैं। सम्बद्ध जिले में अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ की प्रतिशतता के आधार पर अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ के छात्रों के लिए आरक्षण, बशर्ते कि अ॰ जा॰ के लिए यह 15% से कम और अ॰ ज॰ जा॰ के लिए 7.5% से कम नहीं होगा। छात्राओं के लिए कुल का 50% आरक्षण स्वीकार किया जाएगा।

3. बीड़ी/खान/सिने कर्मकारों के बच्चों के लिए प्रोत्साहन देने की योजना जो कक्षा 10 और उससे ऊपर के लिए बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तिम परीक्षा उत्तीण करने पर उनके द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के आधार पर होगा यह योजना 1.4.95 से लागू है।

**कक्षा 10 और उससे ऊपर के लिए स्वीकृत प्रोत्साहन दरें**

| | | प्रथम श्रेणी (60% से ऊपर) | द्वितीय श्रेणी (50% से ऊपर) | उत्तीर्ण (50% से कम) |
|---|---|---|---|---|
| (क) | हाई स्कूल | 500/- | 350/- | 280/- |
| (ख) | जमा 2/औद्योगिक व्यवसाय प्रमाणपत्र (आई॰ टी॰ आई॰) | 750/- | 500/- | 350/- |
| (ग) | स्नातक/3 वर्षीय व्यावसायिक डिप्लोमा | 1000/- | 750/- | 500/- |
| (घ) | व्याव. डिग्री (बी॰ ई॰/एम॰ बी॰ बी॰ एस॰/बी॰ आर्कि॰ आदि) | 2000/- | 1500/- | 1000/- |

शैक्षणिक योजनाओं के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान व्यय और लाभान्वित व्यक्ति (छात्रवृत्ति और पुस्तकों, स्लेटों और वर्दी के लिए वित्तीय सहायता)

| वर्ष | लाभान्वित व्यक्ति | व्यय (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1992-93 | 76580 | 179.31 |
| 1993-94 | 119904 | 389.00 |
| 1994-95 | 198468 | 663.84 |

## केरल के औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता

**1607. श्री आइल अंचलोस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय वित्तीय सहायता के अभाव में कितने औद्योगिक एकक बंद पड़े हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन एककों को पुनः चालू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता राशि स्वीकृत की गई अथवा स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और कुछ अन्य बैंकों ने भी इन एककों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) ने सूचित किया है कि मार्च, 1994 को अंत की स्थिति के अनुसार, केरल राज्य में 26 गैर-लघु उद्योग रुग्ण/कमजोर औद्योगिक एकक बन्द पड़े थे, जिन पर बैंकों द्वारा 90.12 करोड़ रुपए का ऋण बकाया था।

आर॰ बी॰ आई॰ ने संभावित रूप से अर्थक्षम पाए गए रुग्ण/कमजोर एककों को पुन: अर्थक्षम बनाने के लिए उनके संबंध में पुनर्वास पैकेज बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। पुनर्वास पैकेजों में अन्य बातों के साथ-साथ वापसी अदायगी के लिए बढ़ाई गई अवधि (7 से 10 वर्ष) में चरणबद्ध रूप से वापसी अदायगी करने, ब्याज रियायतें देने, नए आवधिक ऋण देने और साथ ही नई कार्यशील पूंजी सुविधाओं सहित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के मौजूदा देय राशियों के पुनर्वित्तपोषण का प्रावधान है। जहां तक गैर-लघु उद्योग रुग्ण औद्योगिक कंपनियों का संबंध है, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) को, रुग्ण एककों के पुनर्वास के लिए निवारक सुधारक उपचारात्मक एवं अन्य उपायों के निर्धारण तथा ऐसे उपायों को तत्काल लागू करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। जहां बाइफर द्वारा कम्पनी के पुनर्वास के लिए कोई योजना स्वीकृत की जाती है, वहां बैंक/वित्तीय संस्थाएं स्वीकृत योजना की शर्तों के अनुसार सहायता/रियायतों सहित सुविधाएं प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

## विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

**1608. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :**

**श्री फूल चन्द वर्मा :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों की सहायता से चलाई जा रही/निर्माणाधीन वर्तमान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा सहायता प्रदान करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की हाल ही में समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो निर्धारित समय पर पूरी न होने वाली परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) और अधिक विलम्ब को रोकने के लिए उन परियोजनाओं पर कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

## कालीनों का निर्यात

**1609. श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ विदेशी संगठनों की उन गतिविधियों की जानकारी है जो बाल मजदूरी प्रथा नाम पर भारतीय कालीनों के निर्यात में बाधक सिद्ध हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे संगठनों के विरुद्ध तथ्यों पर आधारित आंकलन करने हेतु गहन जांच कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी)** : (क) और (ख). विदेशों में कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भारत के कालीन उद्योग में विनियोजन की अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति पेश कर रही हैं लेकिन अभी तक इसका देश से हुए कालीनों के निर्यात के मूल्यों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## वैकल्पिक आर्थिक सर्वेक्षण

**1610. श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय अग्रणी अर्थशास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों ने मेक्सिको चीन और भारत के अपने पूर्व अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय हितों के अनुकूल सार्वभौमीकरण अपनाने के संबंध में आम सहमति तैयार करने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उनके द्वारा किए गए वैकल्पिक आर्थिक सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख). लोक हित अनुसंधान दल ने "भारत की आर्थिक व्यवस्था की स्थिति" 1994-95 शीर्षक के अन्तर्गत एक वैकल्पिक आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन किया है। रिपोर्ट के अनुसार स्थिरीकरण और समायोजन कार्यक्रम ने बेरोजगारी में वृद्धि तथा गरीबी की बदतर स्थिति और निरन्तर मुद्रास्फीति सहित आर्थिक विकास दर में गिरावट की ओर उत्प्रेरित किया है। इसमें भुगतान शेष का भ्रामक दावा किया गया है। इसमें विद्युतशक्ति, पेट्रोलियम और दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशन का ढंग, खरीद की कीमतों में वृद्धि, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव, इत्यादि की आलोचना भी की गई है।

(ग) सरकार रिपोर्ट में लेखकों द्वारा की गई टिप्पणियों से सहमत नहीं है। इसके विपरीत, पिछली सुधार अवधि में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। वास्तविक घरेलू उत्पाद के संदर्भ में समग्र आर्थिक विकास में वर्ष 1991-92 में 0.9 प्रतिशत से वर्ष 1992-93, 1993-94 के प्रत्येक वर्ष में

4.3 प्रतिशत का सुधार हुआ है और वर्ष 1994-95 में लगभग 5.5 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान लगाया गया है। औद्योगिक उत्पादन जो वास्तव में वर्ष 1991-92 में मंद पड़ गया था, इसमें वर्ष 1994-95 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन जिसमें वर्ष 1991-92 में 168 मिलियन टनों की गिरावट आ गई थी, वर्ष 1994-95 में लगभग 190 मिलियन टनों तक हो जाने का अनुमान लगाया गया है। अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन में वर्ष 1991-92 में 3 मिलियन से वर्ष 1992-93 और वर्ष 1993-94 के औसत प्रत्येक वर्ष में 6 मिलियन और वर्ष 1994-95 में 7 मिलियन से अधिक का सुधार हुआ है। विदेशी ऋण भण्डार की वार्षिक वृद्धि में वर्ष 1990-91 में 8. 1 बिलियन डॉलर से वर्ष 1993-94 में 0.7 बिलियन डालर की गिरावट आई। मुद्रास्फीति की दर में अगस्त-सितम्बर 1991 के दौरान 22 जुलाई, 1995 तक 7.7 प्रतिशत की गिरावट आई। सरकार ने आधारिक संरचनात्मक क्षेत्रों में विदेशी निवेशन सहित निजी निवेशन को आकृष्ट करने के लिए संरचनात्मक सुधारों को भी लागू किया है। फिर भी, यह स्वीकार करते हुए कि विकास के परिणामों को हमारे समाज के अत्यधिक गरीब और कमजोर वर्ग के कुछ लोगों तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा और यह सुनिश्चित करते हुए कि अल्प समयावधि में वे भी लाभांवित होंगे, सरकार ने ग्रामीण विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और अन्य मुख्य सामाजिक क्षेत्रों में संबंधित कार्यक्रमों को उच्चतम प्राथमिकता दी है।

## साधारण बीमा निगम के व्यावसायिक पाठ्यक्रम

1611. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 9 जुलाई, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार साधारण बीमा निगम ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगे चार सौ छात्रों की जीवनवृतिका सम्भावनाएं नष्ट कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है; और

(ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को वास्तव में रोजगारोन्मुख बनाने का कार्य सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख). सरकार को समाचार पत्र की रिपोर्ट में दिए गए आरोपों के बारे में जानकारी है। भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि पांचवें बैच के पात्र विद्यार्थियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच का कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है और संतोषजनक रूप से साक्षात्कार सम्पन्न होने के पश्चात्, अभ्यर्थियों को साधारण बीमा निगम में "प्रशिक्षु सहायकों" के रूप में रखा जाएगा।

(ग) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षार्थियों को निरन्तरता के आधार पर अनिश्चित काल के लिए समाहित करना उनके लिए कठिन है। अतः शैक्षिक वर्ष 1993-94 से रोजगार गारंटी को समाप्त कर दिया गया है। अब के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षार्थी साधारण बीमा निगम में सहायक पद के लिए साधारण बीमा निगम द्वारा भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्य पात्र अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

[हिन्दी]

## कृषि उत्पादों का निर्यात

1612. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता कितनी है;

(ख) उक्त निर्यात क्षमता के दोहन में कौन-कौन-सी कठिनाइयां आड़े आ रही हैं; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** (क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1992-97) की शेष अवधि के दौरान काफी, चाय, कपास और समुद्री उत्पादों सहित कृषिजन्य वस्तुओं के निर्यात के अनुमान, वर्ष 1991-92 की कीमतों के अनुसार, निम्नानुसार हैं :-

| वर्ष | निर्यात अनुमान (करोड़ रु.) |
|---|---|
| 1995-96 | 11030 |
| 1996-97 | 12064 |

(ख) मूल कृषिजन्य खाद्यान्नों अर्थात् अनाजों, दुग्ध उत्पादों, मांस और चीनी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार न केवल टैरिफ एवं गैर-टैरिफ अवरोधों के कारण बल्कि सं. रा. अमरीका, ई. ई. सी. आदि द्वारा दी गई अत्यधिक निर्यात इमदादों की वजह से अवरुद्ध होता है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव (जैसे हवाई कार्गो सुविधाओं का गतिशील नहीं रहना, अपर्याप्त नौवहन/कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं), अधिक हवाई भाड़ा दरें और वाष्प शोधन सुविधाओं के अभाव की प्रमुख बाधाओं की वजह से कृषिजन्य वस्तुओं के निर्यात में बाधा आ रही है।

(ग) उरुग्वे दौर के अन्तिम अधिनियम के तहत उल्लिखित गैर-टैरिफ अवरोध समाप्त करने और उद्योगीकृत देशों में इमदादों में कमी कर देने से भारत जैसे देशों के लिए नए बाजार अवसर बनने की आशा है।

सरकार अवस्थापना विकास योजना के अंतर्गत इन कार्यों के लिए पात्र निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है:- (1) विशेषीकृत परिवहन एककों की खरीद, (2) प्रि-कूलिंग सुविधाओं की स्थापना, (3) मशीनरीकृत फसल-पश्चात हैण्डलिंग सुविधाओं और ग्रेडिंग, छंटनी, क्वालिटी नियंत्रण तथा पैकेजिंग के लिए शेडों की स्थापना (4) निर्यात के लिए वाष्प ऊष्मा शोधन/धुआं/स्क्रीनिंग

मशीनों की स्थपना; और (5) निर्यात प्रयोजनों के लिए विमान पत्तनों/बन्दरगाहों पर कोल्ड स्टोरों की स्थापना।

निर्यात संवर्धन के लिए किए गए अन्य उपायों में विदेशों में बाजार विकास अभियान और देश में उत्पाद विकास प्रयासों को गहन बनाना शामिल है।

[अनुवाद]

## मानव संसाधन विकास में निवेश

**1613. श्री अमर पाल सिंह :**

**श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार मानव संसाधन विकास में निवेश स्थाई आर्थिक विकास एवं स्थाई विकास के साथ-साथ संतुलित एवं स्थिर जनसंख्या वृद्धि की कुंजी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

## सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा बैंक धोखाधड़ी का पता लगाना

**1614. डा॰ आर॰ मल्लू :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च, 1995 के पायनियर में "सी॰ बी॰ आई॰ अनअर्थ्स रूपीज 90 लाख बैंक फ्राड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा कराई गई जांच से यह पता चला था कि मैसर्स छाबड़ा टेक्सटाइल मिल्स और मैसर्स अंचल सिल्क एण्ड साड़ीज के उधार खातों की मंजूरी और संचालन में तत्कालीन शाखा प्रबंधक, निजामुद्दीन शाखा, नई दिल्ली और क्षेत्रीय प्रबंधक, नई दिल्ली क्षेत्र द्वारा कुल गल्तियां/अनियमितताएं की गई थीं। बताया जाता है कि इन खातों के संचालन में पाई गई विभिन्न प्रतिकूल लक्षणों के बावजूद तदर्थ/उच्चतर सीमाओं की सिफारिश करके और कुछ अन्य सुविधाओं की अनुमति देकर इन अधिकारियों ने इन फर्मों का अनुचित पक्ष लिया। बैंक ने अपनी देय राशियों की वसूली के लिए पहले ही मुकदमा दायर कर दिया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में बैंक के 5 अधिकारियों और कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों के विरूद्ध दो मामले दर्ज किए हैं।

## कॉफी उत्पादकों को रियायतें

**1615. श्री गुरूदास कामत :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी उत्पादकों को दी गई रियायतें वापस ले ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कॉफी उत्पादकों की ओर से इन रियायतों को वापस लिए जाने के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्):** (क) जी, नहीं। हाल ही में कोई रियायत वापस नहीं ली गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को अर्थक्षम बनाना

**1616. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :**

**श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने रूग्ण कम्पनी इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने हेतु 1100 करोड़ रुपए की बजट सहायता प्रदान करने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अर्थक्षम बनाने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड को दिनांक 30.6.1994 को उसके पास पंजीकृत किया गया था और इसे रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 3 (1) (ग) के तहत रुग्ण घोषित किया गया है। बाइफर ने इस कम्पनी के संबंध में पुनर्वास का कोई प्रस्ताव अभी तक अनुमोदित नहीं किया है।

[हिन्दी]

## राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

**1617. डा॰ मुमताज अंसारी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए उपरोक्त बैंक द्वारा प्रत्येक राज्य को मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या हे ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख). वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा योजनाबद्ध ऋणों के अंतर्गत प्रदान किए गए कुल पुनर्वित्त की राशि 3010.77 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1995-96 के लिए 3050 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

नाबार्ड ने वर्ष 1994-95 (जुलाई-जून) में राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधिक मौसमी कृषि परिचालनों के अंतर्गत 4627 करोड़ रुपए की सीमाएं भी प्रदान कीं।

राज्य-वार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और यथा उपलब्ध ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

## मेहता समिति की रिपोर्ट

**1618. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेहता समिति द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) समिति की प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

## मध्यस्थता बोर्ड

**1619. श्री बलराज पासी :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यस्थता बोर्ड के पास अधिनिर्णय हेतु अनेक मामले लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं जो अधिनिर्णय के लिए तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं;

(ग) क्या उक्त बोर्ड के पास भेजे गए मामलों के निपटान हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) और (ख). 1.8.1995 की स्थिति के अनुसार विवाचन बोर्ड के समक्ष लंबित कुल 32 संदर्भित मामलों में से 10 तीन वर्षों से अधिक अवधि से लंबित हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). विवाचन बोर्ड द्वारा मामलों के निपटान के लिए संयुक्त परामर्श तंत्र स्कीम में कोई समय सीमा नहीं की गई है।

[अनुवाद]

## भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा शुरू किया गया निरीक्षण तथा कार्यवाही

**1620. श्री गिरिजा देवी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने निवेशकों की हितरक्षा हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा अन्य म्यूचल फंडों का निरीक्षण करना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मार्च, 1995 में मुम्बई स्टाक एक्सचेंज में एम॰ एस॰ शूज के रिबेटेड डिफाल्ट के कारणों की जांच करने वाले लिमये पैनल की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भारतीय स्टेट बैंक के पूंजी बाजार के विरुद्ध इस संबंध में उसकी कथित भूमिका के कारण क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख). सेबी ने 28 जून, 1995 से भारतीय यूनिट ट्रस्ट और 5 म्युचुअल फंडों नामतः एस॰ बी॰ आई॰ म्युचुअल, फंड जी॰ आई॰ सी॰ म्युचुअल फंड, बी॰ ओ॰ आई म्युचुअल फंड, जे॰ एम॰ म्युचुअल फंड और एल॰ आई॰ सी॰ म्युचुअल फंड का निरीक्षण करना शुरू किया है। ये निरीक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से चुनी गई लेखापरीक्षा-फर्मों द्वारा किए जा रहे हैं।

(ग) एम॰ एस॰ शूज ईस्ट लि॰ के मामले के संबंध में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के एक दलाल की चूक की जांच करने वाली जन-प्रतिनिधियों की समिति (लिमये समिति) ने यह निर्णय दिया है कि स्टाक-एक्सचेंज का कार्यकारी निदेशक चूक के लिए

पर्याप्त रूप से जिम्मेदार था। परिणामतः कार्यकारी-निदेशक ने त्यागपत्र दे दिया और उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है।

(घ) एम० एस० शूज के संयुक्त इश्यू के संचालन में भारतीय स्टेट बैंक पूंजी-बाजारों द्वारा बरती गई कथित लापरवाही के लिए सेबी द्वारा जांच शुरू की गई है।

## निर्यात क्षमता

**1621. श्री एस० एस० आर० राजेन्द्र कुमार :**

**श्री रामपाल सिंह :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषरूप से श्रम प्रधान उत्पादों का दक्षिण अफ्रीका को निर्यात करने की क्षमता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्):** (क) और (ख). यह मूलतः भारत और दक्षिण अफ्रीका के व्यापार एवं व्यवसाय संघों का काम है कि वे अपनी आवश्यकताओं तथा वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर एक दूसरे से निर्यात और आयात की मदों की पहचान करें। तथापि, ऐसी आशा है कि भारत से दक्षिण अफ्रीका के निर्यात की जाने वाली संभावित मदों में श्रम प्रधान उत्पादों सहित निम्नांकित मदें शामिल हैं :-

सूती धागे, फैब्रिक मेड-अप्स, चमड़ा, सहायक सामग्री सहित सिले-सिलाए सूती वस्त्र, मानव-निर्मित धागे, फैब्रिक, मेड-अप्स, मशीनरी एवं औजार, धातु के उत्पाद, दवाईयां, भेषज तथा सूक्ष्म रसायन, हस्तशिल्प (हाथ से बुनी कालीनों को छोड़कर) मानवनिर्मित रेशों के सिले-सिलाए वस्त्र, अकार्बनिक, कार्बनिक कृषि रसायन तथा उनके सिले-सिलाए वस्त्र।

## बिहार में भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय

**1622. श्री सूरज मंडल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के झारखंड क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यालय के कब से कार्य करना प्रारम्भ कर दिए जाने की सम्भावना है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख). भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि रांची में उसका पूर्ण आंचलिक कार्यालय पहले से ही कार्यरत है, जो झारखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पांच क्षेत्रों का नियंत्रण करता है।

[हिन्दी]

## बिहार में नए हवाई अड्डे

**1623. श्री सूर्यनारायण यादव :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में कम हवाई अड्डों को देखते हुए यहां नए हवाई अड्डों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये नए हवाई अड्डे उत्तरी बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी स्थापित कि जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

## भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में हत्याएं

**1624. श्री जनार्दन मिश्र :**

**श्री फूलचन्द वर्मा :**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तथा विशेष रूप से दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे होटलों में हत्या की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार का विचार होटलों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई विशेष कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** (क) और (ख). जी, नहीं। गत तीन कैलेंडर वर्षों (1992, 1993 और 1994) के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में एक हत्या हुई थी जबकि दिनांक 13.7.92 को लोदी होटल, नई दिल्ली में एक अतिथि की हत्या कर दी गई थी।

(ग) से (ङ). अपराधों/सामान्य रूप से आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने होटलों में सुरक्षा उपायों को मजबूत कर दिया गया है।

[अनुवाद]

## संयुक्त सचिव और इससे उच्च पदों को कम करना

**1625. श्री एस० एम० लालजान बाशा :**

**प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार में संयुक्त सचिव और

इनसे उच्च पदों की संख्या में कमी करने हेतु पूर्व में कोई सर्वेक्षण कराया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख). प्रधानमंत्री द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत पदों में से कमी करने के संबंध में की गई घोषणा के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि संयुक्त सचिव स्तर के 246 पद, अपर सचिव स्तर के 9 पद और सचिव स्तर के 11 पद अभ्यर्पित किए जाने चाहिए। जब और जैसे ही ये पद रिक्त होते जा रहे हैं इन्हें समाप्त किया जा रहा है अथवा इन्हें अबेअन्स में रखा जा रहा है।

## भारतीय पटसन निगम

**1626. श्री बीरसिंह महतो :**

**श्री रवि राय :**

**श्री चित्त बसु :**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने जून, 1996 तक अपने 25 प्रतिशत श्रमिकों को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी)** : (क) से (ग) जूट कारपोरेशन आफ इंडिया ने अपने कार्यचालन में सुधार लाने तथा अपने संस्थान को कारगर बनाने के उद्देश्य से जून, 1996 तक सेवा निवृत्ति/सामान्य प्रक्रिया में सनिघर्पण, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना आदि के माध्यम से अपने कार्यकाल में 25% तक सुव्यवस्थीकरण करने का निर्णय लिया है।

## पांचवां वेतन आयोग

**1627. श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवें वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करने में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वेतन आदि के निर्धारण हेतु कभी मंत्रालयों की किसी समिति का गठन किया गया है तथा क्या आयोग को इस समिति से सुझाव मिल रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो आयोग द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत विभिन्न वेतनमानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन नए वेतनमानों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ङ) सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अन्य भत्तों के संबंध में लिए गए निर्णय क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) पाँचवें वेतन आयोग ने अलग-अलग व्यक्तियों, यूनियनों और एसोसिएशनों से प्राप्त 17930 ज्ञापनों में से 16932 ज्ञापनों पर पहले से ही कार्रवाई कर ली है। शेष ज्ञापनों और 5500 से अधिक व्यक्तियों को भेजी गई सामान्य प्रश्नावली के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। आयोग ने विभिन्न स्टाफ यूनियनों और एसोसिएशनों का मौखिक साक्ष्य लेना भी शुरू कर दिया है।

(ख) 18 परामर्शी एजेन्सियों को विशेष अध्ययन कार्य सौंपने के अलावा, वेतन और भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तों की जांच करने के लिए आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए 20 कार्यकारी समूहों का गठन किया है।

(ग) आयोग ने वेतन-मानों और भत्तों पर अभी तक कोई अंतिम सिफारिश तैयार नहीं की है।

(घ) और (ङ) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

## मजदूरी नियमित करने में आचार संहिता का उल्लंघन

**1628. श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक संबंध और श्रमिक शोषण के अंतर्गत मजदूरी नियमित करने हेतु निर्धारित आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मजदूरी नियमित करने के मामले में आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी कुल कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) श्रमिकों के विरूद्ध कार्य करने वाले ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा)** : (क) से (ग). संगठित क्षेत्र में मजदूरी द्विपक्षीय मजदूरी वार्ताओं और मजदूरी समझौतों के माध्यम से निर्धारित की जाती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत निर्धारित/संशोधित की जाती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन के लिए समुचित सरकारें हैं। अधिनियम में अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करवाने के लिए प्रवर्तन तंत्र के गठन का भी प्रावधान है। प्रवर्तन तंत्र नियमित निरीक्षण आयोजित करता है और जब कभी भी अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन की बात उनकी जानकारी में आती है, आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अंतर्गत, मजदूरी आदि से संबंधित औद्योगिक विवादों को औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा संराधन के लिए उठाया जाता है और, यदि आवश्यक हो, न्याय-निर्णयन के लिए समुचित औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के लिए संदर्भित कर दिया जाता है।

## बौद्ध तीर्थस्थलों को विमान सेवा से जोड़ना

**1629. श्री रामपाल सिंह :**

**श्री विजय कुमार यादव :**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बौद्ध तीर्थस्थलों को विमान सेवा से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जाएगी ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** (क) और (ख). पटना, वाराणसी, लखनऊ जैसे स्टेशन जो बौद्ध तीर्थस्थलों के निकट हैं, पहले से ही इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमान मार्ग से जुड़े हुए हैं। निजी विमान कम्पनियों को भी किसी भी अधिसूचित विमानपत्तन से प्रचलित करने की अनुमति दी गई है। जिसमें मुख्य बौद्ध केन्द्र, गया शामिल है।

**[अनुवाद]**

## • राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग

**1630. श्री प्रकाश वी॰ पाटील :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशों और टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न प्रमुख सिफारिशों के संबंध में जिन पर केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाएगी, सिफारिश-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान असंगठित श्रमिकों की हालात में सुधार करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में मुख्य विवक्षाओं और दूर-गामी प्रभाव वाली अनेक सिफारिशें समाहित थीं जिनके लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा गहन परीक्षण और व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता थी। अतैव यह कहना उचित न होगा कि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है।

(ङ) असंगठित श्रम की रहन-सहन और कामकाजी दशाओं में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार, तीव्रगामी विकास कार्यक्रम, आठवीं योजना के दौरान ग्राम विकास हेतु परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि और श्रम विधानों का कड़ाई से प्रवर्तन, शामिल हैं।

## विवरण

(ख) और (ग).

| | रा॰ ग्रा॰ श्र॰ आ॰ की सिफारिशें | की गई कारवाई |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| (i) | 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। | प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने हेतु अब तक 14 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों ने कानून अधिनियमित किए हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, वर्दी और दोपहर के भोजन का प्रावधान करने के लिए अनेक राज्य सरकारों ने प्रोत्साहन योजनाएं भी कार्यान्वित की हैं। |
| (ii) | सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम पर प्रतिबंध | सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में अंततः बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन के लिए सरकार वचनबद्ध है। प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त, 1994 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में किए गए आह्वान कि बड़ी संख्या में जोखिमकारी नियोजनों में कार्यरत बालकों को अगले 4-5 वर्षों में रोजगार से हटाया जाना चाहिए के अनुसरण में 2000 ई॰ तक सभी जोखिमकारी नियोजनों से बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन हेतु 850 करोड़ रुपये का परिव्यय वाला एक मुख्य कार्यक्रम तैयार किया गया है। |
| (iii) | एक निर्दिष्ट वित्तीय सीमा तक बिना किसी समतुल्य प्रतिभूति के निर्धन महिलाओं को ऋण प्रदान करने हेतु एक "राष्ट्रीय महिला ऋण निधि"। | असंगठित क्षेत्र में निर्धन महिलाओं की ऋण आवश्यकताओं हेतु गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अल्प और मध्यम अवधि ऋण प्रदान करने के लिए 31 करोड़ रुपए की राशि से एक "राष्ट्रीय महिला कोष" मार्च, 1993 में गठित किया गया है। |

| | 1 | 2 |
|---|---|---|
| (iv) | दिसम्बर, 1990 की कीमतों पर 20 रुपये प्रति दिन की एक मूल राष्ट्रीय न्यूनतन मजदूरी नियत करना और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर प्रत्येक छः माह में मजदूरी में स्वतः वृद्धि का प्रावधान। | 1992 में श्रम मंत्री सम्मेलन में इस सिफारिश पर विचार-विमर्श किया गया था। तब से अधिकांश राज्य सरकारों ने यह सिफारिश कार्यान्वित कर दी है। |
| (v) | विकेन्द्रीकरण की योजना के भीतर चयनित संस्थानों द्वारा तैयार क्षेत्रीय विकास योजनाओं को आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ जैसे स्व-रोजगार कार्यक्रमों के साथ जोड़ना। | क्षेत्र विकास पद्धति अपनाई जारही है। |
| (vi) | कृषि में, संयुक्त हार्वेस्टरों के प्रयोग जैसी श्रम-विरोधी मशीनों के प्रयोग पर रोक। | यह विचार व्यक्त किया गया है कि मशीनीकरण, भूमि और श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करता है, अवयवयों का संरक्षण, कर्मकारों के परिश्रम को कम करता है और अधिक रोजगार अवसर उत्पन्न करता है। अतः ऐसी मशीनों पर प्रतिबंध वांछनीय नहीं समझा गया है। |
| (vii) | प्रवासी श्रमिकों को सहायता प्रदान करने और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए एक और अधिक समेकित नीति | कानून को और अधिक प्रभावी तथा श्रमिकों के लिए मैत्रीपूर्ण बनाने और साथ ही साथ राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों को समाविष्ट करने के लिए अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श अग्रिम अवस्था में है। संबंधित विभागों को पहले ही सलाह दी जा चुकी है कि वे प्रवासी श्रमिकों को कल्याण संबंधी सुख-सुविधाएं प्रदान करें। |
| (viii) | उपभोग के लिए ग्रामीण श्रम परिवारों को कम ब्याज पर उधार देना। | आर॰ बी॰ आई॰ के दिशा निर्देशों के अंतर्गत बैंक, चिकित्सा उपचार, शिक्षा, दाह संस्कार, जन्म और विवाह के लिए उपभोग ऋण दे रहे हैं। डी॰ आर॰ आई॰ योजना के अंतर्गत, आर्थिक रूप से निर्धन वर्गों और अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ के उधार लेने वालों को ब्याज के रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराया जाता है। |
| (ix) | सहकारी बैंकों के माध्यम से ग्रामीण श्रम परिवारों को सांस्थानिक ऋण प्राप्ति को और सरल करना। | आर॰ बी॰ आई॰ दिशा निर्देशों में प्राथमिकता क्षेत्र लैंडिंग (कृषिय क्षेत्र में ग्रामीण दस्तकारों, आई॰ आर॰ डी॰ पी॰, डी॰ आर॰ आई॰ लाभानुभोगियों और अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ के व्यक्तियों के लिए) के लिए काफी गुंजाइश और प्रतिभूति मानदण्ड रखे गए हैं। जिसमें से पार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाता है। कुल उधार राशि का 40% प्राथमिक क्षेत्र को दिया जाना अपेक्षित किया गया है जिसमें से कम से कम 18% कृषीय क्षेत्र को प्रत्यक्ष वित्त पोषण के लिए नियत है। |
| (x) | कुछ योग्यताओं के साथ कार्य करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बनाया जाना और इसे कार्यान्वित करने के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया जाना। | आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए कार्य के अधिकार को "मौलिक अधिकार" का रूप देना संभव नहीं समझा गया है। 2 अक्तूबर, 1993 से 100 दिन के शारीरिक श्रम की व्यवस्था करने के लिए एक रोजगार आश्वासन योजना चलाई गई है। महाराष्ट्र जैसी कुछ राज्य सरकारें रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन कर रही हैं। |
| (xi) | कृषीय श्रमिकों को सुरक्षा/कल्याण प्रदान करने के लिए एक विस्तृत केन्द्रीय विधान बनाया जाना। | 17 और 18 मई, 1995 को केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में राज्य के श्रम मंत्रियों और सचिवों की बैठक में कृषीय कर्मकारों के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाए जाने की सर्व सम्मत राय दी गई थी कि प्रचलित स्थानीय स्थितियों के अनुसार विधान को कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया जाए। इस मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| (xii) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के क्रियान्वयन की निगरानी रखने और प्रबोधन करने के लिए राष्ट्रीय बंधित श्रम आयोग एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। | केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 17 और 18 मई, 1995 को आयोजित राज्य श्रम मंत्रियों और सचिवों की बैठक में, यह महसूस किया गया कि बंधित श्रम के संबंध में विद्यमान प्रणाली को देखते हुए, विशेषकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना के सन्दर्भ में, बंधिक श्रम के बारे में अलग से आयोग की आवश्यकता नहीं है। |
| (xiii) भूमि सुधार मामलों को तेजी से निपटाने के लिए स्थानीय स्तर पर भूमि सुधार न्यायालय | हालांकि सिफारिश का आमतौर पर समर्थन किया गया, फिर भी यह महसूस किया गया है कि चूंकि भूमि राज्य का विषय है इसलिए इस क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त विधायी उपाय करके परिवर्तन किया जाना है। |
| *(xiv) एन. सी. आर. एल. की विभिन्न सिफारिशों को क्रियान्वित करने में पंचायती राज संस्थानों की सक्रिय भागीदारी* | *सिफारिश संबंधित मंत्रालय/विभागों और राज्य सरकारों के ध्यान में ला दी गई है।* |
| (xv) ग्रामीण श्रमिकों की सभी समस्याओं को हल करने के लिए केन्द्र में अलग से एक ग्रामीण श्रम विभाग और राज्यों में एक स्वतन्त्र ग्रामीण श्रम निदेशालय। | केन्द्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय को व्यापक कार्य क्षेत्र प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्र और नियोजन मंत्रालय के नाम से पुनर्निमित किया गया है। सिफारिश राज्य सरकारों के ध्यान में ला दी गई है। गुजरात जैसे कुछ राज्यों में पहले ही अलग से ग्रामीण श्रम विभाग हैं। |

[हिन्दी]

## विदेशी व्यापार मेले में भाग लेना

**1631. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी व्यापार मेले में भाग लेने वाले भारतीय उद्यमियों की संख्या में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्):** (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन भारतीय उद्यमियों ने व्यापार मेलों में भाग लिया था, उनके ब्यौरे विदेश में मेलों के आयोजन से संबंधित सरकारी क्षेत्र के शीर्ष निकाय इंडिया ट्रेड प्रोमेशन आर्गनाइजेशन (इटपो) द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित हैं:–

| वर्ष | विदेशी मेलों की कुल सं. | सहभागियों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1992-93 | 43 | 1304 |
| 1993-94 | 42 | 975 |
| 1994-95 | 34 | 1162 |

जैसा कि उपर्युक्त आंकड़ों से देखा जा सकता है, वर्ष 1992-93 की तुलना में 1993-94 के दौरान विदेश में मेलों में भाग लेने वालों की संख्या में कमी आई है। तथापि 1994-95 के दौरान इटपो द्वारा आयोजित मेलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 वर्षों की तुलना में इस वर्ष भाग लेने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। मेलों में सहभागियों की संख्या में वृद्धि या कमी भौगोलिक विस्तार (कवरेज), उत्पाद, सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र आदि के रूप में मेलों/प्रदर्शनियों के कार्यक्षेत्र पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

## बीड़ी श्रमिकों में क्षय रोग एवं कैंसर

**1632. श्री हरिलाल नानजी पटेल :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में बीड़ी श्रमिकों में कितने प्रतिशत क्षयरोग एवं कैंसर से ग्रस्त हैं तथा ऐसे रोगों के अखिल भारतीय औसत की तुलना में इन रोगियों का प्रतिशत कितना है; और

(ख) राज्य में बीड़ी श्रमिकों के लिए कितने अस्पताल खोले गए हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं और उनकी क्षमता कितनी है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :** (क) गुजरात में बीड़ी कर्मकारों के बीच क्षय रोग और कैंसर की घटना के बारे में उपलब्ध किसी विशिष्ट सूचना की जानकारी नहीं है।

(ख) गुजरात में बीड़ी कर्मकारों के लिए अभी तक किसी अस्पताल की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, गुजरात में बीड़ी कर्मकारों के लिए 6 औषधालय हैं। गुजरात में जिन स्थानों पर बीड़ी कर्मकार औषालय स्थापित किए गए हैं, उन्हें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

## विवरण

**भीलवाड़ा क्षेत्र**

**राज्य-गुजरात**

1. स्थिर-सह चल औषधालय, पाटन जिला पाटन
2. स्थिर-सह-चल औषधालय, वाडनगर जिला मेहसाना
3. स्थिर-सह-चल औषधालय, सरसा जिला खेड़ा
4. स्थिर औषधालय, अहमदाबाद जिला अहमदाबाद
5. स्थिर औषधालय, बोरसाड जिला कैरा
6. आयुर्वेदिक औषधालय, पालनपुर जिला मेहसाना

## स्टांप पेपर

**1633. श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :**

**श्री तारा सिंह :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्टांप पेपरों का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या देश में स्टांप पेपरों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार स्टांप पेपरों की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय करने का है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (ग). भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक और सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद, दोनों को मिलाकर, स्टांप पेपरों की वर्तमान उत्पादन क्षमता, प्रतिवर्ष 28.5 करोड़ की मांग की तुलना में केवल 10.6 करोड़ है।

(घ) उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय शुरू कर दिए गए हैं।

## राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में बेकार श्रमिक

**1634. श्री बी. एल. शर्मा प्रेम** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित मिलों में राज्यवार कुल कितने श्रमिक बेकार हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन पर कितना खर्च किया जाता है; और

(घ) बेकार श्रमिकों की संख्या को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी)** : (क) से (घ). कुछ मिलों में अप्रचलित मशीनों, अतिरिक्त जन शक्ति, कच्चे माल की उच्च लागत तथा कार्यशील पूंजी की जटिल कमी के कारण कार्यकलाप समग्र/आंशिक रूप से बंद हो गए हैं जिसके फलस्वरूप बिना काम के वेतन का भुगतान करना पड़ रहा है। जून, 1995 में निष्क्रिय कामगारों की संख्या तथा उनको अदा किए गए बिना काम के वेतन की राशि के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

सरकार ने एन. टी. सी. मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है जिसमें 2005.72 करोड़ रु. की लागत से 79 मिलों का आधुनिकीकरण, 36 गैर-अर्थक्षम मिलों को 18 अर्थक्षम मिलों में मिलाकर उनका पुनर्निर्माण, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से वेशी कार्यबल का सुव्यवस्थीकरण करना शामिल है। चूंकि एन. टी. सी. के 9 सहायक निगमों में से 8 निगमों के मामले बी. आई. एफ आर. को भेजे गए हैं तथा उसने उन्हें रुग्ण घोषित कर दिया है इसलिए संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति बी. आई. एफ. आर. के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है। सर्वांगीण सुधार योजना के क्रियान्वयन से कामगारों को लाभप्रद तरीके से नियोजित करके मिलों को अर्थक्षम बनाया जाएगा।

## विवरण

**जून, 1995 के दौरान निष्क्रिय कामगारों तथा उनको दिए गए बिना काम के वेतन के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र**

| क्रम सं. | राज्य का नाम | निष्क्रिय कामगारों की संख्या | बिना काम के अदा किया गया वेतन (लाख रु. में) |
|---|---|---|---|
| 1. | दिल्ली | 805 | 26.50 |
| 2. | पंजाब | 2214 | 64.00 |
| 3. | राजस्थान | 1575 | 42.15 |
| 4. | उ. प्र. | 9394 | 275.47 |
| 5. | महाराष्ट्र | 16728 | 646.75 |
| 6. | म. प्र. | 7435 | 240.57 |
| 7. | आ. प्र. | 439 | 12.59 |
| 8. | कर्नाटक | 1463 | 45.63 |
| 9. | प. बंगाल | 4300 | 91.50 |
| 10. | असम | 350 | 12.50 |
| 11. | बिहार | 750 | 21.00 |
| 12. | उड़ीसा | 490 | 10.00 |
| 13. | गुजरात | 8271 | 245.00 |

## सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

**1635. श्री एन. डेनिस** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई उदारीकरण नीति के परिणामस्वरूप अमरीका

को सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उदारीकरण की नीतियों के अंतर्गत किन-किन देशों को सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात किया जा रहा है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी)** : (क) और (ख). वर्ष 1991 से अमरीका को परिधानों के निर्यात में निम्नोक्त ब्यौरों के अनुसार वृद्धि हुई है :–

| | मूल्य (मिलियन अमरीका डालर) |
|---|---|
| 1991-92 | 657.50 |
| 1992-93 | 846.00 |
| 1993-94 | 930.20 |
| 1994-95 | 1257.90 |

(ग) इस समय भारतीय परिधानों का लगभग 175 देशों को निर्यात किया जा रहा है।

## सिल्क के सिले-सिलाए वस्त्रों पर उपकर

**1636. श्री के. प्रधानी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिल्क के रेडीमेड वस्त्रों के निर्यात पर उपकर लगाती है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष उपकर के माध्यम से कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ग) इस धन राशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी)** : (क) वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 5 क में रेशम वस्त्र सहित सभी वस्त्रों पर शुल्क लगाने तथा उपकर वसूल करने का प्रावधान है लेकिन इनमें हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग द्वारा निर्मित वस्त्र शामिल नहीं हैं।

(ख) वस्त्र समिति ने सूचित किया है कि वर्ष 1994-95 के दौरान सिले-सिलाए रेशम परिधानों से उपकर के रूप में 15.82 लाख रु. की राशि वसूल की गई।

(ग) वस्त्र समिति के उपबंधों के अनुसार उपकर से प्राप्त होने वाली आय में से केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार वसूली की लागत को घटाकर बाकी राशि को पहले भारतीय समेकित निधि में जमा किया जाता है। ऐसी आय में से संसद द्वारा कानून विनियोजन करने के बाद केन्द्रीय सरकार वस्त्र समिति के कार्यों का निष्पादन करने के लिए निधियां रिलीज करती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र एककों में गुणवत्ता प्रणालियों के क्रियान्वयन, वस्त्र व्यापार और उद्योग के लिए लाभप्रद अनुसंधान, उसकी प्रयोगशालाओं में वस्त्र परीक्षण तथा निर्यात संवर्धन उपाय शुरू करने से संबंधित कार्य भी शामिल हैं।

## फटे-पुराने नोटों का प्रचलन

**1637. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्नाटक में दो रुपए के फटे-पुराने करैंसी नोट बड़ी मात्रा में प्रचलन में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंक लोगों से इन नोटों को नहीं ले रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों को इन नोटों को स्वीकार करने संबंधी निर्देश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (घ). एक रुपए के नोट की औसत प्रचलन अवधि छह महीने होती है जबकि दो और पांच रुपए के नोट की प्रचलन-अवधि लगभग एक वर्ष होती है। इसकी तुलना में, सिक्कों की प्रचलन अवधि लगभग 15-20 वर्ष होती है। उक्त मूल्यवर्गों के सिक्कों की ढलाई की गई है और अब तक निमुक्त क्षमता को उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई की ओर अपवर्तित किया गया है। इस स्थिति को देखते हुए, पहले से परिचालन में लगे नोटों की गुणवत्ता खराब हो सकती है। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट वापसी नियम, 1975 के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं को आम जनता से फटी-पुरानी और कटी-फटी मुद्रा और बैंक नोटों के आदान-प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। उक्त नियमों के अनुसार यह काम करने में बैंकों के विफल रहने से संबंधित सभी शिकायतें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, संबंधित बैंकों से उपचारात्मक कार्यवाही के लिए तुरन्त स्वीकृत की जाएंगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश दोहराए जाते हैं ताकि ऐसे अधिकारों को उनके द्वारा पूरे अक्षरशः और आशय के साथ प्रयोग किया जा सके।

## सीरियस फ्राड आफिस, इंग्लैंड के लिए अध्ययन दल

**1638. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** :

**श्री गोविन्दराव निकम** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और उनके मंत्रालय के अधिकारियों के एक अध्ययन दल ने सीरियस फ्राड आफिस के कार्यकरण, इसकी सांविधिक शक्तियों और संचालनात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों के एक अध्ययन दल ने सीरियस फ्राड आफिस और अन्य नियंत्रक निकायों की कार्यपद्धति का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन का दौरा किया था। अध्ययन दल द्वारा दी गई रिपोर्ट में भारत में एक ऐसा विशिष्ट संगठन स्थापित करने का सुझाव दिया गया है, जो वित्तीय धोखाधड़ी के बड़े और जटिल मामलों को निपटा सकें। स्पेशल ब्यूरो आफ फ्राड्स स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

## भारत और कतार के बीच समझौता

**1639. श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कतार का दोहरे कराधान से बचने हेतु कोई समझौता करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (ग). दोहरे कराधान से बचने के संबंध में एक करार करने हेतु कतार के साथ प्रारंभिक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। आवश्यक आधारभूत कार्य पूरा होने पर कतार की सरकार के साथ समझौता वार्ता शुरू की जाएगी।

अत: इस संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

## बिहार में नई हवाई पट्टियां

**1640. श्री प्रेम चन्द राम** :

**श्री छेदी पासवान** :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में बिहार में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने हेतु नई हवाई पट्टियों का निर्माण करने तथा वर्तमान विमानपत्तनों पर अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बिहार में किसी नए हवाई अड्डा के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

हवाई अड्डों और अन्य आधारभूति सुविधाओं का स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और उसे प्रक्षेपित आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध रूप से हाथ में लिया जाता है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पटना हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के विस्तार और आशोधन, धावनपथ पर पुन: परत बिछाने और डाप्लर अति उच्च आवृत्ति परास/दूरी मापक उपकरण स्थापित करने के कार्य तथा रांची हवाई अड्डे पर पैवमेन्ट तथा अन्य निर्माण कार्य शुरू किए हैं।

[अनुवाद]

## गुजरात में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय

**1641. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार देश के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और औद्योगिक केन्द्रों और विशेषरूप से गुजरात में बैंक के नए कार्यालय/शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने कुछ विभाग अन्तरित करने के लिए गांधीनगर में तीन भूखंड खरीदे थे। तथापि, इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

## निर्यात घरानों को सुविधाएं

**1642. श्री काशीराम राणा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा श्रेणीवार कितने निर्यात घरानों को लाइसेंस प्रदान किए गए;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राज्यवार कितने निर्यात घरानों को मान्यता प्रदान की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन निर्यात घरानों द्वारा प्रति वर्ष कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(घ) क्या सरकार को निर्यात घरानों को दी गई सुविधाओं के दुरुपयोग के संबंध मे शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सबंध मे क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप राज्यवार कितने निर्यात घरानों की प्रदत्त मान्यताएं रद्द की गईं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्):** (क) और (ख). सरकार निर्यात घरानों के संवर्गवार जारी किए गए लाइसेंसों के ब्यौरों के आंकड़े नहीं रखती है। निर्यात निष्पादन पर आधारित निर्यात एवं आयात नीति के अनुच्छेद 137 के अन्तर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार, निर्यातकों को स्थिति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं जिसमें उन्हें निर्यात घराना, व्यापार घराना, स्टार व्यापार घराना तथा सुपर स्टार व्यापार घराना के रूप में नामजद किया जाता है। 31.7.1995 की स्थिति के अनुसार विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत निर्यात घराना (राज्यवार) की कुल संख्या संलग्न विवरण मे दी गई है।

(ग) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निर्यात घरानों/व्यापार घरानों/स्टार व्यापार घरानों तथा सुपर व्यापार घरानों में से प्रत्येक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात का कुल मूल्य निम्नानुसार है :-

| | |
|---|---|
| 1992-93 | 34726 करोड़ रु० |
| 1993-94 | 45026 करोड़ रु० |
| 1994-95 | 59596 करोड़ रु० |

(घ) से (च). निर्यात घरानों द्वारा लाभों का दुरुपयोग करने के तीन मामलों का पता चला है। आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के प्रावधानों के अनुसार दो फर्मों को बहिष्कृत कर दिया गया है।

## विवरण

| | निर्यात घराना | | | व्यापार घराना | | | स्टार व्यापार घराना | | | सुपर स्टार व्यापार घराना | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सार्वजनिक क्षेत्र निगम | निजी क्षेत्र | जोड़ | सार्वजनिक क्षेत्र निगम | निजी क्षेत्र | जोड़ | सार्वजनिक क्षेत्र निगम | निजी क्षेत्र | जोड़ | सार्वजनिक क्षेत्र निगम | निजी क्षेत्र | जोड़ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 1 | 35 | 36 | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 2. आसाम | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. बिहार | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. चंडीगढ़ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. दिल्ली | 3 | 354 | 357 | 4 | 44 | 48 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 |
| 6. गोआ | - | 8 | 8 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 7. गुजरात | 1 | 38 | 39 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 8. हरियाणा | 1 | 22 | 23 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 9. हिमाचल प्रदेश | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. जम्मू और कश्मीर | - | 10 | 10 | - | 1 | [illegible] | - | - | - | - | - | - |
| 11. कर्नाटक | 1 | 40 | 41 | 2 | 41 | 43 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 12. केरल | 2 | 58 | 60 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 13. महाराष्ट्र | 3 | 524 | 527 | 1 | 68 | 69 | 3 | 9 | 12 | - | 1 | 1 |
| 14. मध्य प्रदेश | 1 | 19 | 20 | 1 | 22 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 15. उड़ीसा | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 16. पंजाब | 2 | 59 | 61 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 17. पांडिचेरी | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. राजस्थान | 1 | 23 | 24 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19. मेघालय | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. नागालैण्ड | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. तमिलनाडु | 2 | 165 | 167 | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 22. उत्तर प्रदेश | - | 176 | 176 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 23. पश्चिमी बंगाल | 2 | 131 | 133 | - | 21 | 21 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 |
| 24. त्रिपुरा | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| जोड़ | 29 | 1669 | 1698 | 9 | 187 | 196 | 8 | 17 | 29 | 1 | 4 | 5 |

[अनुवाद]

## एन. जे. एम. सी. की आधुनिकीकरण योजना

**1643. श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एन. जे. एम. सी. के श्रमिक संघ के साथ परामर्श करके इसके पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण हेतु पैकेज की पेशकश को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमे विलंब के क्या कारण हैं ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) :** (क) से (ङ). राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एन. जे. एम. सी.) घाटे उठा रहा था तथा उसका मामला 11.8.1992 को बी. आई. एफ. आर. को भेजा गया था। बी. आई. एफ. आर. ने एस. आई. सी. ए. के अन्तर्गत उसे रूग्ण औद्योगिक उपक्रम के रूप में घोषित कर दिया तथा प्रचालन एजेंसी के रूप में आई. आर. बी. आई. को नियुक्त किया। राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन. जे. एम. सी.) के पुनरूद्धार के लिए एक सर्वांगीण सुधार योजना इस समय सरकार के विचाराधीन है। एन. जे. एम. सी. के प्रबंधकों द्वारा मजदूर संघों के साथ परामर्श किया गया है। किसी भी अन्तिम निर्णय को कार्यान्वित करने से पहले बी. आई. एफ. आर. की सहमति भी प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

## राज्य स्तर पर औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन

**1644. श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य के रुग्ण और बंद लघु एककों को पुनः चालू करने हेतु राज्य स्तर पर औद्योगिक वित्त एव पुनर्निर्माण बोर्ड जैसी निकाय गठित करने की अनुमति देने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा उड़ीसा को कलकत्ता जोन से हैदराबाद जोन के क्षेत्राधिकार में लाया जाना

**1645. श्री रवि राय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का विचार उड़ीसा को कलकत्ता मंडल से परिवर्तित करके हैदराबाद मंडल में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उड़ीसा को कलकत्ता मंडल के अंतर्गत रखे जाने के संबंध में कुछ संसद सदस्यों और राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) से (घ). सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि बैंक की संगठनात्मक पुनसंरचना के एक भाग के रूप में भुवनेश्वर क्षेत्र को हैदराबाद अंचल के क्षेत्राधिकार में लाने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, अब यह निर्णय लिया गया है कि भुवनेश्वर क्षेत्र के कलकत्ता अंचल के प्रशासनिक नियंत्रण में बनाए रखा जाए। बैंक ने यह बताया है कि उसे कुछ संसद सदस्यों से ज्ञापन मिला था जिसमें उड़ीसा को कलकत्ता अंचल के क्षेत्राधिकार मे रखने का अनुरोध किया गया था।

## पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क

**1646. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्तमान आयात-निर्यात नीति की समीक्षा करने तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर कुछ आयात शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव है, जिसकी प्रतिपूर्ति आयातकों द्वारा वर्तमान नीति के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के मूल्य के सात गुना मूल्य

के बराबर भारतीय वस्तुओं के निर्यात से की जाएगी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा 1985 से 1987 के बीच निर्यात संबंधी कई चूककर्त्ता भारतीय कंपनियों से सरकार द्वारा निर्यात देनदारियों को कब तक पूरा कराया जाएगा?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्):** (क) और (ख). आयात-निर्यात नीति की समीक्षा करते रहना एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है उसमें संशोधन किए जाते हैं। निर्यात दायित्व के प्रवर्तन के मामले में जब कभी कोई चूक ध्यान में आती है तब चूककर्त्ताओं के विरूद्ध आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 और उसके अधीन बनाए गए आदेशों के उपबन्धों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाती है। इसमें निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई॰ पी॰ सी॰ जी॰) योजना के तहत कवर होने वाले मामले भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

## बौद्ध तीर्थस्थल केन्द्र

1647. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और अन्य राज्यों में स्थित बौद्ध तीर्थस्थल केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं योजना अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) भिन्न-भिन्न राज्यों में बौद्ध पर्यटक रूचि के कुछ महत्वपूर्ण स्थान इस प्रकार हैं :–

**बिहार** : बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली।

**उड़ीसा** : धौली, ललितगिरि, उदयगिरि, रत्नागिरि, खांडागिरि।

**आन्ध्र प्रदेश** : नागार्जुनाकोंडा, अमरावती।

**जम्मू एवं कश्मीर** : लद्दाख क्षेत्र

**मध्य प्रदेश** : सांची

**अरूणाचल प्रदेश** : तवांग और बोमडिला।

**हिमाचल प्रदेश** : धर्मशाला

**महाराष्ट्र** : अजंता-एलोरा-औरंगाबाद, कारला-भाजा एवं कन्हेरी गुफाएं।

**उत्तर प्रदेश** : कुशीनगर, सारनाथ, पीपरवाह, श्रावस्ती; सिक्किम राज्य आदि।

(ख) भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश के बौद्ध पर्यटक रूचि के स्थानों का सुधार करने और वहां अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकारों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभिन्न बौद्ध केन्द्रों पर पर्यटक परिसरों, मनन केन्द्रों, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, पर्यटक स्वागत केन्द्रों आदि के निर्माण हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता रिलीज की जाती है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में (220.47 करोड़ रू॰) एवं महाराष्ट्र की अजंता एलोरा में 83.11 करोड़ रू॰ की लागत से आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु, जापान सरकार के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष ऋण की सहायता से दो परियोजनाएं चालू हैं।

(ग) 8वीं योजना के दौरान बौद्ध रूचि के केन्द्रों पर सुविधाओं का विकास करने के लिए की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता इस प्रकार है :–

| राज्य | स्वीकृत राशि (लाख रू॰ में) |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 39.47 |
| बिहार | 40.62 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 24.23 |
| महाराष्ट्र | 24.25 |
| उत्तर प्रदेश | 120.85 |

## नाबार्ड द्वारा विद्युतकरघा क्षेत्र को वित्तीय सहायता

1648. **श्री राजवीर सिंह :**

**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

**श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पुनर्वित्त पोषण योजनाओं के अंतर्गत विद्युतकरघा क्षेत्र को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), हथकरघा और विद्युत करघा दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत सहकारी बुनकर समितियों के उत्पादन एवं विपणन क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधिक ऋण सीमाएं प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी बुनकर समितियों (हथकरघा और विद्युत करघा) की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का वित्त पोषण करने के लिए नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को मंजूर की गई सीमाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रुपए)

| वर्ष | स्वीकृत सीमाएं | अधिकतम उपयोग |
|---|---|---|
| 1992-93 | 492.37 | 382.28 |
| 1993-94 | 529.96 | 296.31 |
| 1994-95 | 609.70 | 494.38 |

सहकारी बुनकर समितियों (विद्युत करघा) को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नाबार्ड के पास अलग से उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने विद्युत करघा क्षेत्र का वित्तपोषण करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भी पुनर्वित्त प्रदान किया, जो निम्नानुसार है :-

| | |
|---|---|
| 1993-94 | 14.16 करोड़ रुपए |
| 1994-95 | 23.23 करोड़ रुपए |

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए, नाबार्ड ने यह अनुमान लगाया गया है कि हथकरघा और विद्युत करघा दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत सहकारी बुनकर समितियों के उत्पादन और विपणन क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए वह राज्य सहकारी बैंकों को 650 करोड़ रुपए की अल्पावधिक ऋण सीमाएं मंजूर करेगा।

[अनुवाद]

## गुजरात में राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों को घाटा

**1649. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों की अनेक शाखाओं को गत तीन वर्षों से निरन्तर घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में किसानों और ग्रामीण दस्तकारों को ऋण आसानी से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ और हानियों से संबंधित राज्यवार और शाखा-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, राष्ट्रीयकृत कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सूचना के अनुसार गुजरात में परिचालन कर रहे और पिछले तीन वर्ष से घाटा उठा रहे 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) किसानों के लिए ऋण प्रक्रियाओं को सरल और उदार बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है। कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश ये हैं :-

(i) 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर और 25000/- रुपए से अधिक के आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए।

(ii) कमज़ोर वर्गों से प्राप्त प्रस्तावों को उच्च अधिकारियों के पास भेजे बिना शाखा प्रबंधकों को उसे मंजूर करने की विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करनी चाहिए।

(iii) कमज़ोर वर्गों से प्राप्त ऋण प्रस्तावों को तत्परता से निपटाया जाना है।

(iv) प्रतिभूति और मार्जिन मानदण्डों में छूट।

(v) शाखाओं में ऋण आवेदनों के लिए एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें प्राप्ति की तारीख, मंजूरी/नामंजूरी और उसके कारण इत्यादि जैसी विस्तृत जानकारी दी गई हो।

(vi) बैंकों को चाहिए कि वे क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र का गठन करें कि उधारकर्त्ताओं से प्राप्त शिकायतों की जांच करने और यह सत्यापित करने के लिए कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का शाखाओं द्वारा अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं। अक्टूबर 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया था कि वे किसानों को उनकी समिश्र ऋण अपेक्षाओं के लिए कुछ मानदण्डों को पूरा करने पर नकद ऋण सुविधा प्रदान करें।

### विवरण

| क्रम सं॰ | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 (लाख रुपए) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | कच्छ ग्रामीण बैंक | -72.32 | -123.17 | -138.86 |
| 2. | जामनगर ग्रामीण बैंक | -68.19 | -114.63 | -116.69 |
| 3. | बनासकांठा मेहसाणा ग्रामीण बैंक | -129.98 | 241.23 | -246.25 |
| 4. | पंचमहल ग्रामीण बैंक | 165.18 | -157.52 | -144.68 |
| 5. | सुरेन्द्र नगर भावनगर ग्रामीण बैंक | -63.66 | -98.03 | -99.82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | वलार्ड डानोड ग्रामीण बैंक | -51.89 | -98.11 | -22.09 |
| 7. | सूरत भरूच ग्रामीण बैंक | -88.93 | -70.48 | -60.85 |
| 8. | साबरकांठा गांधी नगर ग्रामीण बैंक | 54.00 | -64.00 | -64.75 |
| 9. | जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक | -36.69 | -59.22 | -66.91 |
| | कुल | -730.04 | -966.39 | -960.90 |

## घटिया किस्म की चाय का निर्यात

**1650. श्री बल्लभ पाणिग्रही :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों से भारत से होने वाले घटिया किस्म की चाय के निर्यात के विषय मे अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देशवार कुल कितनी मात्रा में चाय बाजार-मूल्य सहित, अस्वीकृत की गई; और

(घ) सरकार द्वारा देश से बढ़िया किस्म की चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्):** (क) से (ग). देश से घटिया किस्म की चाय निर्यात किए जाने के बारे में हाल ही में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। किन्तु, चाय बोर्ड को वर्ष 1993 में कुछ निर्यातकों के विरुद्ध शिकायतें मिली थी जो रूस तथा अन्य सी॰ आई॰ एस॰ देशों को किए गए घटिया किस्म और घटिया क्वालिटी की चाय के निर्यात के बारे में थीं। चाय बोर्ड द्वारा ऐसे निर्यातकों के विरुद्ध चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1957 के उपबन्धों के तहत कार्यवाही की गई थी।

(घ) चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं विदेशों में चाय बोर्ड के कार्यालयों की मार्फत संवर्धनात्मक अभियान चलाना जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता;

(2) भारतीय चाय किस्मों की विभिन्न विलक्षण विशेषताओं के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार माध्यम अभियान;

(3) चाय बोर्ड के विपणन चिन्ह के जरिए भारतीय चाय की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए प्रचार माध्यम अभियान; और

(4) भारतीय चाय वाले विभिन्न विदेशी ब्राण्डों को समर्थन।

आयातकों द्वारा संवर्धनात्मक अभियानों के लिए किए गए व्यय का एक हिस्सा चाय बोर्ड के बजट से पूरा किया जाता है। चाय बोर्ड ने भी प्राचीन भारतीय चाय किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए ब्रिटेन में दार्जिलिंग तथा असम लोगो अभियान और विदेशों में ब्राण्ड संवर्धन योजनाएं चलाई हैं।

## नई आर्थिक नीति

**1651. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उन क्षेत्रों की जांच कर रही है जिन पर नई आर्थिक नीति के सिद्धान्त लागू नहीं होते हैं?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इस समय किन-किन क्षेत्रों में ये सिद्धान्त बिल्कुल लागू नहीं होते हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

## राष्ट्रीय वस्त्र निगम का आधुनिकीकरण

**1652. श्री अंकुश राव टोपे :**

**श्री जगत वीर सिंह द्रोण :**

**श्री दत्ता मेघे :**

**श्री गुमान मल लोढ़ा :**

**श्री नवल किशोर राय :**

**डा॰ कृपासिंधु भोई :**

**श्री गोपी नाथ गजपति :**

क्या वस्त्र मंत्री 26 मई, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 739 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन॰ टी॰ सी॰) की मिलों की आधुनिकीकरण योजना को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰) के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) योजना को कार्यान्वयन हेतु सभा पटल पर कब तक रख दिया जाएगा ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी)** : (क) से (घ). एन॰ टी॰ सी॰ मिलों के लिए संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। इसमें 1716 करोड़ रु॰ की लागत पर 70 राष्ट्रीयकृत मिलों का आधुनिकीकरण करना, 23 गैर-अर्थक्षम राष्ट्रीयकृत मिलों को 12 अर्थक्षम मिलों में मिलाकर उनका पुनर्निर्माण करना, 31.3.94 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी ऋण तथा उसके ब्याज की वसूली को आस्थगित करना तथा 1.4.94 से आगे ब्याज अवकाश की अनुमति देना, स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से निधियां प्रदान करना, आधुनिकीकरण के लिए निधियां जुटाने के लिए देशी भूमि तथा परिसंपत्तियों को बेचना आदि शामिल है।

जैसा ही बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ द्वारा आधुनिकीकरण योजना का अनुमोदन कर दिया जाएगा उसे तुरंत सभापटल पर रख दिया जाएगा।

## रुग्ण औद्योगिकी एककों को वित्तीय सहायता

**1653. श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक गुजरात और महाराष्ट्र में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य बैंकों ने इन एककों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) क्या इसके लिए राज्य सरकारों ने भी केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ये औद्योगिक एकक कब तक पुन: चालू हो जाएंगे?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में रुग्ण एककों की संख्या निम्नलिखित थी :—

(संख्या)

| | गुजरात | महाराष्ट्र |
|---|---|---|
| रुग्ण गैर-लघु उद्योग | 184 | 350 |
| कमजोर गैर-लघु उद्योग | 38 | 86 |
| रुग्ण लघु उद्योग | 7812 | 21350 |
| कुल | 8034 | 21786 |

आर॰ बी॰ आई॰ ने संभावित रूप से अर्थक्षम पाए गए रुग्ण/कमजोर एककों को पुन: अर्थक्षम बनाने के लिए उनके संबंध में पुनर्वास पैकेज बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। पुनर्वास पैकेजों में, अन्य बातों के साथ-साथ, वापसी अदायगी के लिए बढ़ाई गई अवधि (7 से 10 वर्ष) में चरणबद्ध रूप से वापसी अदायगी करने, ब्याज रियायतें देने, नए आवधिक ऋण देने और साथ ही नई कार्यशील पूंजी सुविधाओं सहित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के मौजूदा देयराशियों के पुनर्वित्तपोषण का प्रावधान है। जहां तक गैर लघु उद्योग रुग्ण औद्योगिक कंपनियों का संबंध है, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) को रुग्ण एककों के पुनर्वास के लिए निवारक, सुधारक, उपचारात्मक एवं अन्य उपायों के निर्धारण तथा ऐसे उपायों को तत्काल लागू करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। जहां बाइफर द्वारा कम्पनी के पुनर्वास के लिए कोई योजना स्वीकृत की जाती है, वहां बैंक/वित्तीय संस्थाएं स्वीकृत योजना की शर्तों के अनुसार सहायता/रियायतों सहित सुविधाएं प्रदान करता है।

## रोजगार कार्यालय

**1654. श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराने के बावजूद आवेदकों को साक्षात्कार अथवा नियुक्ति हेतु वर्षों तक नहीं बुलाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रोज़गार कार्यालयों को सुचारू ढंग से चलाए जाने हेतु इनमें सुधार करने और आवेदकों को नियुक्ति शीघ्र देने के संबंध में क्या कदम उठाए गए है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा)** : (क) से (ग). जी हां। रोज़गार कार्यालयों की भूमिका अधिसूचित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों के प्रायोजन तक ही सीमित है। अधिसूचित रिक्तियों की वृद्धि दर रोजगार कार्यालयों में प्रतिवर्ष पंजीकृत होने वाले उम्मीदवारों की वृद्धि दर से कम है। रोज़गार कार्यालय संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। रोज़गार कार्यालयों की कार्यकुशलता में सुधार हेतु उनकी कार्यशैली की समीक्षा उनके द्वारा की जाती है। बहुत सी राज्य/संघ शासित सरकारें रोजगार कार्यालयों में सूचना एवं आंकड़ों को तैयार करने के कम्प्यूटरीकरण का प्रयत्न कर रही हैं।

[हिन्दी]

## कृत्रिम रेशम

**1655. श्री दत्ता मेघे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृत्रिम रेशम का भी उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने कृत्रिम रेशम का उत्पादन किया गया; और

(ग) सरकार कृत्रिम रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए

क्या कदम उठा रही है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने कृत्रिम रेशम सहित वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें क्षमता को सृजित और विस्तार करने के लिए औद्योगिक नीति का उदारीकरण, राजकोषीय शुल्कों में कमी, ओ॰ जी॰ एल॰ के अंतर्गत वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति और जब कभी आवश्यक हो नीति संबंधी हस्तक्षेप द्वारा अन्य उचित कदम उठाना शामिल हैं।

**विवरण**

**कृत्रिम रेशम के राज्य वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—**

(मात्रा टन में)

| क्रम सं॰ | राज्य | 1994-95 (अनंतिम) विस्कोस फिलामेंट यार्न (वी॰ एफ॰ वाई) | विस्कोस स्टेपल फाइबर (वी॰ एस॰ एफ॰) | एसिटेट फिलामेंट यार्न |
|---|---|---|---|---|
| 1. | गुजरात | 17852 | - | - |
| 2. | केरल | 2521 | - | - |
| 3. | मध्य प्रदेश | - | 143344* | - |
| 4. | महाराष्ट्र | 26268 | 51 | - |
| 5. | तमिलनाडु | 5519 | 29638 | - |
| 6. | प॰ बंगाल | 6322 | - | - |
| 7. | आंध्र प्रदेश | - | - | 37 |

*इसमें केरल और कर्नाटक प्रत्येक राज्य में स्थित अन्य 2 एककों के उत्पादन भी शामिल हैं।

चूंकि कृत्रिम रेशम के फैब्रिक का उत्पादन मुख्यतः विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में होता है इसलिए उसके राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 1994-95 के दौरान देश में कृत्रिम रेशम के फैब्रिकों का कुल उत्पादन लगभग 1504 मिलियन वर्ग मीटर होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

**फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लब**

**1656. डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अलग-अलग राज्यों में विद्यमान फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों का ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां पर हैं;

(ख) इस समय प्रत्येक क्लब के पास कितने विमान और ग्लाइडर हैं;

(ग) 1993-94 और 1994-95 के दौरान इनमें से प्रत्येक क्लब को कितनी वार्षिक राजसहायता/सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार को ऐसे और ग्लाइडिंग/फ्लाइंग क्लब गठित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो ये राज्य-वार कहां-कहां गठित किए जाएंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

| संबंधित राज्यों में फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों के नाम | एअरक्राफ्ट/ग्लाइडरों की संख्या | अनुदान की राशि (लाख रुपयों में) (लगभग) 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **फ्लाइंग क्लबस** | | | |
| स्टेट सिविल एविएशन, यू॰ पी॰ फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर (एस॰ सी॰ ए॰ यू॰ पी॰ एफ॰ टी॰ सी॰), लखनऊ (यू॰ पी॰)<br>कानपुर ब्रांच ऑफ एस॰ सी॰ ए॰ यू॰ पी॰ एफ॰ टी॰ सी॰<br>फैज़ाबाद ब्रांच ऑफ एस॰ सी॰ ए॰ यू॰ पी॰ एफ॰ टी॰ सी॰<br>वाराणसी ब्रांच ऑफ एस॰ सी॰ ए॰ यू॰ पी॰ एफ॰ टी॰ सी॰ | 9 | 11.80 | 8.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| बम्बई फ्लाइंग क्लब (महाराष्ट्र) | 8 | 4.58 | 4.27 |
| मद्रास फ्लाइंग क्लब (तमिल नाडु) | 7 | 8.02 | 6.48 |
| राजकीय फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) | 4 | 1.17 | 8.25 |
| दिल्ली फ्लाइंग क्लब (दिल्ली) | 13 | 11.40 | 9.26 |
| राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर (राजस्थान) | 5 | 5.98 | 6.44 |
| मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, (एम॰ पी॰ एफ॰ सी॰), इन्दौर | | | |
| भोपाल ब्रांच ऑफ एम॰ पी॰ एफ॰ सी॰ | 7 | 12.96 | 19.90 |
| राजकीय फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, बंगलौर (कर्नाटक) | 6 | 10.06 | - |
| ए॰ पी॰ फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद (ए॰ पी॰) | 7 | 11.21 | 5.79 |
| केरला एविएशन ट्रेनिंग सेन्टर, त्रिवेन्द्रम (केरल) | 3 | 3.45 | 3.32 |
| गुजरात फ्लाइंग क्लब, बड़ोदा (गुजरात) | 7 | 11.60 | 11.73 |
| कोयम्बतुर फ्लाइंग क्लब लि॰ (तमिल नाडु) | 6 | 0.20 | -- |
| पटियाला एविएशन क्लब, पटियाला (पंजाब) | 5 | 8.89 | 7.35 |
| अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर (पंजाब) | 4 | 4.13 | 4.92 |
| पिंजौर एविएशन क्लब, पिंजौर (हरियाणा) | 2 | 4.17 | 1.50 |
| जमशेदपुर को-ओपरेटिव फ्लाइंग क्लब लि॰ जमशेदपुर (बिहार) | 3 | 2.73 | 1.09 |
| हिसार एविएशन क्लब, हिसार (हरियाणा) | 5 | 5.05 | 5.17 |
| करनाल एविएशन क्लब, करनाल (हरियाणा) | 6 | 6.13 | 3.37 |
| लुधियाना एविएशन क्लब (पंजाब) | 5 | 11.29 | 12.35 |
| बिहार फ्लाइंग संस्थान, पटना (बिहार) | 7 | - | - |
| राजकीय फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान, भुवनेश्वर (उड़ीसा) | 3 | - | - |
| अंडमान और निकोबाद फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान, पोर्ट ब्लेयर | 1 | - | - |
| बनस्थली विद्यापीठ फ्लाइंग क्लब (राजस्थान) | 1 | - | - |
| नागपुर फ्लाइंग क्लब (महाराष्ट्र) | 5 | - | - |
| अजंता फ्लाइंग क्लब, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) | 1 | - | - |
| नार्दन इंडिया फ्लाइंग क्लब, जालधंर कैन्ट (पंजाब) | 4 | - | - |
| आसाम फ्लाइंग क्लब, गुवाहाटी (आसाम) | 2 | - | - |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकादमी, फुरसतगंज (उ॰ प्र॰) | 11 | - | 100.00 |
| उड़ान रिसर्च एण्ड फ्लाइंग संस्थान, इन्दौर (म॰ प्र॰) | 6 | - | - |
| बंगलौर एरोनाटिक्स एण्ड तकनिकी सेवाएं (कर्नाटक) | 3 | - | - |
| अहमदाबाद एविएशन अकादमी, गुजरात | 2 | - | - |
| ओरिएण्ट फ्लाइट स्कूल, पांडिचेरी | 6 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **ग्लाइडिंग क्लबस** | | | |
| अहमदाबाद ग्लाइडिंग एण्ड फ्लइंग क्लब (गुजरात) | 6 | 0.93 | 0.85 |
| बिडला ग्लाइडिंग क्लब, पिलानी (राजस्थान) | 3 | 1.02 | 1.03 |
| दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब | 8 | 2.99 | 3.07 |
| ग्लाइडिंग एण्ड सोरिंग सेन्टर, आई॰ आई॰ टी॰ कानपुर (यू॰ पी॰) | 4 | 1.23 | 1.06 |
| दिओलॉली ग्लाइडिंग क्लब, नासिक (महाराष्ट्र) | 5 | 2.78 | 3.12 |
| पिंजौर एविएशन क्लब (हयिाणा) | 5 | 5.50 | 6.73 |
| हिसार एविएशन क्लब (हरियाणा) | 5 | 6.63 | 6.10 |
| जमशेदपुर ग्लाइडिंग क्लब (बिहार) | 2 | 0.74 | 1.88 |
| नार्दन इंडिया फ्लाइंग क्लब जालंधर (पंजाब) | 2 | - | - |
| बिहार फ्लाइंग संस्थान, रांची | 3 | - | - |
| राजकीय ग्लाइडिंग सेन्टर, पुणे (महाराष्ट्र) | 13 | - | - |
| लुधियाना एविएशन क्लब (पंजाब) | 4 | 2.15 | 1.04 |

## कृषि क्षेत्र को बैंक ऋण

**1657. श्री प्रतापराव बी॰ भोंसले :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार कृषि क्षेत्र को कुल बैंक अग्रिमों की निर्धारित प्रतिशत राशि जारी की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराए जाने वाले बैंक ऋणों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) इसमें गिरावट के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, सभी भारतीय बैंको से अपने निवल बैंक ऋण का कम से कम 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को देने की अपेक्षा की जाती है, जिसका कम से कम 18 प्रतिशत कृषि को दिया जाना चाहिए। मार्च 1995 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कृषि ऋण संबंधी कार्यनिष्पादन निम्नानुसार था :–

| | (करोड़ रुपए में) |
|---|---|
| | **सरकारी क्षेत्र के बैंक** |
| कृषि अग्रिम (प्रत्यक्ष) | 20,812.47 |
| कृषि अग्रिम (अप्रत्यक्ष) | 2,700.06 |
| कुल अग्रिम | 23,512.03 |
| निवल बैंक ऋण की तुलना में. प्रतिशत | 13.91% |

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की प्रतिशतता में गिरावट के उत्तरदायी मद ये हैं: वर्ष 1988 से बैंक की लाभपदता पर अधिकाधिक जोर दिया जाना, आय की पहचान, और प्रावधान करने और पूंजी पर्याप्तता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्ड और उच्च लेन-देन और अन्तर्ग्रस्त जोखिम लागतें। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कृषि क्षेत्र के लिए ऋण सहित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर सम्भव प्रयास करने को कहा है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि यदि वे लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होते हैं तो बैंक विशेष के लिए नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में तत्काल उत्पादन ऋण पाने में अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले किसानों को समर्थ बनाने के लिए कृषि ऋण कार्ड शुरू करने, नकद ऋण सुविधा, न्वोन्मेषी और उच्च तकनीक वाली कृषि परियोजनाओं के वित्तपोषण और कृषि क्षेत्र को बेहतर ऋण सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि की स्थापना जैसे कई कदम उठाए हैं।

## निजी विमान कंपनियों द्वारा अलाभकारी मार्गों पर विमान संचालन

**1658. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयरलाइंस और निजी विमान कंपनियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन नए मार्गों पर विमान सेवाएं शुरू की गई ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइंस ने अंतर्देशीय सैक्टर में 17 नए मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय सैक्टर में

10 नए मार्गों पर सेवाएं शुरू की हैं। बाद में अपर्याप्त यातायात और प्रचालन कर्मादल की कमी के कारण सात नए मार्गों से सेवाएं हटा ली गई। निजी विमानकंपनियों ने नवम्बर, 1994 से अनुसूचित प्रचालन शुरू किए हैं और इस समय 105 मार्गों पर प्रचालन कर रही है।

[हिन्दी]

## राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाराशि

1659. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 से 1994-95 के दौरान देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में राज्य-वार कुल कितनी राशि जमा थी;

(ख) बैंकों द्वारा इस राशि में से समग्र व्यय पर राज्य-वार कितने प्रतिशत राशि खर्च की गई;

(ग) क्या जमाराशि का व्यय करने संबंधी निर्दिष्ट मानदण्ड सभी राज्यों में समान हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या औचित्य है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) मार्च 1991, मार्च 1992, मार्च 1993 मार्च 1994 और मार्च 1995 के अंत की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की राज्य-वार जमाराशियां अनुबंध में दी गई हैं।

(ख) संभवत: माननीय सदस्य जमाराशियों की तुलना में बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की राज्य-वार प्रतिशतता का उल्लेख कर रहे हैं। मार्च 1991, मार्च 1992, मार्च 1993, मार्च 1994 और मार्च 1995 के अंत की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशियों की तुलना में सकल बैंक ऋण की प्रतिशतता भी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि उन्हें अखिल भारत स्तर पर अपनी ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं के लिए 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करना चाहिए। बैंकों से यह भी कहा गया है कि जबकि शाखावार, जिलावार या क्षेत्रवार अलग से इस अनुपात को प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, फिर भी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण के अभिनियोजन में असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच इन अनुपातों में व्यापक भेद से बचा जाना है तथापि, किसी राज्य या विशेष में ऋण जमा अनुपात राज्य/क्षेत्र की ऋण खपत क्षमता पर निर्भर करती है जो बदले में सिंचाई, विद्युत, रेल, सड़क, परिवहन, मौलिक और तकनीकी शिक्षा, उद्यमकृतित कृषि के लिये अपेक्षित निवेश और विपणन केन्द्रों की उपलब्धता, औद्योगिक उत्पादन इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास पर निर्धारित और उनसे प्रभावित होती है।

### विवरण

### पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाराशियां और जमाराशियों की तुलना में ऋण के प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा

| | जमाराशियां (करोड़ रुपए में) | | | | | जमा की तुलना में ऋण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य | मार्च 1991 | मार्च 1992 | मार्च 1993 | मार्च 1994 | मार्च 1995 | मार्च 1991 | मार्च 1992 | मार्च 1993 | मार्च 1994 | मार्च 1995 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. हरियाणा | 2769.89 | 2999.93 | 3483.13 | 4053.35 | 4915.39 | 54.83 | 51.58 | 51.58 | 46.20 | 42.81 |
| 2. हिमाचल प्रदेश | 812.50 | 909.62 | 1060.96 | 1215.57 | 1472.10 | 36.33 | 34.53 | 32.36 | 27.34 | 25.33 |
| 3. जम्मू व कश्मीर | 493.56 | 514.01 | 589.71 | 660.57 | 745.43 | 30.68 | 29.96 | 29.63 | 26.17 | 24.88 |
| 4. पंजाब | 7146.16 | 7921.45 | 9093.82 | 10567.83 | 12411.74 | 40.82 | 39.03 | 40.28 | 40.16 | 39.58 |
| 5. राजस्थान | 2601.23 | 2876.48 | 3557.80 | 3906.90 | 4616.41 | 58.82 | 59.00 | 56.95 | 52.17 | 48.03 |
| 6. चण्डीगढ़ | 996.51 | 1046.62 | 1282.76 | 1481.13 | 2031.95 | 52.18 | 51.30 | 49.27 | 45.22 | 41.98 |
| 7. दिल्ली | 12451.73 | 13629.29 | 15059.96 | 19689.71 | 24387.95 | 48.22 | 48.59 | 48.90 | 40.30 | 41.80 |
| 8. अरूणाचल प्रदेश | 18.90 | 18.90 | 20.59 | 34.66 | 53.31 | 23.81 | 30.85 | 32.30 | 20.71 | 15.61 |
| 9. असम | 1313.01 | 1456.56 | 1570.67 | 1798.79 | 2152.87 | 48.77 | 47.66 | 48.93 | 43.63 | 41.64 |
| 10. मणिपुर | 57.88 | 62.64 | 59.37 | 73.30 | 96.26 | 75.59 | 84.96 | 103.67 | 87.17 | 72.94 |
| 11. मेघालय | 152.61 | 169.31 | 209.93 | 243.98 | 301.74 | 22.30 | 22.87 | 16.52 | 17.13 | 16.19 |
| 12. मिजोरम | 15.87 | 16.31 | 18.16 | 21.56 | 22.73 | 19.91 | 21.76 | 19.88 | 17.72 | 18.48 |
| 13. नागालैंड | 92.22 | 100.09 | 99.89 | 108.20 | 128.07 | 32.20 | 34.16 | 38.32 | 35.55 | 32.10 |
| 14. त्रिपुरा | 140.09 | 152.59 | 171.07 | 195.66 | 239.97 | 50.89 | 49.96 | 50.94 | 47.75 | 38.90 |
| 15. बिहार | 5386.47 | 5800.73 | 6446.04 | 7123.15 | 8528.89 | 35.31 | 35.72 | 34.99 | 32.64 | 29.72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. उड़ीसा | 1447.25 | 1571.66 | 1864.17 | 2101.21 | 2601.72 | 69.87 | 68.08 | 62.09 | 57.76 | 51.03 |
| 17. सिक्किम | 54.17 | 37.77 | 45.53 | 50.03 | 62.54 | 12.05 | 22.87 | 19.68 | 17.53 | 19.15 |
| 18. पश्चिम बंगाल | 11316.48 | 11826.01 | 13640.99 | 15552.50 | 17275.04 | 49.49 | 50.34 | 51.41 | 46.10 | 47.36 |
| 19. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 25.16 | 28.69 | 34.68 | 41.91 | 53.90 | 32.39 | 30.08 | 30.91 | 18.32 | 20.33 |
| 20. मध्य प्रदेश | 4246.20 | 4657.88 | 5023.44 | 5722.25 | 7105.92 | 57.84 | 55.99 | 55.67 | 49.50 | 46.62 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 13020.39 | 14140.78 | 16052.83 | 18653.24 | 22279.09 | 43.44 | 42.22 | 40.33 | 35.65 | 33.14 |
| 22. गोवा | 1087.44 | 1237.17 | 1457.33 | 1678.05 | 1986.31 | 31.91 | 29.05 | 28.20 | 28.97 | 20.39 |
| 23. गुजरात | 8763.12 | 10269.37 | 11872.47 | 13892.62 | 16366.25 | 50.76 | 45.93 | 44.52 | 41.39 | 43.65 |
| 24. महाराष्ट्र | 22207.26 | 26737.11 | 33048.82 | 37015.66 | 41835.29 | 79.63 | 67.45 | 68.21 | 68.25 | 74.37 |
| 25. दादर और नागर हवेली | 10.02 | 12.22 | 17.32 | 25.62 | 40.90 | 54.19 | 49.67 | 35.56 | 23.30 | 16.36 |
| 26. दमन और दीव | 22.06 | 25.01 | 29.53 | 31.87 | 40.31 | 17.72 | 14.99 | 13.14 | 12.74 | 9.48 |
| 27. आन्ध्र प्रदेश | 5900.05 | 6322.51 | 7088.89 | 8344.66 | 9712.78 | 76.25 | 75.80 | 74.50 | 66.13 | 71.20 |
| 28. कर्नाटक | 5919.73 | 6894.59 | 8102.74 | 8538.08 | 10821.65 | 79.69 | 69.73 | 64.33 | 66.23 | 61.20 |
| 29. केरल | 3149.96 | 3771.63 | 4556.59 | 5493.85 | 6468.53 | 54.18 | 47.61 | 43.72 | 37.36 | 36.79 |
| 30. तमिलनाडु | 8765.52 | 9621.91 | 11561.29 | 12856.43 | 14863.17 | 85.57 | 85.15 | 79.34 | 77.85 | 83.33 |
| 31. लक्षद्वीप | 8.84 | 11.52 | 13.61 | 15.30 | 20.23 | 16.97 | 12.76 | 9.92 | 9.35 | 9.89 |
| 32. पाण्डिचेरी | 219.30 | 253.94 | 295.64 | 352.50 | 412.66 | 55.62 | 48.35 | 46.16 | 43.45 | 45.73 |
| अखिल भारतीय | 120611.57 | 135094.38 | 157229.85 | 181540.28 | 214051.09 | 59.23 | 55.81 | 55.11 | 51.35 | 52.34 |

[अनुवाद]

## ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की ऊनी मिलें

**1660. श्री जगतबीर सिंह द्रोण** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश वस्त्र मजदूर संघ, कानपुर की ओर से जुलाई, 1994 में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जो कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड की लाल इमली (कानपुर) और धारीवाल (पंजाब) ऊनी मिलों में समस्याओ के बारे में था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इन मिलों के बंद होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मिलों की स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी)** : (क) से (ग). बी॰ आई॰ सी॰ नेमें भ्रष्टाचार के बारे में उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल मजदूर संघ से दिनाक 11-8-94 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था इसे उपयुक्त कार्रवाई तथा रिपोर्ट हेतु बी॰ आई॰ सी॰ को अग्रेषित कर दिया गया था। बी॰ आई॰ सी॰ की वूलन मिल्स नामतः कानपुर वूलन मिल्स कं॰ लि॰ लाल इमली (तथा न्यू एगर्टन वूलन मिल्स कं॰ लि॰ (धारीवाल) बन्द नहीं है तथा अप्रचलित मशीनों, अतिरिक्त शक्ति, कार्यशील पूंजी की कमी आदि के कारण घाटे उठा रही हैं। बी॰ आई॰ सी॰ का मामला भी बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ को भेजा गया था जिसने उसे रुग्ण औद्योगिक कंपनी के रूप में घोषित कर दिया हैं बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ ने कंपनी को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कंपनी ने एस॰ आई॰ एफ॰ आर॰ के समक्ष अपील की है जहां अपील विचाराधीन है। सरकार बी॰ आई॰ सी॰ की पुनर्स्थापना के कदमों पर भी विचार कर रही है।

## ग्रामीण क्षेत्रों में बंद की गई बैंक शाखाएं

**1661. श्री बी॰ एस॰ विजयराघवन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1994-95 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 300 बैंक शाखाएं बंद कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार एक वाणिज्यिक बैंक की शाखा वाले ग्रामीण केन्द्रों मे हानि उठाने वाली शाखाओं को बन्द करना वांछनीय नहीं समझा जाता है। तथापि, जिन केन्द्रों में वाणिज्यिक बैंक की दो शाखाएं हैं वहां संबंधित बैंकों द्वारा परस्पर विचार-विमर्श करके एक शाखा को बन्द करने का निर्णय लिया जा सकता है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

## श्रम अधिनियम

**1662. श्री महेश कनोडिया :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत उपबंधों के बारे में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में जागरूकता पैदा करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :** (क) जी, हां। सरकार ने कामकाजी वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करने के लिए एक त्रिपक्षीय निकाय के रूप मे केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां और कैम्प आदि आयोजित करता है।

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित किए गए श्रमिकों की संख्या निम्नवत् है :-

| **वर्ष** | **प्रशिक्षित किए गए कुल श्रमिकों की संख्या** |
|---|---|
| 1991-92 | 174900 |
| 1992-93 | 153563 |
| 1993-94 | 128264 |

उपरोक्त आंकड़ों में असंगठित और लघु क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, महिला और बाल श्रम के श्रमिक और अ. जा./अ. ज. जा. के श्रमिक और समाज के अन्य निर्धन वर्गों के श्रमिक शामिल हैं।

[अनुवाद]

## चावल का निर्यात

**1663. श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**

**श्री शरत पटनायक :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उत्पादित बासमती चावल का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य देशों की अपेक्षा अधिक था जिसके कारण भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में पिछड़ गए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 1995 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत से निर्यात की गई मोटे चावलों की खरीद में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और गैर-बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार किन-किन उपायों पर विचार कर रही है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्):** (क) यह एक वास्तविकता है कि भारत में उत्पादित बासमती चावल की कीमत अन्य क्षेत्रों में उत्पादित ऐसे ही चावल के औसत मूल्य से अधिक होती है। तथापि, इसके निर्यात में उतार-चढ़ाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को ही पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(ख) और (ग). सरकार की नीति है कि बासमती चावल के निर्यात को बढ़ाया जाए। इस संबंध में किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं–मूल्य और मात्रा संबंधी बंदिश हटाना, विदेशों में अभियान चलाने और विदेशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए मदद करना आदि।

(छ) जी, हां।

(ङ) अप्रैल-मई 1995 के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान बासमती के चावल को छोड़कर अन्य चावलों का निर्यात नीचे दिया गया है :-

मात्रा : मी. टन में
कीमत : करोड़ रु. में

| वर्ष (अप्रैल-मई) | मात्रा | कीमत |
|---|---|---|
| 1994-95 | 25904 | 26.8 |
| 1995-96 | 524374 | 345.7 |

स्रोत : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस. कलकत्ता

चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं :-

1. मूल्य और मात्रा सबंधी बंदिश हटाना;

2. वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्रीय पूल से भारतीय खाद्य निगम को 2.00 मिलियन मी. टन उत्तम और सर्वोत्तम किस्म के चावलों का निर्यात/बिक्री करने की अनुमति देना।

3. उत्पादों की गुणवत्ता पैकेजिंग, ब्रांड संवर्धन और बाजार सर्वेक्षण आदि के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना।

[हिन्दी]

## तस्करी संबंधी गतिविधियां

**1664. श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न सीमावर्ती राज्यों में तस्करी की

गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज तक राज्यवार ऐसे कितने मामलों का पता लगाया है;

(घ) इस संबंध में जब्त किए गए सामान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सरकार ने इन गतिविधियों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

## आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ द्वारा शेयरों की खरीद

**1665. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू :**

**डा॰ आर॰ मल्लू :**

**श्री एम॰ जी॰ रेड्डी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (एफ॰ आई॰ डी॰ बी॰ आई॰) और आई॰ एफ॰ सी॰ आई॰ जैसी वित्तीय संस्थाओं में खुले बाजार में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयरों की खरीद के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1994-95 के दौरान और 1995 में अब तक इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके इक्विटी शेयर इन वित्तीय संस्थाओं ने खुले बाजार से खरीदे हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई॰ डी॰ बी॰ आई1) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई॰ एफ॰ सी॰ आई॰) ने सूचित किया है कि वे गौण बाजार से शेयर नहीं खरीदते हैं।

[हिन्दी]

## उत्तर प्रदेश में संगठित क्षेत्र में रोजगार

**1666. डा॰ साक्षीजी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में संगठित क्षेत्र में कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा)** : (क) रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के संगठित क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों तथा 10 या इससे अधिक कर्मियों वाले निजी क्षेत्र के गैर-कृषीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को शामिल करते हुए) 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार कामगारों की संख्या लगभग 26.70 लाख थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

## घरेलू मुख्य मार्गों पर यातायात

**1667. श्री अमल दत्त** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च 1995 से मई 1995 तक इंडियन एयरलाइंस तथा विभिन्न निजी विमान कंपनियों द्वारा अलग-अलग घरेलू मुख्य मार्गों पर यात्री यातायात संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : इंडियन एयरलाइन्स और निजी अनुसूचित प्रचालकों ने मार्च से मई, 1995 की अवधि के दौरान, विशिष्ट ट्रंक मार्गों पर (इन्हें श्रेणी-1 मार्ग भी कहा जाता है) क्रमशः 725890 और 477540 यात्रियों का वहन किया।

[हिन्दी]

## कानपुर शूगर वर्क्स लिमिटेड

**1668. श्री राम नगीना मिश्र** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में कानपुर शूगर वर्क्स लिमिटेड को बेचने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कंपनी पर किसानों का कितना ऋण बकाया है; और

(घ) इस ऋण को कब तक चुका दिया जाएगा ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी)** : (क) और (ख). कानपुर शुगर वर्क्स लि॰ सरकारी कंपनी या राष्ट्रीयकृत उपक्रम नहीं है। इसलिए सरकार का इस एकक को बेचने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। एस॰ आई॰ सी॰ ए॰ के उपबंधों के अंतर्गत शामिल रुग्ण एकक होने के कारण बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ ने एक पुनरुद्धार पैकेज बनाया है जिसमें कंपनी में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि॰ के पास वाले शेयरों को वापिस लेना शामिल है।

(ग) और (घ) 31-3-1995 तक की स्थिति के अनुसार

किसानों को गन्ने की देय बकाया राशि लगभग 22 करोड़ रु० होनी बतलाई गई है। कंपनी निधियां उपलब्ध होने पर इस बकाया राशि का भुगतान कर देगी।

## सिंगापुर के साथ इलेक्ट्रोनिक्स और सॉफ्टवेयर वस्तुओं का व्यापार

**1669. श्रीमती सुमित्रा महाजन :**

**डा॰ कृपासिन्धु भोई :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारत और सिंगापुर के बीच इलेक्ट्रोनिक्स और साफ्टवेयर वस्तुओं के व्यापार के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन वस्तुओं के निर्यात हेतु सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम):** (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और इलैक्ट्रानिक सामानों के व्यापार के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

(करोड़ रु॰)

| | आयात | | निर्यात | |
|---|---|---|---|---|
| | इलैक्ट्रानिक सामान | कम्प्यूटर साफ्टवेयर | इलैक्ट्रानिक सामान | कम्प्यूटर साफ्टवेयर* |
| 92-93 | 283.40 | 3.17 | 102.72 | 5.25 |
| 93-94 | 370.12 | 13.53 | 168.23 | 6.72 |
| 94-95 (अ) | 473.65 | 41.36 | 255.16 | 10.76 |

स्रोत : डी॰ जी॰ सी॰ आई॰ एंड एस॰

* उपग्रहों के जरिए सॉफ्टवेयर का विकास और सॉफ्टवेयर में बाहरी विकास शामिल नहीं है।

अ॰ = अनन्तिम

(ख) और (ग). देशवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कुल निर्यात लक्ष्य निम्नलिखित है :–

(करोड़ रु॰ में)

| | |
|---|---|
| इलैक्ट्रानिक सामान | 1575 |
| कंप्यूटर साफ्टवेयर | 236 |

(घ) इन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं ? जिसमें शामिल हैं अनन्य भारतीय प्रदर्शनियों/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना, बाजार सर्वेक्षण आयोजित करना इत्यादि। इसके अतिरिक्त निर्यात संवर्धन के लिए किए गए आम उपायों में शामिल हैं :–इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर टैक्नोलोजी पार्क (ई॰ एच॰ टी॰ पी॰) योजना और साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क (एस॰ टी॰ पी॰) योजना की शुरूआत, रुपया-ऋण पर ब्याज दर घटाना, मशीनों और अन्य उपकरणों पर टैरिफ को कम करना इत्यादि।

[अनुवाद]

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कतिपय शाखाओं का बंद किया जाना

**1670. श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 को राज्यवार विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल कितनी शाखाएं कार्यरत थीं और 31 मार्च, 1994 को इन शाखाओं की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कतिपय शाखाएं बंद की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) दिनांक 31.3.94 और 31.3.95 की स्थिति के अनुसार देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या क्रमशः 14547 और 14549 है। राज्य-वार सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). वर्ष 1994-95 के दौरान प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कोई शाखा बंद करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अलबत्ता, उन्हें अपनी हानि उठाने वाली शाखाओं के स्थान बदलने की अनुमति प्रदान की गई थी।

## राष्ट्रीय सुरक्षा आश्वासन योजना

**1671. डा॰ कृपासिन्धु भोई :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय सुरक्षा आश्वासन योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यह योजना कब से कार्यान्वित कर दी जाएगी; और

(घ) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

## एटलांटा सिटी में भारत-अमरीकी एक्सपो का आयोजन

**1672. श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एटलांटा सिटी में ग्लोबल एक्सपोजिशन इंक, अमरीका के सहयोग से ग्लोबल एक्सिबिशन लिमिटेड द्वारा भारत अमरीका एक्सपो का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त एक्सपो निरर्थक सिद्ध हुआ जिससे इसमें भाग लेने वाले भारत के लोगों को भारी आर्थिक क्षति हुई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्):** (क) और (ख). भारत-अमेरिकन एक्सपो 14-16 जून, 1995 तक अटलांटा शहर, न्यू जरसी, यू॰ एस॰ ए॰ में आयोजित की गई। यह एक्सपो दो निजी अभिकरणों अर्थात् ग्लोबल एक्सिबीशन लिमिटेड, हैदराबाद और ग्लोबल एक्सपोजिशन्स इन्क, न्यूयार्क द्वारा आयोजित किया गया था। यह प्रदर्शनी पूर्ण रूप से निजी प्रयासों द्वारा लगाई गई थी। इसके लिए सरकार ने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी।

(ग) और (घ). भारत के महावाणिज्य दूतावास, न्यूयार्क ने सूचित किया है कि इस प्रदर्शनी में लगभग 500 भारतीय कम्पनियों के भाग लेने की उम्मीद थी, लेकिन केवल 120 कम्पनियां ही इसमें भाग ले सकी। खबर है कि यह प्रदर्शनी आंशिक रूप से सफल रही, क्योंकि भारत के अधिकांश भागीदार न्यूयार्क और यू॰ एस॰ ए॰ के न्यू जरसी क्षेत्र के अनेक आयातकों को सम्पर्क कर सके और अमरीकी बाजार का जायजा लेने में सफल रहें।

(ङ) यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले व्यावसायिक ढंग से आयोजित किए जाएं और इनमें भारत की उत्तम छवि बनाई जा सके, सरकार ने आयोजकों/प्रतिभागियों की सहमति और उनके वर्गीकरण के लिए मानदण्ड तैयार करने हेतु एक स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया है।

**[हिन्दी]**

## साधारण बीमा निगम के पास दुर्घटना संबंधी लम्बित दावे

**1673. श्री छेदी पासवान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साधारण बीमा निगम (जी॰ आई॰ सी॰) के पास आज तक दुर्घटना संबंधी कुल कितने दावे लम्बित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य प्रक्रिया के द्वारा कितने दावे निपटाए गए तथा क्षतिपूर्ति के तौर पर दावाकर्त्ताओं को कितनी राशि दी गई;

(ग) दावों संबंधी कितने मामले न्यायालयों में लम्बित हैं तथा इन मामलों में क्षतिपूर्ति के तौर पर कितनी राशि का दावा किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान लोक अदालतों द्वारा कितने मामलों को निपटाया गया और क्षतिपूर्ति के तौर पर कितनी राशि दी गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार दावाकर्त्ताओं को शीघ्र राहत देने की दृष्टि से साधारण बीमा नियमों में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) भारतीय साधारण बीमा निगम के पास 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार दुर्घटना संबंधी लम्बित दावों की कुल संख्या 4,17,205 (लगभग) थी।

(ख) 31.3.94 को समाप्त हुई पिछले वर्ष की अवधि के दौरान 6,38,838 दावे (लगभग) सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से निपटाए गए थे और दावाकर्त्ताओं को मुआवजे के रूप में 1100.77 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि दी गई थी।

(ग) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार न्यायालयों में लम्बित दावों की संख्या 2,81,619 (लगभग) थी और मुआवजे संबंधी दावों की राशि 1516.98 करोड़ रुपए (लगभग) थी।

(घ) 31.3.1994 को समाप्त हुई पिछले तीन वर्षों की अवधि में लोक अदालत द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या 87,029 (लगभग) थी और इसके परिणामस्वरूप अदा की गई मुआवजे की राशि 284.55 करोड़ रुपए (लगभग) थी।

(ङ) और (च). बीमा कम्पनियों ने बीमाकर्त्ताओं और बीमित व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रक्रिया निर्धारित की है। दुर्घटना संबंधी दावों के निपटाने के बारे में आजकल विद्यमान प्रक्रियाएं व्यापक हैं और बीमा कम्पनियों द्वारा इन प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन करना अपेक्षित नहीं है।

## खनिकों को चिकित्सा सुविधाएं

**1674. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों में कार्यरत श्रमिकों को चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने श्रमिकों के कल्याण हेतु चिकित्सा और अन्य सुविधाएं देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) से (ग). लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खान श्रमिकों, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिकों और अभ्रक खान श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाई गई कल्याण योजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाने और कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करने

और उनकी व्याप्ति को प्रसारित भी करने के लिए वर्ष 1993-94 से कई कदम उठाए गए हैं।

### विवरण

**खान कर्मकारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सूची**

**क. स्वास्थ्य**

1. टी॰ बी॰ से पीड़ित कर्मकारों के लिए टी॰ बी॰ अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण और घर पर रहकर उपचार करवाने के लिए वित्तीय सहायता।
2. कैंसर से पीड़ित खान कर्मकारों के लिए उपचार के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति।
3. मानसिक रोगों से पीड़ित कर्मकारों का उपचार।
4. चश्मों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।
5. कुष्ठ रोग से पीड़ित खान कर्मकारों के लिए योजना।
6. टी॰ बी॰ रोगियों के लिए घर पर उपचार।
7. हृदय रोगों से पीड़ित खान कर्मकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना।
8. गुर्दा प्रत्यारोपण आदि के लिए खान कर्मकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना।
9. खान कर्मकारों के लिए कृत्रिम अंगों के प्रावधान संबंधी योजना।
10. खान कर्मकारों के लिए घातक और गंभीर दुर्घटना के मामले में क्षतिपूर्ति संबंधी योजना।
11. एम्बुलेन्स वाहनों की खरीद के लिए लौह-अयस्क और चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट खान प्रबन्धन के लिए सहायता अनुदान।
12. खान प्रबंधन को खान कर्मकारों के लिए उनके निजी औषधालयों के रख-रखाव हेतु सहायता अनुदान।

**ख. आवास**

1. अपना मकान स्वयं बनाओ योजना।
2. सामूहिक आवास योजना।
3. टाइप-I आवास योजना।
4. टाइप-II आवास योजना।

**ग. शिक्षा**

1. खान कर्मकारों के स्कूल अथवा कालेज जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्तियां देना।
2. वर्दी/स्लेटों/पाठ्य पुस्तकों के सेट की खरीद के लिए वित्तीय सहायता हेतु मिश्रित योजना।
3. स्कूल बस की खरीद के लिए अनुदान।
4. पुस्तकालय-सह-वाचनालयों की स्थापना।
5. खान प्रबन्धों द्वारा रख-रखाव किए जाने वाले पुस्तकालयों के लिए अनुदान।
6. स्कूलों के लिए फर्नीचर और उपस्कर की खरीद हेतु अनुदान।
7. लौह अयस्क और अभ्रक खान कर्मकारों के प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन।
8. बोर्डिंग सुविधाओं के साथ होस्टल।

**घ. मनोरंजन**

1. सामाजिक/सांस्कृतिक/खेल कूद से संबंधित क्रियाकलाप।
2. कर्मकारों को आवागमन के लिए बसें।
3. श्रव्य दृश्य सेटों/सिनेमा वैनों/फिल्मों को दिखाने की व्यवस्था।
4. भ्रमण-सह-अध्ययन दौरे।
5. टी॰ वी॰ सैटों की आपूर्ति।
6. बहु-उद्देशीय संस्थानों की स्थापना।
7. कल्याण केन्द्रों की स्थापना।
8. एम॰ पी॰ आई॰/डी॰ एम॰ पी॰ आई॰/ कल्याण केन्द्रों को अनुदान।
9. खेल के मैदान।
10. अवकाश गृह।

**ङ. जल आपूर्ति**

1. कुओं की खुदाई।
2. छोटे खान मालिकों को सहायता।
3. बड़ी खानों के लिए जलापूर्ति योजनाएं।

### भारतीय अर्थव्यवस्था

**1675. श्री मंजय लाल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1995 के "जनसत्ता" में "आर्थिक मोर्चे पर हम फिसल रहे हैं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या किसी व्यापारिक संख्या में घाटा होने की स्थिति में खर्च पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं जबकि सरकार के खर्च और बजट घाटे में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसके दुष्प्रभावों, देश पर कर्ज के लगातार बढ़ते बोझ, मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति में असाधारण वृद्धि से निबटने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) दिनांक 2 फरवरी, 1995 को "जनसत्ता" के दैनिक संस्करण में "आर्थिक मोर्चे पर हम फिसल रहे हैं" शीर्षक से कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ।

(ख) से (घ). सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रमुख आर्थिक सुधार शुरू किए हैं और सरकारी बजट पर अधिरोपित घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के ड्राफ्ट में कमी की जा रही है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सुधार आरम्भ करने के लिए निम्नलिखित पंक्तियों वाले अनेकों कदम उठाए हैं;

घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए योजना-भिन्न ऋणों के रूप में बजटीय सहायता को वर्ष 1994-95 के बाद समाप्त किया जा रहा है।

चयनित सार्वजनिक उद्यमों में 49 प्रतिशत तक सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेशन किया जा रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को संयुक्त उद्यम के रूप में और उनकी व्यापक योजनाओं के वित्तपोषण हेतु बाजार से नई इक्विटी प्राप्त करने के लिए भी अनुमत किया जा रहा है।

औद्योगिक और वित्तीय पुन: निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को लाने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनियां अधिनियम (एस० आई० सी० ए०) में संशोधन किया गया।

मूल्य निर्धारणों में, विशेषकर जो इस्पात मूल्यों, पैट्रोलियम उत्पाद मूल्यों और कोयला मूल्यों से संबंधित हैं, अधिक लचीलापन लागू किया जा रहा है।

## अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

**1676. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासी भारतीयों, विदेशी निगमित निकायों और वित्तीय संस्थागत निवेशकों को भारत में कृषि और बागवानी को छोड़कर सभी क्षेत्रों में प्रत्यावर्तन के आधार पर निवेश करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) विदेशी निवेशकों को कृषि क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति दे दी है और यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के पश्चात् इसका पहला लाभार्थी होगा;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के इन मार्ग-निर्देशों से अनिवासी भारतीयों और विदेशी निगमित निकायों को भारत में और अधिक निवेश करने हेतु प्रोत्साहन मिला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख). भा० प्र० वि० बोर्ड के साथ पंजीकृत अनिवासी भारतीय, विदेश कारपोरेट निकायों (ओ सी० बी०) एवं विदेशी संस्थागत निवेशकों को शेयर बाजारों के माध्यम से द्वितीयक बाजार निवेशों हेतु, बिना किसी क्षेत्रीय संयमनों एवं एक भारतीय कंपनी की चुकाई गई इक्विटी पूंजी के 24 प्रतिशत की समग्र नियंत्रण सीमा के अन्तर्गत सामान्य अनुमति प्रदान की गई। निवेशकों हेतु अभिरक्षकों द्वारा "सेबी" के साथ दर्ज की हुई रिपोर्टों के अनुसार "सेबी" के साथ पंजीकृत 323 विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए संचयी निवल निवेश 3447.6 मिलियन यू० एस० अमरीकी डालर रहे हैं।

(ग) सरकार द्वारा देश में विदेशी निवेशकों को कृषि योग्य भूमि आहरित नहीं करने देने की नीति है।

(घ) अक्टूबर, 1993 में सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों में अनिवासी भारतीयों/विदेश कारपोरेट निकायों/विदेशी संस्थागत निवेशकों के पक्ष में पब्लिक इश्यु में 24 प्रतिशत का आरक्षण देने का प्रावधान है। अत: एक भारतीय कंपनी जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, शामिल हैं, को "सेबी" के दिशानिर्देशों के अधीन उनके पब्लिक इश्यु में आरक्षण देने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(ङ) और (च). भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना अनुसार विभिन्न अनिवासी भारतीय योजनाओं के विरुद्ध पूर्ण अंतर्प्रवाह पिछले चार वर्षों के दौरान एक वृद्धि प्रवृति को दिखाता है।

(करोड़ रुपए)

| 1992 | 1993 | 1994 | जनवरी-जून, 1995 |
|---|---|---|---|
| 149.69 | 559.59 | 1108.31 | 1063.65 |

[हिन्दी]

## पर्यटक स्थलों को सुन्दर बनाने के लिए अनुदान

**1677. डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु राज्यों में पर्यटक स्थलों को सुन्दर बनाने के लिए अनुदान आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ 1995-96 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) पर्यटन विभाग ने स्मारकों का नवीकरण करने और उनके चारों ओर के स्थलों का सुधार करने के लिए एक स्कीम तैयार की है जिसमें-भू-दृश्यांकन और स्मारकों/हैरिटेज इमारतों के चारों और के क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण शामिल हैं।

(ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर भरोसा करते हुए उनकी पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर धन स्वीकृत तथा रिलीज किया जाता है।

## भारत पर्यटन विकास निगम के शेयर

1678. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम की शेयर पूंजी कितनी है, कितने शेयर बेचे गए तथा एक प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार अपने शेयर भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम, बैंक म्यूचुअल फंड तथा निगम के कर्मचारियों को बेचने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार एकत्रित हुई धनराशि से अपने होटलों को जीर्णोद्धार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यठम मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) भारत पर्यटन विकास निगम की वर्तमान शेयर पूंजी 67.5194 करोड़ रु० है। अद्यतन स्थिति के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम की सम्पूर्ण इक्विटी भारत सरकार के अधिकार में है। जनवरी, 1995 में भारत पर्यटन विकास निगम के 10-10 रुपए वाले 67,51,000 शेयरों को 51,98,175 रु० के कुल मूल्य पर बेचा गया था। शेयर प्रमाण पत्रों के सफल बोलीकर्त्ताओं को स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया हाथ में है।

(ख) जहां तक आर्थिक संस्थानों को शेयरों के विक्रय का संबंध है, जब कभी सरकार और अपनिवेश करेगी तो उन सभी को जो भारत में शेयर धारण करने के पात्र हैं, को शेयरों हेतु आवेदन करने का एक अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। जहां तक भारत पर्यटन विकास निगम के स्टाफ का संबंध है, भारत पर्यटन विकास निगम के प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 10-10 रु० प्रति शेयर वाले शेयरों को 65 रु० प्रति शेयर की दर से अधिक से अधिक 200 शेयर प्रदान करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। यह इस प्रतिबंध की शर्त के अधीन होगा कि कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली कुल पेशकश प्रदत्त पूंजी के 5% से अधिक न हो।

(ग) और (घ). जी, नहीं। अपनिवेश की आय को (यदि कोई है) भारत की समेकित निधि में क्रेडिट किया जाता है।

**[अनुवाद]**

## इंदौर हवाई अड्डे का विस्तार

1679. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इंदौर हवाई अड्डे का विस्तार कार्य अपने नियंत्रण में लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) और (ख). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इंदौर हवाई अड्डे को वहां सीमा शुल्क और आप्रवासन संबंधी सुविधाएं जुटा कर एक आदर्श हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है। यह कार्य दिसम्बर, 1996 तक पूरा हो जाने की आशा है।

## ताम्बे समिति की रिपोर्ट

1680. **श्री राम कापसे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "बैंक आफ महाराष्ट्र" की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारणों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित की गई ताम्बे समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक आफ महाराष्ट्र के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में समिति द्वारा की गई सिफारिशें निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित हैं :-

(1) वित्तीय पुनर्संरचना।

(2) नेतृत्व एवं निर्देशन।

(3) संगठनात्मक ढांचा

(4) जमाराशियां, ऋण एवं अन्य कारोबार परिचालन।

(5) मानव संसाधन प्रबंध।

(6) महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां।

भारतीय रिजर्व बैंक समिति की सिफारिशों की जांच कर रहा है।

## वी० ए० बी० ए० एल० योजना का दुरुपयोग करने वाली फर्में

1681. **श्री मोहन रावले** : क्या वित्त मंत्री वी० ए० बी० ए० एल० योजना का दुरुपयोग करने वाली फर्मों पर छापे मारने के बारे में 29 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 911 के उत्तर के संबंध में यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी व्यापार महानिदेशक द्वारा वी० ए० बी० ए० एल० योजना का दुरुपयोग करने वाली फर्मों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इन फर्मों द्वारा 5.31 करोड़ रुपए की आय पर की गई चोरी पर, जैसाकि इन फर्मों ने बताया है, इनमें से प्रत्येक फर्म से कर की कितनी राशि वसूल की गई;

(ग) क्या इस संबंध में किसी को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना का दुरूपयोग करने वाली फर्मों के विरूद्ध जांच आरंभ कर दी गई है।

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन जांच पड़ताल पूरी होने के पश्चात् ही दाण्डिक कार्रवाई की जा सकती है।

(ख) संबंधित कर-निर्धारण पूरे नहीं किए गए हैं, अत: अपवंचित आय पर करों की वसूली नहीं की गई है। तथापि, पदमिनी पालिमर्स लि॰ नामक एक फर्म ने 25 लाख रु॰ का भुगतान किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जांच कार्य पूरे नहीं किए गए हैं।

## भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा रेस्तराओं और बारों को लीज पर दिया जाना

**1682. श्री तरित वरण तोपदार :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों से जुड़े हुए रेस्तरां और बार प्राइवेट आपरेटरों को लीज पर देने से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटलों में रेस्तराओं को लीज पर देने से अर्जित राजस्व निम्नानुसार हैं :–

| वर्ष | अर्जित राजस्व (रु॰ लाखों में) |
|---|---|
| 1991-92 | 86.33 |
| 1993-94 | 83.85 |
| 1994-95 | 121.46 (अनन्तिम) |

भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने किसी भी होटल में कोई बार पट्टे पर नहीं दिया है।

## पटसन की जमाखोरी

**1683. श्री चित्त बसु :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन की बड़े पैमाने पर जमाखोरी हो रही है जिसके कारण इसके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) :** (क) से (ग). 1994-95 के पटसन मौसम की अन्तिम तिमाही के दौरान मुख्यतया मांग और पूर्ति के बीच विषमता रहने के कारण कच्चे पटसन की कीमतों में वृद्धि हुई। बुआई के समय प्रतिकूल मौसम होने के कारण वर्ष 1995-96 के मौसम की अनिश्चित फसल संभावनाओं के कारण इस पर और प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप बाजार में फसल के आने में प्रत्याशित विलम्ब हुआ। उस समय कच्चे पटसन की कीमतों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार अनेक कदम उठाए गए जैसे :–

1. ऐसी मिलों को जिनके पास 8 सप्ताह या उससे अधिक की खपत करने की मांग के माल सूची थी उन्हें पटसन (लाइसेंस तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के अंतर्गत निर्देश दिया गया कि वे आगे खरीदारी करनी आस्थगित कर दें।
2. 500 क्विटल से अधिक का स्टाक रखने वाले कच्चे पटसन के व्यापारियों को कहा गया कि वे पटसन आयुक्त के कार्यालय में आगे स्टाक की घोषणा करें।
3. कोई आयात शुल्क के भुगतान बिना ओ॰ जी॰ एल॰ के अंतर्गत कच्चे पटसन का स्वतंत्र रूप से आयात करने की अनुमति दी गई तथा
4. राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने लाइसेंस/प्रवर्त्तन तंत्र को सक्रिय बनाएं।

कच्चे पटसन की कीमतों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति को रोक दिया गया है तथा कीमतों में गिरावट आने की प्रवृत्ति दिखाई देनी शुरू हो गई है।

## रेशम अपशिष्ट का निर्यात

**1684. श्री छीतूभाई गामीत :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान रेशम अपशिष्ट का कुल कितना निर्यात हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में रेशम अपशिष्ट की कमी को देखते हुए इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में गुजरात सरकार से भी अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) :** (क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 (दिसम्बर, 94 तक) के दौरान रेशम अपशिष्ट के कुल निर्यात क्रमश: 286 मी॰ टन और 647 मी॰ टन थे।

(ख) और (ग). सरकार को कर्नाटक सरकार, कुछ रपन रेशम मिलों तथा साथ ही साथ कुछ रीलर संघों से अपशिष्ट रेशम के अप्रतिबंधित निर्यात की मौजूदा नीति के पक्ष व विपक्ष दोनों के प्रति अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इसलिए सरकार ने रेशम अपशिष्ट के निर्यात की मौजूदा नीति की पुनरीक्षा करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था। रेशम अपशिष्ट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## कृषि श्रमिकों के लिए योजनाएं

**1685. डा॰ असीम बाला :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पूरे देश में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई योजना शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). सरकार आई॰ आर॰ डी॰ पी॰, जे॰ आर॰ वाई॰, ई॰ ए॰ एस॰, आई॰ ए॰ वाई॰, ट्राइसेम, डी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ सी॰ आर॰ ए॰ आदि जैसी अनेक गरीबी उन्मूलक और रोज़गार सृजक योजनाएं चला रही हैं जो मुख्यत: भूमिहीन खेतिहार श्रमिकों सहित गरीब ग्रामीणों के लाभ के लिए हैं। आठवीं योजना के दौरान, ग्रामीण विकास के लिए 30,000 करोड़ रु॰ का परिव्यय निर्धारित किया गया है जबकि इससे पूर्व की योजना अवधि के दौरान यह 10,650 करोड़ रुपये था।

### विवरण

| क्रम सं॰ | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | खेतिहर श्रमिकों की संख्या (1991 की जनगणना) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | भारत | 74,597,744 (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 11,625,159 |
| 2. | असम | 844,964 |
| 3. | बिहार | 9,512,892 |
| 4. | गुजरात | 3,230,547 |
| 5. | हरियाणा | 896,782 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 58,668 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | -- |
| 8. | कर्नाटक | 4,999,959 |
| 9. | केरल | 2,120,452 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 5,863,029 |
| 11. | महाराष्ट्र | 8,313,223 |
| 12. | मणिपुर | 47,350 |
| 13. | मेघालय | 89,492 |
| 14. | नागालैंड | 7,233 |
| 15. | उड़ीसा | 2,976,750 |
| 16. | पंजाब | 1,452,828 |
| 17. | राजस्थान | 1,391,670 |
| 18. | सिक्किम | 12,851 |
| 19. | तमिलनाडु | 7,896,295 |
| 20. | त्रिपुरा | 187,538 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 7,833,258 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 5,055,478 |
| 23. | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 4,989 |
| 24. | अरूणाचल प्रदेश | 20,054 |
| 25. | चंडीगढ़ | 1,642 |
| 26. | दादरा और नगर हवेली | 6,233 |
| 27. | दिल्ली | 25,195 |
| 28. | गोवा | 35,284 |
| 29. | दमण और दीव | 1,199 |
| 30. | लक्षद्वीप | -- |
| 31. | मिजोरम | 9,527 |
| 32. | पांडिचेरी | 77,203 |

## कृषि मजदूरों हेतु न्यूनतम मजदूरी

**1686. डा॰ सुधीर राय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की गारन्टी देने संबंधी एक विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह विधेयक कब पेश किया जाएगा ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) से (ग). विद्यमान अधिनियम अर्थात् न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अन्यों के साथ-साथ कृषि श्रमिकों पर भी लागू होता है।

## अमरीका में भारतीय व्यापारियों का शिष्टमंडल

**1687. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-अमरीकी व्यापार एवं उद्योग संघ को सितम्बर, 1995 में अमरीका जाने वाले भारतीय व्यापारियों के शिष्टमंडल का नेतृत्व करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका के दौरे पर जाने वाले इस शिष्टमंडल के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ङ) क्या भारतीय व्यापारियों के चयन हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस दौरे से देश को लाभ मिलेगा; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** (क) से (ज). भारत-अमरीकी वाणिज्य मण्डल ने सूचित किया है कि वे सितम्बर, 1995 में अमरीका को एक व्यापारिक शिष्टमण्डल भेज रहे हैं। वाणिज्य मण्डल इस शिष्टमण्डल का गठन स्व-निर्धारित मानदण्डों के अनुसार करता है और इसके लिए सरकार की औपचारिक अनुमति अथवा भागीदारी की जरूरत नहीं है। मण्डल ने यह भी सूचित किया है कि शिष्टमण्डल का मुख्य ध्यान ऑटोमोबाइल संघटकों पर केन्द्रित रहेगा। इस प्रकार के निजी-क्षेत्र के शिष्टमण्डल विनिर्माण और निर्यात के लिए भारतीय कम्पनियों को अमरीकी बाजार का दोहन करने और तीसरी दुनिया के बाजारों के दोहन की संयुक्त रूप से पता लगाने में मदद करते हैं।

## लागत लेखा शाखा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें

**1688. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लागत लेखा शाखा द्वारा विभिन्न मंत्रालयों को भेजी गई रिपोर्टों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक रिपोर्ट में क्या-क्या सिफारिशें की गई है; और

(ग) लागत लेखा शाखा की किन-किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लागत लेखा शाखा द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को भेजी गई रिपोर्टों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादों/सर्विसिज का मूल्य निर्धारण, वृद्धि के दावों, मजदूरी ढांचे, लागत लेखाकरण प्रणालियों आदि की जांच शामिल है।

(ग) लागत लेखा शाखा की रिपोर्टों पर कार्रवाई करना प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग का काम है। वे की गई कार्रवाइयों से लागत लेखा शाखा को हमेशा अवगत नहीं कराते हैं।

### विवरण

**लागत लेखा शाखा द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों को भेजी गई सूचनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-**

| क्रम सं. | विषय | प्रयोक्ता मंत्रालय |
|---|---|---|
| | 1992-93 के दौरान किए गए अध्ययन | |
| 1. | वृद्धि के दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 2. | वृद्धि के दावों की जांच | रेल मंत्रालय |
| 3. | नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन द्वारा सप्लाई किए गए वस्त्रों का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्राल |
| 4. | वृद्धि के दावों की जांच | रेल मंत्रालय |
| 5. | वृद्धि के दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 6. | हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लि. (पी. एस. यू.) द्वारा एन. एम. ई. पी. को सप्लाई किए गए कीटनाशकों का मूल्य निर्धारण | रसायन और पैट्रो-रसायन मंत्रालय |
| 7. | वृद्धि के दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |

| क्रम सं॰ | विषय | प्रयोक्ता मंत्रालय |
|---|---|---|
| 8. | वृद्धि के दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 9. | मजदूरी वृद्धि दावों की जांच | रेल मंत्रालय |
| 10. | लैवी शूगर की नियामक वितरण लागत का निर्धारण | खाद्य मंत्रालय |
| 11. | भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि॰ द्वारा रेलवे को सप्लाई किए गए टैक्शन इक्विपमैंट का मूल्य निर्धारण | रेल मंत्रालय |
| 12. | ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (पी॰ एस॰ यू॰) द्वारा सप्लाई किए गए ऊनी वस्त्रों का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |
| 13. | हवाई फोटोग्राफी का मूल्य निर्धारण | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| 14. | वृद्धि दावे | रक्षा मंत्रालय |
| 15. | नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन (पी॰ एस॰ यू॰) द्वारा सप्लाई किए गए टैक्सटाइल्स वस्त्रों का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |
| 16. | वृद्धि दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 17. | वृद्धि दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 18. | हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लि॰ (पी॰ एस॰ यू॰) द्वारा एन॰ एम॰ ई॰ पी॰ को सप्लाई किए गए कीटनाशकों का मूल्य निर्धारण | रसायन एवं पैट्रो-रसायन मंत्रालय |
| 19. | वृद्धि दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 20. | वृद्धि दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 21. | लोक सभा सचिवालय ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी के फ्लैटों के लागत की जांच | लोक सभा सचिवालय |
| 22. | वृद्धि दावों की जांच | रेल मंत्रालय |
| 23. | एसोसिएशन आफ कारपोरेशन और अपैक्स सोसाइटीज आफ हैण्डलूम द्वारा डी॰ जी॰ एस॰ एण्ड डी॰ को सप्लाई किए गए हैण्डलूम वस्त्रों का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |
| 24. | अर्डिनैंस फैक्टरीज, अवाडी एण्ड मेडक की लागत लेखा प्रणाली | रक्षा मंत्रालय |
| 25. | नेशनल हाइवे वर्क्स के कार्य-निष्पादन के लिए राज्य सरकारों को देय प्रभारों का अध्ययन | भूतल परिवहन मंत्रालय |
| 26. | मजदूरी वृद्धि दावों की जांच | रेल मंत्रालय |
| 27. | नेशनल टैक्सटाइल्स मिल्स (पी॰ एस॰ यू॰) द्वारा सप्लाई किए गए ऊनी वस्त्रों का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |

| क्रम सं० | विषय | प्रयोक्ता मंत्रालय |
|---|---|---|
| 28. | डाक-सेवाओं की लागत के अभिनिश्चयन के लिए प्रणाली-विज्ञान | संचार मंत्रालय |
| 29. | मजदूरी वृद्धि दावे | रेल मंत्रालय |
| 30. | हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लि० (पू० एस० यू०) द्वारा एन० एम० ई० पी० को सप्लाई किए गए कीटनाशकों का मूल्य निर्धारण | रसायन एवं पैट्रो-रसायन मंत्रालय |
| 31. | हवाई फोटोग्राफी का मूल्य निर्धारण | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| 32. | प्राकृतिक रबड़ का मूल्य निर्धारण | वाणिज्य मंत्रालय |
| 33. | सर्दन इंसक्टिसाइड्स कारपोरेशन लि० (पी० एस० यू०) द्वारा एन० एम० ई० पी० को सप्लाई किए गए कीटनाशकों का मूल्य निर्धारण | रसायन एवं पैट्रो-रसायन मंत्रालय |
| 34. | मजदूरी वृद्धि दावों की जांच | रेल मंत्रालय |
| 35. | वृद्धि दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 36. | उत्तर रेलवे को आर्थिक सहायता की जांच | प्रधानमंत्री कार्यालय |
| | **1993-94 के दौरान किए गए अध्ययन** | |
| 1. | ऊनी वस्त्रों का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |
| 2. | एसोसिएशन आफ कारपोरेशन्स एण्ड अपैक्स सोसाइटी आफ हैण्डलूम | वस्त्र मंत्रालय |
| 3. | उत्तर रेलवे को आर्थिक सहायता की जांच | लोक सभा सचिवालय |
| 4. | हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइडस लि० (पी० एस० यू०) द्वारा एन० एम० ई० पी० को सप्लाई किए गए कीटनाशकों का मूल्य निर्धारण | रसायन एवं पैट्रो-रसायन मंत्रालय |
| 5. | एसोसिएशन आफ कारपोरेशन्स एण्ड अपैक्स सोसाइटीज आफ हैण्डलूम द्वारा सप्लाई की गई हैण्डलूम वस्तुओं का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |
| 6. | नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन (पी० एस० यू०) द्वारा सप्लाई किए गए वस्त्रों का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |
| 7. | सीमा सुरक्षा बल द्वारा निर्मित टीयर गैस गन का लागत अध्ययन | गृह मंत्रालय |
| 8. | वृद्धि दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 9. | टायर उद्योग पर बी० आई० सी० पी० की रिपोर्ट की संवीक्षा | उद्योग मंत्रालय |
| 10. | वैगन इण्डस्ट्री में ओवरहैड चार्ज का लागत अध्ययन | रेल मंत्रालय |
| 11. | वृद्धि दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |

| क्रम सं० | विषय | प्रयोक्ता मंत्रालय |
|---|---|---|
| 12. | हवाई फोटोग्राफी कार्य का मूल्य निर्धारण | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| 13. | नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन द्वारा सप्लाई किए गए वस्त्रों का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |
| 14. | डाक विभाग को देय अभिकरण प्रभार के संशोधन का लागत अध्ययन | वित्त मंत्रालय |
| 15. | प्राकृतिक रबड़ का मूल्य निर्धारण | वाणिज्य मंत्रालय |
| 16. | फिल्म प्रोसैसिंग दरों का लागत अध्ययन | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय |
| 17. | वृद्धि दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 18. | मजदूरी वृद्धि-दावों की जांच | रेल मंत्रालय |
| 19. | मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का मानक निर्धारण | कृषि मंत्रालय |
| 20. | उत्तर रेलवे को आर्थिक सहायता की जांच | प्रधान मंत्री कार्यालय |
| 21. | मोनो ब्लाक स्लीपर्स का अध्ययन लागत | रेल मंत्रालय |
| 22. | ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (पी० एस० यू०) द्वारा ऊनी वस्त्रों का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |
| 23. | बी० एच० ई० एल० द्वारा ट्रैक्शन इलैक्ट्रिक का मूल्य निर्धारण | रेल मंत्रालय |
| | **1994-95 के दौरान किए गए अध्ययन** | |
| 1. | वृद्धि के दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 2. | हवाई फोटोग्राफी का मूल्य निर्धारण | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| 3. | एसोसिएशन आफ कारपोरेशन्स एण्ड अपैक्स सोसाइटीज आफ हैण्डलूम द्वारा हैण्डलूम का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |
| 4. | एसोसिएशन आफ कारपोरेशन्स एण्ड अपेक्स सोसाइटीज आफ हैण्डलूम द्वारा दरियों का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |
| 5. | वृद्धि के दावों की जांच | रेल मंत्रालय |
| 6. | हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लि० (पी० एस० यू०) द्वारा एन० एम० ई० पी० को सप्लाई किए गए कीटनाशकों का मूल्य निर्धारण | रसायन एवं पैट्रो-रसायन मंत्रालय |
| 7. | सर्दन पेस्टीसाइड्स कारपोरेशन लि० (पी० एस० यू०) द्वारा एन० एम० ई० पी० को सप्लाई किए गए कीटनाशकों का मूल्य निर्धारण | रसायन एवं पैट्रो-रसायन मंत्रालय |
| 8. | कम्प्यूटर केन्द्र में मुख्य फ्रेम में कम्प्यूटर टाइम के दरों का निर्धारण | योजना मंत्रालय |
| 9. | ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (पी० एस० यू०) द्वारा ऊनी वस्त्रों का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |

| क्रम सं॰ | विषय | प्रयोक्ता मंत्रालय |
|---|---|---|
| 10. | वृद्धि के दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 11. | सी॰ एस॰ बोगीज का लागत अध्ययन | रेल मंत्रालय |
| 12. | नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन (पी॰ एस॰ यू॰) द्वारा सप्लाई किए गए वस्त्रों का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |
| 13. | सेंटर बफर कपलर्स (एच॰ टी॰) का लागत अध्ययन | रेल मंत्रालय |
| 14. | भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि॰ (पी॰ एस॰ यू॰) द्वारा रेलवे को सप्लाई किए गए टैक्शन इलैक्ट्रिक्स मूल्य निर्धारण | रेल मंत्रालय |
| 15. | वैगन यूनिट के मजदूरी ढांचे की जांच | रेल मंत्रालय |
| 16. | वृद्धि के दावों की जांच | रेल मंत्रालय |
| 17. | वृद्धि/दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 18. | वृद्धि के दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 19. | एसोसिएशन आफ कारपोरेशन और हथकरघा की शीर्ष सोसायटियों द्वारा हथकरघा वस्तुओं का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |
| 20. | वृद्धि के दावों की जांच | रेल मंत्रालय |
| 21. | ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन द्वारा ऊनी वस्त्रों का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |
| 22. | मोटर परिचालित फोरजिंग हेमर का लागत अध्ययन | रेल मंत्रालय |
| 23. | वृद्धि के दावों की जांच | रेल मंत्रालय |
| 24. | वृद्धि के दावों की जांच | रेल मंत्रालय |
| 25. | भारत मौसम विज्ञान विभाग में प्रोफार्मा लेखों का अध्ययन | विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| 26. | सीमा सुरक्षा बल द्वारा टियर गैस गन का मूल्य निर्धारण | गृह मंत्रालय |
| 27. | उत्तर रेलवे को दी गई आर्थिक सहायता की जांच | प्रधानमंत्री कार्यालय |
| 28. | वृद्धि के दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 29. | ऊनी वसत्रों का मूल्य निर्धारण | वस्त्र मंत्रालय |
| 30. | वृद्धि के दावों की जांच | रेल मंत्रालय |
| 31. | वृद्धि के दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 32. | वृद्धि के दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |
| 33. | वृद्धि के दावों की जांच | रक्षा मंत्रालय |

## भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को पट्टे पर देना

**1689. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य-वार कितने होटल चलाए जा रहे हैं;

(ख) इनमें से निजी पार्टियों को पट्टे पर कितने होटल दिए गए हैं;

(ग) निजी पार्टियों को होटल और रेस्तरां पट्टे पर देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निजी पार्टियों के साथ पट्टा करार करते समय क्या प्रतिक्रिया अपनाई जाती है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) भारत पर्यटन विकास निगम, विभिन्न राज्यों में फिलहाल 26 होटल चला रहा है, विवरण निम्नानुसार है:-

| राज्य का नाम | | भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की संख्या |
|---|---|---|
| दिल्ली | | 8 |
| कर्नाटक | | 3 |
| बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश | प्रत्येक में | 2 |
| हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा पश्चिम बंगाल | प्रत्येक में | 1 |

(ख) और (ग). प्राइवेट पार्टियों को भारत पर्यटन विकास निगम का कोई होटल पट्टे पर नहीं दिया गया है। रेस्टोरेंट आवंटित करने के मानदंड निम्नलिखित हैं :-

1. तकनीकी-रूप में मान्य बोली।

2. अपेक्षित क्षेत्र में लाइसेंसधारी की सुविज्ञता और उसका अनुभव।

3. लाइसेंसधारक की आर्थिक सुदृढ़ता।

4. अधिकतम पट्टा की राशि अथवा कारोबार का प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो। उपर्युक्त के अतिरिक्त, लाइसेंसधारक को निविदा दस्तावेज/लाइसेंस करार के अनुसार विभिन्न शर्तों को पूरा करना भी अपेक्षित है।

(घ) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, प्रेस विज्ञापन के माध्यम से जन निविदाओं के आमंत्रण द्वारा तकनीकी और आर्थिक बोलियों को अलग-अलग रूप में आमंत्रित करके, टैंटर अवार्ड के द्वारा बातचीत करके और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेकर रेस्टोरेंट पट्टे पर दिए जाते हैं।

## कृत्रिम धागों का निर्यात

**1690. श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृत्रिम रेशों तथा धागों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) क्या बजट के पश्चात् कृत्रिम रेशों तथा धागों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो जनवरी से अप्रैल, 1995 तक इसके निर्यात के प्रत्येक माह के आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या 1995-96 के दौरान इसके निर्यात का कोई लक्ष्य तय किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से सिंथेटिक फाइबर और यार्न के निर्यात निम्नानुसार हुए :-

(मात्रा टन में)

| | सिंथेटिक फाइबर | सिंथेटिक यार्न |
|---|---|---|
| 1992-93 | 15552 | 32561 |
| 1993-94 | 8862 | 26568 |
| 1994-95 | 11630 | 49254 |

(ख) और (ग). जनवरी से अप्रैल, 1995 की अवधि के दौरान सिंथेटिक फाइबर और यार्न के महीने-वार निर्यात नीचे दिए गए हैं :-

(मात्रा टन में)

| | सिंथेटिक फाइबर | सिंथेटिक यार्न |
|---|---|---|
| जनवरी | 1245 | 5270 |
| फरवरी | 1873 | 5804 |
| मार्च | 2845 | 9706 |
| अप्रैल | 1156 | 5669 |

(घ) और (ङ). सिंथेटिक वस्त्रों (फैब्रिक, मेड अप्स, यार्न और फाइबर) के संबंध में वर्ष 1995-96 के लिए 850 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार सिंथेटिक वस्त्रों सहित वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकों को प्रायोजित करना, प्रमुख बाजारों में मेलों में भाग लेना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराना, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उत्पाद विकास तथा गुणवत्ता उन्नयन करना।

## नोट छापने के कारखाने

**1691. श्री ए॰ वेंकटेश नायक :**

**श्री के॰ जी॰ शिवप्पा :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नोट छापने के सरकारी कारखानों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या नोट छापने के कुछ कारखाने अर्थ-अक्षम नहीं रह गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नोट छापने के इन कारखानों को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) इस समय, देश में दो नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं अर्थात् करेंसी नोट प्रैस, नासिक और बैंक नोट प्रेस, देवास।

(ख) जी नहीं।

(ख) और (घ). प्रश्न नहीं उठता। उत्पादन क्षमता मांग से अधिक हो गई है। इसलिए सरकार विद्यमान सरकारी प्रैसों में नई मशीनरी के स्थापन और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो नई प्रैसों के निर्माण से वर्तमान क्षमता को बढ़ा रही है।

**[हिन्दी]**

## एरण्ड का आयात और निर्यात

**1692. डा॰ लाल बहादुर रावल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देशवार कितने एरण्ड का आयात/निर्यात किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई/कितनी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या एरण्ड के आयात पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम):** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अरण्डी के तेल/बीजों के आयात एवं निर्यात की मात्रा तथा मूल्य संबंधी विवरण संलग्न हैं।

(ख) और (ग). वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत अरण्डी के पौधों तथा अरण्डी के बीजों को आयातों की निषेधात्मक सूची में रखा गया है। अरण्डी के तेल का आयात विशेष आयात लाइसेंस पर ही किया जा सकता है।

## विवरण

(मूल्य लाख रु॰ में)

| अरण्डी के तेल का आयात | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 (फरवरी 95 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सुखाया हुआ अरण्डी का तेल | - | - | - | - | - | - |
| औषधीय अरण्डी का तेल | - | - | - | - | - | - |
| अरण्डी के तेल का आयात (नेपाल) | - | - | 3 | 0.13 | - | - |
| अरण्डी का तेल एवं इसका अंश | | | | | | |
| (इटली) | - | - | - | - | 1 | 0.6 |
| यू॰ एस॰ ए॰ | - | - | - | - | नगण्य | 0.0 |
| **अरण्डी के तेल का निर्यात** | | | | | | |
| क॰ निर्जीलत अरण्डी का तेल | | | | | | |
| आस्ट्रेलिया | 24 | 7.87 | 38 | 17.87 | 19 | 7.75 |
| बेल्जियम | - | - | 40 | 13.58 | 51 | 15.73 |
| कनाडा | - | - | - | - | 62 | 18.34 |
| चाइनीज ताइपेई | 10 | 3.70 | - | - | - | - |
| फ्रांस | 2030 | 345.17 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जर्मन संघीय गणराज्य | 80 | 29.99 | 20 | 7.81 | 20 | 8.11 |
| इटली | - | - | 2 | 0.83 | 26 | 8.63 |
| जापान | 60 | 26.62 | 30 | 14.94 | 376 | 319.61 |
| कोरिया गणराज्य | - | - | 6 | 1.23 | 2 | 0.63 |
| कुवैत | 16 | 3.34 | - | - | - | - |
| मलेसिया | Neg | 0.11 | - | - | - | - |
| नीदरलैंड | 1839 | 283.43 | 19 | 4.89 | 2075 | 447.23 |
| न्यूजीलैंड | 66 | 20.74 | 104 | 74.83 | 127 | 55.18 |
| नाइजीरिया | 125 | 30.20 | - | - | - | - |
| रूस | - | - | - | - | 48 | 13.97 |
| सउदी अरब | - | - | 1 | 0.35 | 15 | 5.76 |
| सिंगापुर | 15 | 4.19 | 17 | 7.33 | - | - |
| स्पेन | 93 | 28.91 | 47 | 17.05 | 32 | 12.44 |
| थाइलैंड | 1495 | 234.27 | 496 | 138.74 | - | - |
| यू. ए. ई. | 46 | 11.56 | - | - | - | - |
| यू. के. | Neg | 0.01 | - | - | - | - |
| यू. एस. ए. | 1278 | 368.29 | 1951 | 338.45 | 5884 | 1578.16 |
| **औषधीय अरंडी तेल** | | | | | | |
| आस्ट्रेलिया | - | 0.78 | - | - | - | |
| ब्राजील | - | - | - | 668.37 | - | 28.04 |
| मिस्र | - | 14.25 | - | - | - | - |
| फ्रांस | - | 871.40 | - | 461.56 | - | 999.28 |
| हांगकांग | - | - | - | 484.73 | - | - |
| इंडोनेशिया | - | 2.90 | - | - | - | |
| जापान | - | - | - | 80.25 | - | 83.98 |
| लाइबेरिया | - | - | - | - | - | 0.34 |
| मारीशस | - | - | - | - | - | 0.41 |
| नेपाल | - | - | - | - | - | 0.04 |
| नीदरलैंड | - | 549.94 | - | 169.32 | - | - |
| न्यूजीलैंड | - | - | - | 0.38 | - | - |
| रूस | - | - | - | - | - | 6.00 |
| सिंगापुर | - | 4.16 | - | - | - | - |
| स्पेन | - | 45.80 | - | 278.44 | - | - |
| थाइलैंड | - | - | - | 373.78 | - | - |
| यू. ए. ई. | - | - | - | - | - | 0.69 |
| यू. एस. ए. | - | 25.71 | - | 1299.42 | - | 6.49 |

स्रोत : डी. जी. सी. आई. एंड एस., कलकत्ता

## विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं

**1693. श्री सुरेशानन्द स्वामी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से लागू की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से अनेक परियोजनाओं पर कार्य विश्व बैंक से समय पर धनराशि न मिलने के कारण बन्द हो गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मामले में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बातचीत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में जिन राज्य/बहुराज्यीय परियोजनाओं, जिनके लिए निधियां राज्य बजट के माध्यम से आती हैं, का कार्यान्वयन चल रहा है उनका विवरण निम्नलिखित है :–

(मिलियन अमरीकी डालर)

| | परियोजना का नाम | दाता एजेंसी | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश शहरी विकास | आई. डी. ए. | 130.00 |
| 2. | उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा | आई. डी. ए. | 165.00 |
| 3. | उत्तर प्रदेश लवणीय भूमि सुधार | आई. डी. ए. | 54.70 |
| 4. | झींगा और मछली पालन (बहुराज्यीय) | आई. बी. आर. डी./ आई. डी. ए. | 85.00 |
| 5. | राज्य सड़क परियोजना (बहुराज्यीय) | आई. बी. आर. डी./ आई. डी. ए. | 200.275 |
| 6. | जनसंख्या-VI (बहुराज्यीय) | आई. बी. आर. डी./ आई. डी. ए. | 124.6 |
| 7. | तकनीकी शिक्षा-I (बहुराज्यीय) | आई. बी. आर. डी./ आई. डी. ए. | 218.215 |

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

## रुपया-आधारित व्युत्पन्न प्रणाली शुरु करना

**1694. श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा संबंधी विशेषज्ञ दल ने रुपया आधारित व्युत्पन्न प्रणाली शुरु करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख). श्री ओ. पी. सोधानी, कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में भारत के विदेशी मुद्रा बाजारों से संबंधित एक विशेषज्ञ दल ने जून, 1995 को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि मुद्रा बाजार में सुधार तथा विदेशों से अल्पावधि निधियों का निवेश/उधार प्राप्त होने के बाद भारत में आगे चलकर सुधारों का केन्द्र बिन्दु रुपया आधारित व्युत्पन्न प्रणाली की शुरूआत होनी चाहिए। दल ने सुझाव दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक रुपया-आधारित व्युत्पन्न प्रणाली प्रस्तुत करने के लिए बैंकों से विस्तृत प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है, लेकिन उसने ऐसी व्युत्पन्न प्रणाली के ब्यौरों की जांच नहीं की है।

(ग) दल द्वारा दिए गए सुझावों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है।

## बाल श्रमिक

**1695. डा. पी. बल्लल पेरुमान :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा बाल श्रम प्रथा उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए 1995-96 के लिए विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई ?

**श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :** 1995-96 में अब तक 17,46,667 रुपए की राशि जारी की गई है। यह राशि कांच उद्योग में हटाए गए 1000 बालिकों को शामिल करने के लिए, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत 10 नए विशेष सकूल खोलने के लिए बाल श्रम कल्याण समिति, फिरोजाबाद, उ. प्र. को दी गई है।

## बाल श्रमिक

**1696. श्रीमती शीला गौतम :**

**श्री राजवीर सिंह :**

**श्री राजेश कुमार :**

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें समय-समय पर बाल श्रमिक कानूनों को लागू करने के संबंध में अपनी रिपोर्टें भेजती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक बाल श्रमिक कानूनों को लागू नहीं करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक राज्य में बाल श्रमिक कानूनों को लागू करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा)** : (क) और (ख). जी, हां। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र, बाल श्रम संबंधी बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट भेजते हैं। वर्ष 1993-94 हेतु राज्यवार प्रवर्तन आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) बाल श्रम कानून सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लागू हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

### विवरण

1993-94

| क्रम सं॰ | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | निरीक्षणों की संख्यां | | उल्लंघनों की संख्या | | अभियोजनों की संख्या | | सिद्ध दोषों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बाल अधि॰ | कार अधि॰ | बाल॰ अधि॰ | कार॰ अधि॰ | बाल॰ अधि॰ | कार॰ अधि॰ | बाल॰ अधि॰ | कार॰ अधि॰ |
| 1. | गुजरात | 2440 | 7885 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | बिहार | 1321 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 72 | 61 | - | - | 14 | 15 | 10 | 17 |
| 4. | हरियाणा | 241 | 143 | 45 | 2 | - | - | - | - |
| 5. | केरल | - | 3820 | - | - | - | 3 | - | - |
| 6. | मध्य प्रदेश | 2588 | 1437 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | महाराष्ट्र | 731 | 13415 | 29 | 37 | 21 | 37 | - | - |
| 8. | मणीपुर | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | मेघालय | 290 | 191 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | उड़ीसा | 95 | 45 | 79 | 2 | - | 2 | - | - |
| 11. | पंजाब | 726 | 277 | 1 | 3 | 1 | 219 | - | 204 |
| 12. | राजस्थान | 181 | 836 | - | - | 1 | - | - | - |
| 13. | तमिलनाडु | - | 6612 | - | 75 | - | 37 | 1 | 5 |
| 14. | त्रिपुरा | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 7986 | 263 | 1645 | 29 | 1271 | 11 | 254 | 8 |
| 16. | दमन और दीव | 15 | 17 | 11 | 12 | - | - | - | - |
| 17. | दिल्ली | 187 | 286 | - | - | - | - | - | - |
| | कुल: | 16,861 | 35,378 | 1,814 | 160 | 1,308 | 324 | 264 | 234 |

## निर्यात प्रोसेसिंग जोनों का कार्य-निष्पादन

**1697. श्री जगमीत सिंह बरार :**

**श्री नवल किशोर राय :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सात निर्यात प्रोसेसिंग जोनों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने औद्योगिक एकक 1994-95

के दौरान कार्य कर रहे थे;

(ग) इन एककों ने इस अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की; और

(घ) 1994-95 के दौरान इन एककों द्वारा कितने मूल्य का आयात और निर्यात किया गया और उक्त अवधि के दौरान देश के कुल आयात और निर्यात का यह कितने प्रतिशत है?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्):** (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान निर्यात संसाधन क्षेत्रों में 498 औद्योगिक एकक कार्यरत थे।

(ग) और (घ). वर्ष 1994-95 के दौरान ई॰ पी॰ जेड्स के औद्योगिक एककों द्वारा किए गए निर्यात एवं आयात क्रमशः 2653.11 करोड़ रु॰ तथा 1705.46 करोड़ रुपए के थे। जहाँ ई॰ पी॰ जेड्स के निर्यात भारत के कुल निर्यातों का 3.22% थे, वहां देश के आयातों में ई॰ पी॰ जेड एककों का हिस्सा 1.92% बैठता है।

**[अनुवाद]**

## फर्जी बीमा पालिसी

**1698. श्रीमती सरोज दुबे :**

**श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

**श्री प्रमथेश मुखर्जी :**

**श्री विलासराव नागनाथ राव गुंडेवार :**

**श्री विलास मुत्तेमवार :**

**श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जीवन बीमा निगम द्वारा कितनी पालिसी जारी की गईं और इनमें से अब तक कितने मामले फर्जी पाए गए;

(ख) इसके परिणामस्वरूप जीवन बीमा निगम को अनुमानतः कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या इस बीच इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस फर्जी बीमा कारोबार पर रोक लगाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) से (ङ). भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके द्वारा जारी की गई जीवन बीमा पालिसियों की संख्या निम्नलिखित है :-

| वर्ष | पालिसियों की संख्या |
|---|---|
| 1992-93 | 99,57,848 |
| 1993-94 | 1,07,25,633 |
| 1994-95 | 1,08,74,682 |

प्रीमियम प्राप्त करने के पश्चात् ही जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसियां जारी की जाती हैं। यद्यपि जीवन बीमा निगम की कुछ शाखाओं से कतिपय अनियमितताओं की सूचना मिली है जहां अस्तित्वहीन जीवन पर पालिसियां जारी की गई हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इनकी छानबीन की जा रही है।

जीवन बीमा निगम ने आगे सूचित किया है कि इसके पास प्रत्येक कार्यालय के लिए, प्रतिवर्ष आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण तथा साथ ही साथ शर्तों को वार्षिक आधार पर बन्द करने के समय प्रत्येक मंडलीय कार्यालय की विशेष लेखापरीक्षा करने और निरीक्षण, करने की एक प्रणाली है। ये संचालन प्रभावी पाए गए हैं।

## साधारण बीमा निगम के शाखा कार्यालय

**1699. श्री हरचन्द सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम का विचार 1995-96 के दौरान अपनी सहायक कम्पनियों के कुछ नए क्षेत्रीय कार्यालय, डिवीजन कार्यालय और शाखा कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनी-वार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख) इस समय बीमा कम्पनियां विद्यमान कार्यालयों को सुदृढ़ बनाने पर बल दे रही हैं। जबकि नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने भारतीय साधारण बीमा निगम की पूर्व स्वीकृति से दो नए क्षेत्रीय कार्यालय, एक मुम्बई में एवं एक दिल्ली में खोले हैं, भारतीय साधारण बीमा निगम की अन्य सहायक कम्पनियों ने अभी तक वर्ष 1995-96 के दौरान नए क्षेत्रीय कार्यालय, मण्डल कार्यालय और शाखा कार्यालय खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

## गांजे का निर्यात

**1700. श्री परसराम भारद्वाज :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गांजे का सबसे बड़ा निर्यातक देश है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक देश को निर्यात किए गए गांजे की मात्रा तथा उक्त अवधि के दौरान इससे अर्जित हुई विदेशी मुद्रा के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गांजे के पौधों के नष्ट होने के संबंध में कोई सूचना मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) जी, नहीं। भांग की पौध (जिससे गांजा बनाया जाता है) की खेती, चिकित्सा तथा वैज्ञानिक उद्देश्य को छोड़ कर एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम के अन्तर्गत निषेध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). जी, हां। प्राप्त सूचना के अधार पर वर्ष 1994 के दौरान देश में गैर-कानूनी रूप से 858 एकड़ में की गई भांग की खेती को नष्ट कर दिया गया था। गांजे का सही मूल्यांकन, जो प्राय: अनिर्धारित क्षमता एवं मिश्रण के होते हैं, संभव नहीं है।

## गुजरात के नमक-श्रमिक

**1701. श्री एन॰ जे॰ राठवा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गजरात के नमक-श्रमिक घोर गरीबी का जीवन-यापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इन नमक श्रमिकों की स्थिति सुधारने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह योजना कब से शुरू की जाएगी ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि वह गुजरात में नमक कर्मकारों के कल्याण के लिए अनेक कल्याण योजनाएं/उपाय क्रियान्वित कर रही है, यथा :–

(i) कल्याण केन्द्रों की स्थापना,

(ii) नमक कर्मकारों के बच्चों के लिए बालवाड़ी-सह-शिशु देख-रेख केन्द्र,

(iii) नमक कर्मकारों के लिए प्राथमिक उपचार केन्द्र,

(iv) नमक कर्मकारों के लिए समूह बीमा योजना,

(v) नमक कर्मकारों के आराम और मनोरंजन के लिए आवासीय क्वार्टरों और अन्य सुविधाओं के लिए योजना,

(vi) नमक कर्मकारों के बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण,

(vii) नमक कर्मकारों के लिए चलती-फिरती उचित दर की दुकान,

(viii) नमक कर्मकारों के लिए जल आपूर्ति योजना,

(ix) नमक कर्मकारों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु योजनाएं और

(x) नमक कर्मकारों के आर्थिक विकास के लिए योजना आदि।

## हवाई पट्टियों का निर्माण करने और दर्जा बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव

**1702. डा॰ वसंत पवार** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान देश में नई हवाई पट्टियों का निर्माण करने और वर्तमान हवाई पट्टियों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख). वर्ष 1995-96 के दौरान संघ सरकार से बजटीय सहायता के साथ मेघालय में तुरा, मिजोरम में लेंगपुई, जम्मू और कश्मीर में कारगिल और लक्षद्वीप में अन्द्रोथ में नए हवाई अड्डे स्थापित करने की योजना है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, राजस्थान में उदयपुर और जयपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर और रायपुर, केरल में कालीकट, उड़ीसा में भुवनेश्वर, हिमाचल प्रदेश में शिमला, असम में लीलाबाड़ी और डिब्रूगढ़, त्रिपुरा में अगरतला और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर स्थित धावनपथों के उन्नयन/विस्तार का कार्य प्रगति पर है/किया जा रहा है।

## भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की बकाया राशि

**1703. श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** भारत पर्यटन विकास निगम की बकाया राशि के बारे में 28 अप्रैल, 1995 के तारांकित प्रश्न सं॰–370 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक भारत पर्यटन विकास निगम (आई॰ टी॰ डी॰ सी॰) के होटलों की केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, केन्द्र एवं राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी पार्टियों पर कितनी-कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) उपरोक्त पार्टियों पर बकाया राशि के बढ़ने पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) 31 मार्च, 1994 तक तथा इसके बाद के वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया राशि के कितने मामलों के संबंध में कानूनी कार्यवाही की गई है; और

(घ) 31 मार्च, 1995 तक बकाया राशि के संगत आंकड़े क्या हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :–

| पार्टी का नाम | | भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का बकाया (रु॰ लाखों में) |
|---|---|---|
| केन्द्र सरकार | (31.3.94 की स्थिति | 244.44 |
| राज्य सरकारें | के अनुसार) | 181.28 |

| | |
|---|---|
| केन्द्र सरकार के उपक्रम | 390.18 |
| राज्य सरकार के उपक्रम | 14.19 |
| प्राइवेट पार्टियां | 1498.48 |
| कुल : | 2328.57 |

(ख) प्राय: बकाया की वसूली हेतु उठाए गए कदमों में शामिल हैं :—अनुस्मारकों द्वारा अनुवर्तन, वैयक्तिक सम्पर्क, इकाई और नैगम दोनों स्तरों पर आवधिक पुनरीक्षण तथा जहां आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई।

(ग) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार बकाया प्राप्यों के संबंध में 1994-95 के दौरान 45 मामलों में कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

(घ) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र और राज्य सरकार के उपक्रमों तथा प्राइवेट पार्टियों से भारत पर्यटन विकास निगम का बकाया प्राप्य 25.28 करोड़ (अनन्तिम आंकड़े) था।

[हिन्दी]

## कताई मिलों का आधुनिकीकरण

**1704. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सहकारी कताई मिलों के आधुनिकीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) :** (क) से (ग). राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सहकारी कताई मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव उनके पास लम्बित नहीं हैं।

## राज्य में नागर विमानन का विकास

**1705. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में कार्यान्वित की गई नागर विमानन के विकास संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान आज तक केन्द्रीय सरकार ने नागर विमानन के विकास के लिए प्रत्येक राज्य को योजना वार कितनी धनराशि दी; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में किए गए/किये जा रहे विकास कार्यों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** (क) से (ग). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए हवाई अड्डों के निर्माण और स्तरोन्नयन की बड़ी परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :—

(1) बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं का आधुनिकीकरण।

(2) हवाई अड्डा निगरानी रडारों और मोनोपल्स गौण निगरानी रडारों की प्राप्ति।

(3) आदर्श हवाई अड्डों का विकास।

(4) बम्बई हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल काम्प्लेक्स (चरण-3) का निर्माण।

(5) बम्बई हवाई अड्डे पर अंतर्देशीय टर्मिनल कॉम्प्लेक्स (चरण-2) का निर्माण।

केन्द्र सरकार की बजटीय सहायता से मेघालय में तुरा, मिजोरम में लेंगपुई, जम्मू और कश्मीर में कारगिल और लक्षद्वीप में अन्द्रोथ में नए हवाई अड्डे स्थापित करने की योजनाएं हैं।

सब मिलाकर नागर विमानन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई राशि आबंटित नहीं की है।

[अनुवाद]

## भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा रुग्ण एककों को धनराशि

**1706. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई० आर० बी० आई०) की योजना रुग्ण औद्योगिक एककों को अर्थक्षम बनाने हेतु धन उपलब्ध कराने संबंधी अपनी निर्धारित भूमिका छोड़ देने की है; और

(ख) यदि हां, तो आई० आर० बी० आई० की इस अवधारणा के पीछे मूलाधार क्या है और नई व्यवस्था के अन्तर्गत रुग्ण एककों को धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रमुख संचालनात्मक मानदण्ड अपनाए जाने का प्रस्ताव है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने सूचित किया है कि वह रुग्ण और कमजोर औद्योगिक एककों की तकनीकी आर्थिक एवं वाणिज्यिक अर्थक्षमता के संबंध में संतुष्ट हो जाने के बाद ऐसे एककों के लिए वित्तीय सहायता देना जारी रखते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

## राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों को बैंक ऋण

**1707. श्री कुन्जीलाल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों ने

वर्ष 1994-95 के दौरान कुल कितना ऋण दिया; और

(ख) इन बैंकों में कुल जमा राशि की तुलना में इन ऋणों की प्रतिशतता क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख). मार्च 1995 के अंत की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के बकाया अग्रिम 1232,95 करोड़ रुपए के थे, जो राज्य में इन बैंकों के तद्नुरूपी जमा राशि का 51.96 प्रतिशत तथा कुल जमाराशि का 11.87 प्रतिशत बैठता है।

[अनुवाद]

## "एगजिट नीति" के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी

**1708. श्री एम॰ रमन्ना राय** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1995 के अंत तक केन्द्र सरकार की "एगजिट नीति" के अंतर्गत कितने श्रमिकों की छंटनी की गई है;

(ख) ये श्रमिक किन-किन उद्योगों में कार्यरत थे;

(ग) छंटनी किए गए श्रमिकों को अब तक कितना मुआवजा दिया गया है, और

(घ) केन्द्र सरकार की श्रमिकों हेतु नई व्यावसायिक योजना के अंतर्गत कितने श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया है और ये श्रमिक किन-किन उद्योगों में कार्यरत हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा)** : (क) से (ग). औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में "एगजिट" अथवा किसी प्रतिष्ठान अथवा उसके किसी भाग की बंदी और कर्मकारों की छंटनी के बारे में नीति विहित है। अधिनियम में, जबरी छुट्टी, छंटनी तथा बंदी होने की दशा में कर्मकारों के संरक्षण के लिए कतिपय उपायों का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार, छंटनी किया गया प्रत्येक कर्मकार सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष अथवा छः महीने से अधिक उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह दिनों के औसत वेतन के समतुल्य क्षतिपूर्ति का पात्र है। छंटनी किए जाने के लिए प्रस्तावित कामगार को उसकी छंटनी के लिए कारण दर्शाते हुए लिखित में एक माह/तीन माह का नोटिस भी दिया जाना चाहिए और कोई नोटिस न दिए जाने पर उसे नोटिस की अवधि के लिए मजदूरी की अदायगी की जानी चाहिए।

श्रम ब्यूरो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार छंटनी से संबंधित सूचना एकत्र करता है, 1991 से 1995 तक (जनवरी-मई) छंटनी करने वाली इकाइयों तथा छंटनी किए गए कर्मकारों की उद्योग-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत, औद्योगिक पुनर्संरचना से प्रभावित कर्मकारों को रोजगार संबंधी परामर्श देने, पुनर्प्रशिक्षण, स्व-रोजगार और पुनर्नियोजन/नियुक्ति के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में क्रमशः बम्बई, इंदौर, अहमदाबाद, कानपुर और कलकत्ता में पांच कर्मचारी सहायता केन्द्रों की मंजूरी प्रदान की गई थी। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत एक विशेष प्रशिक्षण योजना को मंद मंजूरी प्रदान की गई है जिसे अधिशेष करार किए गए अथवा स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए कर्मकारों के लिए श्रम मंत्रालय के अधीन रोज़गार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है। 31.3.95 की स्थिति के अनुसार, ऊपर वर्णित 5 केन्द्रों में 1290 कर्मकारों को पुनर्प्रशिक्षित किया गया था। इसके अतिरिक्त 585 कर्मकार रोज़गार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की विशेष प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

### विवरण

**1991-95 के दौरान छंटनी करने वाले एककों की संख्या और चुनिंदा औद्योगिक समूहों द्वारा छंटनी किए गए श्रमिकों की संख्या।**

| उद्योग समूह | 1991 | | 1992 | | 1993 | | 1994 | | 1995 (जनवरी -मई) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क | ख | क | ख | क | ख | क | ख | क | ख |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| खाद्य उत्पाद | 11 | 253 | 5 | 78 | 8 | 211 | 6 | 96 | 1 | 1 |
| बीवरेजेज, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - |
| सूती वस्त्र | 7 | 55 | 2 | 15 | 1 | 6 | 7 | 121 | - | - |
| ऊनी, सिल्क और सिन्थेटिक वस्त्र | 9 | 123 | 6 | 46 | 4 | 83 | - | - | - | - |
| जूट, हेम्प और मेस्ता वस्त्र | - | - | 2 | 33 | - | - | 1 | 5 | - | - |
| कपड़ा उत्पाद | 8 | 156 | 10 | 147 | - | - | 1 | 8 | 3 | 69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इंजीनियरी | 58 | 1451 | 72 | 908 | 59 | 694 | 33 | 449 | 7 | 155 |
| रसायन और रसायन उत्पाद | 9 | 42 | 15 | 157 | 23 | 274 | 11 | 166 | 1 | 12 |
| गैर-धात्विक खनिज उत्पाद | 5 | 117 | 7 | 134 | 5 | 122 | 9 | 114 | - | - |
| अन्य विनिर्माण उद्योग | 15 | 115 | 19 | 295 | 6 | 97 | 3 | 96 | - | - |
| कोयला खनन | 1 | 16 | 1 | 83 | - | - | - | - | - | - |
| गैर-कोयला खनन | 2 | 39 | 1 | 2 | 3 | 176 | - | - | - | - |
| बागान | - | - | 1 | 2 | 1 | 177 | - | - | - | - |
| रबर, प्लास्टिक, पैट्रो और कोयला उत्पाद | 11 | 134 | 10 | 109 | 6 | 52 | 6 | 172 | - | - |
| बैंक और सदृश वित्तीय संस्थान | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| अन्य | 95 | 1878 | 68 | 1820 | 72 | 995 | 57 | 949 | 7 | 85 |
| अखिल भारत | 235 | 4396 | 222 | 3836 | 189 | 2891 | 135 | 2192 | 19 | 322 |

क = एककों की संख्या ख = छंटनी किए गए श्रमिकों की संख्या

- = शून्य स्रोत = श्रम ब्यूरो, शिमला

## विदेशों में भारतीय नागरिकों के खाते

**1709. डा० के० वी० आर० चौधरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में कई बैंकों में अनेक भारतीय नागरिक खाताधारी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा की गई धनराशि का पता लगाने हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मामलों में भारतीय नागरिकों को विदेशी बैंकों में खाते खोलने की सामान्य अनुमति दी है। चूंकि ऐसे खातों में लेन-देन को मॉनीटर करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है अतः इन खातों में जमा की गई धन-राशि बताना सम्भव नहीं है।

## बैंकिंग क्षेत्र का निजीकरण

**1710. श्री येल्लैया नन्दी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में बैंकिंग सेवाओं का निजीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक गठित की गई समितियों/आयोगों और इनके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उन प्रस्तावों, सुझावों का ब्यौरा क्या है, जिन पर सरकार द्वारा अब तक विचार किया गया है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

## महाराष्ट्र में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

**1711. श्री अन्ना जोशी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या उपरोक्त कार्य के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** (क) से (ङ). नांदेड, जलगांव और अमरावती विमानपत्तनों के स्तरोन्नयन तथा शिरडी, अहमदनगर और धुले में नए विमानपत्तनों

के निर्माण हेतु महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से तकनीकी सलाह मांगी थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उन्हें आवश्यक तकनीकी सलाह दे दी है।

चूंकि ये विमानपत्तन महाराष्ट्र राज्य सरकार के हैं इसलिए आवश्यक व्यय महाराष्ट्र राज्य सरकार ही करेगी।

## हस्तशिल्पियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

**1712. श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कालीन बनाने, दरी बुनने, कपड़ों पर छपाई करने तथा हौजरी वस्त्र बनाने जैसे हस्तशिल्प के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु हस्तशिल्पकारों को सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता देती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त प्रयोजनार्थ राजस्थान को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) :** (क) और (ख). जी हां, राज्य निगमों, शीर्ष सहकारी समितियों तथा गैर सरकारी संगठनों को कालीन बनाने, दरी बुनने, वस्त्र छपाई तथा हौजरी बुनाई आदि शिल्पों से शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, राजस्थान के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथ विशिष्ट सिद्ध हस्तशिल्पियों को विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पिछले तीन वर्षों के विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

| क्रमांक | वर्ष | रिलीज की गई राशि (लाख रुपए में) |
|---|---|---|
| 1. | 1992-93 | 19.53 |
| 2. | 1993-94 | 9.40 |
| 3. | 1994-95 | 12.63 |

## "सार्क" देशों के उत्पादों पर शुल्क

**1713. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश और "सार्क" के अन्य अत्यन्त विकसित देशों से कई वस्तुओं के आयात पर शुल्क में भारी कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगला देश की सरकार ने "साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट" के अंतर्गत अपने विभिन्न उत्पादों पर और अधिक कटौती की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और किन-किन वस्तुओं पर शुल्क में और अधिक कटौती की मांग की गई है; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्):** (क) और (ख). सार्क अधिमानी व्यापार प्रबन्ध (साप्टा) के तहत की गई वार्ताओं के प्रथम दौर में भारत ने 106 छह अंकीय टैरिफ लाइनों पर रियायतें देने की पेशकश की है जिनमें से 62 लाइनें केवल बंगलादेश और सबसे कम विकसित देशों के लिए ही है जो लागू परममित्र राष्ट्र-दर के 50% से लेकर 100% तक है। इसके अलावा सबसे कम विकसित देशों से भिन्न सदस्य देशों को दिए जाने वाली रियायतों को कम विकसित देशों सहित सभी साप्टा सदस्यों के बीच बहुपक्षीय बनाया गया है।

(ग) से (ङ). प्रथम दौर में टैरिफ रियायतों के आदान-प्रदान के लिए मदों की सूची को बंगलादेश से प्राप्त अनुरोध-सूची के आधार पर और उनके प्रतिनिधिमण्डल से वार्ताएं करने के बाद अन्तिम रूप दिया गया था। और अगली रियायतों पर बातचीत वार्ताओं के अगले दौर में की जा सकती है।

[हिन्दी]

## महंगाई भत्ता

**1714. श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है;

(ख) क्या 1 जुलाई, 1995 से सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का एक अतिरिक्त किश्त देय हो गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अगली किश्त की घोषणा कब तक की जाएगी तथा कब तक इसका भुगतान कर दिया जाएगा ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) जून माह 1995 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1509 (1960 - 100) है और जुलाई, 1994 जून, 1995 तक की अवधि के लिए 12 महीने का औसत 1436.33 है।

(ख) से (घ). चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृत फार्मूले के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते का संशोधन वर्ष में दो बार पहली जनवरी और पहली जुलाई को किया जाता है जो सामान्यतः क्रमशः मार्च और सितम्बर माह के वेतन के साथ भुगतान योग्य होता है। प्रत्येक ऐसी किश्त की गणना औद्योगिक कामगारों (सामान्य) के लिए-अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960 - 100) के 12 महीने के औसत में 608 के आधार सूचकांक, जिससे 1.1.1986 से प्रभावी मौजूदा वेतनमान संबद्ध हैं, में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है।

[अनुवाद]

## श्रमिकों के लिए योजनाएं

**1715. श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों के कल्याण और खतरनाक उद्योगों में बाल तथा महिला श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी योजनाएं तथा भविष्य निधि नियमों में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में निर्णय लिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन योजनाओं पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) से (ग). सरकार ने अभी हाल में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1927, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम और बोनस अधिनियम आदि में संशोधन करके श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत-सी योजनाओं को अनुमोदित किया है। भविष्य निधि नियमों में परिवर्तन करने ताकि एक पेंशन योजना तैयार की जा सके, का मामला संसद में लम्बित है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूरे-पूरे प्रयास किए जाने हैं कि ऐसे प्रस्तावों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाए।

## बीमा क्षेत्र के वेतनमान

**1716. डा॰ मुमताज अंसारी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा क्षेत्र के वेतनमानों के पुनरीक्षण का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख). भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम ने कर्मचारियों की यूनियनों के साथ वेतन के सम्बन्ध में बातचीत अभी हाल में आरम्भ की है। इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद ही ब्यौरों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

## विमानपत्तनों के विकास हेतु विदेशी सहायता

**1717. श्री इन्द्रकरन रेड्डी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तनों पर सुविधाओं को बढ़ाने तथा उनका आधुनिकीकरण करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ समझौता किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी एजेंसियों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं जिनका विदेशी सहायता से आधुनिकीकरण किया जाना है तथा जिन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** (क) से (ग). सरकार ने किसी भी विदेशी एजेंसी के साथ ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

## कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी

**1718. डा॰ चिन्ता मोहन :**

**श्री जगमीत सिंह बरार :**

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) से (घ). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारें, कृषि में अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण/संशोधन के लिए समुचित सरकारें हैं। अधिनियम में, अधिनियम के उपबंधों को देखने के लिए प्रवर्तन तन्त्र भी स्थापित करने की व्यवस्था है। सभी राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासनों ने अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रवर्तन तन्त्र स्थापित किए हैं। प्रवर्तन तन्त्र नियमित निरीक्षण करता है और अधिनियम के किसी उल्लंघन के उनकी जानकारी में आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

## वस्त्रों के निर्यात

**1719. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी:**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰) और हावर्ड बिजनिस स्कूल के संकाय ने भारतीय वस्त्रों और परिधानों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई उच्चस्तरीय अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एक "गैट" समझौते के अंतर्गत बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए वस्त्र प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों के अध्ययन/विदेशों में प्रशिक्षण हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी)** : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि. (आई. सी. आई. सी. आई.) बम्बई ने हाल ही में हावर्ड बिजनिस स्कूल के सहयोग से बहु रेशा व्यवस्था (एम. एफ. ए.) युगोत्तर की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपरेल उद्योग द्वारा अपनाई जाने वाली अपेक्षित नीति के संबंध में अध्ययन कराया है। अपरेल उद्योग पर अध्ययन की मुख्य सिफारिशें निम्नोक्त प्रकार से हैं :

(1) सरकार फर्म आकार पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना चाहिए, संचय को बढ़ावा देना चाहिए और निवेशों को आकर्षक बनाना चाहिए।

(2) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुकर बनाने के लिए आयात नीति, प्रक्रिया और सीमा शुल्क का पुन: अनुकूलन किया जाना चाहिए।

(3) अनुकूल भण्डार गृहों को प्रोत्साहन देना ताकि आवकों की उपलब्धता सुलभता से सुनिश्चित की जा सके और मूल्य के उतार-चढ़ाव की सभेक्षता को कम किया जा सके।

(4) बड़ी समन्वयकारी कम्पनियां गठित की जाएं ताकि वे लघु उत्पादों के विनिर्माण और उत्पादन किस्म में लचीलेपन का लाभ उठा सकें।

(5) वितरण माध्यमों का अनुकूल अर्जन और यूरोप तथा अमरीका के मार्का के नामों को प्रोत्साहन देना।

(6) सेवा पद्धति पुनरभिविन्यास के लिए केन्द्रों/संस्थाओं को गठित किया जाना चाहिए।

(7) बैंकिंग क्षेत्र की प्रशासनिक नीतियों तथा प्रक्रियाओं का पुन: अनुकूलन करके तुरन्त प्रत्युत्तर के लिए उद्योग तथा व्यापार की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए।

(8) निर्यातकों और आपूर्तिकर्ताओं के निष्पादन निर्धारण को लागू किया जाएगा।

(9) निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

(10) कोटा आवंटन नीति तथा प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए, जिससे प्रभाव शाली अपेरस विनिर्माण आधार बने।

(11) भारतीय बन्दरगाहों को उन्नयन पद्धति द्वारा सामान को उतारने-चढ़ाने में होने वाले विलम्ब को कम करने और बड़ी-बड़ी जहाजरानी कम्पनियों को आकर्षित करना चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## कर्मचारी भविष्य निधि

**1720. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की भविष्य निधि के अंतर्गत प्राप्त अंशदान पर ब्याज अर्जित करने के लिए उन राशि का निवेश किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस राशि का जिस प्रकार से निवेश किया जाता है और इस समय भविष्य निधि की कितनी धनराशि का निवेश नहीं किया गया है और कितनी धनराशि बिना किसी दावे की पड़ी है;

(ग) क्या कर्मचारियों की ओर से उन्हें सेवानिवृत्ति के समय भविष्य निधि की धनराशि न मिलने अथवा जरूरत पड़ने पर समय पर भविष्य निधि से ऋण न मिलने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य निधि संगठन के कार्यकरण को सरल और कारगर बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा)** : (क) जी, हां।

(ख) भविष्य निधि का वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए पैटर्न के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों, केन्द्रीय सरकार की विशेष जमा योजना में सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों आदि के बान्डों/प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। निवेश योग्य निधियों का दैनिक आधार पर नियमित रूप से निवेश किया जाता है। अत: भविष्य निधि की राशि के अनिवेशित पड़ी होने का प्रश्न नहीं उठता। 31.3.94 की स्थिति के अनुसार 72.49 करोड़ रुपए की धनराशि गैर दावाकृत पड़ी हुई है।

(ग) और (घ). भविष्य निधि धनराशि के लिए कर्मचारियों के दावों को देश के भिन्न-भिन्न भागों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा स्थापित विभिन्न उप-क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निपटाया जाता है। कर्मचारियों को भविष्य निधि देयों की अदायगी में विलम्ब के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। तथापि, ऐसे मामलों की संख्या से संबंधित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती हैं।

(ङ) क. भ. नि. अंशदाताओं को शीघ्र सेवा प्रदान करने के लिए क. भ. नि. संगठन में व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। अंशदाताओं के दावों के निपटान का प्रबोधन करने के लिए एक केन्द्रीय कार्य योजना भी प्रारूपित की गई है।

## उड़ीसा में पर्यटन का विकास

**1721. श्री शरत पटनायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में विकास हेतु कोई कार्य योजना केन्द्र सरकार के पास भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने एक पर्यटन विकास योजना अवलोकनार्थ भारत सरकार को भेज दी है।

## विदेशी ऋण

**1722. श्री हरिन पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार देश पर ब्याज सहित चुकाया जाने वाला कितना विदेशी ऋण है और किन-किन देशों से ऋण लिया गया है; और

(ख) उक्त अवधि में देश को ऐसी विदेशी वित्तीय सहायता/अनुदान की कितनी राशि प्राप्त हुई जिसको चुकाना नहीं है और किन-किन देशों से यह प्राप्त हुई ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

## मछली-पालकों को वित्तीय सहायता

**1723. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने मछली-पालकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को हाल ही में दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मछली-पालकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु तत्काल कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जलीय उत्पादन योजनाओं के लिए पुनर्वित्त सहायता दे रहा है। नवम्बर 1994 में नाबार्ड द्वारा गठित जलीय उत्पादन परामर्शदात्री समिति की बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ दिए गए सुझावों के आधार पर नाबार्ड ने खारे पानी में मछली पालन योजनाओं की तैयारी/मंजूरी से संबंधित सुझावों को सभी वाणिज्यिक बैंकों/राज्य सरकारों को भेज दिया है। योजनाओं को तैयार करने/मूल्यांकन के लिए मार्गनिर्देश/सुरक्षोपाए नीचे दिए गए हैं :–

(i) परियोजना स्थल और डिजाइन की उपयुक्तता के गहन, मूल्यांकन की आवश्यकता।

(ii) कम से कम 15 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई पानी वाली खेती के लिए कम गहन खेती।

(iii) बीमारी की पुनरावृत्ति के संबंध में संकरी खड़ी खेती का अधिक विस्तृत मूल्यांकन।

(iv) जलीय उत्पादन खेती में जलाशय और अवसादन टंकियों के लिए अतिरिक्त ऋणों की व्यवस्था करना।

(v) मछली पालन योजना (एक्वा हैचरी) के लिए वित्तपोषण उस समय किया जाना चाहिए जब संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाए।

(ग) से (ङ). नाबार्ड ने सूचित किया है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र के संबंध में पुनर्वित्त सहायता के लिए प्राप्त सभी मछली पालन योजना के प्रस्तावों को उच्चतम न्यायालय में दायर लोक हित के मुकदमें के निपटारे तक स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा, नाबार्ड ने बीमारी की पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, विशाखापटनम और पूर्वी गोदावरी जिलों की कतिपय संकरी खाड़ियों को ऐसी योजनाओं को सहायता न देने का निर्णय लिया है। तथापि, अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा जारी की गई पर्यावरण अधिसूचना में निर्धारित शर्तों को सख्ती से लागू करते हुए मंजूरी के लिए विचार किया जाता है।

## विद्युतकरघा के लिए आयुक्त

**1724. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए आयुक्त नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी)** : (क) से (ग). जी, हां। विद्युतकरघा आयुक्त की नियुक्ति का एक प्रस्ताव है जो पूर्ण कालिक आधार पर विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की समस्याओं को देखेगी। इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों की सहमति से निर्णय लेना अपेक्षित होगा।

## "गनी बैग"

**1725. डा॰ परशुराम गंगवार** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "गनी बैग" बनाने में सिंथेटिक फाइबर के प्रयोग पर रोक लगाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## गुजरात में बेरोजगार व्यक्ति

**1726. श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय विभिन्न रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) निकट भविष्य में इन व्यक्तियों को रोज़गार देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के बेरोज़गार युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देने के लिए राज्यों को विशेष अनुदान देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा)** : (क) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार 8.98 लाख रोज़गार चाहने वाले व्यक्ति, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोज़गार हों, गुजरात राज्य में विभिन्न रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत हैं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002 तक लगभग पूर्ण रोज़गार प्राप्त करने के लक्ष्य की नीति की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति, रोज़गार-सघन क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों एवं कार्यकलापों के तीव्रतर विकास के आधार पर उत्पादक रोज़गार अवसरों में तीव्रतर वृद्धि द्वारा की जानी है। रोज़गार अवसरों के सर्जन हेतु गुजरात सरकार ने निम्न कार्यवाही की :–

(i) औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक "भारत मेलों" का आयोजन किया जा रहा है।

(ii) रोज़गार, प्रशिक्षण तथा स्व-रोज़गार प्रदान करने हेतु 17 जिलों के 34 तालुकों में न्यूनतम रोज़गार कार्यक्रम आरम्भ किए गए।

(iii) प्रधान मंत्री की स्व-रोजगार की नई योजना का बेरोज़गार युवाओं हेतु प्रेरणा शिविरों में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(ग) और (घ). जी, नहीं।

[हिन्दी]

## दास प्रथा

**1727. श्री राम कृपाल यादव :**

**श्री हरि केवल प्रसाद :**

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में अभी भी दास प्रथा चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा)** : (क) और (ख). उत्तर-पूर्वी राज्यों में बंधित श्रम पद्धति विद्यमान होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) सरकार ने बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन), अधिनियम, 1976 अधिनियमित कर दिया है जिसके तहत बंधित श्रम पद्धति समाप्त कर दी गई है और अधिनियम के लागू होने की तिथि से प्रत्येक बंधित श्रमिक स्वतंत्र हो गया है और बंधित श्रम की सभी बाध्यताओं से मुक्त हो गया है। इस अधिनियम का राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन किए जाने का नए 20 सूत्री कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा प्रबोधन किया जाता है जो कि इस विषय को उच्च प्राथमिकता दिए जाने का सूचक है। राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए श्रम मंत्रालय ने बंधित श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए वर्ष 1978-79 से एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक बंधित श्रमिक के पुनर्वास के लिए अधिकतम 6250/रु॰ की सहायता प्रदान की जाती है, जिसका आधा केन्द्रीय हिस्से के रूप में होती है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे पहचान किए गए, बंधित श्रमिकों के प्रभावकारी पुनर्वास के प्रयोजनार्थ अन्य निर्धनता उन्मूलन और रोज़गार सृजन योजनाओं के साथ इस योजना को समुचित रूप से सम्मिलित करें।

[अनुवाद]

## पर्यटक को उद्योग का दर्जा

**1728. श्री जनार्दन मिश्र :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने पर्यटन को उद्योग घोषित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके आधार पर पर्यटकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) जी, हां। 22 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन को एक उद्योग के रूप में घोषित कर दिया है।

(ख) पर्यटन को उद्योग घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप, बहुत से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने पर्यटन में प्राइवेट सेक्टर द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए रियायतें और प्रोत्साहन घोषित किए हैं। इसके परिणामस्वरूप पर्यटकों के लिए आवास सुविधाओं में बढ़ोतरी व आधारभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार हुए हैं।

(ग) और (घ). जी, हां। हालिंक पर्यटन का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है फिर भी सुविधाओं में और सुधार करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग, राज्य सरकारों के सहयोग से पर्यटन के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है।

## राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ की खरीद

**1729. डा॰ रमेश चंद तोमर :**

**श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा कुल कितने रबड़ की खरीद की गई;

(ख) रबड़ उत्पादकों को प्रति कि॰ ग्रा॰ रबड़ के लिए क्या मूल्य दिया गया;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार खुले बाजार से और अधिक रबड़ खरीदने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्):** (क) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान एस॰ टी॰ सी॰ ने कोई रबड़ नहीं खरीदा था।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). एस॰ टी॰ सी॰ अक्तूबर-जनवरी, 1995-96 के दौरान बाजार में चरम आवक अवधि में प्राकृतिक रबड़ खरीदने की वाणिज्यिक अर्थक्षमता का पता लगा रहा है। इस योजना के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

## वर्जिनिया तम्बाकू का उत्पादन और निर्यात

**1730. श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

**श्री महेश कनोडिया :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान वर्जिनिया तम्बाकू के उत्पादन हेतु प्रतिवर्ष राज्यवार कोई सीमा निर्धारित की गई थी/की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में किसानों द्वारा राज्यवार कुल कितने वर्जिनिया तम्बाकू का उत्पादन किया गया;

(घ) उपरोकत अवधि के दौरान उनमें से प्रत्येक राज्य में वास्तव में कुल कितने तम्बाकू का विपणन किया गया; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितने तम्बाकू का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्):** (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित एफ॰ सी॰ वी॰ (फ्लू क्यूअर्ड वर्जीनिया) तम्बाकू की राज्यवार मात्रा निम्नानुसार है :-

(मिलि॰ कि॰ ग्रा॰में निर्धारित मात्रा)

| वर्ष | प्राधिकृत तम्बाकू की मात्रा | | | |
|---|---|---|---|---|
| | आंध्र प्रदेश | महाराष्ट्र | कर्नाटक | उड़ीसा |
| 1992-93 | 102.57 | 0.33 | 21.12 | 0.04 |
| 1993-94 | 71.46 | 0.15 | 20.98 | 0.05 |
| 1994-95 | 66.08 | 0.12 | 20.03 | 0.04 |
| 1995-96 | 75.47 | 0.12 | 25.24 | 0.04 |

(ग) और (घ). पिछले तीन वर्षों तथा वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के नीलामी के प्लेटफार्मों में बेची गई एफ॰ सी॰ वी॰ तम्बाकू की राज्यवार मात्रा निम्नानुसार है :-

(मात्रा मिलि॰ कि॰ ग्रा॰ में)

| वर्ष | आंध्र प्रदेश | | महाराष्ट्र | |
|---|---|---|---|---|
| | बेची गई मात्रा | उत्पादित मात्रा | बेची गई मात्रा | उत्पादित मात्रा |
| 1992-93 | 125.31 | 134.67 | 0.31 | 0.31 |
| 1993-94 | 76.51 | 91.86 | 0.12 | 0.12 |
| 1994-95 | 74.07 | 84.86 | 0.08 | 0.11 |
| 1995-96 | * | * | * | * |
| | कर्नाटक | | उड़ीसा | |
| 1992-93 | 33.24 | 33.50 | ** | 0.025 |
| 1993-94 | 32.93 | 33.50 | ** | 0.025 |
| 1994-95 | 22.19 | 25.00 | ** | 0.040 |
| 1995-96 | * | * | ** | * |

* फसल का उत्पादन अभी होना है और वर्ष 1995-96 में बेची जानी है।

** कुछ भी नहीं बेचा जाता, क्योंकि आई॰ टी॰ सी॰ के अनुसंधान प्रभाग उपजकर्त्ताओं से उपज प्राप्त कर रहा है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई तम्बाकू की मात्रा तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(मात्रा : टन : मूल्य : करोड़ रु० में)

| मद | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| अनिर्मित तम्बाकू | 70,607 | 35.57 | 90,493 | 368.25 | 45,811 | 174.82 |
| निर्मित तम्बाकू | 17,646 | 118.46 | 14,183 | 92.94 | 12,588 | 74.04 |
| जोड़ : | 88,253 | 154.03 | 104,676 | 461.19 | 58,399 | 248.86 |

## श्रम मानक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग

**1731. श्री आनंद रत्न मौर्य :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मानक और अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने देश में बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन के संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) से (ङ). भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के एक संकल्प द्वारा श्रम अधिकर और संबंधित मामलों का संरक्षण से संबंधित मुद्दों के अध्ययन हेतु डा॰ सुब्रह्मणियम स्वामी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, श्रम मानक आयोग ने कोई अंतिम सिफारिश नहीं की है।

[हिन्दी]

## फर्जी बीमा व्यापार

**1732. श्री राम प्रसाद सिंह :**
**श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**
**डा॰ मुमताज अंसारी :**
**श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जुलाई, 1995 के "जनसत्ता" में "बोगस बीमा कांड से एल॰ आई॰ सी॰ में हड़कम्प" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस फर्जी बीमा कांड में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है और इस संबंध में कितने-कितने अधिकारी और एजेंस दोषी पाए गए हैं;

(घ) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा करने के वार्षिक लक्ष्य क्या रखे गए और इसकी तुलना में उपलब्धि क्या रही ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) जी हां। रिपोर्ट की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ). जीवन बीमा निगम की कुछ शाखाओं से कुछ अनियमितताओं की सूचना प्राप्त हुई है जहां अस्तित्वहीन व्यक्तियों के नाम में पालिसियां जारी की गई थीं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इनकी जांच-पड़ताल की जा रही है। यदि ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं तो उनके विरूद्ध जीवन बीमा निगम द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) जैसा कि जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है; पिछले तीन वर्षों के दौरान बीमा के लक्ष्य और उन लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियां निम्न प्रकार थीं :—

| वर्ष | बीमाकृत राशि (करोड़ रुपए) | | पालिसियों की सं॰ (लाख में) | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 92-93 | 35,000 | 35,957 | 100 | 99.58 |
| 93-94 | 40,000 | 41,814 | 107 | 107.26 |
| 94-95 | 46,000 | 55,228 | 113,7 | 108.75 |

## विवरण

## बोगस बीमा कांड से एल॰ आई॰ सी॰ में हड़कंप

**आत्मदीप**

**जनसत्ता संवाददाता**

जयपुर 16 जुलाई। बोगस बीमा कांड ने भारतीय जीवन बीमा निगम को ऊपर से नीचे तक हिला दिया है। कांड उजागर होने के बाद निगम के बंबई केन्द्रीय कार्यालय के साथ केन्द्रीय

वित्त मंत्रालय भी हरकत में आया है। पखवाड़े भर से यहां निगम के बम्बई मुख्यालय और दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय से अफसरों की टोलियां आकर सघन जांच पड़ताल में लगी हुई हैं।

बोगस बीमा कांड से निगम की छवि और साख को खासा बट्टा लगा है। इस घोटाले की खबर छपने के बाद निगम के मैदानी अमले को बीमाधारकों के तरह-तरह के सवालों और तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है और जवाब देना भारी पड़ रहा है। इसकी भरपाई के लिए निगम मुख्यालय ने अपने एक कार्यकारी निदेशक को यहां भेज निगम में सक्रिय श्रम संगठनों को पटाने की कोशिश की है। निदेशक ने निगम की बदनामी का हवाला देते हुए उनसे किसी तरह इस मामले को शांत करने की अपील की है। बोगस बीमा कांड की खबरों का खंडन करने के श्रम संगठनों के सुझाव पर निदेशक ने ऐसा करने में असमर्थता जता दी।

इसके अलावा इस कांड से लगे आघात से उबरने की कोशिश में निगम ने इसी जून-जुलाई में अखबारों में करोड़ों रुपए के कई विज्ञापन देकर अपनी उपलब्धियां प्रचारित की हैं। जबकि निगम के इतिहास में पहले कभी इन महीनों में इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के विज्ञापन नहीं छपाए गए। ऐसे विज्ञापन पहले हर साल दिसम्बर और मार्च में दिए जाते रहे हैं। बीमा घोटालों की खबरों ने निगम के उन आला अफसरों की भी नींद उड़ा दी जो तथात्मक जानकारी होने के बावजूद, बोगस बीमों की बढ़ती प्रवृत्ति की अनदेखी कर उसे परोक्ष तौर पर शह देते रहे हैं।

निगम मुख्यालय के साथ केन्द्रीय वित्त मंत्रालय भी अब चेता है। निगम के ही एक उच्च स्तरीय सूत्र के मुताबिक हाल में केन्द्रीय वित्त मंत्री डा॰ मनमोहन सिंह ने निगम के अध्यक्ष जे॰ एस॰ सालुखे को दिल्ली बुलाकर इस मामले में बातचीत की है। डा॰ मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री कार्यालय से राज्य मंत्री भुवनेश चतुर्वेदी, भाजपा संसदीय दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, केन्द्रीय वित्त सचिव, मोंटिक सिंह आहलूवालिया, बीमा सचिव, टी॰ एन॰ बनर्जी आदि के पास अलग-अलग सूत्रों से बीमा घोटाले का ब्यौरा पहुंचा है। संसद के मानसून सत्र में इस घोटाले पर चर्चा की तैयारी अलग हो रही है।

अलमस्त पड़े निगम प्रबंधन की नींद बोगस बीमा कांड की परतें उधड़ने के बाद से हराम हो गई है। अब वह जांच और रोकथाम की कार्यवाही में जुटा नजर आ रहा है। बीते हफ्ते निगम मुख्यालय से कार्यकारी निदेशक (प्रचार और जनसम्पर्क) को यहां भेज बिगड़े हालात संभालने की कोशिश की गई। अब निगम के कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) यहां आने वाले हैं। बताया गया है कि वे अब तक की जांच की समीक्षा करेंगे, घपले की जांच कर रहे सी॰ बी॰ आई॰ अधिकारियों से मिलेंगे और खोजबीन के काम को गति देंगे।

निगम के लेखा विभाग के प्रादेशिक प्रबंधक, इसी विभाग के सचिव और सहायक सचिव ने दिल्ली से यहां आकर बोगस बीमा के मामलों और दूसरी आर्थिक अनियमितताओं की बारीकी से तहकीकात की है। जरूरी हिदायतें देकर प्रादेशिक प्रबंधक दिल्ली लौट गए हैं। जबकि सचिव और सहायक सचिव यहीं रहकर जांच की अगुवाई कर रहे हैं। ये अधिकारी निगम के उस विशेष प्रकोष्ट के काम पर नजर रखे हुए हैं जिसे यहां के तीन बड़ी बीमा शाखाओं के घपलों की जांच के लिए तीन साल पहले बनाया गया था। जयपुर में निगम की शाखा संख्या 1 में एक करोड़ रुपए से ज्यादा के चैक बैंक से लौट आने और उन अनादरित चैकों को गायब कर दिए जाने का मामला उनमें शामिल है। इसके अलावा यहां की शाखा संख्या-2 में निगम को मिले प्रीमियम की तुलना में करीब एक करोड़ रुपए का अधिक कमीशन देने के मामले की जांच भी इसी प्रकोष्ठ को सौंपी गई है।

इसी शाखा में 1991-92 में आठ करोड़ रुपए बीमा राशि के 1800 बोगस बीमे करने की जांच अलग चल रही है। इस बोगस बीमा की तकरीबन सभी फाइलें गायब कर दी गई हैं।

शाखा संख्या-3 में करोड़ों रुपए के बीमे करने के लिए एजेंट और विकास अधिकारियों ने बीमा कराने वालों से लाखों रुपए नगद वसूले। फिर इसी नगदी के बदले प्रीमियम जमा कराने के नाम पर अपने फर्जी चैक लगा दिए जो बाद में "डिसआनर" हो गए। इस तरह बीमा कराने वालों के लाखों रुपए बीच में ही हड़प लिए गए। निगम मुख्यालय में शिकायतें पहुंचने पर सतर्कता विभाग ने अपने सचिव स्तर के अधिकारी से इस मामले की जांच कराई और जनवरी, 94 में रपट मुख्यालय को सौंप दी। पर उस रपट पर कोई कार्रवाई नहीं कर इस मामले को दोबारा जांच के लिए विशेष प्रकोष्ठ को सौंप दिया गया।

मगर यह प्रकोष्ठ उसके हवाले किए गए इन तीनों मामलों में तीन साल में भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। इस बीच कई और घोटाले सामने आ गए और सी॰ बी॰ आई॰ ने जांच शुरू कर दी। तब जाकर निगम के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय से अंकेक्षकों की टोली यहां भेजी गई है। यह टोली डेढ़ हफ्ते से यहां डेरा डाले हुए हैं।

जीवन बीमा निगम के सूत्रों के अनुसार निगम और सी॰ बी॰ आई॰ के स्तर पर चल रही जांच कार्यवाहियों से निगम के देशभर के दफ्तरों में यह अंदेशा पैदा हो गया है कि कभी भी कोई जांच दल उनके यहां आकर खोजबीन शुरू कर सकता है। बहरहाल वहां अब तक सामने आ चुके बोगस बीमों के मामले में किसी भी स्तर पर किसी कसूरवार के खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है।

## राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

1733. श्री रामपाल सिंह :
डा॰ पी॰ बल्लल पेरुमान :
श्री रवि राय :
श्री पंकज चौधरी :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री वी॰ एस॰ विजय राघवन :

**श्री मनोरंजन भक्त :**

**श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान वस्त्रों के निर्यात से कितनी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु देश में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की और शाखाएं खोलने के संबंध में हाल ही में निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष कितने छात्रों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप देश के वस्त्र निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) :** (क) 9980 मिलियन अमरीकी डालर।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार ने इस शैक्षणिक वर्ष से नेशनल इंस्टीटयूट आफ फैशन टेक्नालाजी की जांच और शाखाएं खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

| | राज्य | अवस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | हैदराबाद |
| 2. | तमिलनाडु | मद्रास |
| 3. | गुजरात | गांधीनगर |
| 4. | महाराष्ट्र | बम्बई |
| 5. | पश्चिम बंगाल | कलकत्ता |

(घ) इन सभी पांच शाखाओं में दो पाठ्यक्रम नामतः फैशन डिजाइन (3-वर्ष) तथा परिधान मेन्यूफैक्चरिंग टेक्नालाजी (2-वर्ष) शुरू किए गए हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रमों में 30 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

(ङ) व्यवसायिक प्रशिक्षण से उद्योग में कुशल तथा सक्षम प्रबन्धकीय स्तर के व्यक्ति उभर कर आएंगे जो निर्यात की गुणवत्ता, उत्पादकता तथा मात्रा में सुधार लाएंगे। चूंकि निर्यात बढ़ाने के लिए यह अन्तर-निविष्टियों में से एक है, एक कारक के आधार पर ही वास्तविक पुर्वानुमान लगाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

## विमान की उड़ानों की संख्या में वृद्धि के कारण वायु प्रदूषण

**1734. श्री प्रकाश वी॰ पाटील :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान देश के विभिन्न विमानपत्तनों से अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू उड़ानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ानों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप विषैली गैसों के प्रदूषण तथा विमानपत्तनों पर भीड़भाड़ में वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो उड़ानों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** (क) जी, हां।

(ख) विगत दो वर्षों में देश के विभिन्न विमानपत्तनों से जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय उड़ानों में होने वाली वृद्धि नीचे दर्शाई गई है।

| | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|
| अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें | 66,820 | 70,173 |
| अंतर्देशीय उड़ानें | 120,304 | 139,417 |

(ग) और (घ). बढ़े हुए विमान प्रचालन के कारण पर्यावरण प्रदूषण के निकट भविष्य में भयावह स्थिति में पहुंचने की संभावना नहीं है। हवाई यातायात में वृद्धि होने से कुछ विमानपत्तनों पर भीड़-भाड़ बढ़ने की संभावना है। अल्पावधि/दीर्घावधि अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु विमानपत्तनों और आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने योजनाएं बना ली हैं।

[हिन्दी]

## मुद्रास्फीति की दर

**1735. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**

**डॉ॰ लाल बहादुर रावल :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मुद्रास्फीति में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण लगाने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) पिछले वित्तीय वर्ष (1994-95) के दौरान उच्चतर मुद्रास्फीति किसानों को दिए गए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों के परिणामस्वरूप प्राथमिक

वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के अप्रत्यक्ष (स्पिल ओवर) प्रभाव के कारण थी। इसके सथ ही 1 फरवरी, 1994 से चावल (23 प्रतिशत), गेहूं (21.8 प्रतिशत) और चीनी (9 प्रतिशत) के लिए केन्द्रीय निगम मूल्यों में वृद्धि की गई। चीनी, कपास, जूट और मूंगफली में उत्पादन गिरावट के कारण वर्ष 1994 में अल्पकालिक आपूर्ति असंतुलन से स्फीतिकारी दबावों में उत्पलावकता बढ़ी जो विदेशी मुद्रा भण्डार को सुदृढ़ बनाने के कारण मुद्रा संचय में अत्यधिक वृद्धि से पुन: प्रवर्तन में आई।

चालू वित्तीय वर्ष में मूल्यों की वृद्धि में क्रमिक कमी आने से मुद्रास्फीति 22 जुलाई, 1995 को कम होकर 7.65 प्रतिशत तक आ गई।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक द्वारा निर्धारित बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीतिकारी वृद्धि का तुलनात्मक ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है।

वार्षिक मुद्रास्फीति प्रतिशत

| | प्राथमिक | विनिर्माण | सभी वस्तुएं |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | 3.0 | 7.9 | 7.0 |
| 1993-94 | 11.5 | 9.9 | 10.8 |
| 1994-95 | 12.7 | 10.7 | 10.4 |
| 1995-96* | 5.9 | 9.9 | 7.6 |

*22 जुलाई के अनुसार

(ग) और (घ). सरकार हमेशा सतर्क रहती है और मुद्रास्फीतिकारी दबावों को कम करने के लिए अनेकों उपाए किए हैं। ये इस प्रकार हैं :–

(i) बाजार मूल्य को नियंत्रित करने के लिए गेहूं और चावल की भारतीय खाद्य निगम की खुली बिक्री को जारी रखना।

(ii) ओ॰ जी॰ एल॰ के अंतर्गत 30 प्रतिशत के घटे शुल्क पर खाद्य तेलों के आयात की अनुमति देना।

(iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति के लिए 20 प्रतिशत के रियायती शुल्क पर 1.5 लाख टन पामोलिन का आयात करना।

(iv) चीनी के लिए ओ॰ जी॰ एल॰ आयात नीति को जारी रखना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टाक को बढ़ाने के लिए आयातों की अनुमति देना।

(v) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी आवंटन को 5 प्रतिशत बढ़ाना।

(vi) ओ॰ जी॰ एल॰ के अन्तर्गत 5 प्रतिशत के घटे शुल्क सहित दालों का आयात।

(vii) आयातित आवश्यक वस्तुओं के लिए स्टाक की सीमाओं को हटाना।

(viii) औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में व्यापार और टैरिफ नीतियों में समायोजन। अनेक मदों पर उत्पाद शुल्कों में महत्वपूर्ण कमी से औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में तीव्रता आने की संभावना है।

(ix) घटाए गए राजकोषीय घाटे के लिए विगत वित्तीय वर्ष में 6.7 प्रतिशत (संशोधित अनुमान) की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य 5.5 प्रतिशत तक प्राप्त करना।

(x) मुद्रा आपूर्ति (एम॰ 3) की अभिवृद्धि को संतुलित करना।

## रुग्ण उद्योग की ओर बकाया ऋणों को माफ करना

1736. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा रुग्ण उद्योगों की ओर बकाया कितनी ऋण राशि माफ की गई;

(ख) क्या उद्योगों को मंजूर करते समय इनसे गारंटी प्राप्त करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की चुकौती फिलहाल कोई रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उपक्रम (सी॰ पी॰ एस॰ यू॰) नहीं कर रहा है। इसलिए इन मामलों में ऋण को माफ करने का प्रश्न उनकी पुनर्संरचना की योजना के भाग के रूप में ही उठेगा। रुग्ण सी॰ पी॰ एस॰ यू॰ की पूंजी पुनर्संरचना के बहुत से प्रस्ताव औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर को भेजे गए हैं, जिनपर सरकार द्वारा विचार किया गया है। सामान्यतया, बकाया योजना और योजनेतर ऋणों को माफ करने के लिए विचार नहीं किया जाता है बल्कि या तो उन्हें इक्विटी में परिवर्तित किया जाता है अथवा इक्विटी आधार बढ़ाने के लिए गैर-संचयी प्रतिदेय अधिमान्यत: शेयरों में परिवर्तित किया जाता है ताकि रुग्ण सी॰ पी॰ एस॰ यू॰ को अर्थक्षम बनाया जा सके। तथापि, बकाया ब्याज और दाण्डिक ब्याज को माफ करने के बारे में सरकार रुग्ण सी॰ पी॰ एस॰ यू॰ की सकल अर्थक्षमता योजना के भय के रूप में विचार करती है।

(ख) और (ग). वे सामान्य शर्तें जिनके तहत सरकार द्वारा ऋण दिए जाने होते हैं को सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 154-164, और उनके अंतर्गत सरकार के नियमों में उल्लेख किया गया है। सरकारी हितों की रक्षा के लिए निर्धारित पूर्वोपायों के गारंटी/शपथ-पत्र मांगना आवश्यक है।

[अनुवाद]

## जब्त की गई वस्तुएं

1737. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विमानपत्तनों पर 1 जनवरी से 30 जून, 1995 तक जब्त किए गए वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन वस्तुओं को बेच दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जब्त की गई वस्तुओं के निपटान हेतु सामान्यतः अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अन्य देशों के साथ समझौता

**1738. श्री राम विलास पासवान :**

**श्री छेदी पासवान :**

**डा॰ वसन्त पवार :**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ समझौता करने का है;

(ख) क्या कुछ राज्यों का विचार भी सीधे अन्य देशों के साथ समझौता करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## निजी विमान कम्पनियां

**1739. श्री एन॰ डेनिस :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निजी क्षेत्र की जिन विमान कम्पनियों को सेवा संचालन की अनुमति प्रदान की गई है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक विमान कम्पनी द्वारा कितने विमान चलाए जा रहे हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) और (ख). निम्नलिखित निजी एयरलाइनें प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई विमानों की संख्या सहित अनुसूचित अंतर्देशीय सेवाएं प्रचलित कर रही हैं :–

| एयरलाइन का नाम | | विमान की संख्या और किस्म |
|---|---|---|
| 01. | अर्चना एयरवेज | 3 एल-410<br>2 डैश-8 |
| 02. | दमानिया एयरवेज | 4 बी-737-200 |
| 03. | ईस्ट वैस्ट एयरलाइन्स | 7 बी-737-200<br>3 एफ-27-500 |
| 04. | जेट एयरवेज | 4 बी-737-300<br>2 बी-737-400<br>4 बी-737-200 |
| 05. | मोदीलुफ्त (एम॰ जी॰ एक्सप्रैस) | 4 बी-737-200 |
| 06. | एन॰ ई॰ पी॰ सी॰ | 7 एफ-27-500<br>1 बीचकिंग सी-90 |

[हिन्दी]

## चावल निर्यातकों को परिवहन सुविधाएं

**1740. श्री सत्यदेव सिंह :**

**श्री अमर पाल सिंह :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अधिक मात्रा में चावल के निर्यात हेतु परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए चावल निर्यातकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यात में बढ़ोतरी के लिए चावल के परिवहन हेतु पर्याप्त व्यवस्था करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम):** (क) से (ग). जी, हां। चावल के निर्यातकों ने सरकार को प्रतिवेदन दिया है कि भारतीय खाद्य निगम को बंदरगाह वाले शहरों को चावल सड़क परिवहन द्वारा भेजना चाहिए। इस संबंध में, सार्वजनिक स्टाकों से खाद्यान्नों के निर्यात तथा समयबद्ध समाधानों के संबंध में कार्याचालन संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए सरकार ने खाद्य मंत्रालय में एक कार्यदल गठित किया है। इस दिशा में किए गए प्रयासों में चावल के अधिकतम परिवहन किए जाने के लिए रेलवे के साथ और ज्यादा सहयोग एवं चावल के निर्यात के लिए कांडला को छोड़कर अन्य बंदरगाहों का उपयोग आदि शामिल है।

[अनुवाद]

## नई चाय निर्यात नीति

**1741. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :**

**श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नई निर्यात नीति तैयार करने के लिए भारतीय चाय उद्योग और चाय बोर्ड का कार्यकरण सुधारने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो चाय बिनियमन आदेशों में कितना सुधार किया गया है;

(ग) क्या उद्योग इन आदेशों को वापस लिए जाने की मांग करता रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है तथा चाय उद्योग और चाय बोर्ड दोनों ने किस हद तक संतोषजनक ढंग से कार्य किया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्):** (क) चाय के निर्यात में गिरावट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चाय बोर्ड और चाय उद्योग से कहा है कि वे भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए बाजार विशेष कार्यनीतियां तैयार करें।

(ख) से (ङ). चाय उद्योग को शासित करने वाले विनियामक आदेश पुनरुज्जीवित नहीं किए गए हैं। बल्कि, हाल के वर्षों में सरकार द्वारा कई उदारीकरण उपाय किए गए हैं। पिछले दो महीनों के दौरान इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:–

(i) सरकार के पोतलदान लाइसेंस जारी करने से संबंधित प्रावधान की समीक्षा की है और यह निश्चय किया गया है कि अब से निर्यातकों को प्रत्येक पोतलदान के लिए पोतलदान लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।

(ii) चाय निर्यात के लिए निर्यातकों के लाइसेंस के वार्षिक पुनर्नवीकरण के प्रावधान के स्थान पर कुछ समय पूर्व एक उदारीकृत प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसके द्वारा लाइसेंस का नवीकरण 3 वर्ष के बाद किया जाना अपेक्षित था। इस प्रावधान को पुनःउदार बनाया गया है और अब चाय बोर्ड निर्यातकों को लाइसेंस शुरू में 3 वर्ष के लिए जारी करेगा और यदि निर्यातक से कोई चूक नहीं हुई तो स्थाई लाइसेंस में बदल दिया जाएगा। फिर भी, तदुपरान्त, यदि कोई चूक हुई तो संबंधित निर्यातक को पुनः 3 वर्ष के लिए निगरानी सूची में रखा जाएगा या उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

सरकार द्वारा किए गए इन उपायों का चाय उद्योग ने स्वागत किया है। इसके अलावा, जब कभी आवश्यक समझा जाएगा चाय उद्योग को शासित करने वाले विभिन्न विनियमों का उदारीकरण किया जाएगा।

## एन॰ टी॰ सी॰ के शो-रूम

**1742. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में एन॰ टी॰ सी॰ के कितने शो-रूम/खुदरा बिक्री केन्द्र हैं;

(ख) राज्य में कितने शो-रूमों/खुदरा बिक्री केन्द्रों को वर्ष 1994-95 के दौरान घाटा हुआ;

(ग) क्या घाटे में चलने वाले कुछ शोरूमों/खुदरा बिक्री केन्द्रों को बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) :** (क) और (ख). कर्नाटक स्थित 23 शो-रूम में से किसी ने भी वर्ष 1994-95 में घाटा नहीं उठाया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## सूर्य ग्रहण

**1743. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 25 अक्टूबर, 1995 को पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पर्यटक केन्द्रों जैसे आगरा, जयपुर, कोणार्क, और प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र केन्द्रों पर विशेष अवलोकन क्षेत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** (क) से (ग) जी, हां। इस संयोग के कारण पर्यटन का संवर्धन करने के इस अनुपम अवसर को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राजस्थान व उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के सहयोग से, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज बनाए हैं। व्यापक प्रचार हेतु विशेष संवर्धनात्मक पुस्तिका निकाली गई है। विदेशों से मीडिया सदस्यों को इस अनुपम दृश्य का संवाद देने हेतु भारत आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ). पर्यटन विभाग, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने पूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए पर्यटकों की सहायतार्थ विशेष पर्यवेक्षण स्थल भी निर्धारित किए हैं।

**[हिन्दी]**

## गुजरात में आयकर छापे

**1744. श्री काशी राम राणा :**

**श्री छीतू भाई गामीत :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग द्वारा गुजरात में गत दो वर्षों के दौरान कितने छापे मारे गए;

(ख) इन छापों में कितने मूल्य की परिसम्पतियां जब्त की गईं; और

(ग) सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख).

| वित्तीय वर्ष | निष्पादित वारंटों की संख्या | पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य |
|---|---|---|
| | | (रु० लाखों में) |
| 1993-94 | 648 | 4587.64 |
| 1994-95 | 531 | 3707.75 |

(ग) तलाशी के दौरान पकड़ी गई सामग्रियों के आधार पर प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों के अधीन आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

## भारतीय कम्पनियों से प्रभारित कर

**1745. श्रीमती गीता मुखर्जी :**

**श्री लोकनाथ चौधरी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ब्याज की दर, कर आदि के मामले में भारतीय कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अलग-अलग नियम अपनाने के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (ग). आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वदेशी कम्पनियों पर 40% की दर से कर लगाया जाता है और 75,000 रु० से अधिक की आय वाली कम्पनियों पर 15% का अधिभार लगाया जाता है, जबकि विदेशी कम्पनियों पर रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में आय पर 30% की दर से और आय पर 55% की दर से कर लगाया जाता है। इसके साथ साथ विदेशी कम्पनियों पर ऊंची दर पर कर लगाया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा घोषित लाभांश पर भारत में कर नहीं लगाया जाता। व्यापारिक बैंक, अग्रिम कर लगाए जाने वाले ब्याज की दरों के सम्बन्ध में विदेशी कम्पनियों की तुलना में भारतीय कम्पनियों से कोई भेदभाव नहीं करते।

## वनस्पति रंगों का प्रयोग करने वाला रंगाई एकक

**1746. श्री रवि राय** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में वनस्पति रंगों का प्रयोग करने वाला रंगाई एकक खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस एकक की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

## निजी विमान कम्पनियों द्वारा प्रभारित किराया

**1747. श्री राम टहल चौधरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी विमान कम्पनियां देश के उन स्थानों के लिए जहां विमान सेवा संचालन में केवल उन्हीं का एकाधिकार है, यात्रियों से मनमाना किराया वसूल कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मनमाने ढंग से किराया वसूलने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब से; और

(घ) यदि हां, नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) से (घ). निजी एयरलाइनों के किराए ढांचे का सरकार द्वारा विनियमन नहीं किया जाता है। निजी एयरलाइनें स्वयं अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर विमान किराया लेने के लिए स्वतंत्र हैं और किराए का स्तर बाजार स्थितियों द्वारा निर्धारित होना चाहिए।

[अनुवाद]

## बजट तथा पुनरीक्षित अनुमान में भिन्नता

**1748. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग के बजट अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान में काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रति वर्ष के बजट अनुमानों तथा संशोधित पुनरीक्षित अनुमानों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी भिन्नता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या परिवहन तथा पर्यटन संबंधी स्थाई समिति ने भी गत दो वर्षों की अपनी रिपोर्ट में इस बात को उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति पर नियंत्रण पाने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान बजट अनुमान और संशोधित अनुमानों के ब्यौरे निम्नवत् हैं :-

(करोड़ रुपयों में)

| | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| बजट अनुमान | 85.68 | 75.53 | 68.15 |
| संशोधित अनुमान | 76.07 | 183.75 | 136.85 |

(ग) प्रमुख भिन्नताओं के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) 1992-93 के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग द्वारा उनकी योजनागत स्कीमों के सिलसिले में बजटीय सहायता की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता के कारण बचत।

(2) प्रस्थान करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों से बढ़ी हुई राजस्व वसूली के परिणामत: विदेश यात्रा कर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग के हिस्से के अतिरिक्त भुगतानों तथा कतिपय संचित दावों के निपटारे के कारण 1993-94 और 1994-95 के दौरान अधिक व्यय।

(3) हज़ तीर्थ यात्रियों को इमदाद के भुगतान संबंधी फार्मूले के संशोधन के परिणामस्वरूप 1993-94 में अधिक व्यय करना पड़ा।

(4) 1993-94 और 1994-95 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को बेचे गए विमानन टरबाईन ईंधन पर बिक्री कर की एवज में राज्य सरकारों को की गई प्रतिपूर्ति पर अधिक व्यय। संवीक्षा के परिणामस्वरूप उक्त योजना को 1.12.1994 से बन्द कर दिया गया है।

(5) विभिन्न हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबंधों के संबंध में राज्य सरकारों के दावों को निपटाने के लिए अधिक व्यय, क्योंकि इस स्कीम की संवीक्षा होने तक 1993-94 और 1994-95 के दौरान केवल सांकेतिक प्रावधान किया गया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) बजट बनाते समय, विभिन्न स्कीमों/कार्यकलापों के लिए निधियों की प्रत्याशित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, वर्ष के दौरान आकस्मिक घटनाओं के कारण प्रावधान में घट-बढ़ अपरिहार्य हो जाती है, जिसे संशोधित अनुमान के चरण पर परिवर्तन अवश्यक हो जाते हैं। राज्य सरकारों को (1) अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को बेचे गए विमानन टरबाईन ईंधन पर बिक्री कर की एवज में और (2) हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबन्धों के लिए भुगतान हेतु स्कीमों की संवीक्षा होने तक सांकेतिक प्रावधान किए गए थे, वर्ष के दौरान इन स्कीमों पर वास्तविक व्यय को देखते हुए प्रावधानों में वृद्धि की जानी आवश्यक थी।

## आर्थिक सुधारों हेतु केन्द्रीय सहायता

**1749. श्रीमती रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

**श्रीमती शीला गौतम :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों को आर्थिक सुधारों को लागू करने के कारण राजस्व का भी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख). पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां (केन्द्र से अंतरण सहित) निम्न प्रकार से हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

| | |
|---|---|
| 1990-91 (वास्तविक आंकड़े) | 66467 |
| 1991-92 (वास्तविक आंकड़े) | 80536 |
| 1992-93 (वास्तविक आंकड़े) | 91091 |
| 1993-94 (संशोधित अनुमान) | 103104 |
| 1994-95 (बजट अनुमान) | 114324 |

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि राजस्व प्राप्तियों में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ग) से (ङ). प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## औद्योगिक एककों को कर राहत

**1750. डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या **वित्त मंत्री** औद्योगिक एककों को कर राहत के बारे में 5 मई, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 449 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अध्ययन दल की रिपोर्ट की उन सिफारिशों, जो 1 अक्टूबर, 1994 से सरकार के विचारार्थ लंबित हैं, पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को कब से कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख). माह अक्टूबर, 1994 में प्रस्तुत की गई अध्ययन दल की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा।

## बाल श्रमिक

**1751. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकार विश्व विकास रिपोर्ट में बाल श्रम व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के

उद्देश्य से बृहत्तर सामाजिक जागरूकता पैदा करने, गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने, कम व्यय पर बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने, अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को रोज़गार दिलाने संबंधी उठाए गए मुद्दों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** सरकार ने बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम नामक एक विस्तृत कानून 1986 में अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अनुसार, बाल श्रम की समस्या से (क) विधायन, (ख) बाल श्रम के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों और (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से निपटा जा रहा है। वर्तमान में 8 राज्यों में 12 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें कुल लगभग 16,000 बाल श्रमिकों को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण घटक कार्य से हटाए गए बालकों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना है जिसमें उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, पोषणाहार, वृत्तिकाएं आदि प्रदान की जाती है। परियोजना के अधीन स्थापित किए गए विशेष स्कूल सामान्यत: गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं।

सरकार ने एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया है जिसके तहत विभिन्न निर्धनता उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत बाल श्रमिकों के अलावा बाल श्रमिकों के माता-पिता को शामिल किया जाएगा। इस संबंध में सरकार ने "बाल श्रमिकों की पहचान करने, उन्हें मुक्त कराने और पुनर्वासित करने" नामक एक कार्य योजना अपनाई है। संक्षेप में, इसमें बाल श्रम की पहचान करने और उनका पुनर्वास करने, बाल श्रमिकों के परिवार का आर्थिक पुनर्वास करने और संगत कानूनों का और कड़ाई से प्रवर्तन करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सेवाओं और योजनाओं का कार्यान्वयन स्तर-जिला स्तर पर अभिसारण करने को बात कही गई है। इस कार्य योजना को सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अपनाने के लिए भेज दिया गया है।

बाल श्रम की समस्या और इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए एक व्यापक जागरूकता सृजन अभियान पहले ही शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण (एन॰ ए॰ ई॰ सी॰ एल॰) ने 1981 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार 100 जिलों को अभिज्ञात किया है। ये जिले 11 राज्यों अर्थात्, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिनमें देश की कुल बाल श्रम जनसंख्या का 90% से अधिक भाग है। यह निर्णय लिया गया है कि खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए परियोजनाएं इन जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अनुसार शुरू की जाएंगी। इन 100 जिलों के कलेक्टरों को एक कार्यशाला 13-14 सितम्बर, 1995 को नई दिल्ली में आयोजित की जानी है। संबंधित कलेक्टरों से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के आधार पर अपने संबंधित जिलों में परियोजना प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया है। कार्य से हटाए गए बच्चों के लिए परियोजनाएं चलाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 34.4 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। ये उपाय वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 1995 में सिफारिश किए गए उपायों के अनुरूप ही है।

[हिन्दी]

## राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन

**1752. श्री लाल बाबू राय :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम वेतन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन उपरोक्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित नहीं किए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की इस आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने तथा न्यूनतम वेतन तद्नुसार ही निर्धारित करने हेतु समझा रही है;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों की संख्या कितनी है जिन्होंने अब तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया है; और

(ङ) राज्यों ने इन सिफारिशों को न मानने के क्या कारण बताए हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) से (ङ). राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने जुलाई, 1991 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि कृषि कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर 20/- रुपये प्रतिदिन से कम निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।

भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में कृषि कर्मकारों की निम्नतम संदत्त अकुशल श्रेणी के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों, सरकार के पास यथा उपलब्ध, को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में यह प्रावधान है कि समुचित सरकार ऐसे अन्तरालों पर जिन्हें यह उचित समझे, ऐसे अन्तराल पांच वर्ष से अधिक न हों, मजदूरी की न्यूनतम दर को संशोधित करेगी।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह देती रही है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी संशोधित करें। इस पर भारतीय श्रम सम्मेलन, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन सहित कई मंचों पर भी विचार-विमर्श किया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी के संबंध में सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने संबंधी कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। इसमें कमजोर सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां, रोजगार आश्वासन जैसी समानान्तर योजनाओं की विद्यमानता, लम्बित मुकदमेबाजियां आदि शामिल हैं।

विवरण

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अकुशल कृषि कर्मकारों हेतु न्यूनतम मजदूरी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | रु० 16.80 से रु० 23.40 प्रतिदिन (जोन के अनुसार) (8.4.91) |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | रु० 21.00 से 24.00 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1.11.90) |
| 3. | असम | रु० 1134.00 प्रतिमाह अथवा रु० 984.00 प्र० माह जमा भोजन, आवास और कपड़े (1.2.92) |
| 4. | बिहार | रु० 21.00 प्रतिदिन (19.7.93) |
| 5. | गोवा | रु० 27.50 प्रतिदिन (5.2.92) |
| 6. | गुजरात | रु० 15.00 प्रतिदिन (1.3.90) |
| 7. | हरियाणा | रु० 48.00 प्रतिदिन भोजन सहित या<br>रु० 52.00 प्रतिदिन बिना भोजन के (1.1.95) |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | रु० 24.00 प्रतिदिन से रु० 26.00 प्रतिदिन (1.10.94) |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | रु० 15.00 प्रतिदिन (24.3.89) |
| 10. | कर्नाटक | रु० 12.00 से रु० 17.65 प्रतिदिन . (12.7.88) |
| 11. | केरल | रु० 30.00 प्रतिदिन महिलाओं हेतु<br>रु० 40.20 प्रतिदिन पुरूषों हेतु<br>(31.3.92) |
| 12. | मध्य प्रदेश | रु० 30.76 प्रतिदिन (29.1.94) |
| 13. | महाराष्ट्र | 20.00 रु० से 29.00 रु० प्रतिदिन (जोन के अनुसार) (26.6.94) |
| 14. | मणिपुर | 40.90 रु० प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और 37.90 रु० प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों के लिए (23.12.88) |
| 15. | मेघालय | 35.00 रु० प्रतिदिन (16.3.94) |
| 16. | मिजोरम | 28.00 रु० प्रतिदिन (1.11.87) |
| 17. | नागालैंड | 25.00 रु० प्रतिदिन (6.7.92) |
| 18. | उड़ीसा | 25.00 रु० प्रतिदिन (1.7.90) |
| 19. | पंजाब | 1585.60 रु० प्रति दिन बिना भोजन वा<br>1294.60 रु० प्रति दिन भोजन सहित (1.3.95) |
| 20. | राजस्थान | 32.00 रु० प्रतिदिन (जनवरी, 95) |
| 21. | सिक्किम | न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू किया जाना है। |
| 22. | तमिलनाडु | 20.00 रु० प्रतिदिन (6.4.93) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 23. | त्रिपुरा | 23.65 रु० प्रतिदिन (20.12.93) |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 33.00 रु० प्रतिदिन से 35.00 रु० प्रतिदिन (7.1.92) |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 32.72 रु० प्रतिदिन<br>29.52 रु० प्रतिदिन तथा दो मुख्य भोजन (1.7.94) |
| 26. | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 27.00 रु० प्रतिदिन (अंडमान)<br>28.00 रु० प्रति दिन (निकोबार) (13.8.92) |
| 27. | चंडीगढ़ | 39.42 रु० प्रतिदिन भोजन सहित या 43.25 रु० प्रतिदिन बिना भोजन (1.3.92) |
| 28. | दादर व नगर हवेली | 23.00 रु० प्रतिदिन (15.12.92) |
| 29. | दिल्ली | 57.50 रु० प्रतिदिन (1.8.94) |
| 30. | दमन एवं दीव | 22.00 रु० प्रति दिन (19.3.93) |
| 31. | लक्षद्वीप | 30.00 रु० प्रतिदिन (1.1.93) |
| 32. | पांडिचेरी | |
| | (i) पांडिचेरी क्षेत्र | 14.00 रु० प्रतिदिन (15.12.89) |
| | (ii) माहे क्षेत्र | 12.00 रु० प्रतिदिन हल्के कार्य हेतु<br>15.00 रु० प्रति दिन भारी कार्य हेतु (18.2.87) |
| | (iii) यनम क्षेत्र | 11.00 रु० प्रतिदिन (15.3.88) |
| | (iv) करकैल क्षेत्र | 14.00 रु० प्रतिदिन या 7 लीटर धान + 4.90 रु० प्रतिदिन (31.1.90) |
| 33. | केन्द्रीय क्षेत्र | 46.62 रु० प्रतिदिन (1.4.95) |

## सहायक रोजगार अधिकारियों के रिक्त पद

1753. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन कार्यरत शिक्षा और परामर्श केन्द्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए सहायक रोजगार अधिकारियों और उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारियों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रों में रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किए गए; और

(घ) ये रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे ?

**श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा)** : (क) से (घ). जी हां। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन कार्य कर रहे अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती हेतु सहायक रोजगार अधिकारियों (ए० बी० ओ०) तथा उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारियों (एस० आर० बी० ओ०) के कोई पद रिक्त नहीं हैं। तथापि, इस समय केवल वे ही पद रिक्त हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर भरा जाना है तथा इस समय विद्यमान भर्ती नियमों के अनुसार, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होता है। इन रिक्त पदों को भरने के लिए पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है।

[अनुवाद]

## निजी न्यास बोर्ड

1754. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य देशों के अनुरूप आयकर से मुक्त दान प्राप्त करने वाले निजी न्यासों के बोर्ड में स्वतंत्र जन प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कानून तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (घ). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

## हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

**1755. श्री नरेश कुमार बालियान :**

**श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात करने वाले पंजीकृत एककों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्यातकों को दी जा रही रियायतों और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार हस्तशिल्प वस्तुओं को बढ़ावा देने हेतु कुछ और योजनाएं शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी वेंकट स्वामी)** : (क) देश में 8338 पंजीकृत हस्तशिल्प निर्यात एकक हैं। 5989 हस्तशिल्प निर्यात एकक हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् के साथ पंजीकृत हैं तथा 2349 कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् के साथ पंजीकृत हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प का निर्यात तथा इनसे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार से है :–

(कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े अमरीकी मिलियन डालर में हैं)

| क्रमांक | वर्ष | निर्यात करोड़ रु० में हस्तशिल्प | कालीन | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1992-93 | 1479.78<br>(518.31) | 1043.19<br>(365.39) | 2522.97<br>(883.70) |
| 2. | 1993-94 | 1970.20<br>(628.17) | 1390.00<br>(443.18) | 3360.20<br>(1071.35) |
| 3. | 1994-95 | 2635.90<br>(840.11) | 1822.40<br>(580.84) | 4458.30<br>(1420.95) |

(ग) हस्तशिल्प के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा निर्यातकों को प्रदान की जा रही रियायतों तथा सुविधाओं में शुल्क वापिसी, ब्याज की रियायती दर पर पूर्व तथा पश्त पोतलदानं ऋण 32 माइक्रोन तथा इससे ऊपर के कालीन ग्रेड जन पर 10 प्रतिशत यथामूल्य की दर से रियायती आयात शुल्क, निर्यात गृह/व्यापार गृह/स्टार व्यापार गृह तथा सुपर स्टार व्यापार गृह को मान्यता देने के उद्देश्य से हस्तशिल्प निर्यातकों द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा पर ट्रिपल वेटेज, तथा हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् तथा कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् के सदस्य निर्यातकों की समय-समय पर आयोजित विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलापों में सहभागिता शामिल है।

(घ) और (ङ). निर्यात संवर्धन योजनाएं, जिनमें विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना, अंतर्राष्ट्रीय मेले तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, समुद्र पार प्रचार तथा कैटलाग का प्रकाशन, सेमिनार तथा कार्यशालाओं को आयोजित करना तथा हाल ही में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प तथा गिफ्ट फेयर तथा अखिल भारतीय कालीन व्यापार मेले का वार्षिक आयोजन शामिल है, को सुदृढ़ किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त देश में हस्तशिल्प के विकास तथा संवर्धन के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं, जैसे प्रशिक्षण, प्रदर्शनी तथा प्रचार, विपणन विकास सहायता, डिजायन विकास, सर्वेक्षण तथा अध्ययन आदि कार्यान्वित करती है।

[अनुवाद]

## गोवा में कर वसूली

**1756. श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गोवा में वर्ष-वार कुल कितने आयकर, सम्पत्तिकर और अन्य केन्द्रीय राजस्व की वसूली की गई और राज्य सरकार को इसका कितना हिस्सा दिया गया;

(ख) उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत कुल कितना कर बकाया है और इसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गोवा के करदाताओं को आयुक्त के समक्ष अपील करने के लिए राज्य से बाहर बंगलौर जाना पड़ता है जिससे मामले के निपटान में विलम्ब होता है और समय की बर्बादी होती है और लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गोवा में आयकर आयुक्त का कार्यालय स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

## "सेबी" को प्राप्त हुई शिकायतें

**1757. श्री बलराज पासी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को निवेशकों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या "सेबी" निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने में असमर्थ रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी शिकायतों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सेबी को और अधिक अधिकार देने का है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को 15 जुलाई, 1995 तक निवेशकों में 17,31,807 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) चूंकि सेबी ऊपर (क) के उत्तर में उल्लिखित शिकायतों की कुल संख्या में से 8,57,611 शिकायतों का समाधान करने में समर्थ रहा है इसलिए यह कहना सही नहीं है कि सेबी निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने में असमर्थ रहा है।

(घ) सेबी की विनियामक शक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 1995 के माध्यम से सुदृढ़ बनाया गया है। कंपनी कार्य विभाग ने भी सेबी के कुछ अधिकारियों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 56 की उपधारा (3); धारा 59 की उपधारा (1), धारा 73 की उपधारा (2) और 2 (ख), धारा 113 की उपधारा (2) और धारा 207 के तहत दण्डनीय अपराधों के संबंध में मुकदमे दायर करने के लिए भी प्राधिकृत किया है।

## विश्व बैंक-भारत विकास मंच की बैठक

**1758. श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारत विकास मंच की बैठक हाल ही में पेरिस में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में विचार-विमर्श किए गए प्रमुख मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (ग) जी हां। देश की सहायता संबंधी आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए पेरिस में 29 और 30 जून, 1995 को भारतीय विकास संघ की बैठक हुई थी। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दाता देशों की बैठक 29 जून, 1995 को हुई जिसमें भारत के विकास के सहयोगियों ने 6.9 बिलियन डालर की बचनबद्धताएं की। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विकास एजेन्सियों के प्रतिनिधियों ने भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के साथ मिलकर भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई सतत प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दूसरे दिन इस वर्ष के विषय "आधारभूत अवसंरचना में निजी क्षेत्र का निवेश-एक उपयुक्त वातावरण" पर सम्भाव्य निवेशकों के साथ पारस्परिक क्रियाओं पर चर्चा हुई। इस बैठक ने आधारभूत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश को सरल बनाने के लिए हाल ही में प्रारम्भ किए अभिक्रमों की व्याख्या करने के लिए सरकार को एक मंच प्रदान किया। सरकारी प्रतिनिधियों ने निजी क्षेत्र के निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में सहयोगियों को जानकारी दी। कुल मिलाकर बैठक में उन्नत उपयुक्त वातावरण की प्रतिक्रिया में निजी निवेशकों के हितों की पुष्टि की।

[हिन्दी]

## पायलटों के पलायन पर रोक लगाने हेतु कदम

**1759. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में निजी विमान सेवा संचालन के कारण इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में कमी आई है तथा पायलट निजी विमान सेवाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) और (ख). प्रचालन कर्मीदल के कारण इंडियन एयरलाइन्स ने 7-5-95 से निम्नलिखित सैक्टरों से सेवाएं हटा ली हैं :-

(1) गुवाहाटी/दीमापुर

(2) गुवाहाटी/इम्फाल

(3) गुवाहाटी/डिब्रूगढ़

(4) मद्रास/मंगलौर

(5) बंगलौर/मंगलौर

(6) बंगलौर/कोयम्बतूर

(7) नागपुर/बंगलौर

(8) चंडीगढ़/लेह।

(ग) स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) मासिक भत्तों में वृद्धि के द्वारा विमानचालकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन।

(2) कमांडरों के कैरियर प्रोन्नति के अवसरों में सुधार।

(3) त्यागपत्र के लिए नोटिस की अवधि में वृद्धि करके एक से छः महीने करना।

(4) निजी विमान कम्पनियों में इंडियन एयरलाइन्स के विमानचालकों के नियोजन के लिए नागर विमानन महानिदेशक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा शुरू करना और

(5) बॉड के मूल्य को 7.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 10.00 लाख रुपए करना।

### अस्थायी श्रमिकों को नियमित करना

**1760. श्री संजय लाल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्थायी श्रमिकों को नियमित करने के संबंध में आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार अस्थायी श्रमिकों को नियमित किए जाने के संबंध में नियमों को अधिक कठोर बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु क्या उपबंध निर्धारित किए गए हैं?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) से (ग). औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में से प्रगणित अनुचित श्रम व्यवहारों में अर्ह नैमित्तिक/अस्थायी कर्मकारों को स्थायी कर्जा न दिया जाना एक है। अधिनियम में अनुचित श्रम व्यवहारों के लिए शास्तियों की व्यवस्था की गई है। अस्थायी श्रमिकों को नियमित किए जाने से संबंधित औद्योगिक विवाद को औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा सुलह कराया जाता है, और आवश्यक होने पर, न्याय निर्णयन के लिए समुचित औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय को संदर्भित कर दिया जाता है।

### सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों द्वारा छापे

**1761. श्री खेलनराम जांगड़े :**

**श्री अर्जुन सिंह यादव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कितने छापे मारे गए और समाहर्तालयवार कितनी राशि की कर चोरी का पता लगा है;

(ख) इन छापों के दौरान जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

### अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

**1762. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :**

**श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1995 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में विशेषत: खान श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपायों के शुरू किए जाने के संबंध में किन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ; और

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) से (ग). अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 82वें सत्र की बैठक 6 से 23 जून, 1995 तक जेनेवा में सम्पन्न हुई।

सम्मेलन में रोजगार संवर्धन के संबंध में आई॰ एल॰ ओ॰ के महानिदेशक की रिपोर्ट, 1996-97 के लिए आई॰ एल॰ ओ॰ का बजट प्रस्ताव और विभिन्न सदस्य-देशों में आई॰ एल॰ ओ॰ के मानकों की अनुप्रयुक्तता पर विचार विमर्श किया गया। इसमें सबसे पहले गृह कार्य पर विचार विमर्श किया गया और यह प्रस्ताव किया गया कि इस विषय पर अगले वर्ष सम्मेलन में एक अभिसमय अंगीकृत किया जाएगा और सिफारिशें दी जाएंगी। इसमें गैर-वाणिज्यिक सेवा क्षेत्र में श्रम निरीक्षण करने से संबंधित आई॰ एल॰ ओ॰ के अभिसमय सं॰ 81 को विस्तारित करने के लिए एक प्रोटोकोल को भी अंगीकृत किया गया।

सम्मेलन में खानों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सिफारिश द्वारा समर्थित एक आई॰ एल॰ ओ॰ अभिसमय को अंगीकृत किया गया। यह अभिसमय सभी खानों पर लागू होता है और इसे अनुसमर्थित करने वाले सदस्य देशों से अपेक्षा करता है कि वे खानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में एक नीति तैयार करने, उसे लागू करने के लिए नियोक्ताओं और श्रमिकों से सलाह मशविरा करें। और उसकी आवधिक रूप से समीक्षा करें तथा खानों के पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए और दुर्घटन और व्यवसायगत बीमारियों के बारे में रिपोर्टिंग करने और उनकी तफतीश करने से संबंधित क्रियाविधि बनाए रखने के लिए कदम उठाएं। नियोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नियंत्रणाधीन खानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य का जोखिम समाप्त करने अथवा उन्हें कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें और यह सुनिश्चित करें कि गम्भीर खतरे वाले स्थलों पर कोई कार्य रोक दिए जाएं और श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर निष्क्रमित कर दिया जाए।

### राष्ट्रीय बाल श्रम प्राधिकरण

**1763. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बाल श्रम प्राधिकरण के गठन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस लोक निकाय में जनसेवक और गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) से (ग). केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में 26.9.1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के संघटन और कार्यों को दर्शाने वाले संकल्प की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

## विवरण

(भारत के राजपत्र के भाग I, खंड II में प्रकाशनार्थ)
संख्या जैड-19011/5/94-सी॰ एल॰
भारत सरकार
श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26.9.94

### संकल्प

जोखिमकारी नियोजनों में बालकों का नियोजन प्रतिबिद्ध किए जाने के संबंध में भारत के संविधान में यथा निर्धारित उपबंधों, बाल श्रम के नियोजन और बाल श्रम प्रथा के क्रमिक रूप से पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यवस्थित कार्रवाई करने की आवश्यकता से संबंधित अं॰ श्र॰ सं॰ के मानकों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजनार्थ एक स्वायत्त सांविधिक निकाय का गठन किए जाने तक एक प्राधिकरण का निम्नानुसार गठन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रम राज्य मंत्री | : | अध्यक्ष |
| 2. | सचिव, श्रम मंत्रालय | : | सदस्य |
| 3. | सचिव, व्यय, वित्त मंत्रालय | : | सदस्य |
| 4. | सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय | : | सदस्य |
| 5. | सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय | : | सदस्य |
| 6. | सचिव, कपड़ा मंत्रालय | | सदस्य |
| 7. | सचिव, कल्याण मंत्रालय | : | सदस्य |
| 8. | सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सचिव, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय | : | सदस्य |
| 10. | सचिव, परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | : | सदस्य |
| 11. | सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | : | सदस्य |
| 12. | प्रभारी निदेशक, बाल श्रम, श्रम मंत्रालय | : | सदस्य-सचिव |

बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने संबंधी राष्ट्रीय प्राधिकरण के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) विशेष रूप से जोखिमकारी नियोजनों में बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करना।

(ii) बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने संबंधी कार्यक्रमों, परियोजना और योजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति का अनुवीक्षण करना।

(iii) भारत सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों को बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वियन का समन्वयन।

### आदेश

यह आदेश किया जाता है कि संकलप की एक प्रति सभी सदस्यों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जनता की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

ह॰/-

(एस॰ गोपालन)

सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद।

## मध्य प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन पर्यटन योजनाओं का कार्यान्वयन

**1764. श्री सूरजभानू सोलंकी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के परवर्ती वर्षों और 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और आठवीं पंचवर्षीय योजना के आगामी वर्षों के दौरान किन-किन योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ख) प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** (क) और (ख). अब तक मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के उत्तरवर्ती वर्षों के लिए राज्य में पर्यटन का संवर्धन करने हेतु केन्द्रीय सहायता मांगने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं।

## भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक समझौता

**1765. श्री राम कापसे :**

**श्री श्रवण कुमार पटेल :**

**श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मनी ने दोनों देशों के बीच दुतरफा पूंजी निवेश प्रक्रिया को तेज करने के लिए जून, 1995 में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय पूंजीनिवेश सुरक्षा सन्धि सहित तीन दूरगामी आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते के निकट भविष्य में क्या-क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या दोहरे कराधान को रोकने तथा वित्तीय नयाचार (प्रोटोकोल) के संबंध में भी 1995 में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (ङ). जून, 1995 में भारत और जर्मनी ने (1) भारत-जर्मन संघीय गणराज्य वित्तीय सहयोग, 1995 और (ii) दोहरे कराधान से परिवर्तन के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, (iii) द्विपक्षीय निवेश संरक्षण के लिए करार भी जून, 1995 में शुरू किया गया और तदनन्तर 10.7.1995 को हस्ताक्षरित किया गया।

19.6.1995 को हस्ताक्षरित भारत-जर्मन संघीय गणराज्य वित्तीय सहयोग करार के अन्तर्गत जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार ने दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सम्मत परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 366.6 मिलियन ड्यूश मार्क की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। 19.6.1995 को हस्ताक्षरित आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से परिवर्जन के जिए करार में लाभांशों, ब्याज, रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क से आय पर कराधान की घटी हुई दरों की व्यवस्था है। करार में दोनों के बीच सूचना के आदान-प्रदान और कर-समस्याओं का समाधान करने के लिए पारस्परिक प्रक्रिया की भी व्यवस्था है। द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार का उद्देश्य एक देश से दूसरे देश में निवेश का संवर्धन और संरक्षण करने का है। करार के तहत प्रत्येक देश द्वारा उचित और साम्यापूर्ण व्यवहार प्रदान किए जाने और दूसरे देश के निवेशों को पूर्ण संरक्षण और सुरक्षा प्रदान किए जाने की अपेक्षा की गई है। करार का सार सर्वाधिक प्रिय देश और राष्ट्रीय व्यवहार के सिद्धान्तों के सकारात्मक दृढ़कथन में निहित है। ऐसा प्रतीत होता है कि करार भारत में जर्मन निवेश को प्रोत्साहित करने में एक मुख्य उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

## पदों की संख्या में कटौती

**1766. श्री मोहन रावले** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् की मितव्ययता संबंधी समिति ने 1993 में इस मंत्रालय में विद्यमान पदों की संख्या में कटौती करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पदों की संख्या में कटौती से कितनी राशि की बचत की गई; और

(घ) आर्थिक क्रिया-कलापों पर से नियंत्रण हटाने और सभी क्षेत्रों में नियमों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के परिव्यय स्वरूप अनेक पदों को समाप्त करने और अधिष्ठापना के आकार को कम करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्यक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम)**: (क) से (ग). राष्ट्रीय विकास परिषद् की मितव्ययता संबंधी समिति ने संसाधनों के संग्रहण तथा खर्च में कमी करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों द्वारा निर्धारित प्रयास करने की जरूरत को रेखांकित किया है। उसने पदों में मंत्रालय-वार कमी करने तथा उन्हें सौंपने के बारे में विशेष रूप से कोई सुझाव नहीं दिया था।

(घ) वर्ष 92-93 से वाणिज्य मंत्रालय में 39 पद समाप्त किए गए हैं।

## भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता

**1767. डा॰ आर॰ मल्लू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आन्ध्र प्रदेश के उद्यमियों से भारतीय औद्योगिक विकास बैंकों को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन स्वीकार/रद्द किए गए हैं, और इन्हें रद्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राज्य में उद्योगों को दी गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार और एकक-वार ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई॰ डी॰ बी॰ आई॰) ने सूचित किया है कि आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ की प्रत्यक्ष वित्त योजना के तहत वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य के संदर्भ में उनके द्वारा वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त, स्वीकृत तथा अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या निम्नलिखित है :-

| | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| प्राप्त आवेदन पत्र | 165 | 152 | 170 |
| स्वीकृत आवेदन पत्र | 119 | 126 | 123 |
| अस्वीकृत आवेदन पत्र | 1 | 2 | 1 |

आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ ने सूचित किया है कि परियोजनाओं की अनुपलब्धता के कारण आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किया गया था।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ की प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के तहत इसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों को स्वीकृत सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रुपए)

| | मंजूरियां |
|---|---|
| 1992-93 | 508.4 |
| 1993-94 | 699.1 |
| 1994-95 | 1034.7 |

तथापि, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को संचालित करने वाले कानूनों के प्रावधानों के अनुसार और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार एकक-वार ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते हैं।

## बैंक आफ बड़ौदा में घोटला

**1768. श्री श्रवण कुमार पटेल :**

**श्री निर्मल कांति चटर्जी :**

**श्री अजय मुखोपाध्याय :**

**श्री बसुदेव आचार्य :**

**श्री अमल दत्त :**

**श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 1995 के एशियन एज में "आर॰ बी॰ आई॰ डिप्टी गवर्नर एम्यूज्ड आफ बॉब फ्राड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ). समाचार में यह आरोप लगाया गया है कि बैंक आफ बड़ौदा के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक की लन्दन शाखा में की गई धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त बैंक के चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में असफल रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने संदर्भित मामले की जांच की है और सूचित किया है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं।

## होटल सुविधाओं की कमी

**1769. श्री सुधीर राय :**

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1995 में भारत की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के अनेक बड़े समूहों ने भारत में होटल आवास की कमी के कारण अपनी यात्रा रद्द की है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी पर्यटकों को समुचित होटल आवास उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इतनी अधिक संख्या में आने वाले विदेशी पर्यटकों को भारत में होटल आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी होटल मालिकों को और अधिक होटलों का निर्माण करने की अनुमति देने का है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने होटल आवास की कमी को पूरा करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) होटलों का निर्माण करना मुख्यतया प्राइवेट सेक्टर का क्रियाकलाप है और पर्यटन विभाग की 1 से 5 सितारा होटल परियोजनाओं को विदेशी पर्यटकों के लिए उनकी उपयुक्तता के दृष्टिकोण से अनुमोदित करने की एक स्कीम है।

(घ) अनुमोदित होटल परियोजनाओं को ब्याज इमदाद, आयात सुविधाएं, निर्माण सामग्री और अन्य आदान प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता आदि जैसे विविध प्रोत्साहन दिए गए हैं।

## घटिया पैकेजिंग के कारण हानि

**1770. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया पैकेजिंग के फलस्वरूप वस्तुओं को लौटा देने, खराब होने और टूट जाने के कारण प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की भारी हानि होती है;

(ख) क्या निर्यात पैकेजिंग एककों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपनी वस्तुओं को ढुलाई तथा बार-बार उतारने एवं चढ़ाने के दौरान होने वाली क्षति से बचाएं और अंततः इन उत्पादों को ठीक-ठीक स्थिति में उपभोक्ताओं तक पहुचाएं ताकि उनके ब्रांड की विश्वसनीयता बनी रहे;

(ग) क्या इस राशि को बचाने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम):** (क) अभी तक इसकी वजह से विदेशी मुद्रा के नुकसान होने के बारे में कोई निश्चित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ). निर्यात उत्पादों की समुचित पैकिंग के महत्व को समझते हुए, पारगमन में वस्तुओं के होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से पैकिंग की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों

के बराबर सुधारने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदें और अन्य संस्थाएं भारतीय निर्यातकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमीनारों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों के जरिए प्रोत्साहित करती हैं। निर्यातकों को पैकेजिंग की अद्यतन प्रौद्योगिकी की जानकारी देने के लिए भारतीय पैकेजिंग संस्थान की सेवाएं ली जाती हैं। एपीडा ने भी कई ताजे फलों और वनस्पति उत्पादों की पैकिंग के लिए मानक पैकिंग विकसित की है और वह उन निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो क्रेताओं की जरूरत के अनुरूप निश्चित उत्पादों के लिए पैकेजिंग विकसित करते हैं।

[हिन्दी]

## ब्याज दरें

**1771. डॉ॰ लाल बहादुर रावल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों तथा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में सावधि जमाराशियों पर ब्याज की दरों में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बैंकों और ग्राहकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). डाकघरों और बैंकों की योजनाएं सही अर्थ में तुलनीय नहीं होती हैं। प्रत्येक बचत साधन विभिन्न श्रेणी के बचत करने वालों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह बचत करने वालों के पास साधनों का विकल्प होता है।

## श्रमिकों के बारे में सर्वेक्षण

**1772. श्री हरि केवल प्रसाद :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बीड़ी श्रमिकों, आतिशबाजी उद्योग, ग्लास उद्योग और बाल श्रमिक प्रधान कालीन उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों के बारे में समय-समय पर राज्य-वार व्यापक सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## कोरियाई फर्मों द्वारा पालिस्टर के रेशे की "डंपिंग"

**1773. श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण कोरिया की कुछ फर्मों द्वारा फालतू पालिस्टर स्टेपल फाइबर को भारत में जमा किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

## भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण

**1774. डॉ॰ कृपासिंधु भोई :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार पर 31 मार्च, 1995 तक भारतीय रिजर्व बैंक का कितना ऋण था;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस ऋण में और वृद्धि हो जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह):** (क) दिनांक 31 मार्च, 1995 के अनुसार केन्द्रीय सरकार पर रिजर्व बैंक का निवल ऋण (एन॰ आर॰ सी॰ सी॰ जी॰) 98913 करोड़ रुपए था।

(ख) और (ग). अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार पर रिजर्व बैंक के निवल ऋण (एन॰ आर॰ सी॰ जी॰) की अभिवृद्धि केन्द्रीय सरकार की बजटीय स्थिति और भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार संचालनों पर निर्भर करती है। केन्द्रीय सरकार पर रिजर्व बैंक के निवल ऋण में वित्तीय वर्ष के दौरान सामान्य रूप से वृद्धि होती है।

## निर्यातोन्मुख कताई मिलें

**1775. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मुछ निर्यातोन्मुख कताई मिलों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये मिलें किन-किन राज्यों में स्थापित की जाएंगी;

(ग) क्या गुजरात में इस प्रकार की कोई मिलें स्थापित की जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) :** (क) से (घ). शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना, सरकार की अवस्थापना संबंधी नीति के अध्यधीन उद्यमियों की रुचि के स्थानों पर की जा सकती है।

## मास्टर गेन-1992 की पुनः खरीद

**1776. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने हाल ही में मास्टर गेन-1992 के शेयरों की पुनः खरीद की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुनः खरीद योजना का लाभ उठाने हेतु मास्टर गेन-1992 के धारकों के लिए कुछ औपचारिकताएं और अर्हताएं निर्धारित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह योजना भारतीय यूनिट ट्रस्ट के सभी कार्यालयों और बैंकरों के माध्यम से शुरू की गई है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या योजना में बिना पूर्ण विवरण दिए "सी॰ आर॰ तथा सी॰ आर॰ कलैक्शन सैंटर्स" जैसे अनेक शब्द संक्षेपों का प्रयोग किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) से (घ). भारतीय यूनिट ट्रस्ट की मास्टर गेन योजना, 1992 में आबंटन से चौथे, पांचवें, छटे एवं सातवें वर्ष के दौरान प्रचलित पुनः खरीद मूल्य पर भा॰ यू॰ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद का प्रावधान है। पहली पुनर्खरीद, जो 1 अगस्त, 1995 से प्रारम्भ है, पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर है और योजना के अन्तर्गत निर्गमित मूल पूंजी के 25% तक है। योजना 25% प्रतिदान की समग्र छूट की सीमा के भीतर कुछ अन्य चुनी हुई योजनाओं के लिए स्विच-ओवर विकल्प की अनुमति भी देती है। मास्टर गेन, 1992 के यूनिटों के सभी पंजीकृत धारक और वे अंतरिती जिन्होंने 30 मार्च, 1995 को या उससे पहले वैध स्थानांतरण दस्तावेज जमा कराए वे इस योजना के अन्तर्गत पुनः खरीद/स्विच ओवर, के पात्र हैं। निवेशकों को समाचार पत्रों एवं एजेंट बुलेटिनों के माध्यम से संबद्ध प्रक्रियाओं से अवगत करा दिया गया है।

(ङ) और (च). पुनर्खरीद/स्विच ओवर हेतु आवेदन पत्र भा॰ यू॰ ट्रस्ट के सभी शाखा कार्यालयों एवं योजना के लिए विशेष रूप से खोले गए संग्रहण केन्द्रों एवं रजिस्ट्रारों के कार्यालय के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं।

(छ) और (ज). आवेदन पत्र में कोई संक्षिप्त रूप जैसी सी॰ आर॰ आदि प्रयुक्त नहीं किए गए हैं।

## विदेशी मुद्रा के व्यापारियों के लिए मानदंड

**1777. प्रो॰ एम॰ कामसन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के व्यापारियों के लिए मानदंडों में ढील दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

### विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत डीलरों को निम्न हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना निर्धारित मापदंडों तथा/अथवा विदेश में दौरे की अवधि से अधिक विदेशी मुद्रा सुविधाएं अनुमेय करने की अनुमति प्रदान की है बशर्ते कि वे आवेदन-पत्र की प्रामाणिकता तथा निर्धारित मापदंडों से अधिक विदेशी मुद्रा जारी करने की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट हो–

(i) विदेशी व्यापार दौरा जिसमें मनोरंजन भत्ता शामिल है;

(ii) समुद्रपारीय सम्मेलनों/वैज्ञानिक/तकनीकी/शैक्षिक प्रकृति की गोष्ठियों में भाग लेना;

(iii) विशेषज्ञ प्रशिक्षण/अध्ययन दौरे/शिक्षुता प्रशिक्षण;

(iv) विदेश में चिकित्सीय उपचार/जांच/सलाह; और

(v) विदेश शिक्षा।

जैसा कि ऊपर पहले ही बताया जा चुका है, प्राधिकृत डीलर विभिन्न प्रयोजनों के लिए बिना किसी उच्चतम सीमा के विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं। यह 5 जुलाई, 1995 से प्रभावी हुआ है। तथापि, बड़े मुद्रा परिवर्तनों (एफ॰ एफ॰ एम॰ सी॰) को निर्धारित मापदंडों से अधिक विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

## राज्यों को उद्यान पर्यटन के लिए वित्तीय सहायता

**1778. श्री एन॰ जे॰ राठवा :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को उद्यान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** (क) और (ख). पर्यटन विभाग उद्यान पर्यटन के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। तथापि, कुछ राज्य ऐसे उत्सवों का आयोजन करते हैं जैसे दिल्ली में उद्यान उत्सव, चण्डीगढ़ में गुलाब उत्सव तथा सिक्किम में फूल उत्सव। इन उत्सवों के आयोजन करने के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता नीचे के अनुसार है :–

(रु॰ लाखों में)

| | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| 1. गार्डन उत्सव, दिल्ली | 1.50 | 1.25 | - |
| 2. गुलाब उत्सव, चण्डीगढ़ | 1.75 | 4.65 | 2.00 |
| 3. गार्डन उत्सव, सिक्किम | - | 3.85 | 4.98 |

[अनुवाद]

## मालेगाम पैनल

**1779. डॉ॰ बसंत पवार :**

**श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा गठित मालेगाम पैनल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या पैनल ने "सेबी" को कोई रिपोर्ट दी है;

(ग) यदि हां, तो कंपनियों द्वारा मानदंडों के प्रकटीकरण पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पैनल के क्या सुझाव हैं; और

(घ) सरकार/"सेबी" द्वारा इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख). प्रस्ताव दस्तावेजों में वर्तमान प्रकटीकरण की अपेक्षाओं पर पुनर्विचार करने हेतु तथा सुधारों का सुझाव देने के लिए श्री॰ वाई॰ एच॰ मालेगाम की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट "सेबी" को दे दी है।

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अलग-अलग क्षेत्रों से सुझाव आमंत्रित करने के विचार से रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है।

### विवरण

प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण की अपेक्षाओं पर मालेगाम समिति की मुख्य सिफारिशें

1. वित्तीय विवरण तैयार करने में सभी महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखावधियों हेतु जिनके लिए लाभ व हानि दिखाए गए हैं, लेखा अनुपात जैसे आय प्रति शेयर निवल मूल्य पर प्रतिलाभ और निवल आस्ति मूल्य प्रति शेयर निर्दिष्ट किए गए जाने चाहिए।

2. लाभ एवं हानि विवरण में विनिर्माण एवं व्यापार से कुल प्राप्ति अलग-अलग निर्दिष्ट की जानी चाहिए। इसी प्रकार मुख्य गतिविधियां एवं अन्य गतिविधियों से कुल प्राप्ति को अलग-अलग निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

3. निर्गम कर्त्ताओं को भावी लाभ के प्रक्षेपण प्रकटन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नई कंपनियों, नई परियोजनाओं एवं विस्तारों को किसी आर्थिक संस्था या किसी बैंक या अग्रणी प्रबन्धक, जो इस परियोजना में साझेदार हो द्वारा मूल्य निर्धारण किए जाने की शर्त पर अपवादों की अनुमति दी जाती हैं।

4. विवरण पत्र में संवर्धक समूह, निदेशकों एवं संवर्धक(कों) की कुल शेयर धारिता को अवश्य प्रकट किया जाना चाहिए। विवरण पत्र भरने की तारीख से पूववर्ती छह माहों में संवर्धक समूह तथा निदेशकों द्वारा व्यापार किए गए शेयरों की कुल संख्या व्यापार किए गए मूल्य से संबंधित सूचना सहित अवश्य दी जानी चाहिए।

5. प्रकटन में जोखिम कारकों को प्रबन्धन अवबोधनों एवं आंतरिक/बाह्य कारकों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

6. निर्गम मूल्य को उचित ठहराने के लिए, विवरण पत्र में पूर्ववर्ती तीन वर्षों के प्रति शेयर आय के विवरण, यदि संभव हो तो उद्योग के साथ-साथ मूल्य/आय अनुपात, तीन वर्षों में निवल मूल्य पर औसत प्रतिलाभ। पिछले तुलनपत्र पर आधारित निवल आस्ति मूल्य एवं निर्गम पश्चात् निवल आस्ति मूल्य दिए जाने चाहिए।

7. यह पुष्टि करने के लिए, कि निधियों का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु किया गया है, एक वार्षिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए।

8. स्क्रिप के शेयर बाजार पर सूचना प्रकट की जानी चाहिए। मसौदा विवरण-पत्र की पावती पर "सेबी" को शेयर बाजार को भी सूचित करना चाहिए ताकि वे शेयर में लेन-देनों का प्रबोधन कर सकें।

## पंजीकृत उत्प्रवास अभिकर्ता

**1780. श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1993/अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार कितने उत्प्रवास अभिकर्त्ता पंजीकृत थे;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान कितने अभिकर्त्ताओं का पंजीकरण रद्द किया गया;

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान कितने नए अभिकर्ताओं का पंजीकरण किया गया;

(घ) इस अवधि के दौरान अभिकर्त्ता के खर्चे पर कितने अप्रवासियों को देश-वार अलग-अलग स्वदेश वापस भेजा गया; और

(ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान देश-वार उत्प्रवासियों की संख्या कितनी थी ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा)** : (क) 1 अप्रैल, 1993 और 1 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत भर्ती एजेंटों की संख्या क्रमशः 1942 और 2158 थी।

(ख) 1993-94 के दौरान कोई पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द नहीं किया गया।

(ग) 1993-94 के दौरान पंजीकृत भर्ती एजेंटों की संख्या 216 थी।

(घ) 1993-94 के दौरान भर्ती एजेंट की लागत पर कोई प्रवासी प्रत्यावर्तित नहीं किया गया।

(ङ) उन कर्मकारों की देश-वार संख्या जिन्हें 1993-94 के दौरान उत्प्रवास अनुमति/उत्प्रवास जांच आवश्यक नहीं पृष्ठांकन प्रदान किया गया निम्नानुसार है :–

| | देश | 1993-94 |
|---|---|---|
| 1. | बहरीन | 14,298 |
| 2. | ओमान | 27,823 |
| 3. | संयुक्त अरब अमीरात | 76,347 |
| 4. | साऊदी अरब साम्राज्य | 2,68,115 |
| 5. | कुवैत | 25,533 |
| 6. | अन्य | 20,182 |
| | कुलः | 4,32,298 |

## दार्जिलिंग में चाय बागानों का विकास

1781. **श्री समत कुमार मंडल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दार्जिलिंग प्लांटर्स एसोसिएशन से क्षेत्र में चाय उद्योग हेतु एक विस्तृत विकास योजना शुरू करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो चाय उत्पादकों को फसल के विपणन जैसी विभिन्न समस्याओं के संबंध में, विशेषकर किए गए अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** (क) और (ख). वाणिज्य मंत्रालय ने दार्जिलिंग में चाय उद्योग के विकास के लिए एक योजना बनाने का चाय बोर्ड से अनुरोध किया था उसके बाद चाय बोर्ड ने इस मामले को दार्जिलिंग प्लांटर्स एसोसिएशन के साथ उठाया जिसने इस मामले में बोर्ड को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

दार्जिलिंग प्लांटर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए अध्ययन की मुख्य बातों से पता चलता है कि अपर्याप्त लाभों के कारण दार्जिलिंग के चाय उद्योग स्थिर उत्पादन की समस्याओं का सामना करते रहे हैं। जोकि मुख्यतः पुनरोर्पण विस्तार रोपण, इन फीलिंग, जल प्रबंधन तथा उपयुक्त विपणन जैसे विकास संबंधी क्रियाकलापों में दार्जिलिंग चाय उद्योग द्वारा निवेश नहीं कर पाने के कारण हैं। उस उद्योग ने इन क्षेत्रों में चाय बोर्ड/सरकार की सहायता मांगी है।

(ग) दार्जिलिंग प्लांटर्स एसोसिएशन ने चाय बोर्ड को 31 जुलाई, 1995 को ही अपने प्रस्ताव दिए हैं। इन प्रस्तावों पर चाय बोर्ड की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

## हथकरघा क्षेत्र के लिए रियायतें

1782. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान हथकरघा क्षेत्र के लिए क्या-क्या नई रियायतों/छूटों की घोषणा की गई है; और

(ख) इसके फलस्वरूप कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) :** (क) और (ख) हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए 1995-96 के दौरान सरकार द्वारा घोषित नई रियायतों/छूटों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना को न केवल जारी रखा गया और इसमें विस्तार किया गया अपितु बुनकरों को हैंक यार्न की उपलब्धता को बेहत्तर बनाने के उद्देश्य से 1995-96 के दौरान सब्सिडी की दर को 15 रु. प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 20 रु. प्रति किलोग्राम किया गया। हैंक यार्न सब्सिडी योजना के अंतर्गत 20 मिलियन किलोग्राम हैंक यार्न की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 40 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
2. मिल गेट मूल्य योजना के कार्यक्षेत्र में भी विस्तार किया गया है तथा मिल गेट मूल्य पर 20 मिलियन किलोग्राम हैंक यार्न की आपूर्ति की जाएगी वर्ष 1995-96 के लिए बजट आंकलन में 3.12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
3. विपणन विकास सहायता योजना के कार्यक्षेत्र में भी विस्तार किया गया है तथा प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को दी जाने वाली विपणन विकास सहायता की दर में वृद्धि की गई है। इस योजना के अंतर्गत 1995-96 के लिए 67 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
4. वाणिज्यक बैंकों को पुनर्वित्त देने के लिए नाबार्ड पुनर्वित्त में विस्तार किया गया है ताकि हथकरघा सहकारिताओं को ऋण मिल सके।

[अनुवाद]

## पुणे स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

1783. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पुणे में एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की सहायता करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन

**1784. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन का कार्य शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और इस पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी और अधिकारी प्रभावित हुए तथा फालतू घोषित कर्मचारियों और अधिकारियों की उचित नियुक्ति के लिए क्या उपाय किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार बाकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन की योजना को जारी रखने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या 1995-96 के दौरान पुनर्गठित किए जाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पता लगा लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) पुनर्संरचना के लिए चुने गए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 1994-95 में 26 बैंकों ने अपने कार्यकारी परिणामों में सुधार किया है, इन 26 बैंकों में से तीन ने उल्लेखनीय कार्य किया है। किसी कर्मचारी को अधिशेष घोषित नहीं किया गया है और इसीलिए उनके पुनर्नियोजन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) से (ङ). 1995-96 के दौरान पुनर्संरचना हेतु चुने जाने के लिए 50 अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने एक समिति गठित की है। समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

## होम्योपैथिक दवाओं का निर्यात

**1785. श्री ए॰ इन्द्रकरन रेड्डी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश से होम्योपैथिक दवाओं का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनके निर्यात से प्रतिवर्ष प्रत्येक देश से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) सरकार ने इन दवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम):** (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए जैसी कि अद्यतन जानकारी उपलब्ध है, होम्योपैथिक औषधियों के कुल निर्यात के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :-

| | मूल्य करोड़ रु॰ |
|---|---|
| 1992-93 | 1.95 |
| 1993-94 | 5.17 |
| 1994-95 | 1.69 |

(अप्रैल, 94-फरवरी, 95)

देशवार ब्यौरे डी॰ जी॰ सी॰ आई॰ एण्ड एस के "फारेन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स आफ इण्डिया" नामक प्रकाशन में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) सरकार द्वारा होमियोपैथिक औषधियों का निर्यात संवर्धन बाजार विकास सहायता, प्रतिनिधिमण्डलों के आदान-प्रदान, क्रेता-विक्रेता, व्यापार में सहभागिता और नीति एवं क्रियाविधियों में उदारीकरण के जरिए किया जाता है।

[हिन्दी]

## कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय

**1786. डा॰ चिन्ता मोहन :**

**श्री गुमान मल लोढ़ा :**

**श्री राजवीर सिंह :**

**श्रीमती शीला गौतम :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों का अन्य बैंकों के साथ विलय कर दिया गया है अथवा उन्हें बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल एक राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात् न्यू बैंक आफ इंडिया का विलय पंजाब नैशनल बैंक में किया गया है। भूतपूर्व न्यू बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय स्थिति में निरंतर गिरावट के कारण यह विलय आवश्यक हो गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक को बन्द नहीं किया गया है।

(ग) विलय के साथ ही भूतपूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया की वचनबद्धताओं को उनकी सभी परिसम्पत्तियों और देयताओं के साथ पंजाब नेशनल बैंक में निहित कर दिया गया है। भूतपूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया के अधिकारी और अन्य कर्मचारी पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी हो गए।

[अनुवाद]

## क्रेडिट कार्डों का फर्जी प्रयोग

**1787. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1994-95 के दौरान क्रेडिट कार्डों के फर्जी प्रयोग के द्वारा दो करोड़ रुपयों से अधिक के लेन-देन की हेरा-फेरी की जानकारी है जैसाकि 14 जून, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अपराधों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अपराधियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसे सफेद-पोश अपराधों की रोकथाम हेतु कोई प्रणाली तैयार की गई है अथवा तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) क्रेडिट कार्डों के संबंध में धोखाधड़ियों के कतिपय मामले सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में आए हैं।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, संबंधित बैंकों ने ऐसे मामलों में दीवानी/अपराधिक कार्रवाई आरम्भ की है।

(घ) और (ङ). क्रेडिट कार्डों में धोखाधड़ियों की रोकथाम के लिए बैंकों ने विभिन्न उपाए किए हैं। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक, क्रेडिट कार्ड धारकों का नामांकन करते समय आवश्यक पूर्वोपाय करते हैं। क्रेडिट कार्डों में ही बहुत से सुरक्षा उपाय हैं। कार्ड जारी करने वाले बैंकों के पास प्राधिकार प्रणाली है, जिनसे इस बात पर निरंतर निगरानी रखी जाती है कि कहीं कार्ड के तहत व्यय की सीमा का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है और किसी गलत कार्य के मामले में चेतावनी बुलेटिन जारी किए जाते हैं। कुछ बैंकों ने फोटो क्रेडिट कार्ड भी लागू किए हैं।

## निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों द्वारा निर्यात लक्ष्यों को पूरा न करना

**1788. श्री हरिन पाठक :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों ने वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान अपने निर्यात लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने एककों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या निर्यात लक्ष्यों के पूरा न करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बदनामी हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्):** (क) और (ख). निर्धारित मूल्यवर्धन प्राप्त नहीं करने के परिणामस्वरूप निर्यात दायित्वों को पूरा करने के मामले में कुछ निर्यातोन्मुख एककों के विरुद्ध कमी की रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) निर्यात दायित्व पूरा करने की मानिटरिंग नियमित आधार पर की जा रही है। वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान क्रमश: 15 एवं 5 मामलों में विदेश व्यापार महानिदेशालय के प्रवर्तन प्रभाग द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है।

(घ) और (ङ). ई॰ ओ॰ यू॰/ई॰ पी॰ जेड॰ एककों द्वारा निर्यात संविदाओं को पूरा नहीं करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विपरीत प्रतिक्रिया की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

## निर्यातोन्मुखी ग्रेनाइट एकक

**1789. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेनाइट के शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक कार्यकारी पूंजी की कमी के कारण अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक सरकार ने इन एककों को सहायता देने के लिए इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्):** (क) और (ख). कनफैडरेशन आफ एक्सपोर्ट यूनिट्स ने कहा है कि 100% निर्यात अभिमुख ग्रेनाइट एककों को सामान्यतया बैंकों से कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आ रही है। अलग-अलग एककों की निधि संबंधी जरूरतें एक दूसरे की तुलना में तथा अन्य देशों के सप्लायरों के मामले में अपनाई गई प्रतिस्पर्धी कार्यनीतियों के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। रियायती दरों पर रुपये में निर्यात ऋण ग्रेनाइट सहित सभी प्रकार के माल के निर्यात के लिए 180 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध है। इसी प्रकार, विदेशी मुद्रा में निर्यात वित्त भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रेनाइट उत्पादों के लिए निर्यात ऋण के संबंध में अलग से कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं। ऋण स्वीकृत करने में होने वाले विलम्ब के बारे में निर्यातकों अथवा निर्यात संवर्धन परिषदों से प्राप्त अलग-अलग शिकायतों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य स्तर की निर्यात संवर्धन समितियों द्वारा की जाती हैं।

[हिन्दी]

## चीन के श्रम मंत्री की यात्रा

**1790. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन के श्रम मंत्री ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था; और

(ग) दोनों देशों के बीच किन-किन क्षेत्रों में समझौते हुए?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) से (ग). श्री ली बोयोंग, श्रम मंत्री के नेतृत्व में चीन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 28 मई और 4 जून, 1995 के बीच भारत का दौरा किया और केन्द्रीय श्रम मंत्री तथा मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श संबंधित देशों के अनुभव पर आधारित सूचना और विचारों के आदान-प्रदान के बारे में हुआ। विचार-विमर्श मुख्य रूप से नए श्रम कानूनों, अधिशेष श्रमिकों का समायोजन, औद्योगिक रूग्णता, कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, श्रम उत्पादकता आदि पर केन्द्रित था। इसके अतिरिक्त, श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग संबंधी एक करार करने और निर्णय लिए जाने पर भी सहमति हुई थी।

[अनुवाद]

## गुजरात में ऋण राहत योजना

**1791. श्री हरिसिंह चावड़ा :**

**श्री रतिलाल वर्मा :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऋण राहत योजना से कितने किसानों और ग्रामीण दस्तकारों को लाभ पहुंचा है;

(ख) अप्रैल, 1994 से इसके अंतर्गत कितनी राशि जारी की गई है;

(ग) राज्यों को देय उक्त राशियों को जारी करने में विलम्ब के कारण गुजरात में सहकारी बैंकों को ब्याज के रूप में कुल कितनी राशि का घाटा हुआ है; और

(घ) कितनी राशि प्राप्त होनी बाकी है और इसे कब तक जारी कर दिया जाएगा ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अंतर्गत गुजरात राज्य में 3,78,027 किसानों और 81,198 ग्रामीण कारीगरों को ऋण राहत प्रदान की है।

गुजरात राज्य में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि एवं ग्रामीण राहत योजना, 1990 के अंतर्गत 8,84,297 हिताधिकारियों को ऋण राहत प्रदान की है। लेकिन, लाभान्वित हुए किसानों और ग्रामीण कारीगरों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग-अलग बैंकों द्वारा दायर किए गए दावों के आधार पर रकमें जारी कर दी हैं और राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। जहां तक सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संबंध है, पहली अप्रैल, 1994 से 30 जून, 1995 तक की अवधि के दौरान अनुदान और ऋण के रूप में क्रमशः 7.22 करोड़ रुपए और 18.48 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

(ग) दावों के निपटान में विलंब के कारण ब्याज की हानि के रूप में बैंकों को होने वाली हानि के लिए दावा की गई वास्तविक राशि उपलब्ध नहीं है। यह दावा की निधियां जारी करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा विलंब किए जाने के कारण सहकारी बैंकों को ब्याज के रूप में हानि हुई है, सुस्थापित नहीं है क्योंकि यह मुख्य रूप से संदिग्ध और पुरानी अतिदेय राशियों पर ब्याज लगाए जाने पर आधारित है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि नीति के मार्गनिर्देशों के अनुसार, गुजरात राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी दावे निपटा दिए गए हैं।

## रुस को मिलावटी चाय का निर्यात

**1792. श्री रामकृपाल यादव :**

**श्री श्रीकान्त जेना :**

**श्री एस॰ एस॰ आर॰ राजेन्द्र कुमार :**

**श्री छेदी पासवान :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुस में भारतीय चाय की मांग में वर्ष प्रति वर्ष कमी आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कतिपय निर्यातक फर्मों द्वारा रुस को निर्यात की जा रही मिलावटी चाय के बारे में जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) रुस को उत्तम श्रेणी की चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्):** (क) और (ख). पूववर्ती सोवियत संघ के विघटन के पूर्व दोनों देशों के बीच व्यापार वार्षिक व्यापार करार से सम्पादित होता था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यू॰ एस॰ एस॰ आर॰ को निर्यात होने वाली भारतीय चाय की मात्रा का विशेष रूप में

उल्लेख किया जाता था। यू॰ एस॰ एस॰ आर॰ के विघटन के बाद रूस और अन्य सी॰ आई॰ एस॰ देशों द्वारा अपेक्षाकृत कम आयात करने तथा चाय की अधिक सस्ती किस्मों का उत्पादन करने वाले अन्य देशों जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि के साथ कड़ी प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण, उक्त देशों को होने वाले चाय के निर्यात में अपेक्षाकृत कमी आई है।

(ग) रूस और अन्य सी॰ आई॰ एस॰ देशों को घटिया और निम्न स्तर की चाय के निर्यात के बारे में कुछ निर्यातकों के विरुद्ध चाय बोर्ड को वर्ष 1993 में शिकायतें मिली थीं।

(घ) इन शिकायतों की चाय बोर्ड ने जांच की थी और चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1957 के प्रावधानों के तहत छह निर्यातकों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।

(ङ) रूस को भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए रूस सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रूस द्वारा अदायगी व्यवस्था के अधीन का आयात करने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने रूस और अन्य सी॰ आई॰ एस॰ बाजारों के लिए संवर्धनात्मक नीतियों के एक मापदंड (माडयूल) का अनुमोदन किया है जो चाय उद्योग से परामर्श करके चाय बोर्ड द्वारा लागू किया जा रहा है। रूस को किए जाने वाले चाय निर्यात में सख्त क्वालिटी कंट्रोल लागू करने के लिए निर्यातकों को सलाह दी गई है कि वे एस॰ जी॰ एस॰, भारत या रूस के आयातकों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य एजेन्सी से गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।

चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए अन्य प्रयासों में शामिल हैं चाय बोर्ड के मास्को स्थित कार्यालय द्वारा संवर्धनात्मक अभियान चलाना। इसमें शामिल हैं (1) व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना (2) भारतीय चाय की विभिन्न विलक्षण विशेषताओं के प्रति उपभोक्ताओं को अधिक जागरूक बनाने के लिए मीडिया अभियान चलाना (3) चाय बोर्ड के विपणन प्रतीक के जरिए भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया अभियान चलाना।

[हिन्दी]

## निजी विमान कम्पनियों की परियोजनाएं/योजनाएं

**1793. श्री जनार्दन मिश्र :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगे जाने पर निजी विमान कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं की जांच कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह जांच कब तक कर ली जाएगी ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** (क) से (घ). निजी अनुसूचित प्रचालकों को अपने विमान बेड़े के विस्तार की भावी योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। अभी तक योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

## चंडीगढ़ के लिए निर्धारित उड़ानों का रद्द किया जाना

**1794. श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चंडीगढ़ के लिए सभी निर्धारित उड़ानें रद्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के इस निर्णय का तीव्र विरोध हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** (क) और (ख). जी, नहीं। यद्यपि, इंडियन एयरलाइन्स ने कम भार गुणक के कारण, चंडीगढ़ के लिए/से अपनी सेवा हटा ली है, अर्चना एयरवेज द्वारा अनुसूचित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ग) और (घ). चंडीगढ़ के लिए/से इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं हटा लिए जाने पर, इसके विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, कम भार गुणक और प्रचालन कर्मीदल की भारी कमी को देखते हुए, इंडियन एयरलाइन्स इस समय इस सेवा की बहाली की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

## सूरत हवाई पट्टी का उन्नयन

**1795. श्री प्रकाश वी॰ पाटील :**

**श्री काशी राम राणा :**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत हवाई पट्टी का दर्जा बढ़ाकर इस हवाई अड्डे को घरेलू उड़ानों के कार्यभार को संभालने हेतु सक्षम बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** (क) से (ग) सूरत स्थित हवाई अड्डा गुजरात राज्य सरकार का है और डोर्नियर/एवरो किस्म के विमानों के लिए उपयुक्त है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्डे के स्तरोन्नयन करने की कोई योजना नहीं है।

## रेशम कीट पालन का विकास

1796. श्री गोपी नाथ गजपति :

श्री बृज भूषण शरण सिंह :

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और गैर पारंपरिक राज्यों में रेशम कीट पालन के विकास हेतु एक कार्य योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) यह कार्य योजना कब से लागू की जाएगी ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी)** : (क) से (घ). सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी सात गैर-परम्परागत रेशम उत्पादन करने वाले राज्यों में रेशम उत्पादन का विकास करने की एक कार्य योजना का अनुमोदन किया है। तीन वर्ष की अवधि में कार्य योजना के अंतर्गत परिवर्तित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की कुल लागत 12.95 करोड़ रु॰ होने का अनुमान है। इसमें से केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा बहन किए जाने वाला केन्द्रीय अंशदान 8.69 करोड़ रु॰ है तथा बाकी 4.26 करोड़ रु॰ की राशि का अंशदान क्षेत्र के सात राज्यों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

## सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विनिवेश सारणी

1797. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

श्री बुल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विनिवेश सारणी में कोई कानूनी कमियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

## बैंकों में नए खाते खोलना

1798. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक में खाता खोलने के समय बैंकों के जरिए परिचयकर्ता (खाता धारक) के हस्ताक्षर और उसका पता प्राप्त करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस शर्त के कारण लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आवेदनकर्ता द्वारा निवास अथवा रोजगार का प्रमाण प्रस्तुत करने को स्वीकार करने हेतु संबंधित प्रबंधकों को अधिकार प्रदान करने स्थिति को सरल बनाने का है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) और (ख). भारतीय बैंक संघ (आई॰ बी॰ ए॰) ने सूचित किया है कि स्थापित बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार, सभी जमा खातों का उचित ढंग से परिचय अपेक्षित है। खाता खोलने वाले व्यक्ति की उचित पहचान के लिए परिचय जरूरी है। परिचयकर्ता को खाता खोलने वाले फार्म पर अपने हस्ताक्षर करना होता है और अपने नाम, पते और व्यवसाय से संबंधित ब्यौरा देना होता है।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि बैंक खाता खोलने के लिए पासपोर्ट/डाक पहचान कार्ड को भी पर्याप्त समझा जाता है।

[हिन्दी]

## क्रेडिट कार्डों में घोटाला

1799. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान बैंकों द्वारा कितने व्यक्तियों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं और ये कार्ड कितनी राशि के हैं;

(ख) क्या सरकार को देश में बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्डों के उपयोग में बढ़ते हुए घोटालों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रकाश में आए घोटालों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्राहकों को फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड जारी करने का है जिससे इस प्रकार के घोटालों से बचा जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1994-95 और अप्रैल 1995 तथा इसके बाद की अवधि के दौरान उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, कुल कारोबार, पता लगाए गए घोटालों की संख्या तथा अंतर्ग्रस्त धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। संबंधित बैंकों ने, जहां कहीं आवश्यक समझा, दीवानी/आपराधिक कार्रवाई शुरू की है, उपयुक्त मामलों में, बैंकों ने घाटों के लिए बीमा दावे किए हैं।

(घ) और (ङ) आर॰ बी॰ आई॰ के अनुसार अभी तक केवल सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने फोटो क्रेडिट कार्ड शुरू किए हैं। अन्य बैंकों द्वारा फोटो कार्ड शुरू नहीं किए जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :–

(1) ऊँची लागत एवं बड़ी मात्रा में निवेश का अंतर्ग्रस्त होना।

(2) घोटाले रोकने के लिए इस तकनीक की प्रभावोत्पादकता में संदेह होना।

**विवरण**

| क्रम सं॰ | बैंक का नाम | वर्ष 1994-95 के दौरान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या | अप्रैल 95 से आगे | 31.3.95 की स्थिति के अनुसार कुल बिक्री (लाख रु॰ में) | वर्ष 1994-95 के दौरान पता लगाए गए- धोखाधड़ियों के मामलों की संख्या | अंतर्ग्रस्त राशि लाख रु॰ | पता लगाए गए धोखा धड़ियों के मामलों की सं॰ (अप्रैल 95 से आगे) | अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रु॰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **सरकारी क्षेत्र के बैंक** | | | | | | | |
| 1. | विजया बैंक | 2,328 | 844 | 262.66 | 6 | 3.53 | - | 1.35 |
| 2. | सैंट्रल बैंक आफ इंडिया | 4,269 | 394 | 5663.71 | 15 | 18.42 | 1 | 1.43 |
| 3. | यूनियन बैंक आफ इंडिया | 1,281 | 185 | 469.51 | 1 | 1.25 | - | - |
| 4. | देना बैंक | 1,330 | 112 | 360.00 | 1 | .86 | Nil | Nil |
| 5. | इंडियन ओवरसीज बैंक | 2,624 | 359 | 901.83 | 5 | .86 | 1 | .40 |
| 6. | बैंक आफ महाराष्ट्र | 2,177 | 597 | 493.35 | 2 | .34 | - | - |
| 7. | युनाइटैड बैंक आफ इंडिया | 702 | 305 | 108.00 | 3 | .67 | - | - |
| 8. | पंजाब एंड सिंध बैंक | 6,140 | 320 | 82.54 | 1 | 1.34 | | - |
| 9. | इलाहाबाद बैंक | 12,306 (संचियी) | 1086 | 602.00 | - | .36 | | - |
| 10. | केनरा बैंक | 10,579 | 4077 | 1040.00 | 8 | 19.99 | - | 5.59 |
| 11. | सिंडिकेट बैंक | 842 | 174 | 87.06 | 2 | 0.33 | - | - |
| 12. | बैंक आफ बड़ौदा | 1,462 | Nil | 1508.00 | 1 | 11.84 | - | 240 |
| 13. | कारपोरेशन बैंक | 973 | 191 | 209.60 | 1 | 0.28 | - | .08 |
| 14. | ओरियंटल बैंक आफ कामर्स | 1,125 | - | Nil | - | - | - | - |
| | **निजी क्षेत्र के बैंक** | | | | | | | |
| (1) | वैश्य बैंक | 1648 | 118 | 861.00 | - | - | Nil | Nil |
| (2) | युनाइटेड वेस्टर्न बैंक | 1035 | 179 | 173.00 | 1 | 17.00 | Nil | Nil |
| (3) | द लक्ष्मी विलास बैंक | 2233 | 27 | 7.60 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| (4) | द साउथ इंडियन बैंक | 778 | 367 | 137.00 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| (5) | करूर वैश्य बैंक | 379 | 65 | 103.00 | - | - | - | - |

**[अनुवाद]**

## टाटा-सिंगापुर एयरलाइन्स

**1800. श्रीमती गीता मुखर्जी :**

**श्री विजय एन॰ पाटील :**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर एयरलाइन्स को स्वदेशी एयरलाइन्स की तरह टाटा के सहयोग से एयरलाइन्स शुरू करने की अनुमति दी गई है जिसमें सिंगापुर एयरलाइन्स 40 प्रतिशत पूंजी निवेश करेगा; और

(ख) पांच वर्षों में अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा का निर्गम होगा और इसका इंडियन एयरलाइन्स के परिचालन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) और (ख). टाटा-सिंगापुर एयरलाइन से भारत

में सिंगापुर एयरलाइन द्वारा 40 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी से अन्तर्देशीय एयरलाइन प्रचालित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परियोजना रिपोर्ट में पहले वर्ष में 7 विमानों को नियोजित करने की परिकल्पना है जिन्हें बाद में क्रमशः बढ़ाकर 20 तक किया जाएगा। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया है।

## रेल सुरक्षा आयोग पर हुआ व्यय

1801. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा आयोग नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग द्वारा नागर विमानन के संबंध में किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आयोग पर किए जाने वाले व्यय का भुगतान रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या परिवहन तथा पर्यटन संबंधी स्थाई समिति ने गत वर्ष की रिपोर्ट में इस व्यय का भुगतान रेल मंत्रालय द्वारा किए जाने का सुझाव दिया था; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** (क) जी, हां।

(ख) रेल सुरक्षा आयोग रेल यात्रा और इसके प्रचालन में सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखता है जिसके लिए यह रेल अधिनियम, 1989 और इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों में निर्धारित कुछ सांविधिक कार्य करता है।

(ग) से (च). जी, नहीं। तथापि, रेल मंत्रालय रेल सुरक्षा आयोग के चालू वर्ष के 107 लाख रुपए के बजटित परिव्यय में से इसकी स्थापना लागत के लिए 3.5 लाख रुपए वार्षिक देता है।

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थाई समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि रेलवे को सम्पूर्ण परिव्यय की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए। यह मामला रेल मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

**[हिन्दी]**

## बाल श्रमिक

1802. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां राष्ट्रीय बाल श्रमिक प्राधिकरण द्वारा जोखिम भरे उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ बहुउद्देशीय योजना स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने बाल श्रमिक समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार को विभिन्न प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन सुझावों के अनुरूप क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) से (घ). राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण (एन॰ ए॰ ई॰ सी॰ एल॰) ने 1981 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार 100 जिलों को अभिज्ञात किया है। ये जिले 11 राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, जिनमें देश की कुल बाल श्रम जनसंख्या का 90% से अधिक भाग है। यह निर्णय लिया गया है कि खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए परियोजनाएं इन जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अनुसार शुरू की जाएंगी। इन 100 जिलों के कलेक्टरों की एक कार्यशाला 13-14 सितम्बर, 1995 को नई दिल्ली में आयोजित की जानी है। संबंधित कलेक्टरों से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के आधार पर अपने संबंधित जिलों में परियोजना प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया है। कार्य से हटाए गए बच्चों के लिए परियोजनाएं चलाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 34.4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

**[अनुवाद]**

## छोटे सिक्कों की कमी

1803. **श्री परसराम भारद्वाज :**

**श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

**श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में 5 और 10 पैसे के सिक्कों की कमी है जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी सिक्के समुचित मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) 5 पैसे और 10 पैसे मूल्यवर्गों के सिक्कों की कमी की सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

## भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा निवेश

1804. **डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गत तीन वर्षों

के दौरान प्रति वर्ष और राज्य-वार कितना निवेश किया गया; और

(ख) आगामी वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी पूंजी के निवेश का प्रस्ताव है ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई॰ डी॰ बी॰ आई॰) द्वारा स्वीकृत और संवितरित की गई राज्य-वार सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं करता है।

## विवरण

### मंजूर और संवितरित सहायता

अप्रैल-मार्च (करोड़ रु॰)

| क्रम सं॰ | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | मंजूरी | | | संवितरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **A.** | **पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | असम | 11,73 | 28.66 | 31.18 | 50.76 | 16.02 | 26.63 |
| 3. | अरूणाचल प्रदेश | 0.40 | 0.00 | 2.26 | 0.66 | 0.18 | 1.66 |
| 4. | बिहार | 136.70 | 82.67 | 59.59 | 225.14 | 62.80 | 76.18 |
| 5. | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | मेघालय | 0.23 | 0.00 | 3.40 | 0.18 | 0.00 | 2.40 |
| 7. | मिजोरम | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | नागालैंड | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 2.69 | 0.00 | 0.12 |
| 9. | उड़ीसा | 149.48 | 202.91 | 389.06 | 145.20 | 344.86 | 143.22 |
| 10. | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | त्रिपुरा | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.00 |
| 12. | प॰ बंगाल | 585.99 | 394.65 | 951.12 | 225.40 | 282.46 | 415.87 |
| | | 885.62 | 708.94 | 1436.71 | 650.39 | 706.38 | 666.08 |
| **B.** | **उत्तरी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | चंडीगढ़ | 4.00 | 2.80 | 7.50 | 4.25 | 0.08 | 6.52 |
| 2. | हरियाणा | 240.48 | 268.32 | 368.36 | 136.36 | 170.83 | 193.98 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 71.78 | 33.04 | 479.73 | 172.48 | 144.18 | 331.60 |
| 4. | जम्मू व कश्मीर | 3.60 | 2.70 | 6.95 | 4.03 | 0.00 | 8.25 |
| 5. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 174.22 | 407.90 | 1018.13 | 75.59 | 221.65 | 396.00 |
| 6. | पंजाब | 223.19 | 261.29 | 35348 | 101.65 | 159.89 | 197.40 |
| 7. | राजस्थान | 554.37 | 540.39 | 705.96 | 507.98 | 453.36 | 539.96 |
| 8. | उत्तर प्रदेश | 656.94 | 1129.62 | 783.81 | 432.08 | 509.16 | 756.35 |
| | | 1918.58 | 2646.06 | 3723.94 | 1434.42 | 1659.15 | 2430.06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. | दक्षिणी क्षेत्र | | | | | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 775.16 | 977.86 | 1403.39 | 612.71 | 495.39 | 944.91 |
| 2. | कर्नाटक | 552.52 | 551.17 | 1379.51 | 343.70 | 478.10 | 583.00 |
| 3. | केरल | 170.19 | 188.78 | 163.06 | 113.53 | 152.01 | 87.40 |
| 4. | तमिलनाडु | 704.41 | 847.51 | 1731.42 | 534.01 | 727.20 | 929.05 |
| 5. | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | पांडिचेरी | 29.99 | 9.39 | 37.42 | 15.19 | 15.56 | 15.00 |
| | | 2232.27 | 2574.71 | 4715.30 | 1639.14 | 1868.26 | 2559.66 |
| D. | पश्चिमी क्षेत्र | | | | | | |
| 1. | दादरा व नगर हवेली | 20.20 | 37.66 | 148.64 | 13.01 | 14.17 | 56.18 |
| 2. | दमन व दीव | 11.41 | 24.99 | 82.20 | 4.23 | 21.02 | 31.09 |
| 3. | गोवा | 40.69 | 88.10 | 29.58 | 27.66 | 46.19 | 38.15 |
| 4. | गुजरात | 1428.44 | 2200.19 | 3773.45 | 1069.96 | 937.24 | 1630.53 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 508.66 | 763.22 | 867.60 | 360.61 | 589.24 | 632.22 |
| 6. | महाराष्ट्र | 2092.44 | 3163.69 | 4911.24 | 1139.67 | 1919.49 | 2447.58 |
| | कुल | 4101.84 | 6277.85 | 9812.71 | 2616.04 | 3527.35 | 4835.75 |
| | कुल जोड़ | 9138.31 | 12207.56 | 19688.66 | 6339.99 | 7761.14 | 10491.55 |

[हिन्दी]

## बौद्ध तीर्थ स्थलों हेतु विदेश से वित्तीय सहायता

**1805. श्री लाल बाबू राय :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में बौद्ध तीर्थस्थलों के विकास हेतु विदेश से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और यह राशि किन-किन देशों से प्राप्त हुई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बौद्ध तीर्थस्थलों के विकास हेतु तीर्थस्थानवार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) यदि इस कार्य पर कोई धनराशि खर्च नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** (क) से (ग). पर्यटन विभाग ने बौद्ध परिपथों में आधारिक संरचना के विकास के लिए, जापान के विदेशी आर्थिक सहायता कोष के साथ आसान शर्तों वाले दो ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए थे।

1. उत्तर प्रदेश और बिहार में शिनाख्त किए गए बौद्ध परिपथों सहित आधारिक संरचना के विकास के लिए 7.75 बिलियन जापानी येन।

2. महाराष्ट्र में संरक्षण और पर्यटन के विकास तथा अजंता एवं एलौरा के लिए पर्यटन के विकास की योजना के लिए 3.75 बिलियन जापानी येन।

विदेशी आर्थिक सहायता कोष ऋण अग्रिम रूप से उपलब्ध नहीं होता। कार्यान्वयन अभिकरणों को पहले उनके अपने संसाधनों से खर्च करना होता है और बाद में विदेशी आर्थिक सहायता कोष से प्रतिपूर्ति का दावा करना होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में विभिन्न घटकों पर किए गए कार्य अर्थात् राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का उन्नयन और सुदृढ़ करना, स्मारकों के इर्द-गिर्द भू-दृश्यांकन, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण करना और विद्युत तथा जल-आपूर्ति के विकास के लिए विदेशी आर्थिक सहायता कोष से लगभग 58.31 करोड़ रु० की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

जहां तक महाराष्ट्र में परियोजना का संबंध है विकास और संरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने क्रमश: 22.53 मिलियन और 1.977 मिलियन रु० खर्च किए हैं। अजंता एवं एलौरा परियोजना के तहत औरंगाबाद हवाई अड्डे का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी 56.70 मिलियन रु० खर्च किए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विभिन्न बौद्ध केन्द्रों आदि पर पर्यटक परिसरों मनन केन्द्रों, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, पर्यटक स्वागत केन्द्रों आदि के निर्माण के लिए आठवीं योजना के दौरान प्रदान की

गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता निम्नानुसार है :–

| राज्य | स्वीकृत राशि (रु॰ लाखों में) |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 39.47 |
| बिहार | 40.62 |
| जम्मू और कश्मीर | 24.23 |
| महाराष्ट्र | 24.25 |
| उत्तर प्रदेश | 120.85 |

[अनुवाद]

## बहुमूल्य पुरातात्विक वस्तुओं का बीमा

**1806. डा॰ मुमताज अंसारी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में बहुमूल्य पुरातात्विक वस्तुओं का बीमा करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है जैसा कि 17 जुलाई, 1995 के "जनसत्ता" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश की बहुमूल्य पुरातात्विक वस्तुओं का बीमा करने को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) से (ग). अखिल भारतीय अग्नि टैरिफ के अनुसार, भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियां किसी भी प्रकार की कलाकृति अथवा कला कार्य के लिए 25,00/- रुपए तक की राशि का बीमा कवच प्रदान करती है। तथापि, कम्पनियां वस्तुओं की विशेष प्रकृति और उसमें शामिल जोखिम को देखते हुए विशिष्ट योजनाएं बनाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

## गैर-सरकारी न्यासों को आयकर में छूट

**1807. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापारियों तथा व्यापारिक घरानों द्वारा गैर-सरकारी न्यासों को चन्दे देने पर वर्ष 1993-94 के दौरान आयकर में दी गई छूट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार आयकर में छूट देने के प्रयोजनार्थ गैर-सरकारी न्यासों को दी गई धनराशि पर निगरानी रखती है;

(ग) यदि हां, तो इस निगरानी का स्वरूप क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अन्तर्गत निजी न्यासों को दिए गए दान, कर प्रभार्य आय में से कटौती के पात्र नहीं है। केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भारत में स्थापित कुछेक निधियों और/अथवा संस्थाओं को दिए गए निर्धारित सीमा के अंदर के दान की कटौती के पात्र हैं।

(ख) से (घ). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## पर्यटकों द्वारा गोवा का भ्रमण

**1808. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने देशी/विदेशी पर्यटकों ने गोवा की विमान यात्रा की;

(ख) क्या राज्य में पर्यटन विकास संबंधी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस समय उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष वर्तमान नागर विमानन नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने, विस्तार करने और इसके आधुनिकीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा उक्त राशि का वास्तव में कितना उपयोग किया गया और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं/निर्माणाधीन परियोजनाओं सहित वास्तविक तौर पर हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं सहित प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लम्बित परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :** (क) राज्य सरकार से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष विमानन द्वारा गोआ की यात्रा करने वाले स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्नानुसार थी :–

| | पर्यटकों की संख्या (हजारों में) | |
|---|---|---|
| वर्ष | स्वदेशी | विदेशी |
| 1992 | 77 | 70 |
| 1993 | 80 | 100 |
| 1994 | 85 | 125 |

(ख) जी, हां।

(ग) 9.22 करोड़ रु॰ की कुल लागत से गोआ विमानपत्तन के टर्मिनल भवन का उन्नयन किया जा रहा है। मार्च, 96 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त गोआ विमानपत्तन पर रात्रि से विमानों को उतारने को सुगम बनाने हेतु रनवे बत्तियों के सुधार के लिए 81 लाख रु॰ की राशि खर्च की गई है। और अधिक विमानों को जगह देने हेतु ऐप्रन के विस्तार का भी प्रस्ताव है।

(घ) गोआ में एक विकल्पी विमानपत्तन के निर्माण हेतु

एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, किन्तु उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षमता

**1809. श्री बलराज पासी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों में पर्यटकों के आने की संभावना के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहां होटल, मोटल, पर्यटक वाहन जैसी पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम अथवा केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य एजेंसी ने इस क्षेत्र में अपने होटल खोले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस क्षेत्र में अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1989-90 में जो अध्ययन किया गया था उसमें उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों को पर्यटन संभावना को कवर किया गया था।

(ख) इस क्षेत्र में 917 कमरों वाले 27 अनुमोदित होटल हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारी एजेंसियों और अन्य पूरक आवास यूनिटों द्वारा संचालित पर्यटक लॉज भी हैं। तथापि, गर्मियों के मौसम और तीर्थ यात्रा के मौसम के दौरान क्षेत्र में उपलब्ध वर्तमान आधारभूत सुविधाएं पर्यटक यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). किसी क्षेत्र विशेष में, कार्य योजना तैयार करना और पर्यटन आधारिक संचालन का विकास करना मूलतः सम्बन्धित राज्य सरकार को जिम्मेवारी होती है। तथापि, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। आठवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, इस क्षेत्र में सहायता प्राप्त परियोजनाओं में नंद-प्रयाग में तम्बुओं वाला आवास और ऋषिकेश में घाटों की सुधार शामिल हैं।

## अनिवासी भारतीयों से पूंजी जुटाना

**1810. श्री हरि किशोर सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासी भारतीयों से पूंजी जुटाने हेतु कोई कार्यविधि तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका देश की वित्तीय प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) से (ग). जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवासी भारतीयों हेतु विभिन्न निवेश योजनाएं प्रचालन में हैं। इनमें निम्नलिखित योजनाओं में देश प्रत्यावर्तन आधार सहित निवेश शामिल है :-

(एक) औद्योगिक नीति, 1991 के अनुबंध-III में उल्लिखित उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 100% इक्विटी तक निवेश;

(दो) 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटें;

(तीन) पुनः प्रवर्तनाधीन बीमार यूनिटें,

(चार) आवास एवं स्थावर सम्पदा विकास कंपनियां आदि;

(पांच) विद्यमान/नई विनिर्माण कम्पनियों के नये इश्युओं में निवेश के लिए 40% निवेश योजना;

(छः) सभी अनिवासी भारतीयों हेतु 24% तक की सामूहिक उच्चतम सीमा सहित पोर्टफोलियों निवेश योजना के अन्तर्गत शेयर बाजारों के माध्यम से निवेश।

विभिन्न अनिवासी भारतीय योजनाओं के प्रति पूर्ण अन्तर्प्रवाह जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है, पिछले चार वर्षों के दौरान वृद्धि के रूझान को दर्शाता है :

(करोड़ रुपए)

| 1992 | 1993 | 1994 | जनवरी, 1995 से जून, 1995 |
|---|---|---|---|
| 149.69 | 559.59 | 1108.31 | 1063.65 |

[हिन्दी]

## हथकरघा बुनकरों हेतु स्वास्थ्य योजना

**1811. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा बुनकरों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1994-95 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) इस योजना से कितने बुनकर लाभान्वित हुए हैं ?

**वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

## विवरण

(क) जी हां।

(ख) हथकरघा बुनकरों के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान स्वास्थ्य पैकेज योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता इस प्रकार दी जाती है :-

| मद | सहायता की दर |
|---|---|
| 1. दवाईयों के मूल्य का भुगतान तथा टी॰ बी॰, अस्थमा और भरण पोषण प्रणाली की सूजन का इलाज | 1500 रु॰ प्रति बुनकर प्रति वर्ष की दर से |
| 2. आंखों की जांच और चश्मे के मूल्य का भुगतान | चश्मे के लिए 150 रु॰ और पांच वर्षों में एक बार आंखों की जांच के लिए 40 रुपए प्रति बुनकर |
| 3. पीने के पानी की आपूर्ति | 50 घरेलू बुनकरों के लिए 35000 रु॰ प्रत्येक बोरवैल के लिए। |
| 4. महिला बुनकरों/बुनकर परिवारों की महिलाओं को प्रसूति लाभ देना | जीवन में दो बार 500 रु॰ प्रत्येक प्रसूति के लिए |
| 5. परिवार नियोजन के स्थाई तरीके अपनाने के लिए अतिरिक्त मुआवजा | अन्य अभिकरणों द्वारा दिए गए लाभ के अतिरिक्त प्रत्येक को 100 रु॰ की सहायता जो लाभभोगी को जीवन में केवल एक बार ही दी जाएगी। |
| 6. प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए अवस्थापना। | कम से कम 150 बुनकर परिवारों के गांव में प्रत्येक गांव में एक लाख रु॰ प्रति केन्द्र की दर से। |

(ग) स्वास्थ्य पैकेज, समूह बीमा और थ्रिफ्ट फंड योजनाओं के कुल 10 करोड़ रुपए के आवंटन में से वर्ष 1994-95 के दौरान स्वास्थ्य पैकेज योजना के अंतर्गत कुल 5,34,72,280 रुपए की राशि जारी की गई।

(घ) स्वास्थ्य पैकेज योजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान लगभग 1,71,281 बुनकर लाभान्वित हुए हैं।

[अनुवाद]

### बाल मजदूरों के लिए स्कूल

**1812. श्री छीतूभाई गामीत :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य के बाल मजदूरों की शिक्षा के लिए चालू वर्ष के दौरान स्कूल खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** (क) और (ख). गुजरात राज्य में हीरा तराशने और पॉलिश, धातु उत्पादों का निर्माण, इंजीनियरी और प्लास्टिक, आतिशबाजी का निर्माण, रसायन उतखनन, खनन और अन्य जोखिमकारी प्रक्रियाओं में कार्यरत 5000 बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु गुजरात सरकार ने एक "कार्रवाई योजना" हाल ही में भेजी हैं। कार्रवाई योजना में अन्य बातों के साथ-साथ छात्रावासों का निर्माण, अध्येयतावृति, भोजन, मुआवजे, शिक्षा का प्रावधान और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए गुजरात सरकार ने भारत सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है। परियोजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार को प्रस्तावों में संशोधन करने के लिए कहा गया है ताकि इसे वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अनुरूप बनाया जा सके।

### जर्मनी द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध

**1813. श्री गुरूदास कामत :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी ने भारत को संवेदनशील वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबंधित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्):** (क) और (ख). जर्मनी रक्षा एवं रक्षा संबंधी मदों के निर्यात पर प्रतिबंध लगता है जिसमें दोहरे प्रयोग की मदें भी शामिल हैं। इन वस्तुओं का निर्यात जर्मन प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंस के अध्यधीन है। इन्हें पांच सूचियों में निर्दिष्ट किया गया है जिसमें निम्नलिखित मदें शामिल हैं :-मिलिट्री सामान, आणविक सामान, दोहरे इस्तेमाल का औद्योगिक सामान, दोहरे उपयोग

वाला रासायनिक सामान और दोहरे उपयोग का जैविक सामान। लाइसेंस जारी करने का निर्णय जर्मन प्राधिकारियों द्वारा मामले दर मामले के आधार पर किया जाता है।

(ग) जिन वस्तुओं के आयात के मामलों में जर्मन निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होती है उन मामलों में भारतीय निर्यातक एजेंसियों के अनुरोध पर हमारी ओर से निगरानी बोन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा की जाती है और आवश्यकतानुसार जर्मन प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क साधा जाता है।

[अनुवाद]

## लिग्नाइट के भण्डार

**1814. श्री ए॰ इन्द्रकरन रेड्डी :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "प्रमोशनल ड्रिलिंग" के परिणामस्वरूप दक्षिण भारत में लिग्नाइट के भारी भण्डार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां व्यापक स्तर पर खुदाई कार्य किया गया है; और

(ग) इन भंडारों से क्षेत्र-वार कुल कितनी मात्रा में लिग्नाइट निकाले जाने का अनुमान है ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव):** (क) जी, नहीं। दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में लिग्नाइट के विशाल भण्डारों का पता चला है।

(ख) खनिज गवेषण निगम लि॰ ने तमिलनाडु के मनारगुड़ी, वीरानम ईरी और कुडीकाडु क्षेत्रों में वृहत पैमाने पर वेधन कार्य किया है।

(ग) मनारगुड़ी और वीरानम ईरी क्षेत्रों में क्रमशः 17,940 लाख टन और 1164.26 लाख टन लिग्नाइट भंडारों का आकलन किया गया है।

[हिन्दी]

## मध्य प्रदेश की पेयजल योजनाएं

**1815. श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या **शहरी और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई परियोजना भेजी है जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों में पेयजल की आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक और जापान से सहायता की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या हैं और इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विश्व बैंक और जापान की सहायता से इस परियोजना का विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता।

चंडीगढ़ में निर्मित सामुदायिक केन्द्र

[अनुवाद]

## चंडीगढ़ में निर्मित सामुदायिक केन्द्र

**1816. श्री पवन कुमार बंसल :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्मित सामुदायिक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और इनका निर्माण कहां-कहां पर किया गया है;

(ख) क्या इस समय इनमें से कुछ केन्द्रों का मूल उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के प्रयोजनार्थ अन्य किन-किन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है और इनके निर्माण में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :** (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

## उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

**1817. श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 से 1996 के दौरान उत्तर प्रदेश में बिजली की कुल आवश्यकता कितनी थी तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी बिजली का उत्पादन किया जाएगा;

(ख) विचाराधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में अब तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनकी लागत में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि कितनी है; और

(घ) पन-बिजली उत्पादन योजनाओं की स्थापना किन-किन स्थानों पर करने का निर्णय लिया गया है इन पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा इनसे होने वाले लाभ और हानि संबंधी स्थिति क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

## आइसक्रीम उद्योग में निवेश

**1818. डा॰ बसंत पवार :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और 1995-96 में आज की तिथि तक देश के आइसक्रीम उद्योग में अब तक कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए तत्संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के आइसक्रीम निर्माण उद्योग में मूल पूंजी निवेश में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) :** (क) और (ख). आइसक्रीम का निर्माण लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है। पिछली बार लघु उद्योगों के बारे में 87-89 में हुई गणना के बाद आइसक्रीम समेत लघु उद्योगों के लिए कोई नई गणना नहीं की गई है। इसलिए, 92-93 से 95-96 तक आइसक्रीम उद्योग में किए गए पूंजी निवेश के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## अभ्रक का उत्पादन

**1819. श्री परसराम भारद्वाज :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक के उत्पादन में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) क्या सरकार ने अभ्रक के उत्पादन में सुधार करने हेतु कुछ कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :** (क) अभ्रक का उत्पादन गिरावट का रूख दर्शाता है।

(ख) से (घ). जी हां। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभ्रक की मांग में आई कमी के कारण इसके उत्पादन में गिरावट आई है। देश की भावी उत्पादन क्षमता का आंकलन करने और बन्द हुई खानों को दोबारा खोलने की दृष्टि से भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो ने बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की अभ्रक पट्टियों में विस्तृत अध्ययन किया है। भारत सरकार ने भी अभ्रक उद्योग की समस्याओं की जांच के लिए कार्य दल समिति गठित की है। अभ्रक खनन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अभ्रक कतरन और अपशिष्ट पर शुल्क वापस लेने और संसाधित अभ्रक के निर्यातक असरणी करण जैसे अनेक प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है।

## विद्युत की कमी

**1820. श्री पी॰ सी॰ थामस :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में विद्युत परियोजनाएं लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो लगाई जाने वाली परियोजनाओं का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त राज्यों को पड़ोसी राज्यों से बिना किसी बाधा के राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से अपने समुचित हिस्से मिल रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है कि भविष्य में राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को उनके उचित हिस्से मिले ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल) :** (क) और (ख) तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के॰ वि॰ प्रा॰) द्वारा केरल तमिलनाडु तथा कर्नाटक की राज्य सरकारों से निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं प्राप्त की गई हैं :–

| क्रम सं॰ | परियोजना का नाम | स्थल | क्षमता (मे॰ वा॰) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **केरल** | | | |
| 1. | आदिरापल्ली (ज॰ वि॰) | त्रिचूर | 2×80 |
| 2. | कसारकोडे डी॰ जी॰ प्लांट (ताप विद्युत) | कसारकोडे | 70 |
| 3. | कसारकोडे टी॰ पी॰ एस॰ (ता॰ वि॰) | कसारकोड | 3×500 |
| 4. | कसारकोडे सी॰ सी॰ जी॰ टी॰ | चीमेनी | 500 |
| **तमिलनाडु** | | | |
| 1. | नॉर्थ मद्रास चरण-2 (ताप विद्युत) | जि॰ छिंगलकट | 2×500 |
| 2. | समायानल्लूर डी॰ जी॰ (ता॰ वि॰) | जि॰ मदुराई | 100 |
| 3. | बेसिन ब्रिज डी॰ जी॰ (ता॰ वि॰) | मद्रास | 220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. पिल्लाईपेरूमलनल्लूर सी॰ सी॰ जी॰ टी॰ (ता॰ वि॰) | | जि॰ थंजावूर | 30 |
| 5. श्रीमुशनम (ता॰ वि॰) | | जि॰ वल्लाडर | 2×250 |
| **कर्नाटक** | | | |
| 1. मंगलौर टी॰ पी॰ एस॰ ता॰ वि॰ | | जि॰ दक्षिण कन्नड | 4×250 |
| 2. रायचूर यूनिट-5 व 6 (ता॰ वि॰) | | जि॰ रायचूर | 2×210 |
| 3. येलाहांका डी॰ जी॰ स्टे॰ विस्तार (ता॰ वि॰) | | बंगलौर | 2×23.4 |
| 4. टोरंगल्लू (ता॰ वि॰) | | जि॰ बल्लारी | 2×120 |
| 5. मंगलौर (ता॰ वि॰) | | मंगलौर | 2×500 |

(ग) और (घ). विद्युत की अत्यधिक निकासी रोकने के उद्देश्य से दक्षिणी ग्रिड के भागीदार राज्यों को ग्रिड अनुशासन बनाए रखने और अत्यधिक निकासी न करने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड (एस॰ आर॰ ई॰ बी॰) और पावरग्रिड, विद्युत आपूर्ति की स्थिति की निरंतर मानीटरिंग कर रहे हैं।

**[हिन्दी]**

## दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में "गुड्स यूनिट"

**1821. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में "फिनिश्ड गुड्स यूनिट" लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) से (ग). परिसज्जित इस्पात का उत्पादन करने के लिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में एक नई उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। सेल पहले ही दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के पुनरूद्धार और प्रौद्योगिकीय उन्नयन (आधुनिकीकरण) कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है।

**[अनुवाद]**

## निजी इस्पात संयंत्रों हेतु लौह अयस्क की खानें

**1822. श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के संयंत्रों के लिए लौह अयस्क खानें खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के तहत निजी क्षेत्र लौह अयस्क का खनन कर सकते हैं।

## केरल में सड़कों की मरम्मत

**1823. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसून आने पर उससे निपटने की तैयारी में केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/रख-रखाव के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं तथा कोई आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानसून आने के समय से केरल में सड़कों पर कोई कार्य शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) से (घ). राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव और मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, राज्य के लोक-निर्माण विभाग को मानसून शुरू होने से पहले अपेक्षित कार्य की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। वर्ष 1995-96 के दौरान रख-रखाव और मरम्मत के लिए 303.50 लाख रु॰ की राशि (जून, 95 तक) जारी की गई है।

## बंगाल की खाड़ी में चीन को सैन्य अड्डों की सुविधाएं

**1824. श्रीमती बिभू कुमारी देवी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के हैंगयी, कोको द्वीपसमूह और मेरगुई स्थित बर्मा के पत्तनों में सैन्य अड्डे स्थापित करने के लिए सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं;

(ख) सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में इन पत्तनों का उन्नयन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने बंगाल की खाड़ी में चीन की नौसेना की भारी उपस्थिति की संभावना के कारण हमारी सुरक्षा को पैदा हुए खतरे का अनुमान लगाया है;

(घ) क्या सरकार ने यह मामला चीन के समक्ष उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) और (ख). सरकार ने हिन्द महासागर में नौसैनिक अड्डे स्थापित करने और

उनका उन्नयन करने के लिए म्यामां को चीनी सहायता के संबंध में रिपोर्टें देखी हैं।

(ग) सरकार देश की सुरक्षा से संबंध रखने वाली सभी घटनाओं की बराबर समीक्षा करती है और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करती है।

(घ) और (ङ). सरकार ने म्यामां में चीन की गतिविधियों के मुद्दे को चीन की सरकार के साथ उठाया है। चीनी सरकार ने म्यामां में अड्डे स्थापित करने में चीन द्वारा सहायता दिए जाने की खबरों को आधारहीन बताया है।

## सरकारी मुद्रणालय

**1825. डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी : क्या शहरी कार्य और रोज़गार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सरकारी मुद्रणालय कार्यरत हैं तथा उनकी क्षमता कितनी-कितनी है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में स्थित सरकारी मुद्रणालयों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## सड़क क्षेत्र के लिए कार्यदल

**1826. श्री बसुदेव आचार्य : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के लिए संदर्शी योजना तैयार करने हेतु एक कार्यदल गठित किया गया है;

(ख) क्या ऐसी योजना तैयार कर ली गई है तथा सरकार को दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) कार्य दल ने वर्ष 1994-2002 हेतु इस क्षेत्र के लिए 11087 करोड़ रु॰ की निधियों की आवश्यकता का अनुमान (1993-94 के मूल्य स्तर पर) लगाया है। तथापि, इस अवधि के दौरान 6,954 करोड़ रु॰ की निधियां उपलब्ध होने की संभावना के आधार पर कार्य दल द्वारा इस राशि की एक विकास योजना की सिफारिश की गई है।

## चीन के साथ लगी सीमावर्ती चौकियां

**1827. श्री जे॰ चोक्काराव : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत-तिब्बत सीमा पर कितनी सीमावर्ती चौकियां स्थापित की गई हैं और गत तीन वर्षों के दौरान भारत और चीन के बीच कितने मूल्य का व्यापार हुआ;

(ख) क्या भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्र में किसी नई चौकी को स्थापित किए जाने पर कोई सहमति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच किन-किन स्थानों पर ये चौकियां स्थापित किए जाने पर सहमति हुई है ?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) इस समय भारत और चीन के बीच सीमावर्ती व्यापार दो स्थानों अर्थात् लिपुलेख दर्रे और शिपकी ला दर्रे से किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के सम्बन्ध में सीमावर्ती व्यापार के आंकड़े नीचे दिए अनुसार हैं :—

| वर्ष | व्यापार (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| 1992 | 22 |
| 1993 | 41 |
| 1994 | 28 |

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## पत्तन न्यासों में पेंशन योजना

**1828. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपने 29 मार्च, 1985 के आदेश में पत्तन न्यासों से अपने निवृत्त वर्ग iii एवं वर्ग iv के कर्मचारियों को अंशदान भविष्य निधि से पेंशन योजना में शामिल किए जाने हेतु विकल्प का प्रयोग करने की अवधि को बढ़ाने के लिए कहा था और उक्त विकल्प का प्रयोग 31 जुलाई, 1985 तक ही किया जाना था;

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास ने 1 जनवरी, 1984 से 31 जुलाई, 1984 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से विकल्प मांगा था। और 1983 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से उक्त विकल्प नहीं मांगा गया था;

(ग) यदि हां, तो कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी करने के क्या कारण हैं; और

(घ) जो कर्मचारी 1983 में सेवा निवृत्त हुए उन्हें लाभ देने हेतु सरकार क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) कलकत्ता पत्तन न्यास ने भारत सरकार और पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के 4 बड़े परिसंघों के बीच दिनांक 11.4.1984 को हुए वेतन समझौते के अनुसरण में मंत्रालय के दिनांक 29

मार्च 1985 के आदेश के आधार पर आदेश जारी किया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि 1983 में सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारी दिनांक 11.4.84 को हुए वेतन समझौते के अंतर्गत शामिल नहीं थे।

## कलकत्ता पत्तन में स्टीमर एजेंटों की हड़ताल

**1829. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

**श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1995 के "द बिजनिस स्टेन्डर्ड" में "कैलकटा पोर्ट डिसप्यूट सैट टू हिट ऑपरेशन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) स्टीमर एजेंटों द्वारा हड़ताल करने के क्या कारण हैं और उनकी मुख्य-मुख्य मांगों/शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस हड़ताल के कारण कलकत्ता पत्तन पर अनेक सेवाओं पर प्रतिकूल पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने और स्टीमर एजेंटों की मांगों शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

## उड़ीसा में पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र

**1830. श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संयंत्र की स्थापना कहां की जाएगी और इसकी अनुमानित लागत सहित अन्य ब्यौरा क्या है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :** (क) केन्द्र सरकार का उड़ीसा में पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उड़ीसा राज्य ने यह भी सूचित किया है कि उड़ीसा राज्य में पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए उनका कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

## न्यायमूर्ति कासलीवाल समिति

**1831. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जस्टिस कासलीवाल की अध्यक्षता में यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी के संबंधी में कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निदेश पद क्या हैं और इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या कासलीवाल समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो):** (क) जी, हां।

(ख) समिति से बकाया मामलों के शीघ्र निपटान के विषय में विचार करने तथा सलाह देने के लिए कहा गया था। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एन. एम. कासलीवाल तथा अन्य सदस्यों के रूप में भोपाल गैस पीड़ितों के कल्याण आयुक्त, भारत सरकार के विधि एवं न्याय, रसायन तथा पेट्रो-रसायन और व्यय विभागों के सचिव तथा मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव शामिल थे।

(ग) और (घ). जी, नहीं। किन्तु अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

**[अनुवाद]**

## प्रशिक्षण केन्द्र

**1832. श्री सैयद शहाबुद्दीन :**

**श्री जार्ज फर्नांडीज :**

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों हेतु प्रस्तावित स्थान कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या इन केन्द्रों का प्रबंध सीधे केन्द्र सरकार के हाथ में होगा अथवा केन्द्रीय सहायता से राज्य सरकारों के हाथ में होगा; और

(घ) इस योजना को कब तक लागू किया जाएगा ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री**

**तरूण गगोई)** : (क) से (घ). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, प्रशिक्षण उद्यमियों के लिए स्वयं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना नहीं करता। लेकिन 8वीं योजना के शुरू से लेकर यह मंत्रालय एक स्कीम लागू कर रहा है जिसके तहत स्वैच्छिक संगठनों समेत उन संगठनों जो ग्रामीण क्षेत्रों में लघु खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने के इच्छुक प्रशिक्षण उद्यमियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना/उन्हें चलाने के इच्छुक हैं, को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 8वीं योजना के दौरान सहायता दिए जाने वाले प्रस्तावित तथा 8वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त ऐसे केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन केन्द्रों पर उन कार्यान्वित एजेंसियों द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता है जिन्हें निधि दी जाती है लेकिन उनकी मॉनिटरिंग तथा मार्गदर्शन राज्य की नोडल एजेंसियों और मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

**विवरण**

**8वीं योजनावधि के दौरान सहायता के लिए प्रस्तावित/8वीं योजनावधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के ब्यौरे**

| क्र॰ सं॰ | राज्य | खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या जिन्हें सहायता दी जानी है | सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 10 | 1 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 3 | 1 |
| 3. | असम | 10 | 16 |
| 4. | बिहार | 15 | 16 |
| 5. | गोवा | 2 | - |
| 6. | गुजरात | 6 | 3 |
| 7. | हरियाणा | 10 | 8 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 6 | 3 |
| 9. | जम्मू तथा कश्मीर | 5 | 5 |
| 10. | कर्नाटक | 10 | 4 |
| 11. | केरल | 5 | 5 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 20 | 2 |
| 13. | महाराष्ट्र | 15 | 5 |
| 14. | मणिपुर | 8 | - |
| 15. | मेघालय | 6 | - |
| 16. | मिजोरम | 6 | 6 |
| 17. | नागालैंड | 3 | 2 |
| 18. | उड़ीसा | 30 | 30 |
| 19. | पंजाब | 10 | - |
| 20. | राजस्थान | 10 | 3 |
| 21. | सिक्किम | 1 | 5 |
| 22. | तमिलनाडु | 10 | 5 |
| 23. | त्रिपुरा | 5 | 1 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 25 | 25 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 12 | 9 |
| 26. | अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह | 1 | - |
| 27. | चण्डीगढ़ | 1 | - |
| 28. | दादर तथा नगर हवेली | 1 | - |
| 29. | दमन तथा दीव | 1 | - |
| 30. | दिल्ली | 1 | - |
| 31. | लक्षद्वीप | 1 | - |
| 32. | पाण्डिचेरी | 1 | - |
| | योग : | 250 | 150 |

अन्य संगठन/संस्थाएँ

**दिल्ली रिज़ क्षेत्र का अतिक्रमण**

**1833. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

**श्री सैयद शहाबुद्दीन :**

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी॰ डी॰ ए॰ ने दिल्ली रिज़ क्षेत्र में निर्मित सभी अनाधिकृत ढ़ाचों को गिरा दिया है;

(ख) क्या गिराए गए ढांचों में पूजा स्थल भी शामिल है और गिराए जाने वाले पूजा स्थल किस-किस सम्प्रदाय के हैं;

(ग) क्या रिज़ क्षेत्र के शेष अनाधि-कृत ढांचों का पता लगा दिया गया है तथा उन्हें गिराने के लिए विनिर्दिष्ट कर दिया गया है;

(घ) क्या गिराने से पूर्व अनाधिकृत ढांचों के निवासियों को पर्याप्त पूर्व सूचना दे दी गई है; और

(ङ) क्या नई दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली नगर निगम

को भी उनके अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले अनाधिकृत ढांचों को गिराने के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया गया है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) से (घ). उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5.5.95 के निर्देशों के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रिज क्षेत्र का सर्वेक्षण किया तथा अपनी भूमि पर निम्नलिखित अतिक्रमणों का पता लगाया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 20.5.95 तथा 7.6.95 को प्रैस सूचनाएं जारी की जिनमें अतिक्रमण करने वालों से अनुरोध किया गया था कि वे उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले रिज क्षेत्र को स्वेच्छा से खाली कर दें।

रिज क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि पर किए गए निम्नलिखित अतिक्रमण को हटा दिया गया है :–

| अतिक्रमण का प्रकार | विद्यमान अतिक्रमणों की संख्या | हटाए गए अतिक्रमणों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. **रिहायशी** | | |
| (क) पक्का | 534 | 12 |
| (ख) अर्ध-पक्का | 2924 | 81 |
| (ग) झुग्गियां | 41 | 41 |
| 2. **वाणिज्यिक** | 40 | 40 |
| 3. धार्मिक प्रयोजनार्थ | 20 | 9 |
| 4. डेयरी | 4 | 4 |
| 5. सरकारी एजेंसी | 4 | 1 |
| 6. विविध | 3 | 3 |

(ङ) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद को भी अधिकृत ढ़ांचे हटाने के लिए इसी प्रकार के निर्देश दिए गए हैं।

## राजनयिक दलों का जम्मू और कश्मीर का दौरा

**1834. श्री श्रवण कुमार पटेल :**

**श्री शिव चरण वर्मा :**

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :**

**डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी राजदूत ने जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्रोह विरोधी प्रबंधों तथा पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी तथा विदेशी भाड़े के सैनिक राज्य में किस प्रकार घुसपैठ करते हैं तथा आतंकवाद व उग्रवाद की कार्यवाही करते है, का स्वयं जायजा लेने के लिए वहां का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस संबंध में सरकार से क्या टिप्पणियां तथा प्रतिक्रियाएं व्यक्त की;

(ग) क्या किसी अन्य राजनयिक दल ने भी जम्मू और कश्मीर का 1995 के दौरान अब तक दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक दल द्वारा सरकार से व्यक्त की गई टिप्पणियों तथा प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की ऐसे दौरों के प्रबन्धन हेतु कोई संदर्शी नीति है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया):** (क) अमरीकी राजदूत श्री फ्रैंक विजनर अमरीकी दूतावास के अधिकारियों के साथ 24 से 26 जून, तक श्रीनगर और 26 से 27 जून तक जम्मू गए थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राज्यपाल, जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों मुख्य राजनीतिक नेताओं, आल पार्टी हुरियत कान्फ्रैंस के नेताओं, छात्रों, शिक्षाविदों, मीडिया के लोगों और श्रीनगर वाणिज्यिक मंडल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने शबीर शाह और यासिन मलिक के साथ अलग-अलग मुलाकात की। जम्मू में उन्होंने कश्मीरी प्रवासी शिविरों का भी दौरा किया।

(ख) राजदूत श्री विजनर ने यह स्वीकार किया कि लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है और वे टकराव की जगह बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में होने जा रहे चुनावों के प्रति अमरीकी सरकार का समर्थन जताया और कहा कि यह चुनाव अपने में एक ध्येय तो नहीं है लेकिन फैसला करने की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने का जरिया है। उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जम्मू-कश्मीर मसले को हल करने का सर्वोत्तम तरीका है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर के मसले के सम्बन्ध में अमरीका न तो मध्यास्थ है और न ही इसके हल के लिए उसके पास कोई फार्मूला है। उन्होंने कहा कि अमरीका सीमा पार से आने वाली हिंसा के खिलाफ है और उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को इस बात से अवगत करा दिया गया है।

(ग) फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनान, बेल्जियम और यूरोपीय आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला छह यूरोपीय राजदूतों का एक दल 27 अप्रैल से 1 मई, 1995 तक जम्मू-कश्मीर गया था। जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में इस दल के अभिमत इस प्रकार थे : 1994 में व्याप्त स्थिति की तुलना में घाटी में अब अधिक सामान्य स्थिति है। इस दल का यह भी विचार था कि 1993 की तुलना में विरोधी दलों और सुरक्षा बलों के बीच वैमनस्य काफी कम दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त राज्य में कार्यरत सुरक्षा बलों में मानवाधिकारों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक चेतना है। चुनावों के सम्बन्ध में इस दल का यह मानना था कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों को इन चुनावों के दौरान उपस्थित

रहने के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो उन लोगों को भी इसमें भाग लेने में प्रेरित करने में सहायता मिलेगी जो इसमें भाग लेने के अनिच्छुक है। भारत को यह समझना चाहिए कि प्रेक्षकों की उपस्थिति से भारत की सम्प्रभुता सम्पन्न, आत्म-विश्वासी राज्य के रूप में विश्वसनीय बढ़ेगी ही घटेगी नहीं।

नई दिल्ली स्थित ईरान राजदूतावास में कार्यरत प्रथम सचिव श्री आगा खुशामदी के नेतृत्व ईरान दूतावास का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जून, 1995 में जम्मू-कश्मीर गया था।

(घ) राज्य में मानवाधिकार स्थिति के सम्बन्ध में यूरोपीय राजदूतों के दल ने यह टिप्पणी की थी कि परस्पर लड़ रहे उग्रवादी गुट संभवतः सुरक्षा बलों की अपेक्षा मानवाधिकारों का अधिक उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया था लेकिन मानवाधिकारों को लेकर सुरक्षा बलों में अपेक्षाकृत काफी अधिक चेतना नजर आई।

(ङ) और (च). सरकार जम्मू और कश्मीर में पूर्ण पारदर्शिता की नीति बनाए हुए है और विदेशी व्यक्तियों तथा निकासी राजनयिकों सहित कोई भी व्यक्ति इस राज्य की यात्रा कर सकता है।

## पंजाब की जेलों में पाकिस्तानी नागरिक

1835. **श्री मोहन रावले** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने कई वर्षों से पंजाव की जेलों में पड़े पाकिस्तानी नागरिकों को लेने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) पाकिस्तान ने भारत सरकार को यह सूचित नहीं किया है कि भारतीय जेलों जिनमें पंजाब स्थित जेलें भी शामिल हैं; में बन्द पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का वह परित्याग कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत और पाकिस्तान ने 1982 में कोंसली सेवा देने से संबंद्ध प्रोतोकोल सम्पन्न किया था। इस द्विपक्षीय प्रोतोकोल में एक दूसरे के देश के उन राष्ट्रिकों के स्वदेश प्रत्यावर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें कोंसली सेवाएं देने की व्यवस्था है जो एक दूसरे के देश में नजरबंद हैं। पिछली बार जून, 1995 में पाकिस्तान को जयपुर की केन्द्रीय जेल में कोंसली सेवा देने की अनुमति दी गई थी।

## पत्तनों के निजीकरण पर सेमिनार

1836. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत में पत्तनों के निजीकरण पर दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सेमिनार में किन-किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई;

(ग) सरकार को इस सेमिनार से पत्तनों के निजीकरण में कहां तक सहायता मिली है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में किसी ठोस निर्णय पर पहुंच पाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) से (ङ). जी हां। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ने मुरगांव पत्तन न्यास और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो-यूरोपीयन स्टडीज के सहयोग से "पत्तन निजीकरण" के संबंध में 4 और 5 मई, 95 को गोवा में एक दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया था। सेमिनार में विभिन्न पहलुओं जैसे देश का समुद्री व्यापार चलाने के लिए दक्ष पत्तनों का महत्व, परिवहन की अपेक्षाओं में परिवर्तन, भारतीय पत्तनों के निजीकरण का वर्तमान दृश्य, पत्तन निजीकरण के संबंध में यूरोप और एशिया में समुद्रपार के देशों का अनुभव और पत्तन निजीकरण में श्रम संबंधी दृष्टिकोण पर विचार किया गया था। विभिन्न चर्चित मुद्दों से सरकार को निजीकरण के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों में सहायता प्राप्त होगी।

## पाकिस्तान द्वारा लड़ाकू विमान का विकास

1837. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** :

**श्री तारा सिंह** :

**श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** :

**श्री श्रवण कुमार पटेल** :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1995 के "द ट्रिब्यून" में पाकिस्तान द्वारा चीन की सहायता से अमरीका के एफ-16 लड़ाकू विमान के समकक्ष आधुनिक विमान के विकास संबंधी समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार को पाकिस्तान तथा चीन द्वारा सुपर-7 वायुयान विकसित करने के लिए किए जा रहे संयुक्त प्रयासों की जानकारी है।

सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर बराबर नजर रखती है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

## गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुचित प्रोत्साहन

**1838. श्री राम विलास पासवान :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई विद्युत नीति में गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुचित प्रोत्साहन दिए गए हैं जिससे परियोजनाओं की लागत अधिक हो जाती है;

(ख) क्या सरकार का उस एकल दर को विनिर्दिष्ट करने संबंधी मानक परिपाटी को अपनाने का कोई प्रस्ताव है जिस पर देशभर में विद्युत की बिक्री करने के लिए निजी निवेशकों को कहा जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और देश भर में विद्युत दरों को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की अवस्था में परियोजनाओं (100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली) की जांच निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए सरल और सुव्यवस्थित विद्युत दरें सुनिश्चित करती हैं।

## उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के गायब सम्पर्क

**1839. डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के गायब सम्पर्कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में कार्यान्वयनाधीन गायब सम्पर्क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कितनी गायब सम्पर्क निर्माण परियोजनाएं स्वीकृत/अस्वीकृत की गई;

(घ) स्वीकृति के लिए लम्बित ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य की नई गायब सम्पर्क परियोजनाओं पर विचार कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) राष्ट्रीय राजमार्ग-23 पर पात्री और कालन्दा के बीच चैनेज 15750 से 54580 तक लगभग 39 कि॰ मी॰ लम्बा केवल एक ही अधूरा संपर्क सड़क खंड है।

(ख) अधूरी संपर्क सड़क के चार निर्माण कार्य और 6 पुल निर्माण कार्य जो क्रमशः 1.06 और 1.36 करोड़ रु॰ की लागत पर स्वीकृत किए गए थे, प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) और (घ). 33 कि॰ मी॰ लम्बी अधूरी संपर्क सड़क के निर्माण के लिए आठवीं पंच वर्षीय योजना में 12.5 करोड़ रु॰ का प्रावधान किया गया है किन्तु संसाधनों के अभाव के कारण अभी तक किसी कार्य को मंजूरी नहीं दी गई है।

(ङ) जी नहीं।

(च) चूंकि अधरी संपर्क सड़क एक ही है इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

## शीतल पेय के मूल्यों में वृद्धि

**1840. श्री अरविन्द त्रिवेदी :**

**श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में "रिटर्नेबल बाट्ल्स" में बेचे जाने वाले शीतल पेय, 'रेडी टू सर्व बीवरेज़स" और अन्य समान उत्पादों के पैकेजों पर उनका बिक्री मूल्य अंकित करने संबंधी छूट को वापस ले लिया है जिसके परिणामस्वरूप इन पेयों के निर्माताओं को बोतलों पर उनके अधिकतम खुदरा मूल्य को अंकित करना होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या होगा;

(ग) क्या "पेप्सी" और "कोक" शीतल पेयों की निर्माता बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा खुदरा बाजार में इनकी कीमतों में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन शीतल पेयों के मूल्य में वृद्धि करने का औचित्य क्या है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) :** (क) और (ख). सरकार ने हाल ही में बाट और माप (पैकेज वस्तु) नियमावली, 1977 के तहत इस घोषणा के लिए एक अधिसूचना जारी की है जो विवरण के रूप में संलग्न है। ऐसा पैकेज वस्तु नियमावली, 1977 के तहत नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत गठित पैकेज वस्तु संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

(ग) और (घ). प्राप्त सूचना के अनुसार मैसर्स पेप्सी फुड्स लि॰ और मैसर्स कोका कोला के फ्रैंचाइज/बॉटलरों द्वारा बनाए जाने वाले शीतल पेयों की कीमतें बढ़ गई हैं। उद्योग ने उल्लेख किया है कि शीतल पेयों की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण मुद्रास्फीति और उसके परिणामस्वरूप कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, बोतलों पर उपलब्ध मूल्य ह्रास लाभों में कमी आना आदि है।

## विवरण

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नागरिक आपूर्ति विभाग

नई दिल्ली

13 जुलाई, 1995

अधिसूचना

सा० का० नि० 647 (ई): बाट और माप अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 83 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा मानक बाट और माप (पैकेज वस्तुएं) नियमावली, 1977 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. (1) इन नियमों को मानक बाट तथा माप (पैकेज वस्तुएँ) (चौथा) संशोधन नियमावली, 1995 कहा जा सकेगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के तीन महीने बाद प्रभावी होंगे।

2. मानक बाट और माप (पैकेज वस्तुएँ) नियमावली, 1977 (इसके बाद इन्हें उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम 6, उपनियम (1) में, परन्तु (ग) में, खंड (ii) में "शीतल पेय, परोसने के लिए तैयार फल पेयों अथवा समरूप" शब्दों को हटा दिया जाए।

3. उक्त नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित उप नियम (6) जोड़ा जाए अर्थात् :– "(6) शीतल पेयों, परोसने के लिए तैयार फल पेयों अथवा समरूप हेतु दोबारा भरने के लिए उपभोक्ता द्वारा लौटाई जाने वाली बोतल के ढक्कन अथवा बोतल पर या दोनों पर उसका खुदरा विक्रय मूल्य लिखा जाए। अगर खुदरा विक्रय मूल्य ढक्कन पर लिखा जाता है तो खुदरा विक्रय मूल्य को इस प्रकार "अधिकतम खुदरा मूल्य रुपए–" लिखा जाना पर्याप्त होगा"।

हस्ताक्षर
(राजीव श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[अनुवाद]

## अमरीकी अंडर सेक्रेटरी, शस्त्र नियंत्रण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दौरे का रद्द होना

**1841. श्री रवि राय :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के शस्त्र नियंत्रण और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भारत की यात्रा को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनकी भारत यात्रा को पुनर्निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) और (ख). अमरीका के शस्त्र नियंत्रण और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डा० लिन डेविस की यात्रा अमरीकी पक्ष की समस्याओं के कारण स्थगित की गई थी।

(ग) और (घ). इस यात्रा के अक्तूबर, 1995 में परस्पर सुविधाजनक तारीखों को होने की संभावना है।

[हिन्दी]

## इस्लामिक देशों के संगठन द्वारा कश्मीरी उग्रवादियों की आलोचना

**1842. श्री पंकज चौधरी :**

**श्री बृज भूषण शरण सिंह :**

**श्री महेश कनोडिया :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामिक देशों के संगठन ने जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी आतंकवादियों की भूमिका की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका सहित अन्य देशों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में इन देशों की देश-वार क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त तथ्य को देखते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की सूची में शामिल करने हेतु अमरीका से पुनः अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद):** (क) जी नहीं,

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

## केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान

**1843. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सी० एम० एफ० आर० आई०) ने भारतीय समुद्री क्षेत्रों में अत्यधिक मत्स्यन के कारण समुद्र पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या संस्थान ने सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री तरूण गगोई)** : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**[हिन्दी]**

## उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का 132 किलोवाट विद्युत सब-स्टेशन

**1844. श्री रामपाल सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** 23.8.1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3942 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 132 किलोवाट विद्युत सब-स्टेशनों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1993 से अब तक स्वीकृत किए गए विद्युत सब-स्टेशनों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल)** : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**[अनुवाद]**

## यूरिया के आयात के लिए बोली राशि

**1845. डा॰ लाल बहादुर रावल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एन॰ एफ॰ एल॰) तथा पी॰ पी॰ सी॰ एल॰ द्वारा यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के आयात हेतु बोली राशि तथा बोली बांड केवल डालर में ही स्वीकार किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बोली लगाने वालों से निविदा राशि भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंक गारंटी दिए जाने पर ही स्वीकार किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)**: (क) से (ग). यूरिया के आयात के लिए सारणीबद्ध अभिकरण और वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार मुद्रा जिसमें बोली मुद्रा आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा प्रदान की जाती है, का निर्धारण करते हैं। जबकि नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰ (एन॰ एफ॰ एल॰) ने इस बोली मुद्रा को केवल अमेरिकी डालर में स्वीकार किया है। पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि॰ (पी॰ पी॰ सी॰ एल॰) अमेरिकी डालर अथवा समतुल्य रुपयों में बोली मुद्रा (बिड मनी) को स्वीकार किया है।

## ग्रामीण युवाओं को मछली पालन के क्षेत्र में शामिल करना

**1846. श्री प्रकाश वी॰ पाटील** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में और अधिक ग्रामीण शिक्षित युवाओं को शामिल करने के लिए क्या-क्या योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई)** : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**[हिन्दी]**

## पेप्सी भारत छोड़ो

**1847. डा॰ मुमताज अंसारी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1995 के "जनसत्ता" में "नौ अगस्त को गूंजेगा पेप्सी भारत छोड़ो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**[अनुवाद]**

## सामाजिक विकास के लिए विश्व सम्मेलन

**1848. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक विकास के बारे में मार्च, 1995 में "कोपेनहेगन में हुए विश्व सम्मेलन के परिणाम क्या रहे; और

(ख) सम्मेलन के दौरान किए गए निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा अपनी सामाजिक नीति, योजना में परिवर्तन हेतु क्या कदम उठाए गए ?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) और (ख). सामाजिक विकास से सम्बद्ध विश्व शिखर सम्मेलन 10 से 12 मार्च, 1995 तक कोपनहेगन में हुआ था। इसमें कोपनहेगन घोषणा तथा कार्य योजना की गई थी। इस घोषणा में 10 वचनबद्धताएं

शामिल हैं जो सामाजिक विकास के सामूहिक लक्ष्य के लिए ली गई थी और जिनका उद्देश्य देशों के भीतर तथा देशों के मध्य सामाजिक न्याय, एकजुटता, समरसता और समानता स्थापित करना है। ये अन्य बातों के साथ-साथ समर्थकारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विधिक पर्यावरण के सृजन, निर्धनता उन्मूलन, पूर्ण रोजगार के लक्ष्य की प्राप्ति, सामाजिक एकता के सवंर्द्धन; शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संस्कृति, सामाजिक विकास के लिए आबंटित संसाधनों में वृद्धि करने, तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बेहतर बनाने से सम्बन्धित हैं ताकि इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। कार्य-योजना में उपर्युक्त वचनबद्धताओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर विस्तृत योजनाएं दी गई हैं।

सामाजिक उत्थान के प्रति समर्पित विकासशील देश होने के नाते भारत यह देखकर खुश है कि इस घोषणा में और कार्य योजना में जो कार्यक्रम और कार्यकलाप परिलक्षित हैं उनमें से अधिकांश भारत में पहले से ही हो रहे हैं। भारत निर्धनता उन्मूलन, रोजगार के अवसर सृजित करने, तथा सामाजिक विकास के लिए उत्तरोत्तर अधिक संसाधन लगाने की नीतियों पर निरन्तर चल रहा है। कोपनहेगन घोषणा और कार्य योजना हमारी सामाजिक आयोजन प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं।

**[हिन्दी]**

## उत्तर प्रदेश में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण

**1849. डा॰ साक्षीजी :**

**श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के लौह अयस्क के भंडारों की उपलब्धता का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) चुनिन्दा स्थलों से लौह अयस्क निकालने हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

## नई विद्युत परियोजनाएं

**1850. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार किन-किन नई विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई;

(ख) इन परियोजनाओं में राज्य-वार और परियोजनावार कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के आरम्भ किए जाने की क्या सम्भावित समय-सीमा है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल) :** (क) से (ग). वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान योजना आयोग द्वारा राज्य क्षेत्र में निवेश अनुमोदन प्रदान की गई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

| क्रम | परियोजना का नाम | प्रकार | राज्य | वर्तमान स्थिति | प्रत्यासित समय सूची |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | रामगढ़ जीं॰ टी॰ (1 x 35.5 मे॰ वा॰) (विस्तार) | ताप | राजस्थान | कार्य प्रगति पर है | 8/95 |
| 2. | भटिन्डा टी॰ पी॰ पी॰ (2 x 210 मे॰ वा॰) यूनिट 5 व 6 (जी॰ एन॰ डी॰ टी॰ पी॰ पी॰) | ताप | पंजाब | कार्य प्रगति पर है | 3/97 और 12/97 |
| 3. | शाहपुर कन्डी बांध परियोजना (168 मे॰ वा॰) | जल॰ वि॰ | पंजाब | कार्य प्रगति पर है | 1999-2000 |
| 4. | बकरेश्वर टी॰ पी॰ पी॰ (5 x 210 मे॰ वा॰) | ताप | प॰ बंगाल | कार्य प्रगति पर है | 6/99 व 12/99 |
| 5. | डी॰ जी॰ सैटस ब्रह्मपुरम (कोचिन) (5 x 20 मे॰ वा॰) | ताप | केरल | कार्य प्रगति पर है | 1996 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | रायलसीमा टी॰ पी॰ पी॰ चरण-II (2 × 10 मे॰ वा॰) | ताप | आंध्र प्रदेश | कार्य प्रगति पर है | |
| 7. | पुरूलिया पी॰ एस॰ एस॰ (900 मे॰ वा॰) | ताप | प॰ बंगाल | कार्य प्रगति पर है | 2001-2002 |
| 8. | कोठागुडम टी॰ पी॰ पी॰ चरण-5 (2 × 250 मे॰ वा॰) | ताप | आंध्र प्रदेश | कार्य प्रगति पर है | 3/97 और 9/97 |

[हिन्दी]

## विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना

**1851. डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :**

**श्री रामपाल सिंह :**

**श्री महेश कनोडिया :**

**श्री पंकज चौधरी :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सभी भारतीय दूतावासों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने देश के विद्यालयों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन विश्वविद्यालयों ने भारतीय शिक्षा की व्यवस्था की है;

(घ) क्या उन विश्वविद्यालयों में इस प्रयोजनार्थ पद (चेयर) सृजित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विदेशी विश्वविद्यालयों में ऐसे पदों का ब्यौरा क्या है जहां इस समय भारतीय प्रोफेसर कार्यरत हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद):** (क) विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों को भारत सरकार की नीतियों की पूर्णतः जानकारी है और वे स्थानीय जरूरतों के मुताबिक विदेशों में भारतीय अध्ययनों के संवर्द्धन से सम्बद्ध नीति से भी परिचित हैं। तथापि, भारतीय अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के सिलसिले में, कोई विशेष हिदायत जारी नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

(घ) और (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

### विवरण

**उन विश्व विद्यालयों के नाम जहां भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्त प्रोफेसर इस समय भारतीय भाषाएं इत्यादि पढ़ा रहे हैं।**

| क्रम सं॰ | यूनिवर्सिटी का नाम | देश | विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अंकारा यूनिवर्सिटी, अंकारा | तुर्की | हिन्दी |
| 2. | बीजिंग यूनिवर्सिटी, बिजिंग | चीन | हिन्दी |
| 3. | स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ घेंट | बेल्जियम | हिन्दी |
| 4. | यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन | ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो | मानव विज्ञान |
| 5. | सिलपाकोर्न यूनिवर्सिटी, बैंकाक | थाइलैण्ड | संस्कृत |
| 6. | ओटवास लौरेन्ड यूनिवर्सिटी, बुडापेस्ट | हंगरी | हिन्दी |
| 7. | गडजाह मादा यूनिवर्सिटी, जावा | इंडोनेशिया | भारतीय |
| 8. | आई॰ सी॰ सी॰, पारामारिबो | सूरीनाम | हिन्दी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9. | यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा | पोलैण्ड | हिन्दी |
| 10. | यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा | पोलैण्ड | तमिल |
| 11. | हेलसिंकी यूनिवर्सिटी | फिनलैण्ड | हिन्दी |
| 12. | जे० एन० सी० सी०, मास्को | मास्को | हिन्दी |
| 13. | सोबोन नोवेल युनिवर्सिटी, पेरिस | फ्रांस | संस्कृत |
| 14. | हेंकूक यूनिवर्सिटी, सोल | कोरिया | हिन्दी |
| 15. | सौफिया यूनिवर्सिटी, सौफिया | बल्गारिया | हिन्दी |
| 16. | महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट | मारीशस | भारतीय दर्शन शास्त्र संस्कृत |
| 17. | यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन | ट्रिनीडाड एण्ड टोबागो | हिन्दी |
| 18. | नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हायर स्टडीज, साईस एण्ड टेक्नोलोजी, पोर्ट ऑफ स्पेन। | ट्रिनीडाड एण्ड टोबागो | हिन्दी |

[अनुवाद]

## राजनयिक संबंध

**1852. श्री के० प्रधानी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान किन-किन देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए; और

(ख) सरकार द्वारा 1995 के दौरान किन-किन देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया):** (क) भारत ने 1994 में एन्डोरा ओर होन्डुरस के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए थे।

(ख) वर्ष 1995 के दौरान हाइती तथा संघीय राज्य माइक्रोनेशिया (एफ० एस० एम०) के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रस्ताव है। फरवरी 1995 में पूर्व यूगोस्लाव के मैकेडोनिया गणराज्य के साथ और अप्रैल, 1995 में पलाउ गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए हैं।

[हिन्दी]

## गांवों का विद्युतीकरण

**1853. श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गांवों का विद्युतीकरण केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ग) क्या इन दिशा-निर्देशों में संशोधन करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया जा रहा है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल)** : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को गाँवों के विद्युतीकरण हेतु कोई विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं, चूंकि यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वह अपनी स्वयं की आवश्यकताओं और उनके पास मौजूद वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य को करे। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर० ई० सी०) राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों/सहकारी संस्थाओं को इस प्रयोजन हेतु तकनीकी-निर्देशन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

(ग) और (घ). उपरोक्त (क) और (ख). के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए इस सम्बन्ध में किसी संशोधन की परिकल्पना नहीं की गई है। आर० ई० सी० ने इस उद्देश्य से ग्राम विद्युतकरण की परिभाषा के सम्बन्ध में राज्य सरकारों का विचार जानने का अनुरोध किया था; ताकि विद्यमान परिभाषा में संशोधन करने की आवश्यकता का पता लगाया जा सके। चूंकि, विद्यमान परिभाषा में परिवर्तन करने की आवश्यकता के बारे में सभी राज्य एक मत नहीं हैं; इसलिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यह सलाह दी गई थी कि इसमें कोई संशोधन न किया जाए।

[अनुवाद]

## अंतर्देशीय जलमार्ग

**1854. श्री मनोरंजन भक्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में चयनित अंतर्देशीय जलमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ और अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अंतर्देशीय जलमार्गों का समुचित उपयोग किया जा रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) अंतर्देशीय जलमार्गों के बेहतर उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) वर्ष 1980 नें राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (एन० टी० पी० सी०) ने राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषणा करने के लिए विचार करने हेतु जिन 10 अंतर्देशीय जलमार्गों का पता लगाया था, निम्नलिखित हैं :–गंगा-भागीरथी-हुगली, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, केरल में पश्चिम तटीय नहर, गोदावरी, कृष्णा, गोवा में मंडोवी और जुआरी नदियां और कम्बरजुआ नहर, महानदी, और सुन्दरबन। उपर्युक्त में से निम्नलिखित तीन को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किया जा चुका है :–

(1) हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (1620 कि० मी०) को राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 1 के रूप में।

(2) धुबरी से सैदिया तक ब्रह्मपुत्र (891 कि० मी०) को राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 2 के रूप में।

(3) कोलम से कोटापुरम तक पश्चिमी तटीय नहर (168 कि० मी०) और चम्पाकारा नहर (14 कि० मी०) तथा उद्योग मंडल नहर (23 कि० मी०) को राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3 के रूप में।

(ख) और (ग). 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित तीन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है :–

(1) सुन्दरबन-सागर और बंगला देश सीमा के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्टीमर मार्ग (191 कि० मी०)

(2) गोदावरी नदी-इसकी नौचालन योग्य मुहाने की नहरों के साथ-साथ चेरला से राजमुंदरी तक (208 कि० मी०)।

(3) गोवा के जलमार्ग अर्थात् मंडोवी नदी (41 कि० मी०) जुआरी नदी (64 कि० मी०) और कम्बरजुआ नहर प्रणाली (17 कि० मी०)।

(घ) और (ङ). तीन राष्ट्रीय जलमार्गों को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा उनके उचित उपयोग के लिए और विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल मार्गों का पूरा उपयोग पर्याप्त गहराई का जलपथ, टर्मिनल, रात्रि नौचालन सुविधाएं और कार्गो पेशकश जैसी सभी अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित पूरे जलमार्गों के विकसित होने पर ही संभव होगा।

(च) प्रथम कदम के रूप में भा० अ० ज० प्रा० द्वारा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास प्राथमिकता के मुद्दे के रूप में किया जा रहा है और विभिन्न अध्ययन करने तथा ठेके आदि के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अंतर्देशीय जल परिवहन प्रचालनों विशेषत: राष्ट्रीय जल मार्ग-1 में निजी प्रचालकों को लगाने के लिए गोवा बार्ज ओनर्स एसोसिएशन को बिना किन्हीं भाड़ा प्रभारों के दो जलपोत एक वर्ष के लिए परीक्षण के तौर पर दिए गए हैं। सरकार निजी उद्यमियों द्वारा पोत अधिग्रहण करने के लिए ब्याज सब्सिडी ऋण भी प्रदान कर रही है ताकि उनके ब्याज के बोझ को 5.5% तक कम किया जा सके। राष्ट्रीय जलमार्ग। और 2 में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पूर्णत: विकास होने तक निजी प्रचालकों के प्रचालनों को शुरू करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु भा० अ० ज० प्रा० द्वारा 10 पैसे प्रति टन किलोमीटर की दर से प्रतिपूर्ति किए जाने की एक योजना भी चलाई गई है।

[हिन्दी]

## जल विद्युत क्षेत्र में विदेशी कम्पनियां

**1855. प्रो० प्रेम धूमल : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1994 और जून, 1995 के बीच गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितने मेगावाट विद्युत का राज्यवार उत्पादन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) :** (क) से (ग). निजी क्षेत्र में जून, 1991 से जून, 1995 तक राज्य-वार विद्युत उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। उत्पादित विद्युत की मात्रा किलोवाट आवर यूनिट में मापी गई है।

**विवरण**

**निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन अवधि : जून, 1991 से जून, 1995**

| राज्य का नाम | संगठन | स्वरूप | ऊर्जा उत्पादन |
|---|---|---|---|
| | | | (मि॰ यू॰) |
| गुजरात | ए॰ ई॰ कम्पनी | ताप विद्युत | 11484 |
| | जी॰आई॰पी॰सी॰एल॰ | ताप विद्युत | 1386 |
| महाराष्ट्र | टाटा इलैक्ट्रिक | ताप विद्यत | 26613 |
| | कम्पनी | जल विद्युत | 5710 |
| | बम्बई सब-अरबन | ताप विद्युत | 88 |
| | इलैक्ट्रिक कं॰ (बी॰एस॰ई॰एस॰) | | |
| कर्नाटक | भोरूका पावर | जल विद्युत | 76 |
| | कारपोरेशन लि॰ | | |
| | (शिवपुरा) | | |
| पश्चिम बंगाल | सी॰ ई॰ एस॰ सी॰ | ताप विद्युत | 14321 |

[अनुवाद]

## इस्पात कम्पनियों द्वारा संयुक्त उद्यम

**1856. श्री लाईता उम्ब्रे :**

**श्री राम कापसे :**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य द्वारा नियंत्रित इस्पात कम्पनियों को विविधकरण परियोजनाओं हेतु संयुक्त उद्यम में सहभागिता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली में भाग लेना होगा;

(ख) क्या सरकार ने सभी उद्यम समझौतों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने हेतु आदेश जारी कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (क). को मद्देनज़र में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ा करना और विकास करना

**1857. डा॰ (श्रीमती) के॰ एस॰ सौन्दरम** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने और विकास के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) तमिलनाडु में अब तक कितने राष्ट्रीय राजमार्गों में रख-रखाव, मरम्मत और विकास कार्य शुरू किया गया और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) शेष कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

**जल-भूतल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए उपलब्ध कराई गई राशि वर्ष 1993-94 के लिए 3064 लाख रु॰ और 1994-95 के लिए 2589.50 लाख रु॰ थी। वर्ष 1995-96 के लिए 1100 लाख रु॰ उपलब्ध कराए गए हैं।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है। तमिलनाडु से 9 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कुल 174 विकास कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहे हैं और उनमें से 107 कार्य मार्च, 1996 तक और शेष कार्य मार्च, 1997 तक पूरे कर लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

## राजस्थान और बिहार की विद्युत परियोजना

**1858. श्री कुन्जी लाल :**

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और बिहार में विद्युत की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) इस समय कितनी विद्युत का उत्पादन हो रहा है और उस पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जुटाई जाएगी ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल)** : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**[हिन्दी]**

## लघु इस्पात संयंत्र

**1859. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत लघु इस्पात संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ख) इन संयंत्रों का गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना-कितना उत्पादन रहा; और

(ग) इन संयंत्रों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा अधिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) से (ग). एकीकृत इस्पात संयंत्रों के अलावा तुलनात्मक रूप से कम क्षमता के इस्पात संयंत्रों, जिनमें विद्युत चाप भट्टी (ई॰ ए॰ एफ॰) और प्रेरण भट्टी इकाइयां शामिल हैं, द्वारा भी इस्पात का उत्पादन किया जाता है। इस समय देश में 95 विद्युत चाप इकाइयां कार्यरत हैं जिनकी क्षमता लगभग 61.6 लाख टन है। इन इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत चाप भट्टी क्षेत्र का उत्पादन निम्नानुसार है :–

| वर्ष | उत्पादन |
|---|---|
| 1992-93 | 29.66 लाख टन |
| 1993-94 | 24.88 लाख टन |
| 1994-95 | 28.00 लाख टन |

इस क्षेत्र का निष्पादन विभिन्न कारणों जैसे आदानों (जैसे विद्युत टैरिफ, स्क्रैप मूल्यों, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स) की लागतों में वृद्धि अकिफायती उत्पादन क्षमता अप्रचलित प्रौद्योगिक आदि की वजह से प्रभावित हुआ है।

## विवरण

### देश में कार्यरत विद्युत चाप भट्टी इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा

| क्रम सं॰ | राज्य | इकाइयों की संख्या | कार्यरत इकाइयों की क्षमता (टन) |
|---|---|---|---|
| 1. | **उत्तरी क्षेत्र** | | |
| | दिल्ली | - | - |
| | हरियाणा | 5 | 3,32,500 |
| | हिमाचल प्रदेश | 2 | 1,00,000 |
| | जम्मू और कश्मीर | 2 | 36,000 |
| | पंजाब | 7 | 3,06,500 |
| | राजस्थान | 3 | 1,45,000 |
| | उत्तर प्रदेश | 11 | 4,22,000 |
| | चण्डीगढ़ | 1 | 40,000 |
| | | 31 | 13,82,000 |
| 2. | **पूर्वी क्षेत्र** | | |
| | असम | 1 | 18,000 |
| | बिहार | 4 | 2,48,000 |
| | उड़ीसा | 2 | 53,000 |
| | पश्चिम बंगाल | 14 | 3,81,500 |
| | | 21 | 7,00,500 |
| 3. | **पश्चिमी क्षेत्र** | | |
| | गोवा | 1 | 1,50,000 |
| | गुजरात | 2 | 66,000 |
| | मध्य प्रदेश | 9 | 9,67,000 |
| | महाराष्ट्र | 13 | 18,12,000 |
| | | 25 | 29,95,000 |
| 4. | **दक्षिणी क्षेत्र** | | |
| | आन्ध्र प्रदेश | 3 | 1,43,000 |
| | कर्नाटक | 9 | 4,38,000 |
| | केरल | - | - |
| | पाण्डिचेरी | 2 | 1,79,000 |
| | तमिलनाडु | 4 | 3,22,000 |
| | | 18 | 10,82,000 |
| | कुल : | 95 | 61,59,500 |

अर्थात् 61.59 लाख टन

[अनुवाद]

## "दक्षेस"

**1860. श्री हरिन पाठक :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "दक्षेस" की स्थापना के उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है;

(ख) क्या इस संघ को सुदृढ़ बनाने हेतु सभी सदस्य देश अपनी भूमिका निभा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत द्वारा "दक्षेस" को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सार्क में सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं और नीचे उल्लिखित परिणामों से यह पता चलता है कि सभी सदस्य राज्य सार्क को सफल बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं।

(i) इस वर्ष मई के दौरान नई दिल्ली में सम्पन्न आठवें सार्क शिखर सम्मेलन से क्षेत्रीय सहयोग को नई नीति मिली है। सभी सार्क देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने एक-दूसरे को दी जाने वाली सहमत टैरिफ रियायती के आधार पर सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) को 8 नवम्बर तक अथवा अधिक से अधिक 1995 के अंत तक कार्यात्मक बनाने का फैसला किया। इस बात पर भी सहमति हुई कि सार्क क्षेत्र में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की संभावना का पता लगाया जाए।

(ii) आतंकवाद के दमन से सम्बद्ध सार्क क्षेत्रीय अधिसमय सभी राज्यों द्वारा अनुसमर्थन कर दिए जाने के बाद अगस्त, 1988 में प्रभावी हो गया था। नशीली दवाईयों तथा मनः प्रभावी पदार्थों के दुरूपयोग को रोकने से सम्बद्ध सार्क अभिसमय सभी सदस्य राज्यों द्वारा अनुसमर्थ कर दिए जाने के बाद सितम्बर, 1993 में प्रवृत्त हो गया था।

(iii) सार्क वीजा छूट योजना 1992 में लागू की गई थी और आठवें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान इसका विस्तार करके इसमें कुछ और श्रेणियों को शामिल किया गया है ताकि जन-सम्पर्क की गुंजाइश बढ़ सके।

(iv) गरीबी उन्मूलन के लिए एक त्रिपक्षीय स्थायी व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसमें सार्क देशों की सरकारों के गरीबी उन्मूलन से सम्बद्ध सचिव, वित्त-I योजना सचिव, वित्त 1 योजना मंत्री शामिल हैं।

(v) सार्क देशों के मध्य व्यापार के विस्तार को गतिशील बनाने के लिए 1996 के शुरू में भारत में सार्क देशों की वाणिज्यिक मंत्रियों की बैठक होगी।

(vi) इस बात पर सहमति हुई है कि सार्क व्यापार मेले सदस्य-राज्यों में लगाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र के व्यवसायियों और उद्योगपतियों के बीच संपर्क सुदृढ़ हो सकें।

(vii) सार्क देशों के बीच व्यापार के विस्तार के लिए सार्क हाईवे की स्थापना के लिए एक सहमति हुई।

(घ) एक क्षेत्रीय संगठन होने के नाते सार्क सर्वसम्मति तथा सभी सदस्य राज्यों के सामूहिक प्रस्तावों के आधार पर कार्य करता है। भारत सार्क को अत्यधिक महत्व देता है और वह इसमें एक सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाता रहा है। वर्तमान अध्यक्ष होने के नाते भारत अन्य सदस्य राज्यों के साथ परस्पर परामर्श और सहयोग करके ऐसा करता रहेगा।

[हिन्दी]

## पटना को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना

**1861. श्री राम टहल चौधरी :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार करने का है;

(ख) क्या पटना को मुजफ्फर नगर से होते हुए नेपाल जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) जी हां। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए वार्षिक योजना 1995-96 में 161 करोड़ रु० का प्रावधान है।

(ख) और (ग). संभवतः माननीय संसद सदस्य का आशय पटना-मुजफ्फरपुर संपर्क सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव से है। राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा मुजफ्फरपुर को नेपाल सीमा से पहले से ही जोड़ा जा रहा है। संसाधनों के भारी अभाव के कारण इस संपर्क सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, यद्यपि बिहार राज्य सरकार ने इसके लिए अनुरोध किया था।

## परिवहन संबंधी ढांचागत परियोजनाएं

**1862. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :**

**श्री सुरेशानन्द स्वामी :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित परिवहन संबंधी ढांचागत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लम्बित हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

## इंदौर में बाइपास

**1863. श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंदौर के निर्माणाधीन बाईपास की पुनरीक्षा शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) से (ग). इन्दौर बाई-पास के निर्माण के लिए संस्वीकृति दे दी गई है किन्तु बाईपास की डिजाइन की समीक्षा की जा रही है और इस पर विश्व बैंक की सहमति आवश्यक है इसलिए निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

**[अनुवाद]**

## उर्वरकों की ढुलाई

**1864. श्री शरत पटनायक :**

**श्री राम नाईक :**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है उर्वरक उद्योग इस समय उर्वरकों की ढुलाई के लिए मालडिब्बों की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इस कमी के कारण उद्योग के पास भंडार सामान्य से ढाई गुणा बढ़ गया है; और

(ग) उद्योग को पर्याप्त मात्रा में माल डिब्बे उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो):** (क) और (ख). चालू खरीफ मौसम के दौरान जुलाई के अन्त तक रेल द्वारा उर्वरकों की ढुलाई गत वर्ष की समकालीन अवधि में 6.39 मिलियन टन की तुलना में 6.99 मिलियन टन रहा है जो 9.4% की वृद्धि दर्शाता है। तथापि, बैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण कुछ संयंत्रों/पत्तनों से माल की शीघ्र निकासी में बाधाएं आई हैं। प्रभावी अन्तर मंत्रालयी समन्वय तथा यातायात आवागमन की पद्धतियों के अनुरूप संचलन योजनाओं में उपयुक्त समायोजनों के माध्यम से रेल द्वारा उर्वरक लदान को तेज किया गया है।

चालू मांग के संदर्भ में, देश में उर्वरकों की उपलब्धता कुल मिलाकर संतोषजनक है।

(ग) 1995-96 के लिए माल डिब्बों की खरीद की योजना को 12000 माल डिब्बों से बढ़ाकर 19000 मालडिब्बे कर दिया गया है।

## मैसूर नगर जलापूर्ति योजना

**1865. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मैसूर नगर जलापूर्ति योजना को शुरू करने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## बांग्लादेश से होकर पारगमन सुविधाएं

**1866. श्री चित्त बसु :**

**डा॰ सुधीर राय :**

**श्रीमती विभू कुमारी देवी :**

**श्री बीर सिंह महतो :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूवेदिष्टत (लैंड-लॉकड) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वी बंगाल से बरास्ता बांग्लादेश पारगमन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो बांग्लादेश की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दोनों देशों के मध्य रेल सम्पर्क स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) से (घ). भूआबद्ध उत्तर-पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल से बहुविध पारगमन सुविधाओं के भाग के रूप में सड़क, रेल मार्ग, तथा चिट्टगांव बंदरगाह का उपयोग करने जैसी पारगमन व्यवस्थाओं के विभिन्न तरीकों से सम्बद्ध मसले को भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार के साथ उठाया है। बांग्लादेश की सरकार ने अभी तक हमारे प्रस्तावों का सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है।